लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 36, शुक्रवार, 18 अप्रैल, 1975/28 चैत्र, 1897 (शक)

No. 36, Friday, April 18, 1975/Chaitra 28, 1897 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 690 से 695, 699 और 700	Starred Questions Nos. 690 to 695, 699 and 700	1-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 688 से 689, 696 से 698, 701 और 703 से 710	Starred Questions Nos. 668 to 689, 696 to 698, 701 and 703 to 710	15-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 6478 से 6516, 6518 से 6621, 6625 से 6677, 6679 से 6690, 6692 से 6720, 6722, 6724 से 6758, 6760 से 6770, 6772 से 6780, 6782 से 6814, 6816 और 6821 से 6877	Unstarred Questions Nos. 6478 to 6516, 6518 to 6621, 6625 to 6677, 6679 to 6690, 6692 to 6720, 6722, 6724 to 6758, 6760 to 6770, 6772 to 6780, 6782 to 6814, 6816 and 6821 to 6877 ...	27-208
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	Short Notice Question No. 3 ..	209
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Motion for Adjournment (Query)	209
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	209-211
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ..	211
145वां प्रतिवेदन	Hundred and Forty-fifth Report	211-212
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	212
72वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Seventy-second Report and Minutes	212
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	212
61वां प्रतिवेदन	Sixty first Report	212
दिल्ली विक्रय कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill	212
(1) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Report of Select Committee ..	212
(2) प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य	Evidence before Select Committee	212
सभा का कार्य	Business of the House	212-216

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
समिति के लिए निर्वाचन	Election to committee ..	216
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Business — — ..	216
अनुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants, 1975-76 ..	216
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence ..	216-226
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	216
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indarjit Gupta..	217
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	218
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel —	219
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht ..	220
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	221
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	223
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	226
पुर: स्थापित किए गए विधेयक	Bills introduced — —	227
(1) श्री अर्जुन सेठी का राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1975 (धारा 15 और 25 का संशोधन)	State Financial Corporations (Amendment) Bill (Amendment of Sections 15 and 25) by Shri Arjun Sethi ..	227
(2) श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भारतीय न्यासिता विधेयक, 1975	Indian Trusteeship Bill by Shri Atal Bihari Vajpayee — ..	227
(3) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1975 (अनुच्छेद 284 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 284) by Shri Madhu Limaye ..	228
(4) श्री राजदेव सिंह का शिक्षा संस्थाओं का नाम विधेयक	Nomenclature of the Educational Institutions Bill by Shri Rajdeo Singh	229
(5) श्री ईरा सेझियान का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 का प्रतिस्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of Article 120) by Shri Sezhiyan ..	229
(6) श्री मधु लिमये का कम्पनी (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया (धारा 90 का लोप)	Companies (Amendment) Bill–Withdrawn (Omission of Section 90) by Shri Madhu Limye —	229
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	229

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	229
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	231
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	231
श्री जे० मैथा गौडर	Shri J. Matha Gowder ...	231
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	232
श्री बेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua ...	233
श्री मधु लिमये का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 13 और 15 का संशोधन)	Hindu Marriage (Amendment) Bill (Amendment of Section 13 and 15) by Shri Madhu Limaye	234
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	234
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	234
श्री राम सहाय पांडे	Shri Ram Sahai Pandey ...	235
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	236
सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Members	236
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve	236
श्री जी० एस० मिश्र	Shri G. S. Mishra ...	236

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 अप्रैल, 1975/28 चैत्र, 1897 (शक)
Friday, April 18, 1975/Chaitra 28, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लघु इस्पात संयंत्रों को उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट देना

*** 690. श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उत्पादन शुल्क से छूट दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां

(ख) लघु इस्पात संयंत्रों ने सरकार को यह अभ्यावेदन किया है कि उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे बाजार में प्रतियोगिता करने में असमर्थ है क्योंकि उनके उत्पादन की लागत ऊंची है जिसका कारण संयंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, उनके उत्पादों के लिए मांग की कमी और उत्पादन शुल्क की ऊंची दर का भार है।

सरकार ने इन कठिनाइयों पर पहले ही ध्यान दिया हैं और प्रथम उपाय के रूप में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से इन लघु इस्पात संयंत्रों की लागत का अध्ययन करने को कहा है। ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री एम० कतामुत्तु : मैं समझता हूं कि सरकार ने 1969 में लघु इस्पात संयंत्रों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया था और 1973 में यह शुल्क पुनः लगा दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने वर्ष 1973 में लघु इस्पात संयंत्रों पर पुनः उत्पादन शुल्क लगाते समय, लघु इस्पात संयंत्रों के उत्पादन की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखा गया था ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह ठीक है कि 1969 में लघु इस्पात संयंत्रों के इस्पात पिन्डों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया था और 1973 में पुनः वही शुल्क लगा दिया गया था और उन्हें 1974 में इस्पात पिन्डों का उत्पादन करने वाले अन्य समेकित इस्पात संयंत्रों के समान कर दिया गया था। सरकार ने इस निर्णय में परिवर्तन इसीलिए किया कि तब तक लघु इस्पात संयंत्रों का उत्पादन काफी बढ़ गया था तथा उनके लाभ में भी वृद्धि हो गई थी और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें उत्पादन शुल्क की अदायगी की छूट देते रहना उचित नहीं समझा गया था।

श्री एम० कल्यामुतु : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि इस्पात के प्रत्येक टन की बिक्री में लगभग 500 रुपये की हानि उठानी पड़ती है और इसी कारण अनेक एकक बंद होने वाले हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शीघ्र ही निर्णय लेकर यह सुनिश्चित करेगी कि यह एकक बंद न होने पायें ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मूल प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने यह मामला अध्ययन के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को भेजा हुआ है और हमें आशा है कि उनका प्रतिवेदन हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही हम इस पर विचार करेंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ एकक बंद हो गये हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारे आंकड़ों के अनुसार तो 57 में से केवल 3 एकक ही बंद हुए हैं। सम्भवत: इन एककों में से कुछ ने तो बिजली के अभाव तथा अन्य ऐसे कारणों से उत्पादन आरम्भ ही न किया हो। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक हो गई है और हम औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रसायनों के मूल्यों में कमी

+

***691. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कुछ और रसायनों के निकासी मूल्य कम किए हैं जिससे उसके बड़े स्टाक कम किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने से राज्य व्यापार निगम को कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इसके बाद स्टाक उठाने में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम के पास पड़े स्टाकों को समाप्त करने की दृष्टि से कतिपय प्लास्टिक तथा रोगन सम्बन्धी कच्ची सामग्री के मामले में कीमत कम की गई है।

नुकसान का पता तभी चल सकता है जब बिक्रियां कर दी जाएगी और लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) कमी 15-3-1975 को की गई थी और इतनी जल्दी परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास न केवल रसायनों आदि का ही, अपितु धातुओं आदि का भी ऐसा स्टाक पड़ा है जिसका उसने निर्यात किया था ? आप नुकसान का अनुमान लगा सकते थे क्योंकि आपको मालूम था कि कितना स्टाक पड़ा है तथा आपको यह भी मालूम था कि मूल्यों में कितनी कमी की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या क्रयादेश देने तथा यह माल प्राप्त करने में लगभग 2 वर्ष का विलम्ब हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तविक हानि का पता तो लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही लगेगा परन्तु हमारा अनुमान है कि यह हानि लगभग 213 लाख रुपये की होगी यदि माल घटी हुई दरों से बेचा गया। यदि क्रयादेश दिये जाने के बाद असाधारण विलम्ब हुआ है, तो उसकी जांच करवाई जा सकती है। केवल अपने ही कारणों से नहीं अपितु कई बार अन्तराष्ट्रीय कारणों से भी सप्लाई में विलम्ब हो जाता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : सामान की खरीद के बारे में संविदा में सदा ही कीमतें बढ़ने या घटने सम्बन्धी खण्ड की व्यवस्था रहती है। क्या करार में यह खण्ड था और क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा इसका लाभ उठाया गया या नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मूल्य-वृद्धि संबंधी खण्ड की व्यवस्था सदा नहीं की जाती, परन्तु यदि सदस्य महोदय कोई विशेष रूप से इस मामले की जानकारी चाहे तो मैं वह उन्हें उपलब्ध करवा सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि वहां स्टाक इस प्रकार एकत्रित होने का क्या कारण है ? उत्तर में उल्लिखित स्टाक कुल कितने मूल्य का है और उसकी दर में कितनी कमी की गई है या की जा रही है ताकि उसका निपटान किया जा सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वस्तुओं के मूल्यों की दृष्टि से 1973-74 का वर्ष काफी अनिश्चित सा रहा है। तेल संकट के बाद विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई परन्तु देशी उद्योगों की कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने अपने मूल्य वही रहने दिए। उस समय इस गिरावट की कल्पना नहीं की गई थी। अचानक ही मूल्य गिर गए और मूल्यों के गिरने के उपरान्त अलाटियों ने कच्चा माल उठाने में आनाकानी करनी शुरु कर दी। स्टाक एकत्रित हो जाने का यह भी एक कारण है और किसी भी सामान्य व्यापार प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है।

इसका दूसरा कारण ऋण पर लगी हुई रोक भी हो सकती है क्योंकि बड़ी बड़ी वस्तु सूचियों को घटाकर कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो रसायन एकत्रित हुए हैं उनका सम्बन्ध प्लास्टिक तथा पेन्ट सम्बन्धी आधार-भूत कच्चे माल से था और देश में निर्माण कार्य बहुत मन्द गति से चल रहा है जिसका प्रभाव इन वस्तुओं पर भी पड़ा है। अतः एकत्रित होने के यही कारण हैं।

स्टाक में पड़े रसायनों का मूल्य 14.59 करोड़ रुपए है और 15 मार्च 1975 को जो कटौती की गई थी वह 30 अप्रैल 1975 तक लागू रहेगी। यदि सदस्य महोदय चाहें तो मैं मूल विक्रय मूल्यों तथा घटाए गए मूल्यों की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं औसतन कमी जानना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रत्येक रसायन का मूल्य भिन्न होता है अतः हमें घटा हुआ मूल्य ही बताना पड़ेगा। मैं वह मूल्य प्रस्तुत कर देता हूं और आप उन्हीं के आधार पर अन्दाजा लगा लें।

	मूल विक्रय मूल्य	घटाए गए विक्रय मूल्य
	(प्रति मीट्रिक टन)	
	रुपये	
टिटानियम डाईआक्साईड	21,899	19,000
फ्थालिक एनहाईड्राईड	12,871	9,500
बी० ए० मोनोमर	22,540	17,370
बीटा नेपथोल	43,350	37,644
लोडेन्सिटी पोलीथिलीन	15,940	14,200
एनीलीन आयल	21,208	20,318

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल औसतन कमी जानना चाहता था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल थोड़ा सा हिसाब किताब लगाने से आपका काम चल जायेगा।

श्री धामनकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन रसायनों की नीलामी की जा सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा : या आप भारी हानि उठाना चाहेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं। हमें आदेश-धारियों की मांग को भी तो पूरा करना होता है। लघु स्तर के अनेक लोगों के पास (रिलीज) आदेश हैं। अतः इसकी नीलामी सम्भवः नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मूल्यों में छूट किस आधार पर दी गई थी क्या यह छूट लागत मूल्य के आधार पर दी गई थी या कि यह छूट बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर

दी गई थी या आपने दोनों के बीच का कोई आधार अपनाया था और यदि हम पुराने ही मूल्य लेते रहे तो उससे कितनी हानि होगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मूल्य-निर्धारण किस आधार पर किया गया ? या फिर क्या यह मूल्य निर्धारण तदर्थ ही था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मूल्य निर्धारण तदर्थ नहीं था। अन्तराष्ट्रीय मूल्यों तथा देश में उपलब्ध वस्तुओं तथा स्वदेशी बाजार में उनके मूल्यों के बीच तुल्नात्मक ताल-मेल स्थापित करते हुए हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य निर्धारण किया है।

श्री बी० वी० नायक : क्या आपका तात्पर्य बाजार के मूल्यों से है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां।

पैकेटों में बन्द चाय का निर्यात

*692. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैकेटों में बन्द चाय का गत तीन वर्षों में कितना निर्यात हुआ और चाय के कुल निर्यात की तुलना में इसकी क्या प्रतिशतता है;

(ख) कौन से देश पैकेटों में बन्द चाय का आयात करना पसंद करते हैं; और

(ग) चाय का आयात करने वाले अन्य देशों में पैकेटों में बन्द चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान चाय बैग्ज को छोड़कर चाय पैकेटों का निर्यात क्रमश: 39.9 लाख कि०ग्रा० 37.9 लाख कि०ग्रा० तथा 37.9 लाख कि० ग्रा० था। चाय के कुल निर्यातों का यह प्रतिशततावार क्रमश: 2.25 प्रतिशत, 2.44 प्रतिशत तथा 2.51 प्रतिशत था।

(ख) भारतीय पैकेट चाय काफी हद तक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों द्वारा तथा कुछ हद तक पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा आयात की जाती है।

(ग) भारतीय पैकेट चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार है; कुछ भारतीय पैकेट चाय निर्यातकों को विदेशों में अपने पैकेटों का विपणन करने के लिए संवर्धनात्मक समर्थन, मेलों, प्रदर्शनियों तथा स्टोर्स प्रदर्शनों के माध्यम से विदेशी बाजारों में भारतीय चाय पैकेटों का प्रदर्शन तथा नमूने पेश करना और चाय बोर्ड के विदेशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से अन्य बाजारों में ऐसे प्रयत्न करना जिससे पैकेट चाय के लिए व्यापारिक पूछताछ होने लगे तथा व्यापारिक पूछताछों की उपयुक्त निर्यातकों में परिचालित करना। विद्यमान तथा नये बाजारो को भारतीय पैकेट चाय के निर्यातों को सुकर बनाने के लिए और प्रोत्साहन सम्बन्धी और उपाय करने के बारे में बराबर पूनर्विलोकन किया जाता रहता है।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय द्वारा विवरण में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1971-72 का पैकटों में बन्द चाय का निर्यात 39.9 लाख कि० ग्रा० से घट कर 1973-74 में 37.9 लाख कि० ग्रा० रह गया है। विवरण में आगे कहा गया है : "विद्यमान तथा नये बाजारों की भारतीय पैकेट-चाय के निर्यात को सुकर बनाने के लिए और प्रोत्साहन सम्बन्धी और उपाय करने के बारे में बराबर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है।"

इस सन्दर्भ में मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रोत्साहन सम्बन्धी ब्यौरे सहित इस पूर्ण योजना की चर्चा चाय का निर्यात करने वालों के साथ की गई है ताकि हम अपनी पैकेट चाय का निर्यात अधिकाधिक कर सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सामान्यतया बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया होती है। जहां तक निर्यातकर्त्ताओं के साथ चर्चा करने का सम्बन्ध है, उनके साथ एक बैठक गत दिसम्बर में ही हुई थी तथा अप्रैल में उनके साथ एक अन्य बैठक हो रही है जिसमें इस बात का भी ध्यान रखा जायगा।

श्री एस० आर० दामाणी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इस उत्पाद के निर्यातकर्त्ताओं की हाल ही में रोम में बातचीत हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि इस बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया तथा इस बैठक में आम राय क्या रही ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बैठक अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं और हम इसके अधिकारिक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री जे० माता गोडर : विवरण में बताया गया है कि भारतीय चाय पैकेटों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या सरकार ने भारतीय चाय पैकेटों का निर्यात करने के सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विदेशों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे है। यदि आप विशिष्ट उपाय जानना चाहते हैं तो वे हैं—टाटा फिनलेज की पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ संयुक्त सहयोग, फारस की खाड़ी के देशों के साथ ब्रुक बांड की संयुक्त प्रोत्साहन योजना, इसी प्रकार पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों में लिपटन के प्रचार कार्यक्रम सम्बन्धी वित्तीय सहायता। भारतीय चाय व्यापार निगम (टी०टी०सी०आई०) ने विदेशों के साथ भारतीय चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नया 'नटराज' पैकेट तैयार किया है और उसको विदेशों के विभिन्न चाय केन्द्रों में प्रदर्शित करके प्रचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated in reply that some special packets are being sent abroad. May I know whether it is a fact that our exported tea is a mixed with other tea and mixed packets are prepared which brings a bad name to Indian tea. Has any attention been paid to this aspect and if so what measures are being taken to check it ? Tea Counters have been opened by tea Board for good quality tea of India but they are running in considerable loss. Has any heed been paid to this aspect also ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इस समस्या से भली भांति अवगत हैं तथा इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा किए गए कुछ उपायों का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं।

नयी श्रंखलाओं के बैंक नोट

+

***693. श्री डी० डी० देसाई**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नयी श्रंखलाओं के बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो जारी किए जा रहे विभिन्न मूल्यों के नोटों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या नये नोटों के डिजाईन में 'सिक्यूरिटी' सम्बन्धी विशेषताएं होंगी; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क), (ख), (ग) और (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 24 मार्च, 1975 से 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग में नयी डिजाईन के बैंक नोटों की एक नयी सीरीज जारी की है। 50 और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में नयी डिजाईन के नोट जल्दी ही जारी करने का विचार है।

(ख) नये नोट पहले से कुछ मोटे कागज पर छापे जाते हैं और इन पर जो वाटर मार्क दिया गया है, वह पहले की अपेक्षा परिष्कृत है। इन नये नोटों के बनाने में एक विशेष प्रकार की राल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह नोट गीले होने पर खराब न हों और टिकाऊ बने रहें। अशोक स्तम्भ का वाटर मार्क पहले से छोटा है और इसके चारों ओर छोट छोटे चर्खे गोलाकार रूप में दिए गए हैं। 5 रुपये के नोट पर दोनों तरफ परिष्कृत ड्राईआफसेट की प्रक्रिया द्वारा छपाई की गयी है। 10 रुपये और 20 रुपये के नोट इन्टेग्लिक प्रक्रिया द्वारा छापे गये हैं जिसमें ड्राईआफसेट और लेटर प्रैस प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है; 50 रुपये और 100 रुपये के नोट भी इसी प्रक्रिया द्वारा छापे जाएंगे। इन नोटों के जिस भाग पर इन्टेग्लिक प्रक्रिया द्वारा छपाई की गई है वह उभरी हुई है और इसका अनुभव इस भाग पर अंगुलियों के फेरने से हो सकता है नये नोटों के डिजाईन में अनेक सूक्ष्म ज्योमितीय आकृतियां और रेखाएं और शैलीपूर्ण रेखाकृतियां रंगों के मिश्रण से चित्रित की गई हैं।

(ग) और (घ) : सुरक्षा के लिए प्रयुक्त धागे के इलावा नये नोटों की डिजाईन में पुनर्विन्यास वेषी रूप अलंकरण, सजावट ज्योमितीय रेखाओं और वक्रों के रूप में अनेक सुरक्षात्मक अकृतियां बनाई गई हैं।

श्री डी० डी० देसाई : कड़ेपन, मजबूती, रगड़ सहने, भीगने आदि के पहलू से ये नये नोट पुराने नोटों और अन्तार्राष्ट्रीय नोटों की तुलना में किस प्रकार के हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसमें नये नोटों की विशेषताएं दी हुई हैं।

जहां तक 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों का सम्बन्ध है, वे इन्टेग्लिकों प्रक्रिया द्वारा छापे गए हैं। इन्हें मोटे कागज पर छापा गया है। छपे हुए भाग पर हाथ फिराने से इसका पता चल सकता है। इसमें कुछ सूक्ष्म और जटिल डिजाईन बनाए गए हैं ताकि जाली नोट न बनाये जा सकें। एक और सुधार यह है कि सफेद मार्क नोटों के किनारों पर लगाए गए हैं। जिसके कारण इन नोटों को जेब में रखने पर आसानी से पता चल जाता है कि वह कितने रुपये का नोट है? विभिन्न मूल्य के नोटों का रंग भी भिन्न-भिन्न है।

जहां तक कागज की गुणवत्ता का प्रश्न है, कुछ सुधार किए गए हैं। आशा है इससे नोटों के टिकाऊपन और मजबूती में वृद्धि होगी जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नोटों का सम्बन्ध है, हरएक के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनरूप ही इन नोटों को तैयार कराया है।

श्री डी० डी० देसाई : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि नये नोटों के प्रचालन के बाद पुराने नोटों के बारे में क्या किया जायेगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पुराने खराब नोटों के दुरुपयोग की कई खबरें मिली हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह ठीक है कि नये नोटों की मांग और नये नोटों के परिचालन में कुछ समय का अन्तर है जिस कारण कुछ रद्दी नोट परिचालन में हैं। लेकिन जैसे ही नये नोट बाजार में आयेंगे हम इन रद्दी नोटों को वापस ले लेंगे और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में कितने नये नोट भेजे जा सकते हैं।

नासिक मुद्रणालय की वर्तमान क्षमता 460 करोड़ नोट छापने की है और देवास मुद्रणालय की क्षमता 100 करोड़ नोट प्रतिवर्ष है। हम इसमें वृद्धि करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नये नोटों की उपलब्धता पर ही सारी बात निर्भर करती है और उसी अनुपात से हम रद्दी नोटों का परिचालन कम कर सकते हैं।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे देश का एक बड़ा भाग गांवों के रूप में बसा है जहां के लोग थोड़े से बेहतर है क्योंकि हरित क्रान्ति आई है, क्या जाली नोट बनाने वाले लोग नोट बदलने के चक्कर में ग्रामीणों का शोषण नहीं करेंगे और उनकी अज्ञानता का अनुचित लाभ नहीं उठायेंगे? सरकार ने लोगों को इससे बचाने के लिए क्या उपाय किये हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : ऐसी बातों का उत्तर देना बहुत कठिन है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में लायें तो उसमें कार्यवाही की जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या नये नोटों की ही तरह जाली नोट बनाये जा सकते हैं ? ऐसा न हो सके इसके लिए आवश्यक सावधानी बरती गई है।

जहां तक इन नोटों के बदलने का प्रश्न है ध्यान आकर्षण के उत्तर में मैंने कहा है कि इन रद्दी नोटों की राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं स्टेट बैंक और यहां तक कि डाकघरों और रेलवे स्टेशनों के माध्यम से नोटों को बदलने के लिए कई उपाए किए गए हैं। इसके साथ-साथ ग्रामीण जनता को भी इस बारे में शिक्षित करना जरूरी है। इस बारे में कौन से विशेष उपाय किए जाएं यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : 100, 10 और 5 रुपये मूल्य के नये नोट निकालने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। क्या एक या दो रुपए के नए नोट भी मुद्रित किए जायेंगे क्योंकि वर्तमान नोट एकदम रद्दी हो चुके हैं। क्या 100 रुपए के नए नोटों के बाजार में आने पर 100 रुपए के पुराने नोटों का विमुद्रीकरण किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका चलन बंद करने की बात कह रहे हैं या विमुद्रीकरण की ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक नोट बदलने का प्रश्न है मैंने पहले ही कहा है कि बाजार में 100 रु० के नए नोटों की उपलब्धता के अनुसार ही पुराने नोट बदले जाएंगे। 100 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं हैं। यह ठीक है कि 1 रुपए के नोट का कागज अच्छा नहीं है इस लिए यह नोट जल्दी खराब हो जाता है।

Shri Sharad Yadav : Ours is a very poor country. What was the need to print the fresh notes and how much expenditure has been incurred thereon?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह सूचना अभी तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। हम बाद में यह जानकारी दे सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जाली मुद्रा बनाने वाले बड़े-बड़े गिरोह कौन से हैं? भारत-नेपाल सीमा पर ऐसे नकली नोटों का परिचालन बहुत है और हमने सरकार का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया है। ये लोग नोट कैसे चलाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे इस बात का जवाब दे सकते हैं ? आप किसी दूसरे मंत्री से यह प्रश्न पूछिए।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुझे इन कार्यचालन का कुछ पता नहीं है।

श्री के० लकप्पा : कोयम्बतूर में बहुत से नकली नोट बनते हैं। मंत्री महोदय बताएं कि नकली नोट न बनने देने के लिए सरकार ने क्या विशेष डिजाईन तैयार किए हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने कई विशेष बातें बतायी हैं। उदाहरण के लिए वाटर मार्क में...

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी कोई बात न बताएं जिससे दूसरे लोग जाली नोट तैयार कर सकें।

श्री के० लकप्पा : कोयम्बतूर में लोगों को पता चल चुका है। जाली नोट बनाने की तकनीकी जानकारी इस देश में विकसित हो चुकी है। अतः आप उसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन गिरोहों के लिए तकनीकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रैस नोट में नये नोटों की बनावट के बारे में विस्तार से बताया गया है :

> "नये नोटों के डिजाईन में पुनर्विन्यास वेषी रूप, अलंकरण, सजावट, ज्योमितीय रेखाओं और बक्सों के रूप में अनेक जटिल आकृतियां बनाई गई हैं।"

क्या इससे जाली नोट बनाने वालों को लाभ नहीं होगा? इस प्रैस नोट की क्या आवश्यकता थी?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इन नोटों की जांच कोई भी व्यक्ति भली-भांति कर सकता है। प्रैस नोट में इन बातों की जानकारी इस लिए दी गई है ताकि लोग नये नोटों को पहचान सकें। लेकिन जो भी चीजें बतायी गई हैं उनकी नकल करना बाहर वालों के लिए बहुत कठिन है। निःसन्देह कुछ ऐसे होशियार व्यक्ति हो सकते हैं जो इसकी भी नकल कर सकेंगे। लेकिन हमने यह कार्य बहुत कठिन कर दिया है।

श्री मोहनराज कलिंगरायर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि 20 रुपये के नोट में एक गल्ती हो गई है। हिन्दी में 'बीस' के स्थान पर 'वीस' लिखा है। यह गुजराती में ठीक है लेकिन हिन्दी में नहीं। ऐसे कितने नोट परिचालित किए गए हैं?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह गल्ती नहीं हैं। माननीय सदस्य को हिन्दी संस्करण का ध्यान है वह नोट में नीचे लिखा हुआ है। ऊपर मराठी भाषा को देवनागरी में लिखा गया है। हमने 'स्टेट्समैन' में लिखा गया पत्र देखा है। यह गल्ती नहीं है।

श्री वसंत साठे : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि ये नोट आकर्षक होने के कारण काले बाजार में चले गये हैं। ये 20 रुपये के नोट दिल्ली में 30-40 रुपये में बिके हैं। क्या इसका लाभ आपको हुआ ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हमें कोई लाभ नहीं हुआ।

श्री वसंत साठे : हम वे नोट देख ही नहीं सके। क्या आप ये नोट संसद सदस्यों में परिचालित कराएंगे ताकि हमें उनकी जानकारी हो सके। कालाबाजारी भी रोकिए और इनको काफी संख्या में छपवाईये।

अध्यक्ष महोदय : नये नोटों, नये सिक्कों और नये संसद सदस्यों के साथ भी ऐसा ही होता है।

श्री वसंत साठे : इन्हें सभा पटल पर रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको जानकारी दे रहे हैं।

कोयले का निर्यात

\+

*694. **श्री के० एम० मधुकर**
श्री झारखंडे राय।

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से कोयले का निर्यात करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और कोयला विभाग ने किसी चयनात्मक दृष्टिकोण की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) इस समय नान-कोकिंग कोयले का निर्यात सीमित मात्रा में पड़ौसी देशों को किया जाता है। अन्य देशों को निर्यात करने की सम्भाव्यताओं के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा कोयला विभाग द्वारा समय समय पर विचार किया जाता है जो निर्यात के लिए माल का उपलब्धता तथा माल भेजने के लिए पत्तनों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

Shri K. M. Madhukar : Every day it is being heard that trains were withdrawn because of coal shortage. Even now many trains in Bihar are cancelled. Whether Government have assessed the shortage of coal in the Country ? Will they export it to earn profits without caring for the domestic needs ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही कहा है कि सरकार घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचे कोयले को निर्यात करने की बात सोचती है। कोयले की कीमत और पत्तन सुविधाओं का ख्याल भी रखा जाता है। इस समय ये सुविधायें उत्साहजनक नहीं हैं।

Shri K.M. Madhukar : Whether Government have held talks with the Countries to whom Coal is likely to be exported and whether they are developing Countries, or socialist Countries or are developed ones?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वे बंगला देश, बर्मा और नेपाल जैसे पड़ौसी देश हैं।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय हाकी टीम के सदस्यों को तंग किया जाना

+

***695. सरदार स्वर्णसिंह सोखी**

श्री राम हेडाऊ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारतीय हाकी टीम के सदस्यों को, जब वे विश्व कप हाकी टूर्नामेंट जीत कर मद्रास हवाई अड्डे पर आए, तंग किया था ;

(ख) क्या उन्हें लाई हुई चीजों पर शुल्क के रूप में पचास हजार रुपए से अधिक राशि अदा करनी पड़ी थी जिसमें से कुछ राशि उनको इस बीच वापिस कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन सम्भ्रान्त व्यक्तियों को तंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ख) भारतीय हाकी टीम के सदस्यों का, जिनमें अधिकारी भी शामिल थे, पूर्ण शिष्टता के साथ स्वागत किया गया था और मद्राम के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हें किसी प्रकार परेशान नहीं किया गया था उनके असबाब की जांच करने पर यह पाया गया कि उन्होंने अनुमत्य छूट से अधिक मूल्य की वस्तुएं आयात की थीं। एतदनुसार अतिरिक्त सामान पर 42,141 रु० का सीमाशुल्क लगाया गया और 10,350 रु० का जुर्माना किया गया। इस सारी कार्यवाही में केवल 45 मिनट लगे।

परन्तु टीम के सदस्यों के पास शुल्क तथा जुर्माने की रकम अदा करने के लिए रुपया नहीं था। अतः उनसे कहा गया था कि वे उक्त रकम बाद में अदा करके माल छुड़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने शहर से रुपया लाए जाने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। रुपया प्राप्त होने और उसकी अदायगी किए जाने पर माल तुरन्त ही छोड़ दिया गया।

उक्त मामले की ओर ध्यान दिलाए जाने पर सरकार ने निर्णय किया कि उक्त मामले की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, अदा किया गया जुर्माना वापस किया जाए।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) टीम का स्वागत किस ने किया था और क्या उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं में हाकी टीम के खिलाड़ियों के विदेशी मित्रों द्वारा दिए गए उपहार थे ; (ख) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों को इसकी कोई पूर्वसूचना थी तथा क्या वायुयान पर चढ़ते समय उनके असबाब की कोई जांच की गई थी और (ग) क्या टीम ने मद्रास में सीमाशुल्क अधिकारियों के इस व्यवहार का विरोध किया था और किन परिस्थितियों में उन पर लगाए गए 10,350 रु० के जुर्माने की राशि वापस की गई ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : विमान लगभग 10 बजे मद्रास हवाई अड्डे पर पहुंचा था तथा उन व्यक्तियों का उनके प्रशंसकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा रनवे पर ही स्वागत किया गया था। वे सीमाशुल्क फलक पर लगभग 10.45 बजे पहुंचे थे। सीमाशुल्क फलक पर तैनात 12 अधिकारियों में से 10 अधिकारियों को उनके असबाब की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। वे 20 व्यक्ति थे तथा उनके पास सामान के 146 बंडल थे। इन सब को 45 मिनट में छोड़ दिया गया था। यह पाया गया था कि लाई गई अधिकांश वस्तुओं का मूल्य 500 रुपए जो कि अधिकतम छूट सीमा है, से अधिक था। यह निर्णय किया गया कि 1000 रुपए तक उन्हें केवल शुल्क ही देना पड़ेगा, कोई जुर्माना नहीं। पहले 500 रुपए तक कोई शुल्क नहीं, जुर्माने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1000 रुपए तक 500 रुपए पर शुल्क तथा 1000 रुपए से अधिक पर 50 प्रतिशत दर पर जुर्माना, न कि शत प्रतिशत दर पर। उन्हें

यह भी बताया गया कि यदि टीम का नेता अथवा प्रधान लाई गई चीजों की एक समेकित सूची दे दे तो उन के असबाब की तलाशी नहीं ली जाएगी तथा उस सूची के मूल्यांकन के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। परन्तु उनके पास सूची नहीं थी और इस लिए उन 146 बंडलों को खोल कर देखना पड़ा। उन्हें यह भी बताया गया कि वह छूट की सीमा तक का सामान तथा अपनी अन्य व्यक्तिगत चीजें ले जा सकते हैं तथा अगले दिन आ कर शुल्क तथा जुर्माना अदा करके अपना माल छुड़ा सकते हैं।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। किन परिस्थितियों में जुर्माना वापस किया गया ? क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिए हैं कि वापस आती हुई विजेता टीमों पर शुल्क अथवा जुर्माना न लगाया जाए ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक राशि वापस करने का प्रश्न है, हमने सोचा कि उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है इसलिए उन पर किया गया जुर्माना माफ किया जाए। परन्तु जहां तक शुल्क का सम्बन्ध है, सरकार यह निर्णय नहीं ले सकती थी कि विजेता टीमों द्वारा छूट की सीमा से लाए गए अधिक माल पर शुल्क न लगाया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या टीम के खिलाड़ियों तथा अधिकारियों ने लाए गई वस्तुओं का ब्यौरा स्वयं दिया था। अथवा सीमा शुल्क अधिकारियों को उनके सामान की तलाशी लेनी पड़ी थी; कितनी वस्तुओं का पता तलाशी लेने के बाद चला ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : पहला प्रस्ताव यह था कि टीम के अधिकारी खिलाड़ियों द्वारा लाई गई वस्तुओं की एक समेकित सूची दे दें। परन्तु उनके पास सूची नहीं थी। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति से पूछा गया और जो कुछ उन्होंने बताया उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः कोई तलाशी नहीं ली गई। मैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि क्या खिलाड़ियों ने यह महसूस किया कि वे जो कुछ लाए हैं बता दें और फिर यह सरकार पर छोड़ दें कि उन पर जुर्माना किया जाए अथवा नहीं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं नहीं समझता कि किसी चीज को छिपाने का कोई प्रयास किया गया था। वे वैध रूप से वस्तुएं लाए थे परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें शुल्क देना पड़ा और एक सीमा के बाद जुर्माना। मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि यह सच है कि वे विजेता थे, परन्तु विजेताओं को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कठोरता से विधि का पालन करना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं नहीं समझता कि किसी वस्तु को छिपाने का कोई प्रयास किया गया था।

Complaints against Officials of Customs and Excise Department of Vidarbha and Madhya Pradesh

***699. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4459 on the 21th March, 1975 regarding complaints against officials of Customs and Excise Department of Vidarbha and Madhya Pradesh and State :

(a) the number of complaints made by Legislators, Members of Parliament and the Public, separately out of the 24 complaints received by Government and the names, designations and class of officers against whom the complaints have been made; and

(b) the nature of the said complaints against each of the officers ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

24 शिकायतों में से, 14 शिकायतें बेनामी अथवा छद्मनाम से की गई पाई गई, 5 शिकायतें जनता द्वारा की गयीं थीं और शेष 5 शिकायतें (विभाग के) कर्मचारियों द्वारा की गयीं थीं। जिन 9 शिकायतों में अभी तक जांच-पड़ताल पूरी की जा चुकी है उनमें से किसी में भी अधिकारियों की ओर से किसी गंभीर चूक का पता नहीं चला है जिससे कि उनके खिलाफ नियमित विभागीय कार्यवाही का औचित्य बनता हो। इन मामलों में से 6 मामलों में, आरोप निराधार पाए गए हैं और शेष 3 मामलों में संबंधित अधिकारियों को केवल कतिपय तकनीकी चूकों के लिए चेतावनी दे दी गई है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इस अवस्था पर उनके ब्यौरे बताना प्रशासन और सेवाओं के मनोबल के हित में नहीं होगा, जैसा कि पिछले अतारांकित प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया गया है। लगाए गए आरोप भ्रष्ट आचरण और विभागीय अनियमितताओं के बारे में थे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The facts about the complaints made by Members of Parliament have been concealed in the Statement laid on the table. I made a complaint on 2-3-73, the reply to which was received on 6-3-73 from the Customs Collector, Nagpur. I have made numerous other complaints, but no reply has been received. So I want to know whether it is a fact that the collector himself husles up the complaints made against the officers and charges huge amounts from the concerned officers for doing so and in case Government is not aware about this state of affairs whether any enquiry will be conducted in this regard ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायत का सम्बन्ध है उन्होंने कस्टम कलेक्टर को लिखा था तथा कलेक्टर ने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य तथा कलेक्टर के बीच पत्र व्यवहार हुआ था। जहां तक इन 24 शिकायतों का सम्बन्ध है, मैंने बताया है कि वे संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों से प्राप्त नहीं हुई थी। जहां तक जांच का सम्बन्ध है, यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशिष्ट मामला हुआ, तो उसकी जांच की जाएगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : He has stated that out of 24 complaints received in 1972-73 and 1973-74, 14 complaints were anonymous. Actually the complaints were made by the traders who cannot disclose their names, because they have great fear of the officers. I want to know whether all those complaints will be laid on the table and an enquiry will be conducted in that regard. I want to know whether an enquiry had already been made about the allegation of accepting huge money as illegal gratification by the Customs Collector, Nagpur and this allegation has been proved correct.

Secondly whether he would give an assurance to the House that a separate agency would be set up for looking into the complaints ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब कभी हमें किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है, हम उसकी जांच करते हैं। कभी कभी हम यह देखने के लिए कि इन शिकायतों में कोई सचाई है अथवा नहीं बेनामी अथवा छद्मनाम से की गई शिकायतों की भी जांच करते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह कृपया हमें दे दें। हम उसकी जांच करेंगे। जांच के लिए जो भी अभिकरण है, वे उसकी जांच करेगा।

Shri M. C. Daga : I want to know whether any action has been taken on the anonymous complaints out of the 24 complaints received by him and if so, the number of officers found guilty or whether all the complaints were baseless.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गए विवरण को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि 24 शिकायतों में से छः निराधार थी तथा तीन मामलों में तकनीकी चूकों के कारण सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अहस्ताक्षरित शिकायतों की भी जांच करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जी हां, परन्तु हम यह स्पष्ट वचन नहीं दे सकते कि सब बेनामी शिकायतों की जांच की जायेगी, क्योंकि हम पहले तथ्यों की जांच करते हैं ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It is a fact that the enquiry into the complaints against the officers is got conducted by the same officers themselves or by their juniors, I want to know whether the enquiry would be got conducted by Police or some other agency, so that the facts may come into light.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, many officers' pay is 1,000 Rupees only whereas their drinking bill amounts to many thousand rupees. How do they manage?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब कभी शिकायतें मिलती हैं, हम जांच करते हैं । यदि किन्ही अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने की आवश्यकता समझी गई, तो हम किसी स्वतंत्र निकाय को यह कार्य सौंप देंगे । परन्तु सभी प्रकार के मामले उक्त निकायों को नहीं सौंपे जा सकते । जब किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं तो निश्चय ही उसी को उस शिकायत की जांच करने को नहीं कहा जाता ।

Assets of 30 Industrial Business Houses

+

***700. Shri Jagannath Rao Joshi**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of those 30 industrial and business houses in the country which possess the maximum assets;

(b) the value of assets of each of these houses during the last thee years, year-wise and as at present;

(c) the names of those amongst them which are in possession of assets abroad as well;

(d) the names of those amongst them against whom any sort of cases of economic offences are pending; and

(e) the amount of loans or other kind of assistance obtained by each of them from the nationalised banks and other financial institutions during the last three years, yearwise ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें सर्वाधिक परिसम्पत्ति वाले 30 औद्योगिक और व्यावसायिक गृहों की परिसम्पत्तियों के मूल्य का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (घ) चूंकि बहुत से औद्योगिक और व्यवसायिक गृह एक से अधिक कंपनियों या प्रतिष्ठानों के मालिक हैं या उनके नियंत्रण में एक से अधिक कंपनियां या प्रतिष्ठान होते हैं इसलिए मांगी गई सूचना तभी इकट्ठी करके दी जा सकती है जब उन खास-खास कंपनियों या उपक्रमों के नाम निर्दिष्ट किए जाएं जिसके बारे में सूचना की आवश्यकता हो ।

(ङ) बैंकिंग कंपनी अधिनियम और स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे वाणिज्यिक गृहों को दिए गए ऋणों के बारे में सूचना प्रकट करें और इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती । जहां तक वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई सहायता का सम्बन्ध है, अपेक्षित सूचना इकट्ठी करके दी जा सकती है यदि उन विशेष कम्पनियों या प्रतिष्ठानों के नाम निर्दिष्ट किए जाएं जिनके बारे में सूचना की आवश्यकता हो ।

विवरण

क्रम संख्या	समूह का नाम	उपक्रमों की संख्या	परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)		
			1971	1972	1973
1	2	3	4	5	6
1.	टाटा	20	535.86	579.87	608.66
2.	बिड़ला	48	487.11	548.96	601.76
3.	मफतलाल	14	166.87	185.41	224.39
4.	आई० सी० आई०	7	136.94	135.21	145.68
5.	थापर	26	120.47	126.71	139.51
6.	ए० सी० सी०	4	129.16	134.37	139.27
7.	आयल इण्डिया	7	84.08	117.35	134.20
8.	सिंधिया	4	87.39	107.26	133.93
9	जे० के० सिंघानिया	25	107.16	118.88	131.78
10.	साराभाई	18	95.90	120.25	129.57
11.	श्री राम	4	110.68	109.31	115.27
12.	बालचन्द	14	94.81	93.69	100.25
13.	किलोस्कर	12	73.57	77.01	83.45
14.	इण्डिया ऐल्यूमिनियम	1	64.04	80.96	83.34
15.	बांगुर	25	75.65	77.62	81.19
16.	इण्डियन टो बैंकों	4	74.74	74.75	81.01
17.	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	7	57.08	66.38	79.54
18.	कस्तूरभाई लालभाई	12	64.79	70.53	76.94
19.	मैकनिल एण्ड बैरी बिन्नी	15	67.16	69.20	71.54
20.	कमानी	15	44.06	55.99	64.90
21.	हिन्दुस्तान लिवर	1	45.55	63.16	64.10
22.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	10	47.64	56.59	62.22
23.	मोदी	9	49.23	57.46	62.13
24.	खटाऊ (बम्बई)	27	49.47	53.95	57.12
25.	भिवंडीवाला	2	35.15	44.35	56.43
26.	टी० वी० एस०	15	48.84	50.32	55.28
27.	डनलप	2	43.79	41.56	54.43
28.	बजाज	16	43.80	42.11	54.06
29.	नायडू जी० वी०	12	38.43	47.01	52.45
30.	बुक ब्रांड	9	44.08	47.24	48.92

टिप्पणी :—(1) इस विवरण में सबसे बड़े 30 गृहों के जो आंकड़े दिये गए हैं, वे वर्ष 1973 के लिए परिसम्पत्तियों के आंकड़ों के अनुसार हैं।

(2) इस विवरण में 4, 5 और 6 कालम में दिये गये आंकड़े कालम 3 में दिखाए गये उन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य के द्योतक हैं जो एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 (क) के साथ पठित धारा 26 के अधीन पंजीकृत है और जो सामान्यतः कालम 2 के समूह से सम्बद्ध हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, whereas the names of those business houses which possess. the meximum assess have been given. The information regarding those having assets abroad and those amongst them against whom cases involving economic offences have been registered has not been given. We had also asked about the amount of loans or other kind of assistance obtained from nationalised banks and other financial institutions during the last three years, year-wise. The reply is that information is being collected. My submission is that full information should have been given at a later date rather than giving this kind of reply.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में यदि समय की आवश्यकता हो तो मंत्री महोदय को ऐसा उत्तर देने के बजाय अध्यक्ष को लिखना चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : न केवल इस प्रश्न में अपितु अनेक अन्य मामलों में भी सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं और हम पाते हैं कि उनमें सैंकड़ों उपक्रमों संबंधी जानकारी अपेक्षित होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम सामान्य प्रशासन चलाएं या किए गए कार्य संबंधी ब्यौरा एकत्र करें ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का उत्तर देने के बजाय आप अध्यक्ष को लिख सकते थे कि इस सूचना को एकत्र करने में इतना समय लगेगा, अतः अध्यक्ष सदस्य को यह बता दे ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम ऐसा करते रहे हैं परन्तु फिर भी कई प्रश्न स्वीकार कर लिए जाते है जिनके लिए हमें सूचना एकत्र करनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी महसूस करता हूं कि इस प्रश्न में अनेक बातें पूछी गई हैं। परन्तु आपने इसे स्वीकार किया है। आपको अध्यक्ष को लिखना चाहिये था ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : प्रश्न आर्थिक अपराधों के बारे में है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन 30 बड़े गृहों के सैंकड़ों उपक्रम हैं जैसे बिड़ला के 48, टाटा के 20 और बांगुर के 25 उपक्रम हैं। यदि इन सभी को गुणा किया जाए तो संख्या सैंकड़ों तक पहुंच जाती है। वे देश के कोने कोने में हैं। यदि इन सभी का ब्यौरा एकत्र किया जाए तो पूरा प्रशासन तंत्र इसी कार्य पर लगाना होगा ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, when he has replied that the Tata's have 20 undertakings, Birla's have 48 and Mafatlal have 14, he could also have told us about those against whom economic cases are pending. If it was not possible, he could have asked for more time and this question could be taken up later.

Mr. Speaker : Yes. It was more appropriate if he had said that it would not be possible to collect this information within 10 days. It was better if he had taken more time.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : परन्तु उत्तर के लिए तो सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए हम इसे कैसे टाल सकते हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Let him assure the House as to when he will give full information ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उपक्रमों की संख्या को देखते हुए मैं नहीं समझता कि 1-2 सप्ताह में यह जानकारी दी जा सकेगी ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उनकी आस्तियों के बारे में सूचना रिजर्व बैंक से ली जा सकती थी। वह यह सूचना दे क्यों नहीं रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि उपरोक्त सूचना एकत्र करके सभा-पटल पर रख दी जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'समूहों' के अधीन 30 नाम दिए गए हैं जबकि मद संख्या 14 'इण्डियन ऐल्यूमीनियम' और संख्या 21 'हिन्दुस्तान लीवर' के उपक्रमों की संख्या 1-1 ही है। अतः यह अन्य गृहों की तरह नहीं है। अतः इन दो उपक्रमों के बारे में तो सूचना दी जा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सूचना एकत्र करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले तो इन दो को गृह कहना ही गलत है क्योंकि इन में एक-एक ही उपक्रम है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : यह सूचना वे कब तक एकत्र कर लेंगे ? मेरा विश्वास है कि उन्हें दो वर्ष से कम नहीं लगेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का 'प्रोडक्ट मिक्स'

***668. श्री मुख्त्यार सिंह मलिक**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र को लाभप्रद एकक बनाने के उद्देश्य से और स्टेनलैस इस्पात का उत्पादन करने हेतु इसका विस्तार करने के लिए संयंत्र के 'प्रोडक्ट्स मिक्स' पर फिर से विचार करने के लिए नवम्बर, 1972 में विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या विशेषज्ञ दल ने मई, 1973 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और विस्तार के पश्चात एक विशेष 'प्रोडक्ट मिक्स' की सिफारिश की थी; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) नवम्बर, 1972 में यह निश्चय किया गया था कि दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए प्रोडक्ट मिक्स के प्रश्न की इस विशेष सन्दर्भ में विशेषज्ञ के एक दल द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए कि क्या वर्तमान प्रोडक्ट मिक्स तथा विस्तार के लिए पहिले निश्चित किए गए प्रोडक्ट मिक्स द्वारा संयंत्र को एक लाभप्रद इकाई बनाया जा सकता है और क्या विस्तार के प्रोडक्ट मिक्स में कोई फेर-बदल करना आवश्यक है।

(ख) जी, हां।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में इस्पात से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों और इन योजनाओं की आपसी प्राथमिकता के सन्दर्भ में अब इस कारखाने के विस्तार के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह भी आवश्यक होगा कि इस कारखाने की क्षमता की तुलना में पहले उचित स्तर पर उत्पादन होने लगे।

एल्यूमिनियम संयंत्रों को बिजली की सप्लाई की दर के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की रिपोर्ट

***669. श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने केन्द्रीय सरकार को देश में एल्यूमीनियम संयंत्रों को बिजली की सप्लाई की दर के बारे में एक रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस ब्यूरों द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Effect of Closure of HAL, Kanpur

*670. **Shri Madhav Rao Scindia**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether as a result of closure of the Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur, lifting 'Avro' planes worth Rs. 10 crores is held up, machinery worth Rs. 20 crores has been rendered idle, stocks worth Rs. 15 crores has accumulated and 3600 skilled workers have been rendered jobless;

(b) the facts in this regard and the outline of the recommendations of Dhawan Commission as also the action being taken; and

(c) the total amount of loss thus sustained so far ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) HAL, Kanpur Division has not been closed. However, seven aircraft manufactured for Indian Airlines could not be delivered pending receipt of Dhawan Committee Report. At present the Division is executing orders received from IAF. Due to a delay in allotment of fresh workload to the Division, the utilization of machinery has been somewhat reduced. However, fresh workload is being given to the Division. No worker has been rendered jobless and there is no accumulation of raw materials. The report of the Dhawan Committee is still awaited.

(c) In view of (a) & (b) above, this does not arise.

इस्पात में पूंजी लगाने में कटौती

*671. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात में पूंजी लगाने में भारी कटौती का डिजाइन संगठन 'मेकोन' रांची पर तथा भारी इंजीनियरी निगम और अन्य उद्योग सहित इस्पात संयंत्र उपकरण निर्माताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका रोजगार क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक सुझाव हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) इस्पात में पूंजी लगाने में कटौती करने का कोई विचार नहीं है जिससे 'मेकोन' अथवा इस्पात कारखानों के लिए उपकरणों का निर्माण करने वाले कारखानों जैसे भारी इंजीनियरी निगम और अन्य कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़े ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली कैन्ट द्वारा मोटर गाड़ियों का आवंटन

*672. **श्री भारत सिंह चौहान**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री 19 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में काम करने वाले एक भूतपूर्व सैनिक को 9 सितम्बर, 1974 को जो चयन का दिन भी नहीं था, बिना पारी के एक वाहन आवंटित किया गया था, जबकि मंजूरी जारी करने की तिथि से 6 मास से अधिक की अवधि बीत जाने के कारण उसकी मंजूरी का समय 30 अगस्त, 1974 को बीत चुका था और वह वाहन के लिए हकदार भी नहीं था, क्योंकि उसने सेना में 6 मास की अपेक्षित सेवा भी पूरी नहीं की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन है और जबकि तथ्य सरकार को बता भी दिया गया था, इस बारे में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कबाड़ियों को वाहन बेचने की उसकी कथित कार्यवाहियों की कोई जांच की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में कार्य कर रहे एक भूतपूर्व सैनिक को पहली मार्च 1974 को एक वाहन आंवटित किया गया था । आवंटन पत्र के अधीन वाहन लेने के लिए समय की सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अन्तिम अवधि 30 सितम्बर 1974 तक बढ़ाई गई थी । जिस व्यक्ति को वाहन आंवटित किया गया था उसने 6 सितम्बर को वाहन का चयन किया था जोकि चयन करने का दिन था और वाहन को 25 सितम्बर, 1974 को ले लिया था । आवंटन और समय की अवधि में वृद्धि सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर की जाती है । सेना में छः मास की सेवा से कम सेवा वाले किसी भूतपूर्व सैनिक को वाहन के आवंटन पर वर्तमान नियमों में कोई रोक नहीं है ।

(ख) इस मामले में आवंटन में नियमों का उल्लंघन नहीं था ।

(ग) कबाड़ियों को वाहन की कथित बिक्री में उस विशेष ग्राही के विरुद्ध कोई विशिष्ट जांच पड़ताल नहीं की गई है । तथापि, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कबाड़ियों को वाहनों की बिक्री के बारे में कतिपय शिकायतों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है । उनके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Supply of Cotton Waste to Railways during 1974 by M/s C. J. Ram & Co.

*673. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) when contracts were made with M/s C. J. Ram & Co. for the supply of cotton waste to the Railways during 1974 and the main features of these contracts;

(b) the comparative particulars of the tenders, if invited for these contracts; and

(c) whether the contracts have been made on the basis of the repeat order, if so, the reasons therefor and the facts thereof ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T.—9462/75].

(c) The Purchaser reserved the right to place further orders during the currency of the contract to the extent specified therein. After placement of the contract and during the currency of the main contract, demands were received from various Railways for the same item. These demands were covered by exercise of option retained in the contracts, and not by way of repeat orders.

बैलाडिला में लौह अयस्क खनन

*674. **श्री सरजू पांडे**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेपों से लौह अयस्क के खनन का विकास किस अवस्था पर है; और

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की इन खानों के भावी विकास संबंधी योजना क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) वर्ष 1974-75 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बैलाडिला निक्षेपों से लगभग 39 लाख टन लौह अयस्क के डलों का उत्पादन हुआ । वर्तमान उत्पादन

सम्पूर्णतः निक्षेप संख्या 14 की यंत्रीकृत खान तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा निकाले गए लौह अयस्क से है।

(ख) बैलाडिला खानों के विकास की भावी योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 की दूसरी यंत्रीकृत खान चालू करना जिससे प्रतिवर्ष 48 लाख टन लौह-अयस्क के डलों और 17 लाख टन बारीक लौह खनिज का उत्पादन हो सके। आशा है 1976 के अन्त तक इस खान में उत्पादन होना आरम्भ हो जाएगा; और

(2) विशाखापत्तनम में लगाए जाने वाले नए इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की सप्लाई के लिए बेलाडिला निक्षेप संख्या 4 की तीसरी खान के विकास के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

हौकर एण्ड सिडले को एवरो की बिक्री

*675. **श्री अनादिचरण दास**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सात एच० एस० 748 (एवरो) विमान उसके मूल डिजानर हौकर एण्ड सिडले को बेचे जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौवहन के लिए विकास छूट का बन्द किया जाना

*676. **श्री हरी सिंह**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन के लिए विकास छूट बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) 1975-76 के लिए पहले से ही प्रस्तुत बजट प्रस्तावों के अनुसार विकास घटौती की योजना को 1-12-1973 से पहले के आदेशित जहाजों के लिए 31-12-1975 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा वार्ता तन्त्र की स्थापना

*677. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ तथा उससे संबंद्ध एककों को कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता दी गई है;

(ख) क्या संगठन द्वारा कोई सक्षम वार्ता तंत्र स्थापित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ और उससे सम्बद्ध 14 कर्मचारी-वर्ग यूनियनों/एसोसिएशनों को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता दी गई है।

(ख) और (ग) एक उचित वार्ता तंत्र स्थापित करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

जी० टी० रोड पर दुर्घटनायें

*678. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 दिसम्बर, 1974 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दुर्घटनाओं के बाहुल्य के कारण दिल्ली के उत्तर में जी० टी० रोड को मौत का रास्ता कहा जाता है ;

(ख) क्या इस वर्ष सड़क के उस भाग पर 550 बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिनसे 210 मृत्यु हुई हैं और कई हजार छोटी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुझाव मिले हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब राज्य में पड़ने वाली जी० टी० रोड के भाग के संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु, इस सड़क के उन भागों, जो हरियाणा राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पड़ते हैं, पर 1973 तथा 1974 में हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या क्रमश: 381 तथा 313 थी । इन दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 127 तथा 118 थी ।

(ग) हरियाणा सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन को कोई खास सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु हरियाणा सरकार ने बताया है कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाली जी० टी० रोड की मरम्मत करके उसमें सुधार किया गया और इस सड़क के उपयुक्त स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था की गई ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हों ।

विदेशी शिपिंग कान्फ्रेंसों द्वारा अधिभार का लगाया जाना

*679. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी शिपिंग कान्फ्रेंसों ने भारत में आयात की जाने वाली और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिभार लगाना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन शिपिंग कान्फ्रेंसों के नाम क्या हैं, प्रत्येक मामले में कितना अधिभार लगाया गया है और यह अधिभार लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस अधिभार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत के आयात और निर्यात-व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) इस समय भारत में किसी भी पत्तन पर संकुलन अधिभार नहीं है ।

(ग) यह अब नहीं उठता । परन्तु यह बताया जाये कि भारत में सभी बड़े पत्तन प्राधिकारियों का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि यथाशीघ्र फेरो विश्राम काल को सुनिश्चित करे । माल की निकासी दरों में जल्दी निकासी और सुधार के लिए उपयुक्त उपाय खोज निकालने के लिए सरकार भी बड़े पत्तन प्राधिकारियों के परामर्श से मामले की बराबर समीक्षा करती रहती है ।

(घ) जबकि देश के व्यापार पर ऐसे अधिभार के प्रभाव की मात्रा बताना कठिन है ऐसे अधिभार हमारे निर्यातों को अपेक्षाकृत महंगी बनाती है और उनकी प्रतियोगितात्मकता कम कर देती है।

तेल सम्बन्धी बैठक में भारत का भाग लेना

*680. **श्री श्रीकिशन मोदी**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने 7 अप्रैल, 1975 को हुई तेल सम्बन्धी बैठक में विचार-विमर्श के लिए 18 देशों को आमंत्रित किया था;

(ख) क्या भारत को भी आमंत्रित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) फ्रांस की सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अलावा भारत सहित नौ अन्य देशों को भी तेल उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की प्रारंभिक बैठक में आमंत्रित किया जो 7 अप्रैल 1975 को पेरिस में शुरू हुई।

(ग) जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया वे थे--

पूर्ण सम्मेलन की कार्य सूची, तिथि और स्थान तथा उसमें भाग लेने वालों की सूची।

भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक

***681. श्री के० एम० मधुकर**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की एक बैठक कब बुलाने का है; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सम्मेलन की कार्य-सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि औद्योगिक संबंध विधेयक में जो प्रस्ताव शामिल किए जायेंगे, वे सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल होंगे।

भारतीयों की आयु-काल में वृद्धि

***682. श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक दशाब्दी में भारतीयों की आयु-काल में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत में औसत आयु के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

देश	अवधि	आयु वर्षों में		पुरुष और महिला की औसत आयु
		पुरुष	महिला	
भारत	1951–60	41.90	40.60	41.3
	1961–70	47.10	45.60	46.3
	1971–76*	50.70	49.30	50.0

*यह सूचना भारत के महापंजीकार द्वारा किए गए प्रक्षेपण (प्रोपिजेक्शन) से संबंधित है।

भारत में अमरीकी राजदूत की कथित भेंटवार्ता (इंटरव्यू)

*683. श्री पी० जी० मावलंकर

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वाशिंगटन, डी० सी० से बारेनउन्ना से भेजे गए तथा 20 मार्च 1975 के 'दी स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के नई दिल्ली सम्वाददाता के साथ भारत में नये अमरीकी राजदूत श्री विलियम सैक्सबी की भेंटवार्ता के उद्धरण दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत अमरीका सबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निकट भविष्य में उनके कैसे होने की सम्भावनायें हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां। सरकार ने इसके बारे में खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग) ये विचार चाहे ठीक ही हो, भारत सरकार तक सरकारी तौर पर प्रेषित नहीं किए गए हैं। इसलिए सरकार उन पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझती।

लेफ्टीनेंट कमांडर शंकर पी० घोष की बम्बई में मृत्यु

*684. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०एन०एस० विक्रांत के वीर चक्र प्राप्त लैफ्टिनेंट कमांडर शंकर पी०घोष 22 दिसम्बर, 1974 को प्रातः कोलाबा में 'नैवी नगर' स्थित अपने फ्लैट में मृत पाये गए थे; यदि हां, तो उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ;

(ख) क्या पुलिस ने शव प्राप्ति के बाद अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार कोई प्रारम्भिक जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विस्तृत जांच के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि यह मामला हत्या का है आत्महत्या का नहीं है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्। अफसर की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई उनकी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा-जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) बम्बई के कारन (अपमृत्यु-विचारक) के आदेशों के अधीन 22 दिसम्बर 1974 को कारन के सर्जन द्वारा शव् परीक्षा की गई थी।

(ग) शव परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण श्वासावरोध और/अथवा गर्दन दबाने के कारण सदमा बताया गया है।

(घ) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ङ) इस मामले के बारे में नौसेना मुख्यालय द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

New Contraceptive Drugs/Devices

*685. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether some new contraceptive drugs or devices have been prepared in the country;

(b) the types of contraceptive drugs and devices available in the country at present; and

(c) whether Government are conducting experiments in regard to preparing new types of contraceptives in the country ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Several clinical trials are in progress.

(b) At present Intra-uterine Device, Oral Pills, Nirodh (Condom), Jelly, Diaphragm and Foam Tablets are available in the National Family Planning Programme.

(c) Yes, Sir.

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम की स्थापना करना

*686. **श्री एन० आर० वेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को स्वनियोजन में सहायता देने के लिए सरकारी निगम जैसे किसी निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और इसे अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । वर्तमान वित्तीय अभाव को ध्यान में रखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि योजना को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ।

चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में बहु-मंजिले फ्लैटों का निर्माण

*687. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में सामूहिक आवास (ग्रुप हाउसिंग) के लिए निर्धारित स्थान पर बहु-मंजिले फ्लैटों का निर्माण करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ परामर्श करके कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना को हाथ में लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि फ्लैटों का निर्माण-कार्य सहकारी समितियों के लिए छोड़ दिया जाए जो उन विस्थापित व्यक्तियों में से गठित की जाएंगी जिन्हें सरकार द्वारा योग्य पात्र घोषित किया जाएगा ।

मैडिकल और फार्मेस्यूटिकल उद्योगों में महिला कर्मचारियों को प्रसूति छुट्टी

*688. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडिकल और फार्मेस्यूटिकल उद्योगों में महिला कर्मचारियों को तीन महीने की प्रसूति छुट्टी का लाभ नहीं दिया जाता क्योंकि उन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या महिला कर्मचारियों को उक्त लाभ देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) महिला औद्योगिक श्रमिकों को प्रसूति सम्बन्धी लाभों की स्वीकृति, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 जैसी भी स्थिति हो, के उपबन्धों द्वारा प्रशासित होती है, न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा प्रसूति लाभ अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत, लाभ की अधिकतम अवधि 12 सप्ताह है । तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आए हुए केमिकल और फार्मेस्यूटिकल उद्योगों के महिला कर्मचारी, जो प्रति मास 500

रुपए से अधिक मजदूरी पाती हैं, प्रसूति सम्बन्धी किसी लाभ की हकदार नहीं हैं क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल न होना, उन तक ही सीमित है जो प्रतिमास 500 रुपए से आधिक मजदूरी पाती हैं। अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए मजदूरी सीमा का 500 रुपए से 1000 रुपए तक बढ़ाने के लिए राज्य सभा में 22-3-1975 को एक संशोधक विधेयक पेश किया गया है।

पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि

*689. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बम्बई में पोलियो के रोगियों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) 1973 की तुलना में 1974 के दौरान देश में पोलियो के रोगियों की संख्या में जहां कुल मिला कर कमी हुई है वहां इसी अवधि में बम्बई में पोलियो के रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) पोलियो के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

1. देश के ऐसे अधिकांश अस्पतालों/औषधालयों में जिनमें बालचिकित्सा सेवायें उपलब्ध हैं, पोलियो से प्रतिरक्षण की सुविधाएं दी जा रही हैं।

2. जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, बम्बई नगर निगम स्वैच्छिक आधार पर नि:शुल्क प्रतिरक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है। अधिकांश रोगियों का अन्तरंग रोगियों के रूप में उपचार किया जाता है। चूंकि, यह सामान्यत: 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को होने वाला रोग है, इसलिए उन्हें प्रतिरक्षण द्वारा इस रोग के प्रकोप से बचाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए म्यूनिसिपल चिकित्सा संस्थाओं में पोलियो वेक्सीन का काफी स्टाक रखा जाता है।

3. मक्खियों के प्रजनन को रोकने के लिए कूड़े कचरे को शीघ्रता से हटाने हेतु सभी सम्भव कदम उठाए जाते हैं। गन्दे स्थलों के विरुद्ध और ऐसे फेरी वालों के विरुद्ध जो खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ते हैं और उनमें मक्खियां बैठने देते हैं उनके विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया जाता है। मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाए गए खाद्य पदार्थों को जब्त करके नष्ट कर दिया जाता है। मक्खीरोधी उपायों में तेजी कर दी गई है। निरोधी उपायों और प्रतिरक्षण सुविधाओं के बारे में लोगों को प्रचार साधनों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। म्युनिसिपल स्कूल के सभी बच्चों को पोलियो बैक्सीन दी जा रही है।

Licences granted to Drug Companies in Indore

*696. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many such durg companies were granted import licences during the last three years in Indore (Madhya Pradesh) as were not even in existence; and

(b) if so, the number of such companies and the action taken in such cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Complaints have been received about alleged misutilisation of imported materials by some drug Companies in Indore. They are being investigated. It is not in the interest of investigation to disclose the details at this stage. Appropriate action will be taken after investigation is completed.

अनियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

*697. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा निर्माताओं ने नियंत्रित कपड़े की बिक्री पर होने वाले तथाकथित घाटे को पूरा करने के लिए अनियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने का क्या औचित्य है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारतीय सूती मिल परिसंघ ने हाल ही में एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें 1975 के शुरू से कपड़े की कीमतों में वृद्धि के कारण बताए गए हैं। बताए गए कारण ये हैं : रुई की कीमतों में वृद्धि, मजूरी, ऋण, बिजली तथा ईंधन जैसे अन्य निविष्ट साधनों की लागत महंगी होना आदि। यह भी बताया गया है कि कंट्रोल के कपड़े पर तथा निर्यात दायित्व से होने वाली हानि को उस हद तक कंट्रोल रहित किस्मों की कीमतें बढ़ा कर पूरा किया जाना है जिस हद तक बाजार-हालात इजाजत देते हैं।

(ग) सरकार ने भारतीय सूती मिल परिसंघ को बताया है कि वह कीमतों में गिरावट की सुखद प्रवृति में, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक लाभ पहुंचा है, कोई भी उलट किए जाने के हक में नहीं है ?

वर्ष 1974-75 में ऊनी कपड़े का निर्यात

*698. **श्री एन० आर० बेकारिया**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में कितने मूल्य का ऊनी कपड़ा और ऊन निर्यात किया गया ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय ऊनी कपड़ा निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अप्रैल 1974 से फरवरी 1975 तक की जिस नवीनतम अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके दौरान निर्यात किए गए ऊनी कपड़े तथा ऊन की मात्रा निम्नोक्त है :—

	मात्रा	मूल्य
ऊनी कपड़ा	5.29 लाख मीटर	158.40 लाख रु०
ऊन	47.00 लाख कि० ग्रा०	621.21 लाख रु०

(ख) जिन देशों को ऊनी कपड़े का निर्यात किया जा रहा है उनके नाम हैं : ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, हांगकांग, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, जाम्बिया, सोवियत संघ, कुवैत, इथोपिया, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, दुबई तथा आस्ट्रेलिया।

सीमाशुल्क विभाग में सुधार

*701 **चौ० राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क विभाग में सुधार करने का अभियान शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। तस्करी-विरोधी उपायों को मजबूत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और साज-सामान की व्यवस्था भी की गई है।

जिन अधिकारियों की ईमानदारी पर सन्देह है तथा जिनमें प्रेरणा और नेतृत्व की कमी है, उन्हें संवेदी (सेन्सीटिव) स्थलों से स्थानान्तरित कर दिया गया है। नियमों के अधीन, जहां कहीं सम्भव हो, ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने की कार्यवाही की गई है और जिन मामलों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, उनमें इस्तगासे की कार्यवाही/अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है।

कार्यविधियों को सुव्यवस्थित तथा कारगर बनाने और विलम्ब को कम करने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

अतिरिक्त प्रशासनिक एवं विधायी उपाय विचाराधीन हैं।

हजरत एंड कम्पनी, बम्बई द्वारा निर्यात-आयात व्यापार

*703. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की हजरत एंड कम्पनी दिल्ली की कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के सहयोग से निर्यात और आयात व्यापार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कम्पनी को 1970 या इसके आस-पास काली सूची में दर्ज किया था ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस फर्म को कितने मूल्य के आयात और निर्यात लाइसेंस दिए गए; और

(घ) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के सहयोग से इस फर्म ने गत तीन वर्षों में किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया और काली सूची में दर्ज फर्म को आयात और निर्यात व्यापार को करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) मैसर्स हजरत एंड कम्पनी, बम्बई को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 8 के अन्तर्गत 28-6-1971 को विशेष अवधि के लिए उनकी आंशिक आयात हकदारी से वंचित कर दिया गया था।

(ग) आयात और निर्यात लाइसेंसों के ब्यौरे, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा निकाले जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटन में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम के सहयोग से मैसर्स हजरत एंड कम्पनी द्वारा किए गए आयात-निर्यात के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं। दिनांक 28-6-1971 के वर्जन आदेश का उल्लंघन करते हुए मैसर्स हजरत एंड कम्पनी, बम्बई को आयात व निर्यात की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

भारत-नेपाल व्यापार संबंधों के बारे में विचार करने के लिए संयुक्त समीक्षा समिति की बैठक

*704. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल व्यापार सम्बन्धों के बारे में विचार करने के लिए संयुक्त समीक्षा समिति की बैठक आयोजित होने में कुछ गलत-फहमी के कारण विलंब हो गया है;

(ख) वह गलत-फहमी क्या थी तथा क्या उसको हल कर लिया गया है; और

(ग) क्या इस बीच बैठक की कोई तारीख नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) समय तथा स्थान के संबंध में पारस्परिक सुविधा के बारे में भारत तथा नेपाल के बीच परामर्श के पश्चात्, भारत-नेपाल संयुक्त समीक्षा समिति की चौथी बैठक नई दिल्ली में 24 मार्च से 26 मार्च, 1975 तक हुई।

काफी की खेती करने संबंधी परियोजना

*705. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी की खेती का विस्तार करने के लिए सरकार ने एक व्यापक परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गैर-परम्परागत काफी उगाने वाले राज्यों आंध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा असम की सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के आधार पर काफी बोर्ड ने इन राज्यों में काफी की खेती शुरू करने से सम्बन्धित आजमायशी परियोजना तैयार की है।

(ख) परियोजना का लक्ष्य आंध्रप्रदेश में 2800 हैक्टार, उड़ीसा में 1800 हैक्टार और असम में 2400 हैक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र में काफी की पैदावार करना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के व्यावहारिक पहलुओं पर अभी काफी बोर्ड, सम्बन्धित राज्य सरकारों और योजना आयोग के साथ चर्चा की जानी है और उसे अन्तिम रूप दिया जाना है।

उत्पादन पर ऋण प्रतिबंध का प्रभाव

***706. श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन पर होने वाले ऋण प्रतिबंध के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है : और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का अध्ययन किया गया है और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अर्थ व्यवस्था में उत्पादन का रूख कई बातों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली, ऋण, मिल मालिकों और श्रमिकों के संबंध, परिवहन और प्रबन्ध पद्धतियों पर निर्भर करता है। इसलिए औद्योगिक उत्पादन पर किसी एक बात के प्रभाव को अलग करना कठिन है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब जरूरत होती है तो सुधारने के उपाय किये जाते हैं। मौजूदा कामकाज के मौसम के लिए ऋण नीति इस बात को ध्यान में रख कर अपनायी गयी है कि अर्थ व्यवस्था को अब भी पर्याप्त असन्तुलन का सामना करना पड़ रहा है, और इस स्थिति में यह जरूरी है कि मुद्रा विषयक प्रतिबन्ध जारी रखे जाएं पर इसके साथ साथ चुने हुए उद्योगों को ऋण दिया जाए ताकि पूंजी निवेष बना रहे, उत्पादन में वृद्धि होती रहे और आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सुविधाएं बनी रहें। सरकार द्वारा चलाई जा रही नियंत्रित ऋण संवर्धन की नीति के बावजूद 1974-75 में औद्योगिक विकास की गति 1973-74 की तुलना में अधिक रहने की सम्भावना है।

केरल में वृक्ष फसल के विकास की योजना

***707. श्री वरके जार्ज** : क्या **वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल सरकार ने विश्व बैंक के अन्वेषण एवं तैयारी (इन्वैस्टीगेशन कम प्रिपेरेशन) दल को वृक्ष फसलों के विकास की कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने पेड़ लगाने से संबन्धित कुछ प्रस्ताव मोटे तौर पर विश्व बैंक परियोजना मिशन को मार्च, 1975 में भेजे थे।

(ख) इन प्रस्तावों का सम्बन्ध नारियल, काजू, काली मिर्च और कोकों के विकास से है जिनके लिए अनुमानत: 104.69 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के ऋणों की आवश्यकता होगी।

आशा है कि उक्त विश्व बैंक मिशन की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और जुलाई, 1975 तक यह भारत सरकार को मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में आशा है कि और बातों के साथ-साथ, विश्व बैंक से मिलने वाली सम्भावित सहायता का भी जिक्र रहेगा।

डायमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी और भारत सरकार के बीच सहयोग समझौता

*708. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी संसद सदस्य से उस सहयोग समझौते के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है जो साऊथ अफ्रीकन डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जिसका लंदन में मुख्यालय है, और इस देश की सरकार के बीच हुआ है तथा इन्वैस्टमैंट बोर्ड ने जिसकी मंजूरी दे दी है ; और

(ख) पत्र में लगाए गए आरोपों तथा दिए गए विभिन्न सुझवों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार प्रस्तावित कम्पनी की जरूरत और उस के लाभ के संबंध में तथा इस बात पर भी विचार कर रही है कि किस तरह आगे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भी और कम या लाभप्रद दरों पर मूल स्त्रोतों से अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करने के लिए इसके साथ साथ अपने प्रयत्न जारी रखने चाहियें ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा आसाम में चाय बागानों की बिक्री

*709. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के अनेक चाय बागानों को विदेशी कम्पनियों ने अत्यधिक मूल्य पर बेच दिया है और इस प्रकार वे भारत से बाहर धन ले जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं । विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले चाय बागानों की बिक्री के लिए अनुमति, चाय बोर्ड के जरिये अन्य बातों के साथ-साथ उचित कीमत तथा अन्य संगत मानदण्डों के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अधीन दी जाती है ।

बीड़ियों पर मूल-शुल्क

*710. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ब्रान्ड वाली बीड़ियों पर मूल शुल्क लगाने के सरकार के हाल ही के निर्णय से लघु उद्योग बड़ी सीमा तक प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उक्त नए शुल्क के कारण समस्त देश में इस उद्योग में रोजगार क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में परिवर्तन, तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ समिति की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसरण में किये गये । बीड़ियों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अनिर्मित तम्बाकू पर, शुल्क कम कर दिया गया है और ब्रांड नामों में बेचे जाने वाली बीड़ियों पर नीची दर पर शुल्क लगाया गया । प्रभाव शुल्क केवल ब्रांड वाली बीड़ियों तक ही जानबूझकर सीमित रखा गया है ताकी छोटे एककों को शुल्क के विषय क्षेत्र से बाहर रखा जा सके । वास्तव में अनिर्मित तम्बाकू पर शुल्क कम करने से छोटे एककों को लाभ पहुंचेगा ।

(ख) बीड़ियों में भरे जाने वाले तम्बाकू पर शुल्क में की गई कमी को हिसाब में लेने पर, शुल्क-भार 10 बीड़ियों पर एक पैसे से कम होना चाहिए । इस नाममात्र के शुल्क को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि बीड़ी उद्योग में नियोजन–क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

(ग) नये शुल्क के लगाये जाने के बाद प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है । इस उद्योग ने विशेष रूप से यह अभ्यावेदन किया है कि बीड़ी निर्माताओं पर डाली गई कार्यविधि सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं को सरल बना दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

ब्रिटेन को गैर कानूनी आप्रवास पर रोक लगाने के उपाय

6478. श्री शशि भूषण : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह चाहती है कि कोई भी आप्रवासी गैर कानूनी रूप से ब्रिटेन जा सके ;

(ख) क्या इस बारे में ब्रिटिश अधिकारियों से हाल ही में बातचीत हुई थी ;

(ग) क्या ब्रिटिश अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे प्रक्रिया में ऐसा सुधार करेंगे जिससे ब्रिटेन जाने वाले वास्तविक यात्रियों को असुविधा न हो ; और

(घ) सरकार का पारपत्रों की गड़बड़ करने वाले उन जालसाजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो लोगों को झूठे वायदे देकर विदेश भेजते हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस विषय पर ब्रिटिश सरकार से विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ है और हमने ब्रिटेन को यात्रा करने वाले सही यात्रियों की कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान बार-बार आकृष्ट किया है और इस बात के महत्व पर बल दिया है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें उपाय बरतने चहिए । ब्रिटेन सरकार ने हमें बताया है कि हाल ही में उन्होंने अपनी कार्य पद्धति को सुचारू रूप दिया है और यह आशा भी व्यक्त की है कि इन तरीकों से भविष्य में ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों की कठिनाईयां कम होंगी ।

(घ) मंत्रालय के पासपोर्ट प्रभाग द्वारा ट्रेवल एजेंटों को दिये गए प्राधिकारों की समय-समय पर जांच की जाती है। जब कभी पुलिस या पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा किसी ट्रेवल एजेन्ट के खिलाफ रिपोर्ट मिलती है तो उस ट्रेवल एजेन्ट से तुरन्त प्राधिकार वापस लेने के लिए कार्यवाही की जाती है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकारियों की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में नियुक्ति

6479. श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कितने अधिकारी गत तीन वर्षों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में नियुक्त किए गए और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में उनके चुनाव व नियुक्ति की पद्धति क्या है; और

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में चयन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1975 तक हिन्दुस्तान स्टील लि० के 46 अधिकारी इस प्राधिकरण में नियुक्त किए गए हैं; उनके वर्तमान पदनाम इस प्रकार हैं :

निदेशक	3
महाप्रबन्धक	2
वरिष्ठ उप-महाप्रबन्धक	3
उप महाप्रबन्धक	4
वरिष्ठ प्रबन्धक	8
प्रबन्धक	9
उप-प्रबन्धक	4
वरिष्ठ प्रशासक	4
प्रशासक	9
	46

(ख) निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष अधिकारियों का चयन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की चयन समिति द्वारा किया गया था।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की यह नीति रही है कि सर्वप्रथम हिन्दुस्तान स्टील लि० के मुख्यालय से अधिकारी लिये जाएं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में काम कर रहे अधिकारियों में से अधिकतर अधिकारी हिन्दुस्तान स्टील लि० के मुख्यालय से लिए गए हैं।

युगोस्लाविया के तीन बड़े तेलवाही पोतों के लिए क्रयादेश

6480. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में आयातित तेल लाने के लिए तीन बड़े तेलवाही पोतों के लिए युगोस्लाविया को क्रयादेश दिया था;

(ख) ये तीन तेलवाही पोतों के कब भारत पहुंचने की आशा है;

(ग) क्या सरकार को इन तीन टैंकरों का 1370 लाख डालर मूल्य विदेशी मुद्रा में देना पड़ेगा;

(घ) क्या इन बड़े तेलवाही पोतों की अब आवश्यकता नहीं है; और

(ङ) इन क्रयादेशों के दायित्व से बचने के लिए मत्रालय न क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ङ) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 1973 में यूगोस्लाविया के एक शिपयार्ड से प्रत्येक 269,000 डी० डब्लू० टी० के तीन बहुत बड़े कच्चे तेलवाहकों का आर्डर दिया था, इन तीन बड़े कच्चे तेल वाहकों के सितम्बर 1975, मार्च 1976 तथा दिसम्बर, 1976 में सुपुर्द किए जाने की सम्भावना है। तीन तेलवाहकों की कुछ संविदागत कीमत 127 मिलियन यू० एस० डालर है तथा इसकी अदायगी यू० एस० डालरों में की जानी है। तेल की बदलती स्थिति के संदर्भ में हमारे कच्चे तेल के आयात के लिए बहुत बड़े तेलवाहकों की मांग सहित सारी विषय वस्तु का अध्ययन किया जा रहा है ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके।

दिल्ली केन्ट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण

6481. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जेल रोड पर दिल्ली केन्ट रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ऊपरी पुल के निर्माण के संबंध में कोई नक्शा तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उस स्थान पर वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ करने का विचार है तथा उसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम, जो कार्य से संबंधित हैं, ने 205.00 लाख रुपए का अनुमान तैयार किया है जिसमें (i) भूमि अधिग्रहण करने की लागत तथा (ii) रेलवे के भाग में बनाए जाने वाले पुल की लागत, जो रेलवे ने वहन करनी है—शामिल नहीं है।

(ग) प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरण में है। इसलिए अभी यह संभव नहीं है कि वास्तविक निर्माण कार्य कब शुरू होगा और यह कब तक पूरा हो जाएगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का नये नगरों में विस्तार

6482. **श्री भगीरथ भंवर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सेवा का देश के नये नगरों में विस्तार करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को पटना, हैदराबाद और बंगलौर में भी चलाने का विचार है। हैदराबाद और बंगलौर के संबंध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण पहले ही कर लिया गया है और पटना के बारे में सर्वेक्षण संबंधी काम चल रहा है।

मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों की क्षति के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति देना

6483. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा टाउन के निकट कैमूर तोपखाना रेंज से खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वर्ष 1974 में किसानों को कितनी धनराशि अदा की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पोतेरु बांध परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन

6484. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दंडकारण्य क्षेत्र में निकट भविष्य में पोतेरु बांध परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने का है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि खर्च कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जबकि सिंचाई परियोजना को तकनीकी रूप में स्वीकार कर लिया गया है, प्रशासनिक स्वीकृति अभी जारी की जानी है।

(ख) 1975-76 के बजट अनुमानों में पोतेरु सिंचाई परियोजना के लिए 144.26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) चूंकि 1975-76 का वित्तीय वर्ष अभी ही आरम्भ हुआ है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा सेना में किया गया कार्य

6485. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने डाक्टरों ने अब तक सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों और आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम किया है;

(ख) क्या भूतपूर्व सेना अधिकारियों के लिए कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार पदोन्नति तथा अन्य लाभ देने के उद्देश्य से सेना में सेवा की अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के इन डाक्टरों को पदोन्नति और स्थानान्तरण संबंधी नियम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दस।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा उनके अधीन समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार।

तांबे के संघटक तत्वों का आयात

6486. श्री विश्वेश्वर नाथ भार्गव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का किस देश से तांबे के संघटक तत्वों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने राजस्थान राज्य में उपलब्ध लघु निक्षेपों का विकास किया होता तो क्या इस सामग्री का आयात करने से बचा जा सकता था, और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में तांबे के लघु निक्षेपों के विकास में विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि० तांबा सांद्रों के आयात के लिए इस समय विदेशी पूर्तिकर्ताओं से बातचीत कर रहा है। ऐसी स्थिति में उस देश का नाम बताना संभव नहीं है, जहां से, कम्पनी द्वारा तांबा सांद्रों के आयात का प्रस्ताव है।

(ख) व (ग) हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा पहले ही दरीबा, जिला अलवर, राजस्थान में एक छोटे ताम्र निक्षेप का विकास किया जा चुका है। दरीबा में तांबा सांद्रों का उत्पादन सितम्बर, 1973 से शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी, झुंझुनु जिले में चांदमारी के एक अन्य छोटे ताम्र निक्षेप का विकास कर रही है। राजस्थान में कोई अन्य छोटा ताम्र निक्षेप आर्थिक रूप से उपादेय नहीं समझा गया है।

परिवार नियोजन योजना के लिए वर्ष 1975-76 के लिए मंजूर धनराशि

6487. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन योजना के लिए वर्ष 1975-76 के लिए, राज्यवार, कितनी धनराशि निर्धारित की गई ;

(ख) क्या सरकार इन वर्ष के दौरान नये परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यावार विवरण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) 1975-76 के बजट प्रस्ताव में, जिसे संसद द्वारा अभी पारित किया जाना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 6319.95 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस मांग के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपर्युक्त परिव्यय में से राज्यों को सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का राज्यावार ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मजगांव डाक लिमिटेड

6488. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मजगांव डाक लिमिटेड" ने ट्रांसवर्ल्ड ड्रिलिंग कम्पनी के ड्रिलिंग प्लेटफार्म के परिवर्तन तथा सुधार कार्य की परियोजना पूर्ण कर ली है ।

(ख) यदि हां, तो मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई विशेषज्ञता संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे भारत को तट-दूर बम्बई हाई तथा अन्य स्थानों पर खुदाई के कार्य में कहां तक सहायता मिलेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमन् । मजगांव डाक लिमिटेड ने ट्रांसवर्ल्ड ड्रिलिंग कम्पनी के टैंडर-4 के मुख्य परिवर्तन तथा सुधार कार्य को पूरा कर लिया है ।

(ख) इस कार्य में हैलीकाप्टर उतरने के लिए प्लेटफार्म के साथ-साथ 80 व्यक्तियों के बिलकुल नये आवास का निर्माण, नई उप संरचना विस्तार और फिसलन (रिकड) आधार और संस्थापन, हलप्लेटिंग के एक बड़े भाग का नवीकरण, और इंजन हाऊस का सुधार सम्मिलित है । मजगांव डाक लिमिटेड ने सिंगापुर, जापान और दक्षिणी अफ्रीका से, प्रस्तावों के मुकाबले में यह आर्डर प्राप्त किया है। यह कम्पनी इस परियोजना से 25 लाख अमरीकी डालरों की आय कर सकी है ।

(ग) इस परियोजना से प्राप्त अनुभव से मजगांव डाक लिमिटेड को तट से दूर ड्रिलिंग प्लेटफार्मों के निर्माण और मरम्मत में सहायता मिलेगी ।

Non-Availability of Medicines in E. S. I. Hospitals, Madhya Pradesh

6489. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to non-availability of essential medicines and other facilities in the hospitals under Employees State Insurance scheme in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the facts in this regard and the action being taken to improve this situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information.

(a) and (b) No such information has been received by the Corporation. However, the administration of medical benefit under the Employees' State Insurance Act, 1948 being the responsibility of the State Governments, it is for the Government of Madhya Pradesh to look into the matter.

आटा मिल उद्योग में श्रमिकों के काम की दशा के बारे में सर्वेक्षण

6490. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो ने देश में आटा मिल उद्योग में श्रमिकों के काम की दशाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सियों द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यालय खोला जाना

6491. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेन्सियों को नई दिल्ली में कम से कम एक एक कार्यालय खोलने की सलाह देगी ; और

(ख) क्या पांडिचेरी स्थानान्तरित होने वाली एजेन्सियां दिल्ली में अपने कार्यालय रखेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारत में विकास कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ, यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाईटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फार रेफ्यूजीज जैसी सभी महत्वपूर्ण एजेंसियों के कार्यालय नई दिल्ली में पहले से ही हैं ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र की कोई भी ऐजेन्सी पांडिचेरी स्थानान्तरित नहीं हो रही है । तथापि, दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रजनन-नियंत्रण परियोजना को जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, स्थान्तरित किया जाएगा क्योंकि इससे संस्थान और परियोजना दोनों को परस्पर लाभ पहुंचेगा ।

सोवियत मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया जाना

6492. **श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के सरकारी नक्शे वर्ष 1969 से भारतीय क्षेत्र पर चीनी दावों का समर्थन करते आ रहे हैं और उनमें विवादास्पद क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस भूल सुधार के लिए भारत सरकार ने सोवियत सरकार से कुल कितने बार विरोध प्रकट किया है ;

(ग) इन विरोध-पत्रों पर सोवियत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(घ) इन अनियमितताओं को दूर कराने के लिए सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 1970 तक प्रकाशित सोवियत नक्शों में भारत-चीन सीमा बहुत कुछ चीनी नक्शों के सरेखण के अनुरूप ही दिखाई गई थी ।

(ख), (ग) और (घ) इन गलत नक्शों के संबंध में भारत सरकार के विचार कई बार सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के समक्ष व्यक्त कर दिए गए हैं । अब यह देखा गया है कि 1971 से उनके नक्शों में भारत-चीन सीमा नहीं दिखाई गई है ।

खनिजों का उत्पादन बढ़ाना

6493. **श्री एम० कल्यामुतु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज उत्पादन में काफी वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और विभिन्न खनिजों के उत्पादन संबंधी नवीनतम आंकड़े गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कम हैं या अधिक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां । उत्पादित खनिजों, (परमाणु खनिजों को छोड़कर) का मूल्य 1973 के 57,350 लाख रुपये से बढ़कर, 1974 में 78,030 लाख रुपये हो गया है । यह वृद्धि मुख्यता कोयला, पैट्रोलियम, क्रोमाईट, जस्ता सांद्रों आदि के प्रसंग में हुई है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 1974 तथा 1973 के दौरान उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं ।

विवरण

1973 तथा 1974 में खनिज उत्पादन

(महत्वपूर्ण खनिज)

क्रमांक	खनिज	इकाई	1973	(1974 अनन्तिम)
1.	ऐपेटाइट	टन	9,980	11,501
2.	फासफोराइट	हजार टन	137	431
3.	बाक्साइट	,,	1,292	1,092
4.	क्रोमाइट	,,	291	399
5.	कोयला	लाख टन	770,90	832,60
6.	तांबा अयस्क	हजार टन	1,102	1,417
7.	डोलोमाइट	,,	1,449	1,185
8	सोना	किलोग्राम	3,278	3,145
9.	जिप्सम	हजार टन	886	1,050
10.	लोहा अयस्क	लाख टन	355,60	348,60
11.	कूयानाइट	हजार टन	58	43
12.	सीसा साना	टन	7,772	11,143
13.	चूना पत्थर	लाख टन	253,40	250,50
14.	मैग्नेसाइट	हजार टन	193	266
15.	मैंगनीज अयस्क	,,	1,489	1,447
16.	अभ्रक (कच्चा)	टन	13,830	13,409
17.	पैट्रोलियम (कच्चा)	लाख टन	72,00	74,90
18.	इटेटाइट	हजार टन	210	250
19.	जस्ता सांद्र	टन	23,913	29,060
	सभी खनिजों का कुल मूल्य लाख रु० में		57,350	78,030

Admission of Shri Mahendra Singh in Irwin Hospital, New Delhi

6494. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether according to a news item published in Nav Bharat Times dated 12th March, Shri Mahendra Singh, a patient suffering from Paralysis, was admitted by his brother in Irwin Hospital, New Delhi on the 4th February, and he (patient) was taken for physical examination on the 27th February and his brother was asked to stay out and Shri Mahendra Singh has not so far returned after his physical examination ; and

(b) if so, whether any enquiry of this incident has been made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) & (b) Government has seen Press Reports in this regard. Facts of the case are awaited from the Delhi Administration and will be furnished as soon as available.

नेशनल आयरन एन्ड स्टील कम्पनी

6495. श्री हरि किशोर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 1 अप्रेल, 1974 से 31 मार्च, 1975 की अवधि में कितना और कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ख) इस कम्पनी के निदेशकों के नाम क्या हैं और वह किन किन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी के 'स्क्रेप' की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से की जाती है, और

(ग) क्या इसके उत्पादों के मूल्य निर्धारण करने की पद्धति के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के प्रबन्धकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रेल, 1974 से 31 मार्च, 1975 की अवधि में टनों के हिसाब से उत्पादन इस प्रकार था :-

1.	स्टील कास्टिंग	1,220 टन
2.	बेल्लित उत्पाद	6,810 टन

अप्रेल 1974 से मार्च, 1975 के उत्पादन का कुल विक्रय मूल्य लगभग 192.55 लाख रुपये था ।

(ख) इस कम्पनी के निदेशक मंडल का वर्तमान गठन इस प्रकार है :-

1. श्री ए० सी० बोस, केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत अधिकारी जिन्हें इंडस्ट्रियल री-कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया ने नामित किया है ।
2. श्री टी० तिवारी, महाप्रबन्धक, इंडस्ट्रियल री-कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया जिन्हें इंडस्ट्रियल री-कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया ने नामित किया है ।
3. श्री डी० के० चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, फाऊंड्री फोर्ज प्लाण्ट, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन जिन्हें इंडस्ट्रियल री-कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया ने नामित किया है ।
4. श्री जी० डी० अग्रवाल, भूतपूर्व प्रबन्धकों के प्रतिनिधि ।
5. श्री आर० पी० अग्रवाल, भूतपूर्व प्रबन्धकों के प्रतिनिधि ।

(ग) उत्पादन में मुख्य कच्चे माल के रूप में स्क्रेप प्रयोग में लाया जाता है और सामान्यता कंपनी इसे नहीं बेचती है । केवल एक बार ऐसा हुआ है कि ईचापुर राईफल फैक्टरी से वर्ष 1972 के आरम्भ में खरीदे गए 390 टन बोरिंग और टर्निंग में से 100 टन माल को जो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, बातचीत द्वारा तय किए गए मूल्य पर बेच दिया गया था ।

(घ) कंपनी के निदेशक मंडल के कहने पर कंपनी के उत्पादों की लागत निकालने तथा मूल्यन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का काम लागत लेखाकारों की एक फर्म को दिया गया था और उसे दिसम्बर, 1974 के अन्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था । नेशनल आयरन एण्ड स्टील कं० को यह रिपोर्ट मिल गई है और कंपनी इसका अध्ययन और संवीक्षा कर रही है ।

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली के प्रसूति गृह में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु

6496. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सवे कैम्प, दिल्ली स्थित प्रसूति गृह में दिसम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में आपरेशन के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) किंग्सवे कैम्प, दिल्ली स्थित प्रसूति केन्द्र में 21-12-1974 को एक बन्ध्यकरण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 30 महिलाओं के आपरेशन किये गये। दुर्भाग्यवश इनमें से दो महिलाओं की फरवरी, 1975 के दूसरे सप्ताह में आपरेशन के बाद होने वाली पेचीदगियों के कारण मृत्यु हो गई। ये दोनों ही महिलायें गर्भवती नहीं थीं। इस मामले की जांच कर ली गई है और इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जा रही है।

बंगलादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

6497. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के विदेश मंत्री इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन विषयों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा के प्रश्न पर बातचीत हुई थी और यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आपसी हित के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमांकन के प्रश्न पर। दोनों पक्षों ने अनुभव किया कि यद्यपि समुद्री सीमा के प्रश्न पर बातचीत अभी तक निर्णयात्मक नहीं हुई है परन्तु यह एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गई है कि हम अब शीघ्र ही परस्पर संतोषजनक हल पर पहुंचने की आशा कर सकते हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह-अयस्क की आवश्यकता

6498. श्री विजयपाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरिया लौह-अयस्क निक्षेपों से बोकारो स्टील लिमिटेड की आवश्यकता पूरी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने की 47.5 लाख टन पिण्ड की वार्षिक क्षमता तक लौह अयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की किरीबुरु और मेघाटाबुरु खानों से करने की योजना है। जब और जैसे बोकारो इस्पात कारखाने के 47.5 लाख टन चरण से आगे और विस्तार किया जायेगा उस समय इस कारखाने की लौह-अयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के विकल्पों में चिरिया लौह अयस्क के निक्षेप एक विकल्प हो सकता है। खनिज अन्वेषण निगम इस समय चिरिया में इस बात का पता लगा रही है कि वहां लौह अयस्क का भंडार कितना है और इसमें लोहे की मात्रा कितनी है ?

कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास पत्तनों से निर्यात व्यापार

6499. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कलकत्ता, बंबई और मद्रास पत्तनों से कितना निर्यात व्यापार किया गया; और

(ख) इन पत्तनों पर निर्यात व्यापार बढ़ाने के बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) 1972-73 से 1974-75 तक कलकत्ता, बंबई और मद्रास पत्तनों से निर्यात यातायात निम्न प्रकार था :–

क्र० सं०	पत्तन	1972-73	1973-74	1974-75
		में निर्यात यातायात (लाखों में)		
1.	कलकत्ता	25.3	24.4	24 5
2.	बंबई	33.1	42.7	35.6
3.	मद्रास	27.5	30.6	32.1

इन पत्तनों द्वारा निर्यात यातायात में वृद्धि करने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इन प्रोत्साहनों में ये शामिल हैं—जब तक ढुलाई नहीं होती निर्यात माल के भंडार के लिये खुली तथा छतदार जगह का आवंटन, निर्यात माल के लिये विशेष घटीय दरें, यांत्रिक धरा उठाई सुविधाएं, निर्यात जहाजों के लिये विशेष घाटों का आवंटन तथा परियात शैडों में भंडार करने के लिये कुछ हद तक खाली दिनों तथा निर्यात जहाजों के लिये घाट स्थान की प्राथमिकता देना।

प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा लौह अयस्क का खनन

6500. श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्री सी० के० चंद्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लौह अयस्क निकालने वाले प्राइवेट ठेकेदारों और प्राइवेट फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1973-74 और 1974-75 में कुल कितना और कितने मूल्य का लौह अयस्क निकाला गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1973 और 1974 में निजी क्षेत्र में 90% लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले लगभग 50 निजी खान मालिकों की एक सूची एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1973 और 1974 में निजी खान मालिकों द्वारा निकाले गए लौह अयस्क की कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :–

वर्ष	निजी खान मालिकों की संख्या	खानों की संख्या	उत्पादन (लाख टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1973	206	367	214	2361
1974	191	346	205	2441

कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा उपाय

6501. श्री वसन्त साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने के कारण गत तीन वर्षों में कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कोयला खानों में वर्ष 1972 से 1974 के दौरान हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	घातक	गंभीर
1972	200	1534
1973	172	1904
1974	201	2051

(ग) श्रम मंत्री द्वारा 20-12-1974 को कोयला विभाग, खान विभाग और खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्राधिकारियों के साथ, खानों में सुरक्षा को सुधारने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर विचार-विमर्श करने और विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। साथ ही, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खानों में 'वाइंडिंग इन्सटालेशनों' और फलेम प्रूफ उपस्कर के मानक के रख-रखाव में सुधार लाने के लिए सामान्य निरीक्षण के अलावा सितम्बर और नवम्बर, 1974 के महीनों में विशेष सुरक्षा सम्बन्धी अभियान भी चलाए गए थे।

दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बाद अमरीका के भारत के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन

6502. श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सप्ताहों में मध्य पूर्व अर्थात् पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीका की विदेश नीति की राजनीतिक असफलता के कारण भारत-अमरीकी संबंधों के बारे में अमरीकी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में हाल की घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत अमरीकी संबंधों के प्रति संयुक्त राज्य के रवैये में किसी प्रकार के परिवर्तन की जानकारी भारत सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की गतिविधियों का विस्तार

6503. श्री एम० एस० पुरती : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गतिविधियों का विस्तार करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के अंग नहीं होते। फिर भी, इसके कार्यक्रम और गतिविधियों का क्षेत्र, जो वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है, हर वर्ष बढ़ता रहा है और वित्तीय तथा अन्य संसाधनों के कारण लगे प्रतिबंधों में रहते हुए यह परिषद् विदेशों में तरह तरह से भारतीय संस्कृति के स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती रही है। इसकी मुख्य गतिविधियां हैं : विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्र, पीठ और भारतीय अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, भारत में विदेशी विद्यार्थियों का कल्याण-कार्य, भारतीय तथा विदेशी विद्वानों का पूर्वाभिमुखीकरण। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की गतिविधियों का पूरा ब्यौरा विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

हल्दिया पत्तन के निर्माण के लिये मंजूर धनराशि

6504. श्री शक्त कुमार सरकार : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन के निर्माण के संबंध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और वितरित की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) हल्दिया परियोजना के भाग के रूप में तेलजेट्टी अगस्त, 1968 में पूरी की गई और चालू की गई जलपाश प्रवेश पर प्लस 22 स्तर तक सिविल निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जल पाश प्रवेश पर मेकेनाइट प्रकार की ढलाई के लगाने का काम और प्लस 22 स्तर से अधिक ऊपरी ढ़ांचा कार्य भी प्रगति में है। हल्दिया में ठेकेदार के कार्य स्थल पर स्लाइडिंग केस्सव गेटों का निर्माण कार्य प्रगति में है। अयस्क घाट, कोयला घाट, फिंगर जेट्टी, सामान्य माल-एवं-आधान घाट और फास्फेट घाट पर सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एम०ए०एम०सी० को आर्डर पर दिये गये अयस्क और कोयला घाटों के लिये यांत्रिक माल धरा-उठाई उपकरण का संस्थापन कार्य प्रगति में है और उसके 1975 के अंत तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। फिंगर जेट्टी और सामान्य माल-एवं-आधान घाट के लिये क्रमश: अनलोडर क्रेन और पोर्टेनर तथा ट्रान्सटेनर क्रेन नामक माल धरा-उठाई उपकरण निर्माणाधीन है। फास्फेट घाट के लिये दो समुद्री माल उतारने वालों के लिये आर्डर दिये गये हैं। पहुंच धारा में निकर्षण प्रगति में है और 35 फुट डुबाव के लक्ष्य की 1975 में प्राप्ति होने की सम्भावना है। गोदी थाले का निकर्षण और सुधार कार्य प्रगति में है और 30 फुट सतह की अपेक्षित गहराई के अक्तूबर, 1975 तक प्राप्त होने की संभावना है। जी०आर०डब्लू० को आर्डर दिये गये मुहाना निकर्षण की 1976 के मध्य तक सुपुर्दगी की सम्भावना है। जी०आर०डब्लू० ने अब तक आर्डर पर 5 कर्षनाओं में से 2 कर्षनावें सुपुर्द कर दी हैं और शेष 3 कर्षनावों का सितम्बर, 1975 तक पूरे हो जाने का कार्यक्रम है। जिन 7 इंजिनों का आर्डर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को दिया गया था, वे प्राप्त हो गये हैं। लगभग 800 रिहायसी क्वार्टर बन चुके हैं और 484 क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति में है। परियोजना के लिये आवश्यक 9280 एकड़ भूमि में से सरकारी भूमि सहित 6798 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है, वर्तमान संकेतों के अनुसार, हल्दिया गोदी परियोजना के 1975 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) 1965 में तैयार की गई हल्दिया गोदी परियोजना की मूल अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपये थी और वह स्वीकृत की गई परियोजना के नक्शे की समीक्षा की गई और परिवर्तित परिस्थितियों के कारण कुछ और कार्यों को शामिल करना आवश्यक समझा गया। पत्तन न्यास ने लगभग 126.94 करोड़ रुपये की मौजूदा लागत का अनुमान लगाया है। लागत में वृद्धि के मुख्य कारण माल के मूल्य और मजदूरी में वृद्धि और देशी निर्माताओं द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न उपकरण के संशोधित मूल्य है। परियोजना की निर्माण कार्यों के लिये वितरित कुल रकम, 1974-75 के वित्तीय वर्ष के अंत में 100 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

हल्दिया तक नौवहन धारा लदान में निकर्षण के लिये 31.26 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय भी स्वीकृत किया गया है। जलमार्ग में निकर्षण की लागत वहन करने के लिये 1974-75 में पत्तन न्यास को 12.23 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

औद्योगिक सुरक्षा उपाय

6505. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में भी सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है; और

(ग) सरकार गैर सरकारी उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके कारखाना निरीक्षणालयों के जरिए लागू की जाती हैं। जहां कहीं उनके द्वारा आवश्यक समझा जाता है, इन नियमों का

परिवर्धन किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है और उनकी लगातार पुनरीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और ऐसे ही अन्य संगठनों के जरिए सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है। ये श्रम विज्ञान केन्द्र दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाते हैं और रोकथाम के लिए उपाय सुझाते हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कारखाना कानून, 1948 में संशोधन करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए राज्य नियम अपनी प्रयोज्यता के मामले में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कोई भेद-भाव नहीं करते। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी सामान्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। तथापि सुधार की गुंजाइश है।

राज्य बिजली बोर्डों को ई० सी० ग्रेड के एल्यूमीनियम का आवंटन

6506. श्री के० लकप्पा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों को किस आधार पर ई० सी० ग्रेड के एल्यूमीनियम का आवंटन किया जाता है;

(ख) वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1974-75 में ई० सी० ग्रेड की धातु का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में, राज्यवार, कितना आवंटन किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का आवंटन राज्य विद्युत बोर्डों को सीधे नहीं किया जाता। तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा केबुल/कंडक्टर्स के छोटे निर्माता उद्योगों को ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का आवंटन संबंधित प्रशासनिक एजेन्सियों यथा तकनीकी विकास महानिदेशालय और लघु उद्योग उपायुक्त आदि के माध्यम से किया जाता है।

(ख) 1974-75 में ई० सी० ग्रेड धातु का उत्पादन 60,000 टन हुआ जबकि 1973-74 में यह उत्पादन 67,532 टन था।

(ग) धातु का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता। तकनीकी विकास महानिदेशालय बड़े उद्योगों के धातु का सीधे आवंटन करता है। छोटे उद्योगों के मामले में लघु उद्योग उपायुक्त द्वारा प्रत्येक राज्य को इकाई-वार वितरण के लिए आवंटन कर दिया जाता है। इस दूसरे मामले में किया गया आवंटन निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष	
		1973-74	1974-75
		टन	टन
1.	आंध्र प्रदेश	2,976	1,905
2.	गुजरात	1,371	877
3.	केरल	476	305
4.	मध्य प्रदेश	2,681	1,716
5.	तमिल नाडु	3,004	1,923
6.	कर्नाटक	1,014	649
7.	पांडेचेरी	197	176
8.	गोआ	48	80
9.	असम	238	202
10.	पश्चिम बंगाल	1,477	973
11.	बिहार	1,739	1,113

1	2	3	4
		टन	टन
12.	दिल्ली	643	412
13.	हिमाचल प्रदेश	238	210
14.	जम्मू और काश्मीर	491	314
15.	उड़ीसा	581	372
16.	पंजाब	283	184
17.	राजस्थान	663	424
18.	महाराष्ट्र	1,503	962
19.	उत्तर प्रदेश	1,867	1,194
20.	हरियाणा	967	619
21.	आर० आई० एफ० यूनिट	2,500	1,600
		25,000	16,000

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

6507. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के अध्यक्ष श्री बदूद खां द्वारा 8 मार्च, 1975 को बम्बई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के बारे में समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या श्री बदूद खां ने बताया था कि सरकार ने इस बात का अभी कोई निर्णय नहीं किया है कि क्या इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी बर्नपुर का राष्ट्रीयकरण किया जाए अथवा इसे इसके भूतपूर्व मालिकों को वापस कर दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के मामले में सरकारी नीति के अनुरूप है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) संवाददाता सम्मेलन में यह कहा गया था कि सरकार ने इस्को का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है । इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कम्पनी को अंशधारियों को वापस कर दिया जाएगा, यह बताया गया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । यह भी बताया गया था कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं तथा राष्ट्रीयकृत बैंक कारखाने के प्रतिस्थापन के लिए 43 करोड़ रुपए के सावधिक ऋण दे रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियां

6508. श्री गजाधर मांझी

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्तियों के बारे में एक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) विभिन्न पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1 जनवरी, 1974 की स्थिति इस प्रकार है :–

पत्तन का नाम	वर्ग/श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
बंबई	अधिकारी	457	3	1
	वर्ग 3	11,262	840	99
	वर्ग 4	16,964	3,790	760
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4	1,358	1,244	32
कलकत्ता	वर्ग 1	388	1	कुछ नहीं
	वर्ग 2	493	10	1
	वर्ग 3	15,998	1,072	9
	वर्ग 4	21,927	5,188	72
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4 (झाड़ूकश)	1,521	1,449	4
मद्रास	वर्ग 1	123	3	कुछ नहीं
	वर्ग 2	44	2	कुछ नहीं
	वर्ग 3	5,521	516	29
	वर्ग 4	3,383	627	64
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4 (झाड़ूकश)	245	139	6
विशाखापत्तनम	वर्ग 1	104	7	कुछ नहीं
	वर्ग 2	45	2	कुछ नहीं
	वर्ग 3	3,963	290	16
	वर्ग 4	4,140	484	34
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4 (झाड़ूकश)	277	277	कुछ नहीं
मारमुगाव	वर्ग 1	65	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ग 2	17	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ग 3	1,126	15	5
	वर्ग 4	1,198	56	3
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4 (झाड़ूकश)	31	1	कुछ नहीं

1	2	3	4	5
कोचीन	वर्ग 1	68	3	कुछ नहीं
	वर्ग 2	37	3	1
	वर्ग 3	2,055	176	63
	वर्ग 4	2,470	210	39
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4	27	9	3
	(झाड़ूकश)			
कांडला	वर्ग 1	47	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ग 2	30	1	कुछ नहीं
	वर्ग 3	1,303	46	8
	वर्ग 4	1,225	187	45
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4	90	87	1
	(झाड़ूकश)			
पारादीप	वर्ग 1	45	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ग 2	65	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ग 4	1,095	30	5
	वर्ग 4	980	76	9
	(झाड़ूकशों को छोड़कर)			
	वर्ग 4	30	30	कुछ नहीं
	(झाड़ूकश)			

स्थायी राष्ट्रीय आय, मजूरी तथा मूल्य आयोग स्थापित करना

6509. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या श्रम मन्त्री 20 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थायी राष्ट्रीय आय, मजूरी तथा मूल्य आयोग स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस मामले पर सरकार बराबर ध्यान दे रही है ।

लौह अयस्क व्यर्थ जाने का आरोप

6510. श्री झारखण्डे राय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड के चेयरमैन श्री आर० सी० दत्त के कथनानुसार देश में भारी मात्रा में लौह अयस्क व्यर्थ जाता है ;

(ख) यदि हां, जो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) लौह अयस्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर०सी० दत्त ने यह नहीं कहा है कि देश में भारी मात्रा में लौह अयस्क व्यर्थ जाता है, फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किए गए कुछ अध्ययनों के दौरान लौह अयस्क बोर्ड ने यह कहा है कि निजी क्षेत्र की कुछ खानों में खनन कार्य ठीक तथा वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स लि० द्वारा अर्जित लाभ

6511. **श्री मधु दंडवते :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों तथा माल परिवहन दोनों से हुई आय को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स लि० द्वारा अर्जित लाभ के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) माल वहन की प्रयुक्त क्षमता की औसत प्रतिशतता क्या है जिस पर यह लाभ अर्जित किया गया, और

(ग) यदि माल परिवहन सेवा क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए तो कितना लाभ होने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1973-74 के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० और मुगल लाइन लि० ने क्रमशः 1391.00 लाख रुपये और 79.90 लाख रुपये का कुल निवल लाभ कमाया ।

(ख) 1973–74 के दौरान माल जहाजों की प्रयुक्त क्षमता का औसत प्रतिशत, जिस पर ये लाभ कमाए गए थे, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के मामले में 92 प्रतिशत और मुगल लाइन लि० की हालत में 73.82 प्रतिशत था ।

(ग) विभिन्न परिचालन संबंधी और वाणिज्यिक तत्वों अर्थात् अनियमित नौभरण, अतिरिक्त माल की उपलब्धता में समय अन्तर, जहाजों का अतिरिक्त ठहराव और उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पत्तन प्रभार और अन्य व्यय, संवेकित अवधियों में मौजूद पत्तन, श्रम और मौसम संबंधी परिस्थितियां, माल की उपयुक्तता, नौभरण प्रबन्धों आदि के कारण वर्ष भर सभी चालनों में क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना मुश्किल है । इसलिए सभी माल चालनों में क्षमता के पूरे उपयोग के आधार पर लाभों का अनुमान लगाना वास्तविक न होगा ।

विदेशों में स्थित दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

6512. **श्री मगतराम राजाराम मनहर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे दूतावासों में उच्चाधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों को, जिन देशों में वे स्थित है, उनके साथ पत्र व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग को अधिक महत्व देने के बारे में कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सभी प्रकार की औपचारिक संसूचनाएं यथा प्रत्यय-पत्र, प्रत्यावाहन-पत्र तथा नियुक्ति समादेश अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं । अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करार हिन्दी में भी तैयार किए जाते हैं ।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों से कहा गया है कि वे यथासंभव हिन्दी का प्रयोग करें, उदाहरण के लिए हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में दें, नामपट्टों, साइन-बोर्डों पर और नियंत्रण पत्रों तथा संदेशों में हिन्दी का प्रयोग करें । द्विभाषिक पत्र शीर्ष, रबड़ की मुहरें तथा धातु की सीलें भी मिशनों में भेज दी गई हैं ।

(ख) विदेश स्थित अपने मिशनों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे महत्वपूर्ण अवसरों पर दिए जाने वाले अपने भाषणों में हिन्दी का प्रयोग करें तथा हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों से, जिनमें विदेशी भी हो सकते हैं, हिन्दी में बातचीत करें ।

दिल्ली के अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में अधिक/कम कर्मचारी

6513. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि दिल्ली के अधिकांश अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में अपेक्षित चिकित्सकों की कमी है और गैर-चिकित्सकों विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कर्मचारियों का कार्य-अध्ययन वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने कर लिया है इसकी सिफारिशों को लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में 31 डाक्टरों की कमी है। संघ लोक सेवा आयोग ने जिन व्यक्तियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की है उन्हें नियुक्ति-पत्र जारी कर दिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं है।

Utility of Herbs of Himalayan Forests

6514. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct any comprehensive survey in regard to varieties and utility of herbs available in Himalayan forest region in abundance and if so, the outlines thereof;

(b) whether Government propose to constitute a committee consisting of experts in herbs to go into the scientific use of herbs in diseases;

(c) the scheme being formulated by Government for the development and propagation of Indian medicines which produce miraculous results by publishing modern edition in simple language on valuable research and work done by the ancient Indian medical experts in regard to herbs; and

(d) Government's proposal to make the extensive use of the herbs popular which are valuable source of medicine and health ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K M. Ishaque): (a) Yes. The medico-botanical survey wings of the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy, stationed at Ranikhet, Jammu, Jogindernagar and Gauhati have already commenced the programme. These units survey different areas of Himalayan regions to assess the quantitative herbal wealth.

(b) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has a Scientific Advisory Board, consisting of experts, for the purpose.

(c) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy is seized of this problem.

(d) A scheme for the establishment of a Central Pharmacy and development of State Pharmacies and herb-gardens has been included in the Fifth Five Year Plan for augmentation of production of medicines and extensive utilisation of the herbs.

पश्चिमी जोन परमिट घोटाला

6515. श्री मधु लिमये : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार निरोध विभाग ने पश्चिम जोन परमिट घोटाले के बारे में सचिव, सतर्कता, की (उनकी शीर्ष रिपोर्ट संख्या 25, 1974) एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार और जनता के साथ धोखा करने के लिए दोषी पाई गई पार्टियां और परिवहन प्राधिकरण कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई मामले रजिस्टर किए गए हैं; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट पार्टियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि श्री ठाकुर दास मेहरा ने राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के हैडक्लर्क श्री जी० सी० मेहता और अवर श्रेणी क्लर्क श्री मोहन सिंह के सहयोग से अनुचित साधनों द्वारा, पश्चिम क्षेत्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वाहन परमिट प्राप्त किया।

(ग) और (घ) श्री मेहरा के विरुद्ध तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और धोखाधड़ी के मामले को दर्ज करने हेतु एस० एच० ओ० आजादपुर को शिकायत की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकारी दिल्ली के कार्यालय ने ही संबंधित अधिकारियों अर्थात् सर्वश्री जी० सी मेहता और मोहन सिंह को यह कारण बताने के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत श्री ठाकुर दास मेहरा को परमिट देने के बारे में प्राधिकरण को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध क्यों न प्रशासनिक कार्रवाई की जाये।

नजफगढ़ में महिला डाक्टरों के होस्टल के एक कमरे में जबरदस्ती घुसने का प्रयत्न

6516. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 फरवरी, 1975 की मध्यरात्रि के बाद नजफगढ़ में महिला डाक्टरों के होस्टल के एक कमरे में, लाठियों से लैस तीन व्यक्तियों ने जबरदस्ती घुसने के दो प्रयत्न किए थे;

(ख) क्या उनका ध्यान 14 फरवरी, 1975 के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और महिल डाक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 12 फरवरी, 1975 को सवेरे के लगभग 3-30 बजे नजफगढ़ स्थित ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र के महिला डाक्टर होस्टल की एक इंटर्न के कमरे की जब कोई चिटकनी खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी नींद खुल गई। उसके 'कौन है' पूछने पर आवाज आनी बन्द हो गई। देखने पर उसे पता चला कि कोई व्यक्ति खिड़की से कुछ चीजें ले गया है। इसके कमरे में सो रही इंटर्न को सहायता के लिए उसने आवाज लगाई। उस इंटर्न ने जब बाहर आने की कोशिश की तो उसने बाहर से अपना दरवाजा बन्द पाया। उसने सभी इंटर्नियों को जगा दिया। उन्होंने इस घटना के बारे में वार्डन को बताने का फैसला किया और अपने कमरों को बन्द करने लगे। दो कमरे अभी बन्द करने को रहते ही थे, कि तभी लाठियों से लैस दो आदमियो ने आंगन की तरफ से उन पर हमला कर दिया। वे सब एक खुले पड़े कमरे में जल्दी से घुस गई। इन घुसपैठियों ने उस कमरे में जाने की बार बार कोशिश की परन्तु इन सभी इंटर्नियों ने दरवाजे को दबाए रखा और उनको अन्दर नहीं आने दिया। इस संघर्ष में दरवाजे के तीन कब्जों में से दो कब्जे टूट गए। घुसपैठिए दूसरे खुले कमरे में घुस गए और वहां से धन और कीमती चीजें उठा ले गए। वे दो साड़ियां भी ले गए थे जो बाद में कैम्पस के पीछे वाले खेत में पड़ी पाई गई।

पुलिस को जो इस मामले की छान-बीन कर रही है, इस मामले की रिपोर्ट करने के अलावा इन इंटर्नियों को महिला डाक्टर होस्टल से हटाकर उसके रहने की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी के घर के साथ खाली पड़े अफसरों के मकानों में कर दी गई है। कुछ इंटर्नियों को वापस लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज भेज दिया गया। ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ के कैम्पस में दो सशस्त्र सिपाही हर रोज रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पहरा देते हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र के चौकीदारों की ड्यूटियों में फेर बदल कर यहां चौबीस घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इस्पात मिलों की क्षमता का उपयोग

6518. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान इस्पात मिलों की क्षमता के उपयोग की ओर वर्तमान कुछ इस्पात मिलों की विस्तार योजनाओं को, दक्षिण में प्रस्तावित तीन इस्पात मिलों को चालू करने पर प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग अनुमानत: कब तक किया जाएगा और विस्तार योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) क्या दक्षिण में, प्रस्तावित तीन इस्पात संयंत्रों को चालू करने से पहले कोई नई विस्तार योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जहां तक इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता का सम्बन्ध है प्रस्तावित तीन नए इस्पात कारखानों की अपेक्षा पांचवीं योजना में बोकारो में 40 लाख टन पिण्ड क्षमता प्राप्त करने तथा भिलाई की क्षमता 25 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर 40 लाख टन करने पर अधिक बल दिया गया है। वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता के अधिकतम उपयोग को सदा उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसे प्राप्त करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। फिर भी, वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग किस ढंग से किया जाता है केवल इस कारण से विशाखापत्तनम और विजयनगर के इस्पात कारखानों के निर्माण कार्यों अथवा सलेम कारखाने में चल रहे कार्य को रोकने का कोई विचार नहीं है।

(ख) स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग, आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की कई बातों पर निर्भर करता है। वर्तमान सभी कारखानों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे है। 1974–75 में भिलाई इस्पात कारखाने, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, राउरकेला इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 5 सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1973–74 के उत्पादन से 5.4 लाख टन अधिक था इस प्रकार इस वर्ष 1973–74 के उत्तादन से 12.4 प्रतिशत उत्पादन अधिक हुआ। जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलेगा 31-3-1975 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के पिछले 6 महीनों में क्षमता के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है :

कारखाने का नाम	10-10-74 से 31-3-75 की अवधि में विक्रेय इस्पात का उत्पादन (हजार टन)	अनुपातिक क्षमता का प्रतिशत (लगभग)
भिलाई	910	92.6
दुर्गापुर	260	42
राउरकेला	427	69.7
टिस्को	797	106.2
इस्को	234	58 5

वर्ष 1975–76 में 1974–75 की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन होने की संभावना है। फिर भी, यह बताना कठिन है कि प्रत्येक कारखाने में उत्पादन स्तर क्षमता के स्तर के समीप कब तक पहुंच जाएगा। आशा है कि बोकारो इस्पात कारखाने का 40 लाख टन पिण्ड चरण का कार्य 1977 के अन्त तक पूरा हो जाएगा तथा उत्पादन करना आरम्भ कर देगा। (इसमें 5 स्टेन्ड कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलेक्स शामिल नहीं है जो अक्तूबर, 1979 में चालू किया जाना है) भिलाई का 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार कार्य छठी योजना के आरम्भ में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) इस समय विस्तार की कोई और योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सेना अध्यक्ष भारत के लिए अनुपयुक्त

6519. श्री राम सहाय पांडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में भारत के भूतपूर्व वायु सेना अध्यक्ष के 'डीफैंस स्टाफ चीफ अनसूटिड फार इण्डिया' शीर्षक से प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान प्रबंध उपयुक्त हैं।

(ख) वर्तमान प्रबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्कूल जाने वाले बच्चों को वातिक हृदय रोग (रुमैटिक हर्ट डिजीज)

6520. श्री के० मालन्ना

श्री अर्जुन सेठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों को वातिक हृदय रोग होने के मामले दिल्ली में सबसे अधिक हैं;

(क) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने आमवाती हृदय रोग के सम्बन्ध में अब तक आगरा, एलेप्पी, बम्बई, हैदराबाद और नई दिल्ली में मिला जुला कर जो अध्ययन किया है उससे पता चला है कि नई दिल्ली में इस रोग के निश्चित और सम्भावित दोनों प्रकार के रोगियों की काफी संख्या है। फिर भी सही स्थिति का तभी पता चलेगा जब प्रत्येक केन्द्र इस अध्ययन की अवधि के अन्त अर्थात् 30 जून, 1975 तक अपने अपने लिए निर्धारित जनसंख्या का अध्ययन कर लेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् निकट भविष्य में आमवाती ज्वर और आमवाती हृदय रोग की रोकथाम पर एक अध्ययन आरम्भ करने की योजना बना रही है। आमवाती हृदय रोग का जल्दी पता लगाने अथवा प्राथमिक स्कूल स्तर पर संदिग्ध आमवाती हृदय रोग के मामलों का पता लगाने से और रासायनिक दवाओं से रोग की रोकथाम के साथ साथ पोषण कार्यक्रम चलाने से माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर ऐसे रोगियों की संख्या कम हो सकती है।

काठमांडू जाते हुए सिक्किम के चोग्याल का कलकत्ता में ठहरना

6521. श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू जाते हुए, सिक्किम के चोग्याल ने कलकत्ता में अमरीका के कोंसूलेट जनरल के राजनीतिक अधिकारी से सम्पर्क किया था;

(ख) क्या कलकत्ता में चोग्याल ने अमरीकी जनसंख्या नियंत्रण दल के नेता से भी भेंट की थी जिसका कलकत्ता का दौरा आश्चर्य से चोग्याल के दौरे के समय ही हुआ; और

(ग) क्या चोग्याल ने उनके बीच हुई बातचीत की जानकारी भारत सरकार को दी थी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) चोग्याल काठमांडू जाते समय कलकत्ता नहीं गए थे।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा ट्रेड एप्रेंटिसों के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती

6522. श्री पी० एम० सईद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन न्यास ने फरवरी, 1975 में विभिन्न ट्रेडों में कितने ट्रेड एप्रेंटिस भर्ती किए/चुने और उनमें से कितने कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ख) क्या उपर्युक्त भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 45 कार्य शिक्षुओं को कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा फरवरी, 1975 के महीने में विभिन्न कार्यों में भर्ती किए गए। इनमें से 12 शिक्षु अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है।

(ख) जी हां। अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी नहीं था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

6523. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) का संशोधन करने वाले विधेयक को, जिसका वायदा किया गया था, कम से कम चालू सत्र में पेश करने का है जिससे मैडिकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को सम्मिलित किया जा सके, और यदि नहीं, तो उस विधेयक के पेश करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को मैडीकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को एकपक्षीय रूप से परेशान किए जाने का पता है; और

(ग क्या सरकार को फार्मास्यूटिकल प्रबन्धकों के मनमाने निर्णयों का पता है जिनमें 'फील्ड' कर्मचारियों को ठेका सेवा के रूप में सेवा की शर्तें स्वीकार करने पर विवश किया जाता है और यदि हां, तो प्रबन्धकों के श्रम विरोधी कार्यों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सीनियर साइंटिफिक एसिस्टेंटों की पदोन्नति में गतिरोध

6524. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कुछ विषयों में सीनियर साइंटिफिक एसिस्टेंटों की पदोन्नतियों में गतिरोध है; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कार्यकाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) सीनियर साइंटिफिक ऐसिस्टेंटों के ग्रेड में गतिरोध को दूर करने के लिए कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

6525. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास में पाकिस्तानी वायुयानों द्वारा वायु सीमा के उल्लंघन के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत तीन मास के दौरान पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अलग अलग कम्पनियों में बांटने का प्रस्ताव

6526. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अलग अलग कम्पनियों में बांटने के प्रस्ताव पर अभी भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दो केन्द्रीय प्रतिष्ठानों अर्थात सैन्ट्रल सेल्ज और सैन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट एण्ड शिपिंग संगठन तथा इसके 3,000 कर्मचारियों का क्या भविष्य होगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के निर्णय में इन दो संगठनों के भविष्य के बारे में भी बताया जाएगा।

Small Pox in Danapur Cantonment Board Area

6527. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the citizens of Danapur Cantonment Board in Patna district of Bihar had to fall prey to smallpox epidemic due to dirtyness there;

(b) if so, whether any one has died of smallpox and if so, the number thereof; and

(c) the action taken by Government for the eradication of smallpox?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) Smallpox was rampant in Bihar in an epidemic form in 1974 and this affected Danapur Cantonment also where 9 persons died on account of smallpox. The incidence of smallpox at Danapur Cantonment in 1974 cannot be attributed to any unsanitary conditions there. All possible preventive measures such as mass vaccination, detection and treatment of cases were taken by Cantonment Board and 17312 persons were vaccinated at special booths set up for the purpose. In this regard, the Cantonment Board authorities received help from the State Government under their general scheme for eradication of the disease from the State.

ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं

6528. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने ग्राम हैं और कितने प्रतिशत ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रहे डाक्टरों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) देश में लगभग 5,76,000 गांव हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रति दस हजार की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। पांचवीं योजना के अन्त तक कुल 5351 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 44036 उप केन्द्रों की जरूरत होगी। 99 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 75.6 प्रतिशत उप केन्द्र खोल दिये गये हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Asset of D.M.C. in form of Buses

6529. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of DTU Buses and their assets under the Delhi Municipal Corporation prior to its take over;

(b) the assets of NDMC in the form of buses under the operation of D.T.C. at present;

(c) whether Government purpose to acquire the asset of the NDMC mentioned in (b) above as has been done in the case of Delhi Municipal Corporation by acquiring its asset in the form of buses operating under the D.T.U.;

(d) if not, the reasons therefor and if so, the reasons for not acquiring the same so far; and

(e) in the event of non-payment of compensation to D.M.C. of its assets as stated in (a), whether Government will be prepared to extend the same benefit to it as has been done to the asset of NDMC as mentioned in part (c)?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) The Delhi Transport Corporation was established on 3-11-1971 under the Delhi Road Transport

Laws (Amendment) Act, 1971. As on 2-11-1971 (i.e. immediately prior to the establishment of this Corporation), the fleet of the Delhi Transport Undertaking of the Delhi Municipal Corporation consisted of 1364 buses. Tne original cost of these buses amounted to Rs. 10,61,98,946. The total value of all the assets of the DTU, according to the balance sheet as on 2nd November, 1971, was Rs. 17,61,65,788.

(b) At present, 10 buses of the N.D.M.C. are operating under the control of D.T.C.

(c) There is no such proposal before Government.

(d) The NDMC buses have helped in supplementing the D.T.C. services, without any additional investment by DTC. Having regard to the D.T.C's financial position, it has not been considered necessary to acquire the buses of the NDMC.

(e) Under the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, if the sum total of the liabilities deemed to have been incurred by the DTU, prior to 3-11-1971, exceeds the sum total of the value of the assets vested in that Undertaking on that date, the excess shall be paid by the Municipal Corporation of Delhi to the DTC on terms and conditions to be determined by the Central Government. According to the balance sheet of the DMC, as on 2-11-71, the sum total of the liabilities of the DTU exceeded that of its assets transferred to DTC. Consequently, the Delhi Municipal Corporation has a legal obligation to pay the difference to the DTC. The question of Govt. paying compensation to the DMC on extending the arrangement in relation to NDMC buses operating under the control of DTC to the buses taken over by the DTC from the DTU does not arise.

Ownership Rights to East Pakistan Refugees settled in Champaran District

6530. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a large number of refugees from East Pakistan (now Bangladesh) have been rehabilitated in Champaran District;

(b) if so, whether they have not got the permanent right to ownership of the land allotted to them;

(c) whether they have not been given facilities for carrying out business so as to enable them to earn their livelihood; and

(d) if so, the steps Government propose to take to grant them ownership titles?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) The required information has been called for from the State Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) The State Government has already been asked to give the displaced persons ownership rights under the Loan Remission Scheme and/or after securing the loans outstanding against them.

रॉक फासफेट के लिए राजस्थान में सर्वेक्षण

6531. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में रॉक फासफेट के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और खुदाई से कितना रॉक फासफेट निकलने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा राजस्थान सरकार के खान और भू-तत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अब तक राजस्थान में कुल 477.350 लाख टन रॉक-फासफेट के भण्डारों का अनुमान लगाया गया है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने मातौन में 49.50 लाख टन, कानपुर में 27.60 लाख टन, करवेरिया-का-गुढा में 5.60 लाख टन, उदयपुर जिले के डकनकोटरा में 14.05 लाख टन तथा जैसलमेर जिले के बिरमानिया में 33.60 लाख टन भण्डारों का अनुमान लगाया है। राजस्थान सरकार के खान और भू-तत्व विभाग द्वारा आंके गए भण्डारों में झमार कोटरा के 327.00 लाख टन, नीमचमाता के 10.00 लाख टन तथा उदयपुर जिले के सीसराम के 10.00 लाख टन भण्डार सम्मिलित हैं।

National Wage Policy

6532. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) whether any background has been prepared for a national wage policy in a developing country like India and if so, the basis thereof; and

(b) whether Government which itself runs many public establishments, will frame a national wage policy for payment of equal wages for similar work and if so, the time by which it would be framed?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) The matter is under Government's consideration.

(b) Government have *inter alia* initiated necessary action to bring forward legislation to provide, for payment of equal wages for men and women workers for similar work.

हाल के काश्मीर समझौते पर पाकिस्तान का सुरक्षा परिषद् में विरोध

6533. **श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में नई व्यवस्था के बारे में भारतीय प्रधान मन्त्री तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के बीच हुए समझौतों के बारे में पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों को विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य देश ने भी सुरक्षा परिषद् में उस मामले का समर्थन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने 24 फरवरी, 1975 को सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और उसके साथ इसी विषय पर, उसी दिन जारी किया गया, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य भी भेजा था।

(ख) सुरक्षा परिषद् में इस मामले को उठाया नहीं गया है।

भारतीय औषधियों में अनुसंधान करने वाली केन्द्रीय परिषद द्वारा सस्ती तथा प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियों का विकास करना

6534. **श्री राम हेडाउ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधियों तथा होम्योपैथिक औषधियों में अनुसंधान करने वाली केन्द्रीय परिषद्, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन के अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोग अन्य आयुर्वेदिक औषधियों और चिकित्सालयों में अभाव का सामना कर रहे हैं;

(ख) भारतीय औषधियों में अनुसंधान करने वाली केन्द्रीय परिषद् ने सस्ता और प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियां विकसित करने तथा लोगों को महंगे अंग्रेजी इलाज या विदेशी औषधियों के आकर्षण से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और विकास के लिए इस संस्थान को कितनी धन राशि दी है; और

(घ) क्या संस्थान द्वारा किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है तथा तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है और इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने तथा इसे प्रभावी फलदायक बनाने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का प्राथमिक उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों तथा योग चिकित्सा के आधारभूत तथा व्यावहारिक विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान आरम्भ करना, उनका मार्ग दर्शन करना, उनका विकास करना तथा उन्हें समन्वित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान संस्थान/केन्द्र आदि खोल कर आसानी से उपलब्ध होने वाली स्वदेशी औषधियों के उपयोग तथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मिश्रित औषधयोगों पर गहन अनुसंधान शुरू कर दिया है ताकि उन लोगों के लिए सस्ते और प्रभावकारी इलाज निकाले जा सकें जो इनसे लाभ उठाने के इच्छुक हों।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, योग और होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए वर्ष 1974-75 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् को 114.78 लाख रुपये मंजूर किए गए थे।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्य कर रहे केन्द्र/एकक जो काम करते हैं उसकी विभिन्न वैज्ञानिक सलाहकार बोर्डों द्वारा रिपोर्टें देख कर और साथ ही साथ संस्थानों/केन्द्रों आदि का दौरा लगाकर समय समय पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो, इस समीक्षा के परिणाम इस दृष्टि से संस्थानों/केन्द्रों को सूचित कर दिए जाते हैं ताकि वे अपने कार्यों को सरल और कारगर बना लें।

माना शरणार्थी कैम्प में रखी गई बंगला देश राहत सामग्री का उपयोग

6535. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश संकट के समय शरणार्थियों में वितरित करने के लिए दी गई कोई राहत सामग्री माना शरणार्थी कैम्प में रखी गई थी; यदि हां, तो वह क्या थी और कितनी थी;

(ख) उक्त राहत सामग्री का कैसे और कब उपयोग किया गया और इस समय उसका कितना स्टाक उपलब्ध है और उसकी स्थिति क्या है; और

(ग) भविष्य में कितनी राहत सामग्री का उपयोग करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय बाल चिकित्सा संस्थान की स्थापना

6536. श्री नरेन्द्र सिंह

श्री शरद यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विदेशी सहायता से राज्य में अखिल भारतीय बाल चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव जबलपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान खोलने के विषय में है, जिसमें 200 पलंगों के साथ साथ बाल चिकित्सा के क्षेत्र में विविध प्रकार की चिकित्सा और सर्जरी की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हों। किस प्रकार की और कितनी विदेशी सहायता मिलेगी, इस बात का पता लगने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

Provident Fund Deposited by Super Sonic Plastic Pvt. Ltd. Indore (M. P.) and Payment of Gratuity etc. to Workers

6537. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) the amount of contribution of provident fund deposited by the Super Sonic Plastic Private Ltd., Indore, 15-16 Sheelnath Camp, Indore-3 (M. P.) during 1972-73, 1973-74 and 1974-75 and the amount which remains to be deposited during the said period year-wise;

(b) the number of workers retrenched during the said period, year-wise, the number of those appointed afresh and the number of those appointed out of the retrenched workers; and

(c) whether no compensation, gratuity, bonus, provident fund and leave wages have been paid to retrenched workers and if so, the number of workers whom such payments are to be made by the company and the steps being taken by Government to ensure early payment to the workers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The Provident Fund Authorities have reported that this establishment has not been covered so far under the Employees, Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, since it has not completed the infancy period under Section 16 (1) (b) and as such, the question of payment of Provident Fund dues does not arise.

The required information on other points is being collected and will be laid on the Table of Sabha in due course.

उत्तर प्रदेश में नदी परिवहन का विकास

6538. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में नदी परिवहन का विकास करने की योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को किन-किन नदियों में आरम्भ किया गया है/आरम्भ किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) पटना (बिहार) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के बीच जिस की दूरी 235 कि० मी० है गंगा नदी में प्रयोगात्मक एवं संवर्धनात्मक आधार पर नवम्बर, 1971 में नदी सेवा शुरू की गई थी । बाद में जुलाई, 1972 में इस सेवा का चुनार तक विस्तार किया गया जो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की ओर 179 कि०मी० है । गाजीपुर तथा चुनार के बीच जनवरी, 1973 से जून 1973 तक यह सेवा बंद कर दी गई जब पटना और चुनार के बीच जनवरी, 1974 तक यह सेवा पुन: शुरू की गई । जनवरी, 1974 से गाजीपुर चुनार की नदी दूरी के बीच माल की अनुपलब्धता के कारण केवल पटना और गाजीपुर के बीच सेवा का परिचालन किया जा रहा है । यह सेवा वर्षानुवर्ष आधार पर जारी रखी जा रही है और अब 30 जून, 1975 तक परिचालनार्थ स्वीकृत की गई है ।

घाघरा में चपरा और दोहरी घाट के बीच नदी सेवा के चलाने के लिए एक अन्य योजना विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र

6539. श्री शरद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने संबंधी व्यवहार्यता प्रतिवेदन सोवियत विशेषज्ञों ने प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रत्नगिरी एल्यूमीनियम संयंत्र (महाराष्ट्र में) की तुलना में इस प्रतिवेदन में आकार तथा पूंजी निवेश के मामले में विषमता है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ऊष्मसह (रिफ्रैक्ट्री) कर्मचारियों के लिए मजूरी ढांचा

6540. श्री रोबिन सैन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न प्रकार के ऊष्मसहों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) इस उद्योग में कुल कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों के लिए कोई समान मजूरी ढांचा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए शीघ्र एक मजूरी समिति नियुक्त करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करना

6541. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान कैंसर के मामलों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या राज्य में इस रोग के इलाज के लिये उपलब्ध बिस्तरों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो सरकार पश्चिम बंगाल में कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में कैंसर के इलाज की सुविधायें देने वाली संस्थाओं में जितने कैंसर के रोगियों का इलाज किया गया और उनमें जितने पलंगों की व्यवस्था है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	जितने अंतरंग रोगियों का इलाज किया गया	चितरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता	पलंग
1971	1774	1	161
1972	2076	1	161
1973	2080	1	161

कैंसर अस्पतालों में रोगियों के लिए पलंगों की संख्या काफी है या नहीं इसका मूल्यांकन करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है।

(ग) और (घ) पांचवीं योजना के दौरान वर्तमान चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता को क्षेत्रीय केन्द्र में बदलने का विचार है जिसमें कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान के साथ साथ उस क्षेत्र के कैंसर के रोगियों के उपचार की सुविधायें भी दी जाएंगी।

रक्षा कर्मचारियों द्वारा विदेशों को गोपनीय/गुप्त जानकारी दिया जाना

6542. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय स्थल सेना, नौ-सेना तथा वायु-सेना अधिकारी विदेशों को गोपनीय बातों की तथा इसी प्रकार की अन्य जानकारी सप्लाई कर रहे हैं जैसा कि हाल ही में पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया है और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) गोपनीय जानकारी के इस प्रकार चोरी-छिपे दिए जाने को स्थायी रूप से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विदेशों को गुप्त सूचना देने के बारे में सेना अथवा नौसेना के अधिकारियों से सम्बन्धित कोई मामला हाल ही में ध्यान में नहीं आया है। वायु सेना के स्कवाड्रन लीडर एफ० आर० जेसुरतनम का, अन्य आरोपों के साथ-साथ, एक विदेशी नागरिक को गुप्त सूचना देने के लिए जनरल कोर्ट मार्शल किया गया था। उसे इस आरोप के लिए दोषी नहीं पाया गया, परन्तु उसे अन्य आरोपों के लिए दोषी पाये जाने के लिए दण्ड दिया गया।

(ग) ऐसी प्रकार की सूचना प्रकट होने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। इस बारे में आवश्यक अनुदेशों को समय-समय पर फिर से जारी किया जाता है।

नई दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल को अधिकार में लेना

6543. श्री रानेन सेन

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 11 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3743, 3745 तथा 3746 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में दिए गये आश्वासनों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित कलावती सरन हस्पताल को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस बारे में स्थिति इस प्रकार है :--

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी मकान देना। (11 दिसम्बर, 1972 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3743 का उत्तर)।

टाइप-3 के 16 क्वार्टर, जिनका जिक्र इस उत्तर में किया है, उन्हें 1973 के शुरू में ही कर्मचारियों को अलाट कर दिया गया था।

दिल्ली की वृहत् योजना में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, नई दिल्ली के लिये निर्धारित भूमि पर क्वार्टरों के निर्माण के बारे में डाक व तार विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भूमि को खाली कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। डाक व तार विभाग द्वारा 14 क्वार्टर खाली करके इस दिशा में शुरूआत पहले ही की जा चुकी है।

प्रशासनिक अधिकारी, भण्डार अधिकारी आदि के पदों का भरा जाना। (11 दिसम्बर, 1972 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3745 का दिया गया उत्तर)।

इस संबंध में केवल तथ्यपरक सूचना भेजी गई थी और कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

कर्मचारियों पर मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान लागू करना (11 दिसम्बर, 1972 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3746 का दिया गया उत्तर)।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल तथा कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली को भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये यह तय किया गया है कि इस समय स्थिति को वैसे ही रहने दिया जाये।

(ख) और (ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल और कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली को अपने हाथ में लेने संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

दूतावासों का विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति असहयोगपूर्ण रवैया

6544. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हमारे दूतावासों के कर्मचारियों के विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति कठोर एवं असहयोग-पूर्ण रवैये की ओर बार-बार दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीयों से कभी-कभी शिकायतें आती हैं। इनकी हमेशा जांच होती है और समुचित कार्यवाही की जाती है। अधिकांश शिकायतें या तो गुमनाम होती हैं या फर्जी नाम से, और नियम के अनुसार इस प्रकार की शिकायतों पर हमें औपचारिक रूप से ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

(ग) विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को स्थायी निर्देश हैं जिनमें मिशन और आम भारतीय समुदाय के लोगों के साथ अच्छे संबंध और सहयोग पर बल दिया गया है और विदेश में तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों को इसके महत्व पर संक्षेप में बताया भी जाता है। हाल ही में मिशन प्रमुखों को एक परिपत्र भेज कर इन निर्देशों को पुनः दुहराया गया है।

भारतीय सेना के गुप्तचर अधिकारियों को विदेशों में नवीकरण प्रशिक्षण के लिए भेजना

6545. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के गुप्तचर अधिकारियों को प्रशिक्षण अथवा नवीकरण पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हमें आवश्यक सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या देश के रक्षा प्रतिष्ठान गुप्तचर प्रतिरोधी कार्य करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों का निर्माण करने की स्थिति में हैं ; और यदि नहीं, तो इस संबंध में हम किस सीमा तक विदेशों पर निर्भर हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) भारतीय सेना के किसी गुप्तचर अधिकारी को प्रशिक्षण अथवा नवीकरण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा है। गुप्तचर कार्य को रोकने के लिए सेना द्वारा कोई विशेष उपस्कर उपयोग नहीं किया जा रहा है।

Opening of CGHS Dispensaries in other Cities

6546. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the names of Cities other than Delhi where C.G.H.S. dispensaries are functioning;

(b) the criteria for opening C.G.H.S. dispensaries in new cities; and

(c) whether Government propose to open C.G.H.S. dispensaries at Aligarh?

The Deprty Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Bombay, Allahabad, Meerut, Kanpur, Nagpur, Calcutta and Madras.

(b) There should be a concentration of at least 7000 Central Government employees in a city.

(c) No.

संक्रामक रोगों के बारे में चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन

6547. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संक्रामक रोगों के बारे में हाल ही में दिल्ली में आयोजित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं पर विचार किया है;

(ख) क्या भारत चेचक तथा मलेरिया का उन्मूलन करने में असफल रहा है, जैसा कि सम्मेलन में कहा गया ; और

(ग) यदि हां, तो भारत से भी इन रोगों का कब तक पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक देश में चेचक की कोई घटना नहीं होगी। मलेरिया का जहां तक सवाल है इसके बारे में विशेषज्ञों की दो समितियों ने 1974 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है। पहली समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि चूंकि निकट भविष्य में देश से मलेरिया को पूर्णत: समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं है अत: इसका तात्कालिक उद्देश्य "मलेरिया पर ठीक से काबू पाना," रखा जाये। दूसरी समिति ने उपर्युक्त सिफारिश को सिद्धान्तत: मानते हुए सुझाव दिया कि स्थिति का यथार्त मूल्यांकन किया जाए अर्थात् मलेरिया का फैलाव, मलेरिया के सम्बन्ध में पहले की स्थिति आदि के हिसाब से देश के विभिन्न भागों का वर्गीकरण किया जाये और प्रत्येक वर्ग के क्षेत्रों में मलेरिया से लड़ने के लिए कोई उपयुक्त रण नीति अपनाई जाए और इस प्रकार इस समस्या के हल के लिए कोई नयी कार्य नीति तैयार की जाए।

इन सिफारिशों के आधार पर मलेरिया-रोधी कार्यों के लिए एक संशोधित पद्धति पर विचार किया जा रहा है।

सीमाओं पर पाकिस्तानी तथा चीनी सेनाओं का जमाव

6548. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सीमा के साथ-साथ तिब्बत तथा पाकिस्तानी क्षेत्रों में क्रमश: चीनी तथा पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के असाधारण जमाव का पता लगा है ;

(ख) क्या इन दो सीमाओं के साथ-साथ हवाई अड्डों तथा वायु सेनाओं में वृद्धि की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(घ) क्या सेनाओं के इस जमाव के कारण भारतीय रक्षा व्यवस्था पर तुरन्त ही कोई प्रभाव पड़ सकता है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारतीय सीमा के साथ-साथ क्षेत्रों में चीनी और पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के किसी असाधारण जमाव के संकेत नहीं हैं। इन दोनों सीमाओं के साथ-साथ वायु सैनिक गतिविधियों अथवा हवाई अड्डों के निर्माण में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देना

6549. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मन्त्री दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में 20 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मोर डायरैक्ट रिलेशन्स" (अधिक सीधे सम्बन्ध) उक्ति से वस्तुत: क्या अभिप्राय है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ब्यौरा इस बीच तैयार कर लिया है और यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या अब दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को तुरन्त ही मान्यता देने और उसके साथ औपचारिक रूप से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का विचार है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार के नई दिल्ली में "डैलीगेशन जनरल" की स्थापना के प्रस्ताव से सहमत हो गई है।

(ख) हां। वे दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को भेज दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की घटनाओं को अच्छी तरह अध्ययन कर रही है ताकि आवश्यकतानुसार समुचित कदम उठाये जा सकें।

Protection to Workers, Interest in Super Sonic Plastic, Pvt. Ltd.

6550. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of workers, permanent and temporary Post-wise with Pay-scales separately in (1) Super Sonic Plastic Private Limited, (2) Shri Plastic Industries, 15-16, Sheelnath Camp, (3) Shri Plastic Industries, (near highway petrol pump) (Rao Indore), (4) T. J. Industries, Poona, and (5) T. J. Industries Bombay;

(b) the number of employees and workers in each industry employed on daily wage and contract basis separately post-wise; and

(c) whether these industries are run by the same shareholders in different names and the object of the management is to deprive the workers of their interests and if so, what steps Government propose to ensure adequate protection to the interests of the labour of these industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the concerned State Governments and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

जहाजों की कीमतों के बारे में भारत तथा रूमानिया के बीच समझौता

6551. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों की कीमतों सम्बन्धी दीर्घकालीन विकेन्द्र के बारे में भारत और रूमानिया के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में किए गए निर्णय की विशेषताएं क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) तीन भारतीय नौवहन कम्पनियों ने 1969 में रूमानिया शिपयार्ड को प्रत्येक 18,000 डी० डब्ल्यु० टी० के 10 खुले मालवाहक जहाजों के आदेश दिए थे। 1972 में रूमानिया शिपयार्ड ने मूल्य में वृद्धि करने के लिए और सुपुर्दगी तारीखों के पुनः निर्धारण के लिए अनुरोध किया। 25% की मूल्य वृद्धि तथा संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम स्वीकृत कर लिया गया। पहले दो जहाज संबंधित सुपुर्दगी तारीखों के बाद सुपुर्द किए गए। उसके बाद, 1974 के प्रारम्भ में, रूमानिया शिपयार्ड ने सभी 10 जहाजों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए कहा यद्यपि सम्बन्धित ठेके तयशुदा मूल्य के ठेके थे। भारत सरकार तथा भारतीय नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा रूमानिया सरकार और रूमानियन शिपयार्ड के प्रतिनिधियों के बीच रूमानिया में हुई बातचीत के आखरी दौर में एक करार हुआ कि बढ़ा हुआ मूल्य केवल तीसरे जहाज के आगे के लिए लागू होगा और संशोधित सुपुर्दगी समय का दृढ़ता से पालन किया जायेगा। जिस मूल्य वृद्धि को सहमति हुई वह प्रत्येक 8 जहाजों के 1972 के मूल्य से 40% अधिक है। समझौते के भाग के रूप में, नौवहन कम्पनियों ने पूर्व सुपुर्द किये जहाजों की विलम्ब के हुई सुपुर्दगी की परिसमाप्त हानि के अपने दावे हटा लिये हैं। समझौते के बाद, तीन और जहाजों की सुपुर्दगी की गई है। शेष 5 जहाजों में से 3 1975 में ही और बाकी 2 1976 में सुपुर्द किये जायेंगे।

नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा उनको बकाया राशि का भुगतान

6552. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल, डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित कर दिये गये हैं तथा उनको बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की उन ऐसी श्रेणियों की संख्या कितनी है जिनके वेतनमान भिन्न हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं कर्मचारियों की कोई शिकायतें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा उनको दूर करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल के निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान अधिसूचित कर दिये गये हैं :—

(1) प्रशासन अधिकारी

(2) सहायक

(3) नर्सिंग सिस्टर

(4) स्टाफ नर्स

(5) प्रयोगशाला सहायक

(6) फार्मेसिस्ट

(7) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

प्रशासन अधिकारी और सहायक के पदों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतनमानों के हिसाब से लेने की अनुमति दे दी गई है। प्रशासन अधिकारी तथा सहायक के वेतन निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

जालन्धर-हमीरपुर-मण्डी राष्ट्रीय राज पथ

6553. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सम्पर्क मार्गों (लिंक्स) को कोई प्राथमिकता दी जाती है जो दो राष्ट्रीय राजपथों को जोड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित जालन्धर-होशियारपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-मण्डी सम्पर्क मार्ग को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि यह दो राष्ट्रीय राजपथों अर्थात् संख्या 1-ए तथा संख्या 21 को जोड़ता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं। दो राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच संबंध प्राथमिकता कसौटियों में से एक कसौटी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागीय उपक्रम

6554. श्री भागीरथ मंवर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के मुख्य विभागीय उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन उपक्रमों में निर्मित उत्पाद क्या क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में इन उपक्रमों के लिए कितनी राशि आंबटित करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रक्षा मंत्रालय के अधीन 31 विभागीय कारखाने हैं । उनके नाम और स्थान प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) उनके उत्पादन में तोप, पनडुब्बीरोधी अस्त्र, उपकरण, गोलाबारूद, विस्फोटक पदार्थ, पुल, टैंक और मोटरगाड़ियों जैसे बहुत प्रकार के विभिन्न अति आधुनिकतम रक्षा उपस्कर और खाद्य एवं वस्त्र के सामान्य स्टोरों की मदें सम्मिलित हैं । यदि फालतू क्षमता होती है तो सिविल उपयोग के मदों का भी उत्पादन किया जाता है जैसे 12 बोर की बन्दूकें, .315 राइफल्स, .22 राइफल्स और उनका गोला बारूद, दूरबीन, खुर्दबीन, मायक्रोफिल्म रीडर स्ट्रीप फिल्म प्रोजेक्टर आदि ।

(ग) इन उपक्रमों के लिए 1975-76 के बजट में 352.22 करोड़ रुपए मिश्रित राजस्व और पूंजी की व्यवस्था है ।

श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय) उड़ीसा द्वारा जांच किए गए न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करने के बारे मे जांच

6555. श्री अनादि चरण दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करने के विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय), उड़ीसा के समक्ष कितनी शिकायतें दायर की गई और कितनी शिकायतों की जांच की गई और क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) उड़ीसा के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों ने स्वयं न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करने संबंधी कितने मामलों का पता लगाया और क्या कार्यवाही की ;

(ग) उड़ीसा में विभिन्न श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत काम कर रहे कितने ठेकेदारों को श्रमिकों को ठेके पर काम पर लगाने के लिए लाईसेन्स दिए गए थे और कितने ठेकेदारों ने लाइसेंस नहीं लिए ; और

(घ) जिन ठेकेदारों ने लाइसेंस नहीं लिए हैं, उनके विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार, 272 ठेकेदारों को लाइसेन्स जारी किए गए हैं और 49 ठेकेदारों के खिलाफ, जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बगैर कार्य किया, अभियोजन चलाये गए हैं।

दंडकारण्य परियोजना की रिहेबिलिटेशन एम्पलाईज यूनियन के पत्रों का निपटान

6556. श्री अनादि चरण दास : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहेबिलिटेशन एम्पलाईज यूनियन के अध्यक्ष तथा महामंत्री द्वारा फरवरी, 1972 से अब तक दंडकारण्य प्रशासन, पुनर्वास विभाग, पुनर्वास मंत्री तथा उप-पुनर्वास मंत्री को कितने पत्र लिखे गये हैं ;

(ख) कितने पत्रों के निर्णय यूनियन के कर्मचारी सदस्यों के हक में थे और कितने पत्रों के निर्णय कर्मचारियों के हक में नहीं थे कितने पत्रों की पावती स्वीकार नहीं की गई और कितने पत्रों के उत्तर नहीं भेजे गये ; और

(ग) क्या कोई ऐसा नियम है जो दंडकारण्य प्रशासन को पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पत्रों की पावती स्वीकार करने और उत्तर देने से रोकता है ; यदि नहीं, तो क्या कारण है कि यूनियन के पत्रों के उत्तर नहीं भेजे जाते ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) अमान्यता-प्राप्त यूनियनों/संघों से प्राप्त पत्रों की पावती और उनके उत्तर भेजना अनिवार्य नहीं है।

इस संबंध में 29 मार्च, 1973 को लोक सभा में दिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5185 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम को दन्डकारण्य परियोजना पर लागू करने का मामला

6557. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा दायर लेख याचिका के बारे में उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय देते समय केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया था कि इस बारे में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए कि क्या दण्डकारण्य परियोजना के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा अथवा नहीं इस मामले की उपयुक्त फोरम द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की है और इस मामले पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि 20 मार्च, 1975 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 के उत्तर में कहा गया है, मामले की अब आगे जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के भंडारों की जांच

6558. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का औषधि आदि का सामान मुख्य 'भण्डार और औषधालयों' में किस प्रकार रखा जाता है ; और

(ख) वास्तव में वहां रखे गये सामान की जांच के लिए क्या नियंत्रण व्यवस्था है, चोरी रोकने तथा घटिया किस्म की औषधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्टोर डिपुओं के स्टाक को "बिन कार्ड" प्रणाली के अनुसार रखा जाता है और स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं में भी यही कार्य प्रणाली प्रचलित है। प्रत्येक मद की प्राप्ति और वितरण का रिकार्ड दर्ज किया जाता है तथा इसके प्राप्ति और वितरण के उचित वाउचर तैयार किये जाते हैं। औषधालयों में चिकित्सा भण्डारों से स्टाक प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिये रखे गये खाते में प्रविष्टियां कर दी जाती हैं जिन पर स्टोरकीपर और मेडिकल आफिसर इंचार्ज द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जाते हैं। औषधालय के विभिन्न अनुभागों, अर्थात डिस्पैंसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, इन्जैक्शन रूम इत्यादि की मांगें दो प्रतियों में तैयार की जाती हैं जिन पर मेडिकल आफिसर इंचार्ज के बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं। जारी करने/खातों में स्टाक को दर्ज करने के बाद एक प्रति स्टोर कीपर रख लेता है और दूसरी प्रति विशेष काउन्टरों पर काम कर रहे सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा रख ली जाती है। लाभार्थियों को विशेष दवाइयां उन पर्चियों पर दी जाती हैं जिन पर मेडिकल अफसरों के हस्ताक्षर होते हैं।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के भंडारों की जांच आन्तरिक लेखा-परीक्षा एकक के स्टाक जांच-कर्त्ताओं का एक दल समय समय पर करता रहता है। इस दल को एक चैक लिस्ट तथा उन दवाइयों की सूची दे दी जाती है जिनकी जांच की जानी है। इस चैक लिस्ट में यादृच्छिक रूप से ली गई भंडार की 25 मदें होती हैं जिनके आधार पर स्टाक जांच कर्त्ताओं द्वारा सूचना एकत्र की जाती हैं। जांच करने पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, की जाती है।

इसके अलावा, आन्तरिक लेखा-परीक्षा एकक शिकायत प्राप्त होने पर किसी छुटपुट चोरी को पकड़ने के लिए अचानक छापे भी मारता है। 1974 के दौरान ऐसे चार छापे मारे गये। जहां तक औषधालयों में घटिया किस्म की दवाइयों की जांच करने का संबंध है, औषध नियंत्रक को दवाइयों की समय समय पर जांच करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिए एक पृथक निदेशालय की स्थापना

6559. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिये एक नये निदेशक के अधीन एक अलग निदेशालय बनाया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना सीधे मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन है;

(ग) इसके उद्देश्य और प्रयोजन और खर्च क्या हैं तथा निदेशालय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये कर्मचारियों की विशेष क्या अर्हताएं अपेक्षित हैं;

(घ) इस निदेशालय के निरीक्षण और नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने औषधालय आते हैं; और

(ङ) इन औषधालयों में कितने कनिष्ठ और वरिष्ठ डाक्टर काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी नहीं

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि कोई नया निदेशालय नहीं खोला गया है, इसलिए खर्च के आकंड़े बताने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग के कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा आदि जैसी व्यवस्थित सेवाओं से लिए जाते हैं ।

(घ) विभिन्न शहरों में चल रहे कुल 115 औषधालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग की पूर्ण देख-रेख और नियंत्रण में काम कर रहे हैं।

(ङ) इन औषधालयों को चलाने के लिए सीनियर और जूनियर डाक्टरों के कुल 710 पद स्वीकृत हैं।

खेतड़ी खानों के लिए ब्रिटिश सलाहकार

6560. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ब्रिटिश फर्म को खेतड़ी खानों के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो फर्म का नाम क्या है और करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) खेतड़ी कापर कम्पलेक्स के 14 वर्ष के अनुभव और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अधीन भारतीय तांबा निगम के काफी समय के अनुभव के बाद भी इस ब्रिटिश फर्म की सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रयोजन क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान कापर तथा खेतड़ी कापर कम्पलेक्स के अधीन विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं के लिए सलाहकार के रूप में कितनी फर्में नियुक्त की गई हैं और उनके नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स सेलट्रस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड, लन्दन । उनके वर्तमान ठेके की अवधि मार्च, 1976 तक वैध है ।

(ग) मैं० सेलट्रस्ट को खेतड़ी तांबा परियोजना में अयस्क के विकास और उत्पादन की वर्तमान योजनाओं की पुनरीक्षा करने तथा उनमें सुधार के सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि अयस्क के उत्पादन में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो सके और कम से कम समय में अधिकतम उत्पादन का स्तर प्राप्त किया जा सके । देश में खेतड़ी तांबा परियोजना में जमीन के अंदर रेत भराई तथा बड़े छिद्रों की ड्रिलिंग के तरीके पहली बार अपनाए जा रहे हैं । परियोजना के खनन इंजीनियरों के पास इस प्रकार के खनन का पर्याप्त अनुभव नहीं था तथा खेतड़ी तांबा परियोजना में खनन को धीमी प्रगति का यही मुख्य कारण था । इंडियन कापर कम्पलेक्स में अयस्क का फैलाव खनन पद्धति खेतड़ी कापर कम्पलेक्स से भिन्न है । अतः खेतड़ी तांबा परियोजना की खनन तकनीकों में इंडियन कापर कम्पलेक्स के अनुभव को नहीं अपनाया जा सकता ।

(घ) मैसर्ज सेलट्रस्ट के अलावा हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा खेतड़ी व अन्य तांबा परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित मुख्य परामर्शी फर्मों को भी नियुक्त किया गया है :—

(1) **खेतड़ी तांबा परियोजना हेतु :—**

(i) **मै० वेनोट पिक एंड एंसा, फ्रांस**
खेतड़ी तांबा परियोजना में विभिन्न प्रक्रिया संयंत्रों के लिए प्रक्रिया सलाहकार प्रद्रावक संयंत्र के फ्लैश भट्ठी क्षेत्र को छोड़कर ।

(ii) **इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली**
सोडियम ट्री पोलीफास्फेट तथा एल्यूमीनियम फ्लूराइट की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए ।

(iii) **इबकोंस, बम्बई**
कार्य के मानक स्थापित करना तथा विकास प्रोत्साहन योजनाओं में सहयोग प्रदान करना ।

(2) **अन्य परियोजनाओं के लिए** :—

मैसर्स स्वेतमेटप्रोमएक्सपोर्ट, रूस
मालंजखंड के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु ।

मै० वाट्स ग्रिफिस एंड मैकओट लि०, कनाडा
राखा परियोजना चरण–2 के लिए व्यापक साध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए ।

खेतड़ी प्रद्रावक संयंत्र की क्षमता का उपयोग

6561. **श्री बश्वेश्वर नाथ भार्गव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन कापर कारपोरेशन के प्रद्रावक संयंत्र तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अधीन खेतड़ी तांबा उद्योग समूह की कितने प्रतिशत क्षमता उपयोग में आती है;

(ख) उपरोक्त दोनों प्रद्रावकों की क्षमताओं, का पूर्ण उपयोग प्राप्त करने के कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) क्या खेतड़ी खाने तांबा अयस्क के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं और क्या इससे कान्सेन्ट्रेट के आयात के बढ़े हुए व्यय के अतिरिक्त प्रद्रावक के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो खेतड़ी खानों में असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है और सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इंडियन कापर कम्पलैक्स घटसिला में, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का 16,500 टन वार्षिक क्षमता वाला एक फ्लैश प्रद्रावक है । इसके अतिरिक्त, घटसिला में एक पुरानी परावर्तन भट्ठी भी है जिसकी मूल क्षमता 9600 टन प्रति वर्ष है इंडियन कापर कम्पलैक्स में 1974-75 के दौरान स्मिस्टर कापर का उत्पादन 12,977 टन था तथा 1975-76 के दौरान इसकी 15000 टन होने की आशा है । खेतड़ी प्रद्रावक में 31000 टन की वार्षिक क्षमता के अनुसार नियमित उत्पादन होना हाल में ही शुरू हुआ है । उत्पादन प्रक्रिया को इस समय स्थिर किया जा रहा है । मार्च, 75 में इस संयंत्र का उत्पादन अपनी निर्धारित क्षमता का 40 प्रतिशत था ।

(ख) इंडियन कापर कम्पलैक्स में प्रद्रावण क्षमता का पूर्ण उपयोग राखा तांबा परियोजना (चरण–2) में उत्पादन शुरू होने पर ही हो सकेगा । इस परियोजना के लिए साध्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है । खेतड़ी के मामले में प्रद्रावण क्षमता का पूर्ण उपयोग मालंजखंड तांबा खान तथा सान्द्रक संयंत्र में उत्पादन शुरू होने पर ही होने की आशा है । मालंजखंड कम्पलैक्स के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) खेतड़ी खान में तांबा अयस्क का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार चल रहा है । खेतड़ी तांबा परियोजना में 1974-75 में 600,000 टन उत्पादन का लक्ष्य था जबकि वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 6,13,539 टन हुआ । 1975-76 का उत्पादन लक्ष्य 750,000 टन है । उल्लेखनीय है कि मूल खनन योजना के अनुसार खेतड़ी तांबा परियोजना में खान उत्पादन का वांछित स्तर 1978-79 में प्राप्त किया जाना था । अतः परियोजना में खान उत्पादन प्रावस्था क्रम से शुरू किया जाएगा । इसलिए जब तक कि मालंजखंड तांबा अयस्क और सान्द्रण कम्पलैक्स में उत्पादन शुरू नहीं हो जाता, परियोजना में आयातित तांबा सान्द्रों के उपयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खेतड़ी तांबा काम्पलैक्स के कामगारों की सेवा शर्तें

6562. **श्री बश्वेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा कम्पलैक्स के प्रबन्धक अपने कामगारों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में प्रमाणित स्थायी आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त विषय से सम्बन्धित कोई शिकायत मंत्रालय में विचाराधीन है, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या खेतड़ी तांबा कम्पलैक्स के प्रबन्धक औद्योगिक अशांति उत्पन्न करने के लिए निरन्तर श्रमिकों को उकसा रहे हैं ताकि अपनी असफलता पर पर्दा डाल सके ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना के कामगारों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित प्रमाणित स्थायी आदेशों के उपबन्धों का खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तथापि एक मामले में, जहां भूलवश प्रमाणित स्थायी आदेशों के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया था, पता लगते ही प्रबन्धकों द्वारा भूल का सुधार कर लिया गया ।

(ख) जी नहीं। तथापि मजदूर संघ के अध्यक्ष द्वारा इस्पात और खान मंत्री को जो शिकायत पत्र भेजा गया था, उसे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था, जिस पर उन्होंने मजदूर यूनियन से बात-चीत की और स्पष्ट कर दिया था कि प्रमाणित स्थायी आदेशों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में औद्योगिक सम्बन्ध

6563. **श्री बश्वेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1970-71 में खेतड़ी तांबा उद्योग समूह संयंत्रों में खानों में काम बंद हो जाने के कारण कितने घंटे/दिन नष्ट हुए और इसके क्या कारण थे ;

(ख) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में कुप्रबन्ध में वृद्धि हुई है और औद्योगिक संबंध दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं ;

(ग) क्या ऐसा जनरल मैनेजर जैसे किसी उत्तरदायी अधिकारी, जिससे इन समस्याओं के हल करने का पूरा अधिकार हो, न होने के कारण हैं ; और

(घ) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के सब निर्णय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के मुख्यालय स्तर पर लिए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1973-74 के दौरान काम बंद हो जाने से किसी श्रमिक-दिवस की हानि नहीं हुई है। 1970-71 के दौरान खेतड़ी तांबा परियोजना में 23-10-70 से 5-11-1970 तक श्रमिकों ने हड़ताल की जिसमें 4000 कामगार शामिल थे। इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान 56,000 श्रमिक-दिवसों की हानि हुई।

(ख) जी नहीं। अपितु, गत वर्ष खेतड़ी में उत्पादन में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :-

	1974-75	1973-74
तांबा अयस्क का उत्पादन	6,13,539 टन	3,22,671 टन

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए धन राशि का आवंटन

6564. श्री एन० आर० वेकारिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठनों के लिए 45 करोड़ रुपये का उपबंध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का स्वरूप क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने 1975-76 के लिए रक्षा अनसंधान और विकास संगठन के लिए 49.43 करोड़ रुपये (जिसमें प्रधान निर्माण कार्य के लिए 4.34 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है) के नियतन का प्रस्ताव किया है ।

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निम्नांकित दो प्रकार की परियोजनाओं को हाथ में लिया जाता है ।

(1) हथियारों/उपस्कर/वर्तमान मदें, आयातित प्रतिष्ठापन अथवा नए मदों के डिजाइन में आने वाली सामग्रियों के संबंध में सेनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित परियोजाएं ; और

(2) भावी हथियारों/उपस्करों/सामग्रियों के डिजाइन और विकास करने के लिए आवश्यक सुविज्ञता प्राप्त करने के लिए परियोजनाएं ।

ये परियोजनाएं एयरोनाटिक्स, प्रक्षेपास्त्र और राकेट, नौसैनिक टैकनालोजी, इलैक्ट्रानिक्स, युद्ध सामग्री, वाहन, इंजीनियरिंग, जनरल स्टोर और बुनियादी विज्ञान की विद्या विशेष की परियोजनाएं हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान

6565. श्री वयालर रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए उसके प्रशासनिक प्राधिकरण अर्थात् केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा कुछ वेतनमान निर्धारित किए गए थे और अधिनियम की धारा 5-डी के अनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा उनका अनुमोदन किया गया था ;

(ख) क्या उन वेतनमानों को पूर्णत: लागू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए संशोधित वेतनमानों पर उचित विचार के बाद, मंत्रालय ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप संशोधित वेतनमानों के निर्धारण के लिए भारत सरकार की स्वीकृति, संशोधित वेतनमानों में वेतन के निर्धारण के लिए उदारीकृत फार्मूले सहित, सितम्बर, 1974 में भेजी ।

(ख) और (ग) संशोधित वेतनमान 1-1-1973 से कार्यान्वित किए गए हैं ।

इंडियन रेअर अर्थस, उद्योग मंडल म हड़ताल क कारण जन-दिवसों की हानि

6566. श्री वयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष इंडियन रेअर अर्थस, उद्योग मंडल में हड़ताल के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ख) भविष्य में उक्त फर्म में मधुर मालिक मजदूर सम्बन्ध बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अनुमानत: सन्दर्भ इस एकक में हुई उस हड़ताल से है, जो 18 सितम्बर, 1974 से शुरू हुई थी और जो पक्षकारों के बीच एक समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप

20 जनवरी, 1975 को समाप्त की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह बताया गया था कि इस प्रतिष्ठान के 450 कर्मकारों में से, 400 ने उपयुक्त हड़ताल में भाग लिया। पक्षकारों द्वारा 20 जनवरी, 1975 को हस्ताक्षरित किए गए समझौते का उद्देश्य जो 30 जून, 1977 तक लागू रहेगा, प्रतिष्ठान में मधुर औद्योगिक सम्बन्ध सुनिश्चित करना है।

समाचारपत्रों के कर्मचारियों को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भुगतान

6567. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जो कि समाचारपत्रों के कर्मचारियों को देय हो चुका है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत-अमरीका उप-आयोग की प्राचीन कलाकृतियों के अवैध व्यापार के बारे में सिफारिश

6568. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और संस्कृति विषयक भारत-अमरीका उप-आयोग ने भारत एवं अमरीका की सरकारों से सिफारिश की है कि प्राचीन कलाकृतियों के अवैध व्यापार की समस्या का सामना करने के लिए कानून बनाया जाये और प्रक्रिया निर्धारित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) उप-आयोग ने सिफारिश की है कि दोनों सरकारें पुरावस्तुओं और कलाकृतियों के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कानून बनाने एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती हैं।

(ख) और (ग) उप-आयोग की सिफारिशों पर भारत-अमरीका संयुक्त आयोग विचार विमर्श करेगा। पुरावस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम 1947 पहले से ही लागू है। भारत सरकार ने पुरावस्तु और कला निधि अधिनियम 1972 पास किया है और उसके अधीन आवश्यक कानून बनाए हैं। सरकार सांस्कृतिक सम्पत्ति के अवैध आयात/निर्यात और उसके स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने से संबद्ध यूनेस्को अभिसमय के अनुसमर्थन पर भी विचार कर रही है।

परिवार नियोजन योजना के लिए मंजूर की गई राशि

6569. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में परिवार नियोजन योजना के लिए राज्यवार कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इस अवधि में राज्यवार वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राज्यवार मंजूर की गई राशि और सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य संलग्न विवरण (परिशिष्ट I) में दिए गये हैं। इस रकम में पिछले वर्षों के अनुदानों से बची हुई अर्थात् न खर्च की गई 214.19 लाख रुपये की राशि भी शामिल हैं।

(ख) 1974-75 के दौरान राज्यों ने अपने वास्तविक खर्च का ब्यौरा अभी तक नहीं भेजा है। फिर भी, प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दिसम्बर, 1974 तक के खर्च का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट II) में दिया गया है।

विवरण

1974–75 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता तथा सामग्री का मूल्य

(रु० लाखों में)

	राज्य	अनन्तिम संस्वीकृत भुगतान	सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य
1.	आंध्र प्रदेश	475.00	16.69
2.	असम	75.90	2.04
3.	बिहार	251.33	6.49
4.	गुजरात	326.51	15.73
5.	हरियाणा	120.25	16.47
6.	हिमाचल प्रदेश	36.93	2.60
7.	जम्मू और कश्मीर	44.04	1.35
8.	कर्नाटक	485.57*	13.18
9.	केरल	254.29	5.52
10.	मध्य प्रदेश	420.97	15.10
11.	महाराष्ट्र	507.69**	31.28
12.	मणिपुर	7.33	0.28
13.	मेघालय	8.34	0.22
14.	उड़ीसा	210.71	6.77
15.	पंजाब	124.57***	11.88
16.	राजस्थान	258.07	8.20
17.	तमिलनाडु	450.87	48.86
18.	त्रिपुरा	8.06	0.02
19.	उत्तर प्रदेश	830.41*****	24.99
20.	पश्चिम बंगाल	270.38******	9.41
21.	नागालैण्ड	—	0.02
	योग :–	5167.22	237.10

* इसमें 18.26 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि भी शामिल है ।

** ,, 20.30 ,, ,, ,,

*** ,, 10.46 ,, ,, ,,

***** ,, 15.91 ,, ,, ,,

****** ,, 149.26 ,, ,, ,,

विवरण

1-4-1974 से 31-12-1974 तक (अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार) राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किया गया खर्च ।

	राज्य	(रुपये लाखों में) व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	340.13
2.	असम	44.77
3.	बिहार	194.31
4.	गुजरात	276.33
5.	हरियाणा	76.45
6.	हिमाचल प्रदेश	30.35
7.	जम्मू और कश्मीर	34.31
8.	कर्नाटक	331.00
9.	केरल	197.72
10.	मध्य प्रदेश	260.68
11.	महाराष्ट्र	379.81
12.	मणिपुर	5.25
13.	मेघालय	4.81
14.	उड़ीसा	115.86
15.	पंजाब	106.09
16.	राजस्थान	163.06
17	तमिलनाडु	356.09
18.	त्रिपुरा	5.93
19.	उत्तर प्रदेश	603.44
20.	पश्चिम बंगाल	173.34
21.	नागालैण्ड	—

Roads Sanctioned and Completed under N. H. in Madhya Pradesh

6570. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of roads sanctioned under National Highways Scheme for Madhya-Pradesh which are yet to be completed or are under construction; and

(b) the time by which these roads will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H. M. Trivedi): (a) Madhya Pradesh is served by eight National Highways, namely National Highways Nos. 3, 6, 7, 12, 25, 26, 27 and 43.

Presumably the Member desires to know the number of works on the National Highways in the State, which are yet to be completed. The development of National Highways is a continuous process. At present 87 road works, comprising construction of missing links,

widening, strengthening the carriageway, reconstruction of culverts and improvement of geometries etc., remain to be completed. In addition 12 major bridges on the National Highways are in various stages of construction;

(b) In view of the present financial stringency and reduced allotment of funds for the development of National Highways it is difficult to indicate how long it will take to complete them.

Accidents in Coal Mines of Madhya Pradesh

6571. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of serious accidents that took place in each of the coal mines of Madhya Pradesh during the last three years;

(b) the number of persons died as a result thereof and the amount of compensation paid to them; and

(c) the measures taken by Government to check such accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) 33, 30 and 37 fatal accidents occurred in coal mines of Madhya Pradesh during the years 1972, 1973 and 1974 respectively. Mine wise information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(b) 37, 33 and 49 persons died respectively as a result thereof. The compensation is payable by the managements under the provisions of the Workmen's Compensation Act, the administration of which falls within the State sphere.

(c) Improving safety measures in mines is a continuous feature. Steps are being taken to tighten supervision, procure safety material and equipment and arrange training programmes in safety measures.

Unexplored mineral deposits in Madhya Pradesh

6572. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a large number of mineral deposits are lying unexplored in Madhya-Pradesh ;

(b) if so, whether Government propose to appoint a study team with a view to carrying out survey of all parts of the State for locating these deposits; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) The exploration of mineral deposits is a continuous process. Detailed exploration of almost all the known potential mineral deposits in Madhya Pradesh are either completed or under progress by the Geological Survey of India and the Directorate of Geology and Mining, Government of Madhya Pradesh. Surveys are being now carried out to ascertain the potentialities of the new ones. There is, therefore, no need of a separate study team being appointed to carry out surveys.

(c) Does not arise.

Minimum Wages to Temporary Workers Working in Sugar Mills, M. P.

6573. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the casual workers, temporary workers and daily wages of the sugar mills of Madhya Pradesh are not being paid minimum wages in accordance with the recommendations made by the second sugar wage board; and

(b) if so, the action taken by Government to get them minimum wages paid and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table when received.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल

6574. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत देश में राज्यवार पूर्ण साज सामान वाले कितने अस्पताल तथा औषधालय काम कर रहे हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ख) ऐसे अस्पतालों तथा औषधालयों की राज्यवार संख्या कितनी है वे जो 1975-76 में स्थापित किए जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भेजी गई सूचना संलग्न विवरणों (परिशिष्ट I और II) में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9463/75]** कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चल रहे दवाखानें कहां कहां स्थित हैं, इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जाली पासपोर्ट बनाने तथा बेचने वाली संगठित एजेंसियां

6575. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री शशि भूषण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़े नगरों में कार्य करने वाली कुछ संगठित एजेंसियां जाली पासपोर्ट बनाने तथा **बेचने** का कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी 1974 के 'ब्लिट्ज' में इस मामले से संबंधित प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार को जाली पासपोर्ट बनाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दे दी गई है और ऐसा अनाचार करने वाले कुछ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है।

ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन

6576. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रिन्डलेज बैंक के कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन मिला है जिस में बैंक प्रबन्धकों पर ये आरोप लगाये गये हैं कि वे विज्ञापनों पर फिजूल खर्च करते हैं और छोटे ग्राहकों को हतोत्साह करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तथा अन्य शिकायतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पूछताछ द्वारा श्रम-विरोधी पद्धतियों और छोटे ग्राहकों को निरुत्साहित करने के आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) केन्द्रीय श्रम मंत्री के सुझाव पर पक्षों ने आपसी बातचीत आरंभ कर दी है।

पैट्रोलियम निर्यातकर्त्ता देशों के संगठन में पेट्रोलियम उद्योग में स्वामित्व की पद्धति के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन

6577. **श्री डी०बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेट्रोलियम निर्यातकर्त्ता देशों के संगठन में पेट्रोलियम उद्योग में स्वामित्व की पद्धति में परिवर्तन करने के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उससे भारत को कितना लाभ होगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Invitation to Prime Minister of India from U.N. for International Women's Year Celebrations

6578. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister of India has been invited by the United Nations especially to several functions to be held on the occasion of International Women's Year; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) The U.N. Secretary-General has sent an official invitation to our Government to participate in the International Women's Year Conference in Mexico in June, 1975 and expressed the hope that our Delegation would include national leaders at highest political level.

इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण हटाना

6579. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : इस्पात के मूल्यों की घोषणा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है। इस व्यवस्था को बदलने का कोई विचार नहीं हैं।

पुर्तगाल से पुनः राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना

6580. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) पुर्तगाल से पुनः राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दूतावास कब तक काम करना आरम्भ कर देंगे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) राजनयिक सम्बन्ध 31-12-74 से पुनः स्थापित हो गये थे।

(ख) पुर्तगाल ने नई दिल्ली में एक मिशन खोल दिया है जो अभी अंतरिम कार्यनायक के अधीन है। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम भी लिस्बन में अपना मिशन स्थापित करेंगे।

बोगस एककों को कच्चे लोहे का आवंटन

6581. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात और पंजाब के लघु एककों और भारी उद्योगों के लिए कच्चे लोहे के इन्डेंट क्या थे;

(ख) क्या बोगस एककों को कच्चे लोहे का कोटा आवंटित किये जाने के बारे में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जवानों/अधिकारियों की भर्ती के लिए नियम

6582. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में जवानों की भर्ती के लिये कोई मूल नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने जवान भर्ती किये गये थे;

(ग) सरकार ने उनके वेतन और भर्ती पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की;

(घ) गत तीन वर्षों में कितने अधिकारी नियुक्त किये गये थे;

(ङ) सरकार ने उनके वेतन और भत्ता पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की; और

(च) गत तीन वर्षों में हरियाणा से कितने जवान भर्ती किये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सेना में भर्ती किए गए जवानों की वर्षवार संख्या और सरकार द्वारा उनके वेतन तथा भत्तों पर हर वर्ष किया गया खर्च निम्नांकित है :–

वर्ष	संख्या	वेतन तथा भत्ते (लाख रुपए में)
1972	41,440	790 68
1973	35,090	869.39
1974	59,868	1793.65

2. गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए अफसरों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	संख्या	वेतन तथा भत्ते (लाख रुपए में)
1972	1,493	सूचना सुलभ नहीं है जो एकत्र की
1973	1,276	जा रही है और सदन के पटल पर
1974	1,247	रख दी जाएगी ।

3. गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य से भर्ती किए गए जवानों की संख्या निम्नांकित है :–

वर्ष	संख्या
1972	2,766
1973	2,077
1974	5,199

जन्म दर में वृद्धि

6583. श्री पी० गंगादेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जन्म-दर के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जन्म-दर में अधिक वृद्धि हुई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) भारत के महा-पंजीयक का कार्यालय क्रमागत आधार पर भारत में जन्म और मरण का नमूना पंजीयन कार्य करता रहा है ।

(ख) मौसमी कमी-बशी को दूर करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत जन्म-दरों का अनुमान कैलेंडर वर्ष के आधार पर लगाया गया है। इस योजना में तिमाही अनुमानों की व्यवस्था नहीं की जाती। उपलब्ध वार्षिक अनुमानों से जन्म-दर में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

चैकोस्लोवेकिया से करार

6584. श्री अनादि चरण दास

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

श्री पी० गंगादेव

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया के साथ हाल ही में कोई नये द्विपक्षीय करार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करारों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के संबंधों को नया रूप मिलेगा; और

(ग) उक्त करारों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) दिसम्बर, 1974 में चेकोस्लोवाक समाजवाद गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य डा० लुबोमिर स्त्रोगल की राजकीय भारत यात्रा के समय कई द्विपक्षीय करारों/प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) यह आशा की जाती है कि इन द्विपक्षीय करारों/प्रोतोकोलों से दोनों देशों के बीच विद्यमान सर्वांगीण सहयोग और सुदृढ होंगें।

(ग) इनका ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया जा रहा है।

विवरण

1. दोनों देशों के योजना आयोगों में सहयोग के लिए भारत-चैकोस्लोवाक समझौता :

इस समझौते में आयोजन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक भारत-चैकोस्लोवाक अध्ययन दल की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

2. भारत-चैकोस्लोवाक व्यापार एवं अदायगी करार :

इसमें द्विपक्षीय एंव संतुलित आधार पर अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को नियमित करने एवं सहयोग देने की परिकल्पना की गई है। दोनों देश 'गाट' के सदस्य हैं और एक-दूसरे के साथ अतिअनुग्रहीत राष्ट्र का व्यवहार करेंगे।

3. आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति गठन करने हेतु भारत-चैकोस्लोवाक प्रोतोकोल :

इस प्रोतोकोल में विज्ञान एंव प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक्स, उद्योग, व्यापार-विनिमय और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के विषय तय किये गए हैं।

4. आकाशवाणी और चैकोस्लोवाक दूरदर्शन के बीच सहयोग के लिए प्रोतोकोल :

इस प्रोतोकोल में खबरों से संबंधित सामग्री और दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, किसी भी संगठन द्वारा भेजे गए दलों की सहायता करना, दोनों में से किसी भी देश द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रतिनिधि मंडल और फिल्मों के माध्यम से भाग लेना, आपसी हित, प्रशिक्षुओं के विनिमय आदि के प्रश्नों पर दोनों संगठनों द्वारा विचार-विमर्श आदि।

5. आल इंडिया रेडियो और चैकोस्लोवाक रेडियो के बीच सहयोग के बारे में प्रोतोकोल :

इस प्रोतोकोल में रेडियो-फोनिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में, विनिमय, अपने अपने राष्ट्रीय दिवसों के अवसरों पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, किसी भी पक्ष द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना आदि की परिकल्पना की गई है।

6. कौंसली अभिसमय :

इसका अभी अनुसमर्थन होना है।

भारत के प्रधान मंत्री के विदेशी दौरे

6585. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में भारत के प्रधान मंत्री ने किन-किन देश का दौरा किया था ; और

(ख) उन्होंने किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया और इसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने अप्रैल 1974 में ईरान की और जनवरी 1975 में मालदीव और ईराक की यात्रा की। उन्होंने इन तीनों देशों के नेताओं के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बातचीत की। उनकी बातचीत से इन देशों और भारत के बीच विचारों की निकट समानता प्रकट हुई। इन यात्राओं के अवसरों पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अध्यापकों को नौकरियां दिया जाना

6586. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों और स्नातकोत्तर अध्यापकों (प्रशिक्षित) के पृथक-पृथक नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उन्हें नौकरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :

(क) नौकरी चाहने वालों का वर्ग — 31-3-1975 को चालू रजिस्टर पर संख्या

	प्रशिक्षित ग्रेज्युएट अध्यापक	पोस्ट-ग्रेज्युएट अध्यापक (प्रशिक्षित)
(एक) अनुसूचित जाति	110	131
(दो) अनुसूचित जन-जाति	5	3

(ख) इन समुदायों के उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन की वरीयता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के लिए नियोजकों के पास भेजा जाता है। इन पर रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में उपलब्ध अन्य उम्मीदवारों के साथ अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी विचार किया जाता है।

तटवर्ती राजपथों के लिए गुजरात को सहायता

6587. **श्री पी० जी मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972, 1973 और 1974 में गुजरात सरकार को राज्य में तटवर्ती राजपथों के निर्माण और विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सम्भवतया सदस्य महोदय का आशय लखपत-भादर्वा-काण्डला-नवलखी-ओखा-द्वारका-पोरबन्दर-वेखाल-महुआ-भावनगर-काम्बे वसूद-दमन-उमेरगांव मार्ग के साथ प्रस्तावित गुजरात तटीय राजमार्ग से है। चूंकि यह एक राज्य मार्ग है, इसका विकास मुख्यता राज्य के क्रिया-कलापों के अन्तर्गत आता है। परन्तु, उपरोक्त मार्ग कुल पृथक पृथक सड़कों के विकास में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन ऋण सहायता के लिए कुछ कार्यों को स्वीकृत किया और कुछ कार्यों के केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित किए जाने के लिए स्वीकृत किया। गत तीन वर्षों में इन योजनाओं जिसमें तटीय राज्य मार्गों पर पृथक-पृथक सड़कों के कार्य भी शामिल हैं, के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत राशि	
		नियतन भाग	साधारण आरक्षण
1972–73	18.00	40.00	4.00
1973–74	18.00	29.56	7.82
1974–75	33.65	23.11	2·374

ये रकमें इकमुश्त स्वीकृत की गई थीं और इसलिए तटीय सड़क कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए अलग-अलग आंकड़े-उपलब्ध नहीं हैं।

विदेश मन्त्री की क्यूबा यात्रा

6588. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1975 में जब वे गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के मन्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्यूबा गए थे उन्होंने क्यूबा के राष्ट्रपति डा० फिडैल कास्त्रो तथा अन्य सरकारी नेताओं से हवाना में भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, उन बैठकों तथा बातचीतों का मुख्य सारांश क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत में आपसी हित के द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर भी विचार किया गया था।

गुजरात कैंसर सोसाइटी, अहमदाबाद को वित्तीय सहायता

6589. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कैंसर सोसाइटी, अहमदाबाद को वर्ष 1971, 1972, 1973 और 1974 के दौरान कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त कैंसर सोसाइटी को वर्ष 1975 और 1976 में कोई अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा और यदि हां तो कितना और उससे सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान का, जिसमें एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल, अहमदाबाद भी शामिल हैं, संचालन गुजरात कैंसर सोसायटी द्वारा किया जाता है। एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल में किए जा रहे अनुसंधान कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए 1971-72 के वित्तीय वर्ष में गुजरात सरकार के माध्यम से एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

2. वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान अनुसंधान सम्बन्धी आवर्ती खर्च को पूरा करने हेतु गुजरात कैंसर अनुसन्धान संस्थान (एम०पी० शाह कैंसर अस्पताल) के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

3. "कुष्ठ, क्षयरोग, कैंसर आदि स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान" योजना के अन्तर्गत 4 नवम्बर, 1972 को गुजरात कैंसर सोसाइटी के लिए 1,93,950 रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया गया था। 96,975 रुपए की पहली किस्त अप्रैल, 1973 में दी गई थी। शेष अनुदान की 50 प्रतिशत राशि खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में सोसाइटी से रसीद प्राप्त होने पर दी जानी थी। द्वितीय किस्त की स्वीकार्य राशि (49,421 रुपये), अनुमोदित वस्तुएं जो खरीदी नहीं गई थीं उनकी कीमत घटाकर 7 अप्रैल, 1975 को दे दी गई थी। इस प्रकार सोसायटी को मंजूर की गई अनुदान की पूरी स्वीकार्य राशि दे दी गई है।

4. सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनावर्ती मदों (अस्पताल के उपकरणों की खरीद, अस्पताल की इमारत के विस्तार) के लिए दी जाती है। अतः आगामी अनुदान दिए जाने का प्रश्न, नए अनुदानों की स्वीकृति, कार्य के औचित्य और धन के उपलब्ध होने की बात पर निर्भर करता है।

सरकारी प्रतिभुओं में निवेश की जाने वाली भविष्य निधि की राशि पर कम ब्याज

6590. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1975 में राज्यवार भविष्य निधि के कुल कितने अंशदाता थे;

(ख) फरवरी 1975 में भविष्य निधि के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र हो गई थी और इस कुल राशि में से अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभुओं में कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ग) सरकारी प्रतिभुओं में अनिवार्य निवेश पर ब्याज की कितनी दर अदा की जाती है और यह दर बैंक की दरों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है।

(घ) क्या सरकारी प्रतिभुओं में निवेश के लिए बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की तुलना में कम ब्याज दिये जाने के कारण श्रमिकों और कर्मचारियों को लगभग 400 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक हानि होती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) एक विवरण जिसमें भविष्य निधि अंशदाताओं की संख्या जैसी कि 31-12-1974 को थी, दर्शायी गई है, संलग्न है।

(ख) अन्तर्गत लाए गए कारखानों/प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, छूट प्राप्त कारखानों को छोड़कर, भविष्य निधि में कुल जमा राशि, जैसी कि स्थिति दिसम्बर, 1974 को थी; 1082.09 करोड़ रुपये है; सम्पूर्ण राशि का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। अनिवार्य जमा योजना में कोई निवेश नहीं किया जाता।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि के चालू निवेशों पर ब्याज की दर केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों, राज्य सरकार प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर 6.25% से और लघु बचत प्रतिभूतियों में (डाकघर सांविधिक जमाओं, पर 10% तक है, बैंकों में जमा की गई राशियों पर ब्याज की दर 5% से 10% प्रतिवर्ष है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित की गई ब्याज की दरें तुलनात्मक रूप से सरकार और अन्य भविष्य निधियों की ब्याज की दरों के अनुकूल हैं। समय-समय पर ब्याज की दरों को बढ़ाने के हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

अंशदाताओं की संख्या, जैसी कि स्थिति 31-12-1974

क्रमांक	क्षेत्र	अंशदाताओं की संख्या		
		छूट-प्राप्त	छूट न प्राप्त	कुल जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	103927	306972	410899
2.	असम (मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश समेत)	29613	30170	59783
3.	बिहार	193590	116366	309956
4.	दिल्ली	134117	98655	232772
5.	गुजरात	200271	294499	494770
6.	कर्नाटक	208056	191245	399301
7.	केरल तथा लक्षद्वीप	40256	321118	361374
8.	मध्य प्रदेश	178793	136640	315433
9.	महाराष्ट्र (गोवा, दमन और दीव समेत)	504256	925489	1429745
10.	उड़ीसा	57318	111022	168340
11.	पंजाब (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ समेत)	53639	204948	258587
12.	राजस्थान	53426	79346	132772
13.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	174166	553399	727560
14.	पश्चिम बंगाल (अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह समेत)	614011	776646	1390657
15.	उत्तर प्रदेश	127419	465140	592559
	जोड़	2672858	4611650	7284508

ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्टरी से हथियारों को चोरी छुपे ले जाना

6591. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि हाल में ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्टरी (पश्चिम बंगाल) में निर्मित हथियारों को चोरी छुपे ले जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) गत 12 महीनों में इस कारखानों से प्रत्येक प्रकार के कितने हथियार चोरी छुपे ले जाये गए थे;

(घ) चोरी छुपे ले जाने सम्बन्धी इन गतिविधियों के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्टरी (पश्चिम बंगाल) से हथियारों को चोरी छुपे ले जाने का कोई आरोप नहीं है । राइफल फैक्टरी ईशापुर से हथियारों या उपकरणों को चोरी छुपे ले जाने के आरोपों की कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ख) आरोप हैं कि फैक्टरी के कुछ कर्मचारी उपकरणों/हथियारों के पुर्जों को फैक्टरी से चोरी छुपे ले जाने के कार्य में लगे हैं ।

(ग) गत 12 माह में सूचित किए गए केवल एक मामले में एक कर्मचारी को जंग लगी तथा पिटिड बौडी बैरल वाली 2 स्टेन गनों तथा एक अपूर्ण राइफल की बैरल तथा बौडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामला न्यायाधीन है ।

(घ) इस फैक्टरी से चोरी छपे हथियारों को ले जाने में लगे किसी अन्य व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के दल के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है ।

(ङ) इस प्रकार के आरोपों वाली सब रिपोर्टों की सूचना तत्परता के साथ पुलिस को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दी जाती है। केन्द्र और राज्य खुफिया एजेन्सियों की सहायता भी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त फैक्टरी का सुरक्षा स्टाफ विशेषकर संवेदन शील शापों में कड़ी चौकसी रखता है ।

नई दिल्ली के लेडी हार्डिग और कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पतालों के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की मांगें

6592. श्री ज्योतिर्मय वसु

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

(क) क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज और अस्पताल और कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारी लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांगों की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को इस सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(घ) उक्त ज्ञापनों के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या हैं;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (घ) कर्मचारियों की मुख्य मांगे लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथ कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना, कर्मचारियों पर मृत्यु तथा निवृत्ति–उपदान लागू करना, सामान्य निधि में जमा की गई राशि पर सरकारी दरों के बराबर ब्याज देना और सरकारी मकान देने के बारे में हैं ।

उक्त संस्थानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान लागू करने के प्रस्ताव को स्थागित कर दिया गया है। कर्मचारियों की अन्य मांगों को जहां तक सम्भव हो सकता था, मान लिया गया है ।

Clashes on our Borders

6593. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any clashes or other incidents effecting the peace took place in the border areas of various countries adjoining Indian borders during the last one year: and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) ; (a) and (b) During the last one year, between 15-4-74 and 14-4-75, there were 157 incidents of firing, by Pak troops across the Indo-Pakistani borders; there were no clashes, as such. No incidents of clashes or other incidents affecting the peace took place during this period, along the borders with other neighbour countries.

Report on Hindi from Permanent Representative in U. N. O.

6594. Sari Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government had sent any communication to their Permanent Representative in the U. N. O. with instructions to submit a report immediately to the Government of India with regard to adoption of Hindi as a language of the U. N. O.;

(b) if so, the progress made in regard to the report; and

(c) when the report is likely to be received if not already received ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Our Permanent Representative has sent us a preliminary report on the matter. The question is being pursued further.

अहमदाबाद पोरबन्दर उपमार्ग का निर्माण

6595. श्री एन० आर० बेकारिया

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट नगर के बाह्य क्षेत्र को छूने वाले अहमदाबाद-पोरबन्दर उपमार्ग के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण कार्य रुका हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य कब से पुनः आरम्भ होगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अहमदाबाद-वामनबोर-पोरबन्दर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 ख) पर राजकोट शहर के बाहर उपमार्ग के निर्माण का अनुमान 28.97 लाख रुपए के अनुमानित लागत पर मार्च, 1975 में मंजूर किया गया । वर्तमान स्थिति के अनुसार 10 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 5 किलोमीटर लम्बाई में तटबन्ध में कार्य प्रगति पर है । आजी पुल के पहुंच मार्ग में मिट्टी कार्य की निविदायें आमन्त्रित की गई हैं । पहले ही शुरु किया गया कार्य रुका हुआ नहीं है । उपमार्ग पर कार्य की धन के उपलब्ध होने पर मार्च, 1977 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

चित्तरंजन पार्क, कालकाजी में प्लाटों का आवंटन

6596. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिसैटलमैंट आफ डी० पी० (एल० ए० एक्ट 1952) की धारा 9 (1) के अन्तर्गत चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में कितने प्लाट आवंटित किए गए थे;

(ख) रिसैटलमैंट आफ डी० पी० (एल० ए० एक्ट 1952) की धारा 9 (1) के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनके मामलों पर विचार करेगी और पात्र व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संदर्भ विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 (1948 की IX) की धारा 14 के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 9 (1) से है । ये नियम चित्तरंजन पार्क कालोनी के मामले में लागू नहीं होते ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चित्तरंजन पार्क, कालकाजी में आवंटन के लिए पड़े प्लाट

6597. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में अभी कितने प्लाट आवंटित किए जाने शेष हैं ;

(ख) विभिन्न कारणों से कितने एलाटी प्लाट नहीं ले सके ; और

(ग) क्या सरकार उनकी ओर से अनुरोध किए जाने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लाट आवंटित करने पर विचार करेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस समय आवंटन के लिए निम्नलिखित प्लाट उपलब्ध हैं :–

	संख्या
160 वर्गगज	42
233 वर्गगज	52
320 वर्गगज	2

इनके अतिरिक्त, सामूहिक आवास योजना के अन्तर्गत बहु-मंजिले मकानों के निर्माण करने हेतु 55 प्लाट रखे गए हैं।

(ख) लगभग 170 व्यक्तियों ने आवंटन की पेशकश का उपयोग नहीं किया; उनमें से कुछ व्यक्तियों ने प्रारम्भिक जमा की राशि नहीं दी और अन्य व्यक्तियों ने प्रारम्भिक जमा राशि आदि देने के पश्चात् धन-राशि वापस ले ली।

(ग) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उन्हें की गई पेशकश का लाभ नहीं उठाया आवंटन करने के प्रश्न पर उन अनिर्णीत पड़े उपयुक्त आवेदनों पर निर्णय किए जाने के पश्चात्, जिनके बारे में अभी तक पेशकश नहीं की गई है, यदि कोई प्लाट उपलब्ध होंगे विचार किया जाएगा।

चित्तरंजन पार्क, कालकाजी में 'आनुषंगिक खर्चे' को भूमि की लागत के साथ मिलाना

6598. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि की 'प्रोविजनल' लागत के साथ मिलाए गए "आनुषंगिक खर्चे" में क्या-क्या खर्चे आते हैं ; और

(ख) क्या प्रति वर्ग गज भूमि की अधिग्रहण लागत के अनुपात में ऐसे "आनुषंगिक खर्चों को पुनर्वास विभाग/दि० वि० प्रा० की अन्य कालोनियों से भी वसूल किया जा रहा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) मूलतः एलाटियों को प्रीमियम, अर्थात् भूमि अर्जन की लागत और विकास प्रभार, पर 3 प्रतिशत की दर से जमीन का किराया देना पड़ता था। बाद में इसे केवल अर्जन की लागत एवं कुछ अनुषंगिक खर्चे के $2\frac{1}{2}\%$ में परिवर्तित कर दिया गया था जो दिल्ली में सूची में दी गई सहकारी समितियों को शहरी भूमि के आवंटन के मामले में अतिरिक्त प्रभार देने के अनुरूप है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण उपरोक्त (क) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार वसूल कर रहा है।

पुनर्वास विभाग की अन्य पुनर्वास कालोनियों के मामले में, जिन में भूमि पट्टे पर दी गई है, जमीन का किराया निम्न प्रकार से वसूल किया जाता है :—

पट्टे का स्वरूप	जमीन के किराए की वार्षिक दर
(i) *परिशिष्ट XI (जिन मामलों में पूरा प्रीमियम एक मुश्त दिया गया हो)	प्रति 100 वर्ग गज के लिए 1 रुपए की दर से।

(ii) *परिशिष्ट XII (प्रथम 5 वर्षों के दौरान अर्जन और विकास की लागत की कोई वसूली नहीं की जाती। आगामी 15 वर्षों में, जमीन के वार्षिक किराए के अतिरिक्त, इस लागत का आधा भाग वसूल किया जाता है)।

(iii) *परिशिष्ट XIII (उन प्लाटों के मामलों में जो एक प्रीमियम पर बेचे गए हों)

} प्रथम 20 वर्षों के लिए भूमि की लागत पर 3 % की दर से।

*विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, 1955 का :

चित्तरंजन पार्क, कालकाजी में भूमि अधिग्रहण की लागत

6599. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन पार्क, कालकाजी, नई दिल्ली में प्रति वर्ग गज भूमि की अधिग्रहण लागत अन्तिम रूप से निर्धारित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ग गज भूमि के अधिग्रहण में कितनी लागत आई और यह कैसे निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अर्जन की लागत को यथा-शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

ईरान को तकनीकी सहायता

6600. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने तकनीकी सहायता के लिए भारत से सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी दल ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देश का दौरा भी किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विशेषज्ञों ने दोनों देशों के बीच ग्राम्य विद्युतीकरण, रेल, कुष्ठ उन्मूलन, मत्स्य पालन, विशेषज्ञों एवं कुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं प्रतिनियुक्ति आदि में तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए ईरान की यात्रा की। ईरान से भी विशेषज्ञ दल भारत आया।

पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्र जमा किया जाना

6601. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री मधु दण्डवते
श्री राम सहाय पाण्डे
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक शस्त्रास्त्र जमा किए जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में वृद्धि कर ली है और उसने विभिन्न देशों से भारी मात्रा में शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारा यह विचार है कि पाकिस्तान द्वारा हथियारों के जमाव से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने में विलम्ब होगा और उपमहाद्वीप में तनाव भी बढ़ेगा। तथापि, हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय ऐसी सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

भूमिहीन श्रमिकों को संगठित करने के लिये लगे शिविर में किया गया निर्णय

6602. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भूमिहीन श्रमिकों को संगठित करने के लिए चर्चा करने हेतु पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हाल ही में लगे शिविर में मन्त्री महोदय उपस्थित हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके भाषण का विषय क्या है और शिविर में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ग) शिविर में क्या निर्णय किया गया और क्या परिणाम प्राप्त हुआ ; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम में स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने देश में प्रचलित स्थितियों के सन्दर्भ में ग्रामीण संगठनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाग लेने वालों को, जाति प्रथा और अन्य शक्तियों, जो संगठन प्रक्रिया के रास्ते में रूकावट बनकर आ सकती हैं, की ओर सर्तक किया। उन्होने महसूस किया कि छोटे किसानों को भी गरीब ग्रामीणों के इस संगठन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक बार संगठित हो जाने पर, गरीब ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। उन्होंने भाग लेने वालों से भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता को समझने और उसके गुण निरुपण करने की प्रार्थना की। गरीब ग्रामीणों को सामाजिक—आर्थिक समस्याओं से निपटने के संगठनकर्त्ताओं में प्रचारोत्साह होना चाहिए। निष्ठा और दृढ़ विश्वास संगठनकर्त्ताओं के दो महत्वपूर्ण सद्गुण हैं जो कि उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाने चाहिएं। जब तक जनता में सामाजिक जागरुकता पैदा नहीं की जाती, कृषिक समाज की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं होगा। शिविर में भाग लेने वाले निम्नलिखित थे :—

1. श्री किरिते बागदी ग्राम हरियालगारा, डाकघर बंकुरा, जिला बंकुरा।
2. श्री सेलेन बौरी, डाकघर रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया।
3. श्री बुधादेव चौधरी, बी० सी० रोड, बर्दवान।
4. श्री ए० सी० दास, ग्राम उदयपल्ली, डाकघर कंचननागोर, जिला बर्दवान।
5. श्री विश्वनाथ दास, डाकघर और ग्राम ओआरी, जिला बर्दवान।
6. श्री एच० सी० दास, जिला फुलग्राम, डाकघर, श्यामानागाग्राम, बर्रस्ता, भातार, जिला बर्दवान।
7. श्री एस० दारोजाखासे, देओगोरिया, डाकघर श्यामानागाग्राम, डाकघर अनारा, गांव अनारा जिला पुरूलिया।
8. श्री बनमाली हाजरा, डाकघर भातार, जिला बर्दवान।
9. श्री नुरूल इस्लाम, ग्राम और डाकघर पुबार, जिला बर्दवान।
10. श्री अबुल कासेम खोंडकर, ग्राम वारिशपुर, डाकघर बन बालियाग्राम, जिला बर्दवान।
11. श्री राम शंकर कोलाय, ग्राम खिरि, डाकघर कातुलपुर, जिला बंकुरा।
12. श्री दीपक कोमेर पालसिट, डाकघर, रसुलपुर, जिला बर्दवान

13. श्री श्याम प्रसाद कुंडु, बर्दवान ।

14. श्री सुभाष महतो, ग्राम दार्दा, जिला झालया, जिला पुरूलिया ।

15. श्री बेबोतोश महतो, ग्राम गोलामारा, डाकघर गोलामारा, जिला पुरूलिया ।

16. श्री वासुदेव मण्डल ग्राम समन्तिपुर, डाकघर घुसकारा, जिला बर्दवान ।

17. श्री बागल मार्बो, डाकघर सुरी, जिला बीरभूम ।

18. श्री राय मारधी, ग्राम और डाकघर खैरा-इत्लम बाजार, जिला बीरभूम ।

19. श्री सुशील मण्डल, ग्राम और डाकघर खेरासोल, बीरभूम ।

20. श्री भारिब मुर्मु, ग्राम रूपुर डंगा, डाकघर रूप्पुर, जिला बीरभूम ।

21. श्री आर० पाल ग्राम बंसी, डाकघर, जगदल्ला, जिला बंकुरा ।

22. श्री एन० सी० प्राभिनक डाकघर, और ग्राम मन्मथानागोर, पी० एस० गोसाबा, जिला 24-परगना ।

23. श्री आर० आर० राय, ग्राम सुपुर, डाकघर राहाग्राम, जिला बंकुरा ।

24. श्री एल० के० टुडु, ग्राम दुबुकाना, डाकघर मुचीकारा, जिला बंकुरा ।

(ग) और (घ) जी नहीं । यह शिविर पश्चिम बंगाल की सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था ।

बंगलादेश से होकर जाने वाली कलकत्ता से करीमगंज तक स्टीमर सेवा

6603. श्री शंकर नारायण सिंह देव

श्री शक्ति कुमार सरकार

श्री टुना उरांव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि बंगलादेश से होकर जाने वाली कलकत्ता से करीमगंज तक स्टीमर सेवा को शुरू करने के लिए यातायात अब पर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्टीमर सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी ?

(ग) इस सेवा को चलाने के लिए किस कम्पनी को अनुमति दी गई है ;

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां स्टीमर रुकेगा, कितना किराया लिया जायेगा और इसमें यात्रियों को कितना समय लगेगा ; और

(ङ) इस लाइन पर स्टीमर सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) करीमगंज व्यापारी संघ ने इस सेवा के लिए पर्याप्त यातायात का आश्वासन दिया है । परन्तु सेवा के चालू होने और कुछ देर चलते रहने के बाद ही यह पता चलेगा कि कितना यातायात उपलब्ध होगा ।

(ख) सेवा के मई, 1975 के मध्य तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) उपर्युक्त सेवा के केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है के द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव है । परन्तु भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल परियात और व्यापार समझौते के अन्तर्गत भारत और बंगला देश के अन्य परिचालक भी इस मार्ग पर परिचालन कर सकते हैं ।

(घ) कलकत्ता और करीमगंज के बीच की सेवा मार्ग में राय मंगल, बारीसाल, चांदपुर, नारायणगंज, भैरव बाजार, अमीरगंज, मार्कलीर, शेरपुर, फेंचुगंज और जाकीगंज में रुकेगी । इस समझोते के अन्तर्गत बंगला-देश के किसी स्थान पर माल के उतारने और चढ़ाने की अनुमति नहीं है । लिये जाने वाले भाड़े को दिखाने वाला

विवरण संगलन है। एक तरफ की यात्रा पूरी करने के लिए सामान्यतः तीन सप्ताह लगेंगे। इस सेवा में कोई यात्री नहीं ले जाया जायेगा।

(ङ) यह दोनों ओर की मासिक सेवा होगी।

विवरण

वस्तुएं	वैगन भार दर प्रति क्विंटल	छोटा छोटा माल दर प्रति क्विंटल
	रु० पै०	रु० पै०
बीड़ियां	21.00	25.00
बीड़ी पत्ते	23.00	27.00
सीमेंट	11.00	11.00
लोहा या इस्पात डि० "क" (प्रत्येक 1/2 टन तक भार)	17.50	21.00
लोहा या इस्पात डि० 'ख' (प्रत्येक 1/2 टन तक भार)	15.00	18.00
रासायनिक खाद डि० 'ख' (प्रत्येक 1/2 टन तक भार)	11.00	11.00
मशीनरी (प्रत्येक 1/2 टन तक भार)	16.00	20.00
दवाइयां	20.00	24.00
तेल डि० 'घ'	12.60	17.00
तेल बीज, एन० ओ० सी०	12.00	16.00
कपास, ऊन आदि के चीथड़े	18.50	22.00
नमक, एन०ओ०सी०	11.00	11.00
मसाले	21.00	25.00
लेखन-सामग्री, एन०ओ०सी०	21.00	25.00
चाय चेस्ट फिटिंग-धातु	15.00	18.00
बाँस	12.00	16.00
चाय	20.00	20.00
आधी दबाई हुई पटसन	18.00	18.00
इमारती लकड़ी, एन० ओ० सी०	12.00	12.00

टिप्पणी :—उपर्युक्त स्टीमर दरों में (क) उतारने और चढ़ाने का प्रभार, (ख) असम सरकार वाहन कर और (ग) पत्तन आयुक्तों के घाट पथ कर प्रभार शामिल हैं। केवल पटसन यातायात के मामले में ही है, प्रेषक/प्रेषिति अपने खर्च पर उतारने और चढ़ाने का काम करायेंगे।

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत कोरापुट जिले में और अधिक परिवारों का पुनर्वास

6604. **श्री के० प्रधानी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दन्डकारण्य परियोजना में पहिले ही कुल कितने परिवारों को बसाया जा चुका है ;

(ख) कोरापुट जिले में कितने परिवारों को बसाया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कुछ और अधिक परिवारों को बसाने का हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस क्षेत्र में और कुल कितने परिवारों को बसाने का हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) 31-12-1974 की स्थिति के अनुसार, दण्डकारण्य परियोजना में 21,409 परिवारों को (जिनमें 3,942 आदिवासी परिवार शामिल हैं)

बसाया जा चुका है। इनमें से, 12,751 परिवारों को (जिनमें 2,342 आदिवासी परिवार शामिल हैं) उड़ीसा के कोरापुट जिले में बसाया गया है।

(ग) और (घ) पुनर्वास विभाग की पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, विस्थापित व्यक्तियों के लगभग 10,000 परिवारों को दण्डकारण्य परियोजना में बसाने का प्रस्ताव है।

नौसेना कमानों में वृद्धि

6605. श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसेना कमानों को तीन से बढ़ाकर पांच करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'भारतीय वाणिज्यिक नौवहन प्रणाली में जहाजों की संख्या तथा उनका टन भार

6606. श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वाणिज्यिक नौवहन प्रणाली में ऐसे जहाजों की संख्या तथा उनका टन भार कितना है जिनको आपात स्थिति में अथवा युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है ; और

(ख) ऐसे जहाजों की संख्या तथा उनका टन भार कितना है जिनमें फेर बदल कर युद्ध करने योग्य बनाया जा सकता है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) 1-4-1975 को भारतीय समुद्री व्यापार में 302 जहाज लगे हैं जिनका टन भार 38.29 लाख जी०आर० टी० है। साधारणतया समुद्री व्यापार के जहाज देशी व्यापार अर्थात् देश के भारी एवं सामान्य माल के आयात-निर्यात को ढोये जाने की आवश्यकता के अनुरूप बनाये जाते हैं। जबकि कुछ यात्री अथवा यात्री-एवं-माल पोतों का आपातकाल में कार्मिकों को ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, माल पोतों को सशस्त्र वाणिज्य पोतों में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधन आवश्यक होगा।

Complaint by Railways for Non-Compliance of Contract for Supply of Cotton Waste

6607. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the value of contracts given by the D.G.S.&D. to M/s C. J. Ram and Company for the supply of cotton waste on demand from the Railways during the last three years to date together with the quantum of the supplies contracted; and

(b) whether complaints have been received from the Railways against the firm about non-compliance of certain provisions of the contract by the firm and if so, the action taken thereon?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) Some consignments which were passed by the Inspector were rejected in part by the consignees on account of alleged defects. The rejected quantities were, however, small in comparison to the total quantities accepted. The rejected quantities were in some cases replaced by the supplier and in other cases they were accepted subsequently with price reduction.

Statement

Orders placed on M/s. C. Jairam

No. of contracts	Material	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)
	1972		
1	Teased No. 2	2,30,350	5,89,696
2	White Unteased	29,82,747	104,00,412
3	Coloured	32,91,240	27,84,092
6		65,04,337	137,74,200
	1973		
1	Teased No. 1	18,750	64,687
3	White Unteased	28,47,085	110,06.166
4	Coloured	41,23,053	35,84,885
8		69,88,888	146,55,738
	1974		
5	Teased No. 1 & No. 2	5,93,233	17,22,787
12	White Unteased	21,78,014	88,80,618
12	Coloured	51,24,556	55,61,850
29		78,95,803	161,65,255
	1975		
1	Coloured	1,024	1,122
1	Teased No. 2	8,070	18,561
2		9,094	19,683

खेतड़ी तांबा परियोजना द्वारा विलम्ब शुल्क तथा घाट भाड़ा की आदायगी

6608. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी तांबा परियोजना ने वर्ष 1972 से वर्ष 1974 तक वर्षवार रेलवे तथा जहाजरानी कंपनियों को कितना विलम्ब शुल्क तथा घाट भाड़ा दिया है ; और

(ख) इस मामले में किसी पर उत्तरदायित्व सौंपने के संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) रेलवे के दो वित्तीय वर्षों 1972-73 और 1973-74 के दौरान क्रमश: 1,39,147.20 रुपये तथा 1,35,758.50 रुपए घाट भाड़े के रूप में दिए गए। इन्हीं दो वर्षों में रेलवे को क्रमश: 9,418 रुपये तथा 22,209.10 रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में दिए गए। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को परियोजना संबंधी आयातों के लिए 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान क्रमश: 44,821.50 रुपये और 1,55,554.02 रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में दिए गए।

(ख) इस बारे में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई। घाट भाड़ा मुख्यत: बैंकों की मार्फत रेलवे रसीदों के देर से प्राप्त होने के कारण देना पड़ा जिन मामलों में कागजात देर से प्रस्तुत करने में पूर्तिकर्त्ताओं की ओर से देर हुई, घाट-भाड़े

की राशि को उनके खाते में डाला जा रहा है। घाट-भाड़ा तथा विलम्ब शुल्क इस लिए भी देना पड़ा क्योंकि या तो भारी लदानों के उठाने में मशीनी उपकरण ने काम नहीं किया अथवा भारी यातायात के दिनों में वे उपकरण अपर्याप्त थे। इसका विशेष कारण यह था कि प्रोजेक्ट से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 32 किलोमीटर थी।

परियोजना के लिए आयातों के समाशोधन का प्रबन्ध, पूर्ति व निपटान महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो घाट-भाड़े के मामलों की पुनरीक्षा करता है और जहां कहीं घाट-भाड़ा पूर्ति व निपटान महानिदेशक द्वारा नियुक्त समाशोधन ऐजेंसियों के कारण होता है वहां उसे उनके खाते में डाल दिया जाता है।

खेतड़ी तांबा परियोजना में सिंटरमैन 'सी' द्वारा हड़ताल

6609. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सत्रह सिंटरमैन 'सी' जो खेतड़ी तांबा परियोजना में पेंचिंग काम कर रहे थे, द्वारा अचानक हड़ताल करने के कारण 80 लाख रुपये के मूल्य का तांबा बेकार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बेकार हो गये तांबे को उपयोग में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं तथा अब तक कितने तांबे को उपयोगी बनाया जा चुका है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मार्च 1975 के पहले सप्ताह में खेतड़ी तांबा परियोजना के मेल्टरमैन 'सी' द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक काम बन्द कर दिया गया था। काम के एकाएक बन्द होने के कारण, प्रद्रावक संयंत्र के संचलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। 45-50% तांबे की मात्रा वाली लगभग 100 टन तांबा धातु संयंत्र के पुनः चालू होने पर बाद में गलाई जा सकी। अतः यह सच नहीं है कि यह तांबा बेकार चला गया है।

(ख) इन कामगारों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई और उसके बाद मार्च, 1975 के दूसरे सप्ताह में सारे मामले को मान्यताप्राप्त यूनियन के परामर्श से हल कर लिया गया।

(ग) गले हुए पूरे तांबे को पुनः उपयोगी बना लिया गया है और मार्च, 1975 में तांबे के उत्पादन में उसका उपयोग किया जा चुका है।

खेतड़ी तांबा परियोजना द्वारा संगणक का प्रयोग करने के शुल्क का भुगतान

6610. श्री ओंकार लाल बरवा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना (एच० सी० एल०) ने आई० बी० एम० को संगणक का प्रयोग करने के लिए शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया है ;

(ख) संगणक का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की भरती और उनकी पदोन्नति पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) वेतन बिलों को कर्मचारियों के हाथों तैयार करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा इस समय कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी ताम्र परियोजना द्वारा आई० बी० एम० को गत दो वित्तीय वर्षों में कम्प्यूटर लगाने के लिए निम्नलिखित धनराशि दी गई :

1973-74	रु० 2,80,492
1974-75	रु० 3,06,580

(ख) कम्प्यूटर लगाने से कर्मचारियों की भर्त्ती तथा पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) कर्मचारियों द्वारा वेतन बिल तैयार कराने में कितने आदमियों की जरूरत होती है, इस बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। इस समय, छुट्टी का रिकार्ड रखने तथा अन्य कानूनी जानकारी हेतु और वेतन पंजी के लिए सूचना जुटाने के काम पर लगभग 20 आदमी लगाए गए हैं।

कलकत्ता पत्तन का विकास

6611. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **नौवहन और परिवाहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कलकत्ता पत्तन के विकास कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस पत्तन का कोई विकास नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्तावित कार्यक्रमों में कलकत्ता पत्तन, हल्दिया गोदी परियोजना, हल्दिया जलमार्ग निकर्षण और भगीरथी हुगली नदी साध कार्य शामिल हैं ।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कलकत्ता पत्तन के लिए चालू की गई परियोजनाओं में आमतौर पर पत्तन जलयान के स्थान पर जलयान और नए जलयान गोदी घाटों का विकास, रेलवे परिवहन पद्धति में सुधार, नदी साध कार्य, मालगोदामों और शेडों का विकास, माल वहन यांत्रिक उपकरणों की प्राप्ति, वर्कशाप सुविधाओं में सुधार, कर्मचारी कल्याण आदि शामिल हैं; उद्देश्य यह था कि कतिपय क्षेत्रों में पत्तन की क्षमता और कुशलता को बनाए रखा जाए और उसमें सुधार किया जाए । ये उद्देश्य आमतौर पर प्राप्त कर लिए गये हैं।

हल्दिया गोदी परियोजना अभी प्रगति में है, परन्तु नदी के समीप तेल जेट्टी 1968 में पूरी हो गई और उसका प्रयोग किया जा रहा है ।

ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम की आवश्यकता

6612. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम के लिए देश की आवश्यकताओं के बारे में दीर्घ तथा अल्पकालीन आधार पर कोई अनुमान लगाया है ताकि केबलों तथा कंडक्टरों आदि के अलावा पम्पसैटों को बिजली से चलाने के लिए विभिन्न राज्यों के कार्यक्रमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1974-75 की तुलना में वर्ष 1975-76 के दौरान ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का अनुमानित उत्पादन क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अलौह धातु संबंधी कार्यकारी दल (पांचवी योजना) ने विभिन्न जरूरतों को ई०सी० ग्रेड एल्यूमीनियम छड़ों की घरेलू मांग का इस प्रकार अनुमान लगाया है :

वर्ष	हजार टनों में
1974-75	115
1975-76	130
1976-77	140
1977-78	150
1978-79	170

(ग) एल्यूमीनियम की कमी मुख्यतः एल्यूमीनियम संयंत्रों को पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण है। सरकार ने एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए बिजली की पूर्ति को लगातार बनाए रखने और बढ़ाने के मामले पर संबंद्ध राज्य बिजली बोर्डों/सरकार से बातचीत की है । फिर भी आशंका है कि एल्यूमीनियम के देशी उत्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से 1975-76 के दौरान भी एल्यूमीनियम धातु की कमी बनी रहेगी ।

(घ) 1975-76 के दौरान अनुमानतः 85,000 टन ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम उत्पादन की आशा है, जबकि 1974-75 के दौरान लगभग 60,000 टन उत्पादन हुआ ।

ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का आवंटन

6613. **श्री के० लकप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान केबलों/कंडक्टरों का निर्माण करने तथा उनकी सप्लाई करने के लिए किन विभिन्न एककों/पार्टियों को ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का आंबटन किया गया है तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक एकक को इसकी कितनी मात्रा आबंटित की गई है; और

(ग) इसके आबंटन के लिए अपनाई जा रही मापदंड/प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुर्तगाल के साथ व्यापार सम्भावनाएं

6614. **श्री के० लकप्पा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के साथ व्यापार करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार ने अभी हाल में कोई नये प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उस देश के साथ फिर से व्यापार को प्रारम्भ करने के लिए राजनैतिक स्तर पर कोई बातचीत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (घ) दिसम्बर 1974 में पुर्तगाल के भुतपूर्व विदेश मन्त्री, डा० मारियों सोरेस की यात्रा के दौरान इस विषय पर सामान्य रूप से विचार हुआ और दोनों पक्षों का यह मत था कि दोनों देशों के बीच व्यापार पुनः शुरू करने और बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाना दोनों देशों के हित में होगा ।

31-12-1974 से भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए हैं। पुर्तगाल ने नई दिल्ली में अपना मिशन खोल दिया है और लिस्बन में भारतीय मिशन शीघ्र ही खुलने वाला है। एक दूसरे की राजधानी में राजनयिक मिशन के माध्यम से व्यापार सम्भावनाओं का पता लगाने का कार्य किया जाएगा।

इस्पात और खान मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्धम

6615. **श्री के० लकप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उद्धमों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस समय उनके मन्त्रालय द्वारा देखभाल की जा रही है और प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के कुल पूंजी भंडार में इस पूंजी निवेश की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) पांचवी योजना के दौरान कितनी मात्रा में अतिरिक्त पूंजी-निवेश करने की व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सोवियत संघ के मन्त्री के साथ बातचीत के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करना

6616. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस संवाददाताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्शल ग्रेच्को की अभी हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ रक्षा मामलों सम्बन्धी बातचीत के लिए संक्षिप्त विवरण विदेश मन्त्रालय द्वारा तैयार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस असामान्य प्रक्रिया के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सोवियत संघ के प्रति रक्षा दल के बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के क्षेत्र में भारत की योजना सम्बन्धी सम्भावनाएं ठीक समय पर तैयार नहीं हो सकी थीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमन् । दोनों पक्षों के बीच लाभदायक विचार विनिमय मार्शल ग्रेच्को के दौरे की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दिखाई देता है।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार और कम्बोडिया की सिंहानुक सरकार के प्रति भारत का रवैया

6617. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि दक्षिण वियतनाम और कम्बोडिया के क्षेत्र उन शक्तियों के अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण में हैं जिनकी निष्ठा क्रमशः अस्थायी क्रांतिकारी सरकार और राजकुमार सिंहानुक के प्रति है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सागोन और नोम पेन्ह की बदनाम और प्रतिनिधित्व न करने वाली सरकारों के साथ अभी भी राजनयिक सम्बन्ध बनाए हुए हैं ; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर भारत के औपचारिक रवैये में शीघ्र ही कोई परिवर्तन होने वाला है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) भारत सरकार सैगोन सरकार या नोम पेन्ह में लोन नोल की सरकार से राजनयिक सम्बन्ध नहीं रखती। सरकार ने कम्बोडिया के राष्ट्रीय संघ की शाही सरकार को 1 अप्रैल, 1975 से कानूनी मान्यता दे दी है। सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के एक 'डेलीगेशन जनरल' को नई दिल्ली में समुचित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों सहित स्वीकार करने का भी निर्णय ले लिया है।

पोर्ट ट्रस्ट अथारिटीज कलकत्ता द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यूनियन को मान्यता दिया जाना

6618. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बंदरगाह में कार्मिक संघ के सदस्यों की सरकारी स्तर पर की जाने वाली जांच कार्यवाही से यह पता चला है कि कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन (एच० एम० एस०) और कलकत्ता पोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन (आइटक) का क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है जबकि नेशनल यूनियन आफ पोर्ट वर्कर्स (इंटक) का स्थान तीसरा है ;

(ख) क्या इस जांच के परिणामस्वरूप हिन्द मजदूर सभा (एच० एम० एस०) और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आइटक) को पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) क्या कारण है कि इसके बावजूद भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यूनियन को पोर्ट ट्रस्ट अथारिटीज ने विधिवत् रूप से मान्यता नहीं दी है जबकि इंटक की यूनियन को मान्यता मिली हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। पिछली सत्यापन के अनुसार 31-12-72 को माननीय सदस्य द्वारा बताई गई स्थिति ठीक है।

(ख) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में यह व्यवस्था है कि पत्तन न्यास बोर्डों के न्यासियों के रूप में पत्तन में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले केन्द्रीय सरकार उन व्यापार संघों यदि कोई हो, की राय लेगी, जिनमें पत्तन में कार्य कर रहे व्यक्ति हों और ट्रेड यूनियन एक्ट

1926 के अधीन पंजीकृत हों। इस शर्त का सदैव अनुपालन किया जाता है। परन्तु यह सच है कि कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघ और कलकत्ता पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ का एक एक प्रतिनिधि 1-4-1975 से पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के लिए कलकत्ता पत्तन के पत्तन न्यास बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

(ग) उपरोक्त अधिनियम के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि पत्तन न्यास बोर्डों में प्रतिनिधित्व केवल मान्यता प्राप्त संघों को मिले अथवा वे संघ, जो पत्तन न्यास बोर्डों में प्रतिनिधित्व करें, मान्यता प्राप्त हों।

रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा छीलन की बिक्री

6619. श्री गजाधर माझी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा छीलन की बिक्री निलामी द्वारा की जाती है न कि टेण्डरों को आमन्त्रित करके जैसी कि इससे पहले प्रथा थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोनस समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

6620. श्री प्रसन्नभाई मेहता

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या श्रम मंत्री 20 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोनस समीक्षा समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) बोनस पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

खनन उद्योग में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करना

6621. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया नेशनल माइन्स वर्कर्स फेडरेशन ने देश में सरकारी और गैर-सरकारी खनन उद्योग में व्याप्त ठेका श्रमिक प्रणाली शीघ्र समाप्त करने की मांग की थी ;

(ख) क्या उन्होंने खनन एककों को युक्तिसंगत बनाने की भी मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगे क्या हैं ; और

(घ) क्या मन्त्रालय ने इन मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 1974 में इंडियन नेशनल माइन्स वर्कर्स फेडरेशन ने कोयला खनन उद्योग में कार्यों के कुछ वर्गों में ठेका श्रम के उन्मूलन के लिए एक अभ्यावेदन भेजा था।

(घ) इस मामले पर नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 1974 को हुई केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने देश की सभी कोयला खानों में कार्यों के पांच वर्गों में ठेका श्रम के उन्मूलन के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

अफ्रीका की पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की मांग

6625. श्री भागीरथ भंवर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका स्थित पुर्तगाली उपनिवेशों के लिए भारतीय इंजीनियरों, डाक्टरों, अध्यापकों और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अफ्रीकी एकता संगठन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास): (क)और (ख) जी हां, । तकनीकी सहयोग के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

बर्मा, बंगला देश, भूटान और पाकिस्तान के साथ सीमाओं का सीमांकन

6626. श्री भागीरथ भंवर

श्री विश्वानाथ झुंझुनवाला :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा, भारत-बंगला देश, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं क सीमांकन की प्रगति इस समय किस स्थिति में है;

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) कार्य को शीघ्रता से करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) **भारत-बर्मा सीमा :**

भारत-बर्मा सीमा का सीमांकन संतोषजनक ढंग से चल रहा है । कुल 906 मील की दूरी में 835 मील तक स्थल पर सीमा-स्तम्भ सयुंक्त रूप से निर्मित कर लिए गए हैं और सीमा के इस क्षेत्र के सीमांकन से संबंधित सहायक सर्वेक्षण कार्य दोनों पक्षों द्वारा किया जा रहा है ।

भारत-बंगला देश सीमा :

स्थल सीमा के कुछ अंशों तथा कुछ नदी क्षेत्रों को छोड़ कर भारत-बंगला देश सीमा के मुख्य भाग पर स्थल पर स्तम्भों का निर्माण समाप्त हो गया है । पट्टी नक्शों की तैयारी तथा सीमांकन संबंधी अन्य सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ।

भारत-भूटान सीमा :

नदी क्षेत्रों के कुछ अंशों को छोड़ कर पश्चिम बंगाल/आसाम और भूटान के बीच की पूरी सीमा पर स्तम्भों का निर्माण समाप्त हो गया है । भूटान-अरुणाचल प्रदेश सीमा के मुख्य भाग पर भी स्तम्भों का निर्माण हो गया है । पट्टी नक्शों की तैयारी तथा सीमांकन संबंधी अन्य सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

भारत पाक सीमा :

गुजरात और राजस्थान क्षेत्र के कुछ हिस्सों तथा जम्मू एवं कश्मीर की पूरी सीमा को छोड़ कर भारत-पाकिस्तान सीमा का सीमांकन पूरा हो गया है ।

(ख) और (ग) सीमा के सीमांकन कार्य में ऐसे काम आते हैं जैसे फोटोग्राममितीय नक्शे तैयार करना, अंतिम पट्टी नक्शे बनाना, क्षेत्रीय अभिलेखों तथा पट्टी नक्शों आदि का प्रमाणीकरण आदि । सर्वेक्षण के ये कार्य दोनों पक्षों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा करने होते हैं और इनमें से कुछ काम तो केवल सर्दियों में ही किये जा सकते हैं जबकि मौसम अनुकूल हो । इन परिस्थितियों में यह ठीक ठीक कहना संभव नहीं है कि यह काम कब पूरा होगा ।

प्रशिक्षण कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही

6627. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिरक्षा कारखानों की आम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन कारखानों में अपेक्षित उत्पादन हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन कारखानों में उत्पादन अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रक्षा कारखानों की आम स्थिति सन्तोषजनक है ।

(ख) कुल मिला कर कारखाने उनके लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करते हैं ।

(ग) किसी मद के उत्पादन में कभी-कभी गिरावट आ जाने की अवस्था में उसके कारणों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

एम०आर०सी०ए० को बदलने में विलंब

6628. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना और वायु सेना के बीच मतभेद के कारण एम०आर०सी०ए० स्कवाड्रन को बदले जाने में विलम्ब हुआ है;

(ख) रक्षा सेनाओं के दोनों पक्षों में किन प्रश्नों पर मतभेद था; और

(ग) क्या दोनों को स्वीकार्य कोई समाधान ढूंढ लिया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अनुमानतः समुद्री टोह और पनडुब्बीरोधी युद्ध विमान (एम०आर०/ए०एस०ड्ब्ल्यू) का संदर्भ है। प्रश्न के इस भाग में सुझाव के लिए कोई आधार नहीं है ।

(ख) **और** (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिरक्षा सेनाओं की सप्लाई सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार

6629. श्री वीरेन्द्र सिंह राव

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं की सप्लाई सेवाओं में बड़े पैमाने पर भष्टाचार व्याप्त है;

(ख) प्रतिरक्षा सेनाओं में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट तथा आम कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1970-74 के दौरान भष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया था; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह नहीं कहा जा सकता कि रक्षा सेनाओं की सप्लाई सेवाओं में बड़े पैमाने पर भष्टाचार है।

(ख) भष्टाचार रोकने के लिए सतर्कता अधिकारी और लोअर फार्मेशनों में कमांडर अचानक दौरा करते है। जहां आवश्यक होता है, भष्टाचार के पाए गए मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विस्तृत जांच पड़ताल के लिए सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त, शिकायतों और लेखा तथा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा बताई गई अनियमितताओं के सत्यापन के आधार पर कार्रवाई भी की जाती है ।

(ग) **और** (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीयों की गुलामों के रूप में बिक्री

6630. श्री मधु लिमये : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों की गुलामों के रूप में बिक्री किए जाने के बारे में दिनांक 24 जनवरी, 1975 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार को सरकार ने देखा है;

(ख) क्या इस बारे में कनाडा सरकार के साथ बातचीत की गई है;

(ग) क्या अन्य अत्यधिक विकसित देशों द्वारा भारत से गुलामों के रूप में सस्ते श्रमिक आयात करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां तो इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) भारत सरकार ने उन देशों में भारतीयों के अवैध आप्रवास को रोकने के लिए कदम उठाए हैं जहां आप्रवास पर प्रतिबंध है । भारत में सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा राज्य सरकारों को भी अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे इन देशों की यात्रा करने की इच्छा से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के मामलों में और भी सतर्कता बरतें ।

जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या

6631. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों की तुलना में यहां की जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या की क्या स्थिति है; और

(ग) वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) 1973-74 में डाक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1 और 4200 (अस्थायी) था ।

(ख) दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों की सूचना इस प्रकार है :–

देश	वर्ष	डाक्टर और आबादी का अनुपात
बर्मा	1971	1 : 9200
हांगकांग	1971	1 : 1870
इण्डोनेशिया	1970	1 : 28000
	1971	1 : 27000
जापान	1970	1 : 880
	1971	1 : 860
पश्चिम मलेशिया	1971	1 : 4770
पाकिस्तान	1970	1 : 4140
सिंगापुर	1971	1 : 1390
थाइलैंड	1970	1 : 7970

(ग) इस समय मेडिकल कालेजों में लगभग 12,000 छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति द्वारा सुझाए गए डाक्टर और आबादी के 1 और 3000-3500 के आदर्श अनुपात तक पहुंचने के लिए छात्रों की यह संख्या पर्याप्त समझी जाती है ।

लघु इस्पात संयंत्र

6632. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का कुल कितने प्रतिशत उपयोग होता है; और

(ख) लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से साधारण इस्पात के पिन्ड/बिलेट के उत्पादन के लिए अब तक 196 विद्युत भट्टियों को आशय-पत्र/लाइसेंस दिए गए हैं/पंजीकृत किया गया है । इन इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता 41.68 लाख टन है ।

उपर्युक्त इकाइयों में से 59 इकाइयों में, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता लगभग 16 लाख टन हैं, उत्पादन हो रहा है। इन इकाइयों के अलग-अलग उत्पादन के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं लेकिन 1974-75 में तरल धातु का कुल उत्पादन (मिश्रित इस्पात तथा स्टील कास्टिंग के उत्पादन के लिए लाइसेंस की गई इकाइयां भी शामिल हैं) लगभग 9 लाख* टन थी (ये आंकड़े अस्थाई हैं)।

(ख) इस बात को देखते हुए कि पहले ही काफी क्षमता मंजूर की जा चुकी है और अधिकतर राज्यों में बिजली की प्रदाय स्थिति की कठिनाई है। वर्तमान निति यह है कि पहले सृजित की गई क्षमता समेकित कर ली जाए और आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धि के अनुरूप इस उद्योग को विनियमित किया जाए।

*स्टील 28 द्वीप फर्नेश एसोसिएशन आफ इण्डिया।

Hindustan Zinc LTd., Udaipur

6633. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the value of the contracts (in lakhs of rupees) given to M/S. Mahesh Bhardwaj and Company in the Hindustan Zinc Limited, Udaipur during 1973 and 1974;

(b) whether the contratcor has committed any irregularities in the supply of goods and in the job work given to him; and

(c) if so, the action taken by Government against him and the steps take to ensure that contract is not given to him in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Parasad) : (a) No contact has been given by the Hindustan Zinc Ltd. to any firm of the name of M/S. Mahesh Bhardwaj and Company during 1973 and 1974.

(b) & (c) Do not arise.

Security of Service to Employees in Private Companies

6634. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide security of service to the employees working in private companies;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, how Government propose to provide security of service to the low paid employees there?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) and (b) security of service to workmen employed in industrial establishments exist under various labour laws and in particular, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and the Industrial Disputes Act, 1947.

(c) Does not arise.

Introduction of Buses with Sleeping Berths

6635. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether buses with sleeping berths have recently been started between Jaipur and Udaipur; and

(b) if so, whether the Central Government propose to run such buses in other places also ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) Yes, Sir. One bus with sleeping berths has recently been introduced on alternate days between Jaipur and Udaipur by the Rajasthan State Road Transport Corporation.

(b) There is no such proposal under consideration at present.

Transfer of Storekeepers/Compounders working in C.G.H.S. Dispensaries, R.K. Puram, New Delhi

6636. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether representatives of residents of R.K. Puram, New Delhi have repeatedly written to Government for the transfer of storekeepers and compounders of the Central Government Health Service dispesaries in R.K. Puram, New Delhi for their misbehaviour and holding out threats;

(b) whether Government have issued orders for the transfer of a storekeeper of the said dispensaries long after the receipt of the complaint against him;

(c) if so, the reasons why the compounders have not been transferred alongwith the storekeeper;

(d) whether the Government will transfer those compounders from there so that the residents of that area may not face inconvenience in this regard; and

(e) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) Specific complaints were received about the behaviour of the Storekeeper in CGHS Dispensary, R.K. Puram II.

(b) Enquiry into the complaint took some time. The storekeeper concerned is handing over charge of store, preparatory to transfer, the orders for which were issued on the 3rd March, 1975.

(c), (d) and (e) No specific complaints have been received against the Pharmacist of R.K. Puram II Dispensary, or any other dispensary in the R.K. Puram area. As such the question of transferring any Pharmacist of the dispensaries does not arise.

देश में युद्धपोतों के निर्माण के लिये प्रस्ताव

6637. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन**
श्री डी०डी० देसाई
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार युद्धपोतों का देश में ही निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बनाये जाने वाले युद्धपोत किस प्रकार के होंगे;

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है; और

(घ) क्या समुद्री रक्षा नौकाओं के निर्माण का काम भी हाथ में लिया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) लीएन्डर कलास फ्रीगेट जो एक आधुनिकतम युद्धपोत है, पहले ही मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में बनाया जा रहा है और छः फ्रीगेटों के एक आर्डर में से दो फ्रीगेट नौसेना को दे दिए गए हैं। गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता में सी० वाड डिफैंस बोट्स के निर्माण का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है, जिसने नौसेना के लिए पहले भी ऐसे जहाजों का निर्माण किया था इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकार के युद्धपोतों जैसे फास्ट पैट्रोल क्राफ्ट कारबेट्स और पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

बरेली में एक हथगोले का फटना

6638. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1975 को बरेली में एक फौजी हथगोले के फटने के कारण एक लड़का और एक लड़की—ये दो छोटे बच्चे मारे गये थे और कई व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वह हथगोला रामगंगा खादर से उठाया गया जहां सैनिक कार्मिक अभ्यास करते हैं;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् ।

(ग) और (घ) एक जांच अदालत के आदेश दे दिये गये हैं और इसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा है ।

नेपाल के साथ सम्बन्धों में और अधिक सुधार

6639. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद के पिछले सत्र के बाद से नेपाल के साथ सम्बन्धों में और अधिक सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि नेपाल जैसे पड़ोसी देश के साथ अपने संबंध मजबूत और बेहतर किये जाएं जिसके साथ हमारे परम्परागत मैत्री पूर्ण संबंध हैं । इसी भावना के अनुरूप हमने नेपाल के प्रधान मंत्री नगेंद्र प्रसाद रिजाल का 11–12 दिनांक 1974 को नई दिल्ली में स्वागत किया, 24 फरवरी 1975 को महामहिम वीरेन्द्र बीर विक्रमशाह देव के राज्यभिषेक के अवसर पर हमारे उप राष्ट्रपति श्री वी० डी० जत्ती के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल काठमांडू गया और 24 से 26 मार्च 1975 तक दिल्ली में संयुक्त समीक्षा समिति की बैठक हुई ।

शिमला समझौते को लागू करना

6640. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **विदेश** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि संसद के पिछले सत्र के बाद से पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते को लागू करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : दिसम्बर, 1974 से, जबकि संसद का पिछला सत्र समाप्त हुआ था, शिमला समझौते की धारा 3 के क्रियान्वयन में कुछ प्रगति हुई हैं । भारत और पाकिस्तान ने व्यापार, जहाजरानी और बैंकिंग से संबन्धित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से 200,000 रूई की गांठें खरीदने की संविदा की है ।

एक पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारतीय वस्तुओं की खरीद की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अप्रैल 1975 में भारत आने वाला है ।

भारत में मई 1975 में एक सिविल विमानन प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए भी पाकिस्तान सरकार को निमंत्रण दिया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच नौवहन सम्बन्धी बातचीत

6641. श्री राम सहाय पांडे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1975 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में भारत और पाकिस्तान के बीच नौवहन संबंधी बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी हां । मोटे तौर पर निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत में पाकिस्तान से विभिन्न पत्तनों तक कच्ची रूई जैसी आयात की मुख्य मदों की भाड़ा दरें नियत की गई हैं ।

(2) इंजीनियरी माल, पटसन से बनने वाली वस्तुओं, लौहायस्क, रेलवे उपकरण और चाय जैसी अन्य वस्तुओं की भाड़ा दरें अस्थायी रूप से नियत की गई, परन्तु इन्हें दोनों देशों के निर्यात/आयात संगठनों के उचित विचार के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(3) कराची से प्रथम चालन की व्यवस्था नेशनल शिपिंग कारपोरेशन आफ पाकिस्तान करेगा और समानता के सिद्धान्त की दृष्टि में रखते हुए अपने अपने ध्वज पोतों के बारे में दोनों समन्वय स्थापित करने वालों के द्वारा बाद में चालनों की व्यवस्था की जाएगी।

(4) समानता के सिद्धान्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुगल लाईन, भारतीय और पाकिस्तानी नौवहन लाइनों द्वारा माल उठाने और भाड़ा कमाई का रिकार्ड रखेगी।

(5) यदि कोई भारतीय या पाकिस्तानी लाइन, माल का अपना हिस्सा न उठा सके तो समन्वय स्थापित करने वाले अन्य भागीदार नौवहन लाइनों में से एक को ऐसे माल के दिये जाने के प्रबन्ध करेंगे।

(6) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तथा नौवहन संबंधी क्रियाकलापों के बढ़ने के बाद भारतीय-पाकिस्तानी नौवहन सेवाओं के सभी मामलों के समन्वय के लिए सचिवालय की स्थापना की जायेगी। सभी भागीदार नौवहन लाइनें इसकी लागत को इस ढंग से वहन करेंगी, जिसका निर्णय बाद में किया जाएगा।

बेकार कर्मचारियों द्वारा भीख मांगने अथवा डकैती डालने के कार्य अपनाया जाना

6642. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बिजली की कमी के कारण देश के विभिन्न भागों में तालेबन्द कारखानों के कर्मचारी या तो भीख मांगने लगे हैं अथवा डकैती डालने लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) ऐसे मामले श्रम मंत्रालय के ध्यान में नहीं आये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के साथ विशेष आर्थिक सम्बन्धों का समाप्त किया जाना

6643. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ विशेष आर्थिक सम्बन्धों को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) नेपाल के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के अन्तर्गत कई क्षेत्र आते हैं। आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल को सड़क निर्माण, सिचाई तथा जल-विद्युत परियोजना तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में सहायता दी जाती है।

नेपाल के साथ व्यापार 1971 की व्यापार एवं पारगमन संबंधी संधि के अन्तर्गत नियमित किया जा रहा है।

पिछले वर्ष तक भारत-नेपाल को रुपयों में अदायगी के आधार पर पेट्रोल, तेल और स्नेहकों की आपूर्ति कर रहा था। लेकिन 1975 के प्रारंभ से नेपाल स्वयं अपनी इन आपूर्तियों को विदेशों से मंगाएगा किन्तु भारत ऐसे सीधे आयात के लिए वाणिज्यिक संचालन, परिशोधन तथा उत्पाद विनिमय की सुविधाएं प्रदान करने को सहमत हो गया है।

भारत में प्रचलित घरेलू मूल्यों के आधार पर भारत कुछ अनिवार्य वस्तुओं की सहमत मात्रा की आपूर्ति करता रहा है। अब यह निर्णय हुआ है कि 1 अप्रैल 1975 से ये वस्तुएं नेपाल को ऐसे वास्तविक मूल्यों पर बेची जाएंगी जो मूल्य दूसरे पड़ोसी मित्र देशों से ऐसी आयातित वस्तुओं के लिए जाते हैं।

अरब सागर में हवाई अड्डे की स्थापना के लिये अमरीकी प्रयास

6644. **श्री एम०रामगोपाल रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका द्वारा अरब सागर में हवाई अड्डे की स्थापना करने संबंधी समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने ऐसी प्रैस रिपोर्ट देखी हैं कि संयुक्त राज्य मसीराह द्वीप पर उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करने के बारे में यूनाइटेड किंगडम और ओमन के साथ बातचीत कर रहा है।

(ख) सरकार का यह विश्वास है कि हिन्द महासागर जिसमें अरब सागर भी शामिल है एक ऐसा शांत क्षेत्र होना चाहिए जो तनावों, विदेशी सैनिक अड्डों और बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता से मुक्त हो। इस तरह के विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग की बाधक बनेगी ही।

गोलाबरूद तथा भीषण विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण

6645. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोला-बारूद तथा भीषण विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण किया जाना मन्जूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्य पूरा हो जाने पर इन कारखानों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाएगी?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन्। गोला-बारूद और भीषण विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए लगभग 33 करोड़ रुपए मजुर किए गये हैं।

(ग) आर्डनेंस कारखानों की उत्पादन क्षमता प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

अन्धत्व को रोकने के लिए अनर्ह डाक्टरों के चिकित्सा कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाया जाना

6646. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्र स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अन्धत्व को रोकने के लिए राष्ट्रीय समिति के एकमुश्त कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) के सुझावानुसार सरकार अनर्ह डाक्टरों के चिकित्सा करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने को तैयार है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि अयोग्य डाक्टरों द्वारा गलत चश्मे दिये जाना देश में अन्धों की संख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बना हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) अन्धेपन की रोकथाम वाली योजना पर अभी विचार किया ही जा रहा है। अप्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा चिकित्सा कार्य किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाया जायेगा अथवा नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी कहना असामयिक होगा।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

भण्डारा स्थित आयुद्ध कारखाने में राकेट प्रापिलेन्टों और दूर तक मार करने वाले हथियारों की परियोजना को शामिल करना

6647. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भण्डारा स्थित आयुद्ध कारखाने में राकेट प्रापेलेण्टों और दूर तक मार करने वाले हथियारों की परियोजना को भी शामिल कर लिया गया है; और

(ख) क्या इस अतिरिक्त परियोजना से आधुनिकतम हथियारों के निर्माण में एक भारी कमी समाप्त हो गयी है और रक्षा सम्बन्धी तैयारी में यह एक महत्वपूर्ण योगदान है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन।

केरल में राष्ट्रीय मार्गों पर वलियापत्तनम और अन्य पुलों का निर्माण

6648. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि केरल के कन्नौर जिले में वलियापत्तनम नदी पर उस पुल के निर्माण में अनुचित विलम्ब हुआ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है ;

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पुल कौन से हैं, जिनका निमार्ण कार्य शुरू हो चुका है, परन्तु अभी तक पूरा नहीं हो सका है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और अनुचित विलम्ब न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) केरल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने अन्य महत्वपूर्ण पुलों का अभी भी निर्माण किया जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5 लाख या इससे अधिक की लागत के अन्य महत्वपूर्ण पुल, जिनका निमार्ण कार्य चालू हो गया है, परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ, निम्न प्रकार से है :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर ईथीक्कारा पुल ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर मरादु और नेट्टूर के बीच पुल ।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर चम्पाक्काराथोड़ पर पुल ।

(ग) वालियापत्तनम् पुल के मामले में विलम्ब मुख्य रूप से ठेकेदार के शिथिल प्रयत्नों के कारण हुआ है। 19 फरवरी, 1975 से ठेकेदार ने मजदूरों की हड़ताल के बहाने काम पूरी तरह से रोक दिया है। उपयुक्त अन्य पुलों के मामले में हुए विलम्ब का कारण नींव के कार्यों में आने वाली कठिनाई है। ऐसे विलम्ब कारणों की जांच की जाती है और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए यथावश्यकता उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण पुल, जिनका अभी निर्माण किया जाना है :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर कोचीन उपमार्ग पर कुम्बालन और अरूर तथा पाननगढ़ और कुम्बालन के बीच पुल ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर पुडुपोन्नानी पुल ।

(i) चूट्टूवा (ii) कोट्टामपुरम और (iii) वारापुजहा (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के पुनर्संरेखित खंड बिना पुल वाले समपार) पर पुल ।

पिक्चर ट्यूबों का वितरण

6649. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **रक्षा** मन्त्री 22 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जो यह आश्वासन दिया गया था कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा छोटे निर्माताओं को पिक्चर ट्यूबों का वितरण किया जायेगा उस बारे में अब तक एकत्र की गई सूचना क्या हैं;

(ख) क्या इस सूचना के आधार पर कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने पुष्टि की है कि उन्हें दिए गये आर्डरों के प्रति किसी यूनिट को किसी स्तर पर पिक्चर ट्यूबे सप्लाई करने से सर्वथा मना नहीं किया गया है। पिक्चर ट्यूबों की मांग पूरा करने में जब से कमी महसूस की गई थी, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड पिक्चर ट्यूबों के वितरण में उसी मार्गदर्शन का अनुकरण कर रहा है जो कम्पनी द्वारा इलैक्ट्रानिक्स विभाग के परामर्श से तैयार किया गया था। इन परिस्थितियों में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

लोह तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता

6650. श्री पी० एम० सईद : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोह तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में वर्ष 1970 से विशेष कार्य अधिकारियों के कितने पद चल रहे हैं;

(ख) इस अवधि में उक्त पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कोटे के अनुसार विशेष अधिकारियों के पदों पर इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति की संख्या में यदि कोई कमी है तो इसका क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एक ।

(ख) शुन्य

(ग) चूंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है इसलिए प्रश्न नहीं उठता । यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया था ।

हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षरण

6651. श्री पी० एम० सईद : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड तथा इसके विभिन्न कारखानों और शाखा कार्यालयों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आक्षरण का सिद्धांत अभी तक नहीं अपनाया गया है;

(ख) क्या ऐसा मजदूर संघों द्वारा उठायी गयी अपत्तियों के कारण है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संघों के असंवैधानिक कार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क)से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० में पदोन्नति के नियम श्रमिक संघों की सहमति से बनाए गए हैं । अत: पदोन्नति के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आक्षरण की व्यवस्था केवल तभी की जा सकती है जब मजदूर संघों की सहमति से इन नियमों में उचित संशोधन/आशोधन कर दिया जाएं । अभी तक यह सहमति प्राप्त नहीं हो सकी है । ऐसा करने के लिए आगे प्रयत्न किये जा रहे है ।

पांचवीं योजना में पोतेरु सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि

6652. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापितों और स्थानीय आदिवासियों के लिये शुरू की गई कोरापुट जिले की दण्डकारण्य परियोजना की पोतेरु सिंचाई परियोजना को उनके मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने कुल कितनी धनराशि मंजूर की है और पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जबकि सिंचाई परियोजना को तकनीकी रूप में स्वीकार कर लिया है, प्रशासनिक स्वीकृति अभी जारी की जानी है ।

(ख) पोतेरु सिंचाई परियोजना के निष्पादन के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में 13.28 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

हिन्द महासागर संबंधी नवीनतम स्थिति के बारे में भारत-मालदीव संयुक्त विज्ञप्ति

6653. श्री श्रीकिशन मोदी

श्री पो० गंगादेव

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द महासागर की नवीनतम स्थिति के बारे में हाल के प्रेस समाचारों का पता है;

(ख) क्या इन परिस्थितियों पर मालद्वीव ने कोई चिन्ता व्यक्त की थी;

(ग) इस संबंध में भारत-मालद्वीव ने कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) जनवरी 1975 में हमारी प्रधान मंत्री की मालद्वीव गणराज्य की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि :

> दोनों प्रधान मंत्रियों ने हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा तथा सैनिक विस्तार से मुक्त शांति का क्षेत्र बनाए रखने की अपनी इच्छा को पुन: दुहराया। उन्होंने हिन्द महासागर की हाल की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की और सभी संबन्धित देशों से कहा कि वे कोई ऐसी कार्रवाई न करें जो उक्त उद्देश्य के प्रतिकूल हो।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कुछ भाग को बंगलौर से कानपुर में ले जाना

6654. श्री श्रीकिशन मोदी

श्री डी०डी० देसाई

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कुछ कार्य को बंगलौर से कानपुर में ले जाने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा वसन्त कृषि विमान के उत्पादन को बंगलौर कम्पलैक्स से कान · प्रभाग में स्थानान्तरण करने का निर्णय किया गया है ।

विभिन्न सरकारी उपक्रमों के लिए मजूरी ढांचा

6655. श्री एस०एन० मिश्र : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न सरकारी उपक्रमों के मजूरी ढांचे का विश्लेषण इस बीच पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग), ऐसे आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है । विश्लेषण के परिणाम सरकार के आंतरिक उपयोग के लिए हैं ।

इस्पात सामग्रियों के निर्यात के लिए 'सेल' इन्टरनेशनल लिमिटेड को अधिक कमीशन दिया जाना

6656. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से इस्पात आयात के बारे में 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1521 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सामग्रियों के निर्यात पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जो कमीशन लिया करती थी 'सेल' इन्टरनेशनल लिमिटेड को उसकी तुलना में बहुत अधिक कमीशन लेने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा लिये गये सर्विस चार्जेज की तुलना में सेल इन्टरनेशनल लि० द्वारा लिये गये सर्विस चार्जेज कम हैं ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को दी गई धनराशि

6657. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को अब तक कितनी धनराशि दी है और यह संगठन अपनी निधि किस प्रकार जुटाता है ;

(ख) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड भूतपूर्व मैनेजिंग ऐजैन्टों की तरह ही यात्रा सम्बन्धी तथा आम खर्चे अपनी सहायक कम्पनियों के नाम लिख रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को इसकी स्थापना से लेकर अब तक भारत सरकार से 71.61 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में तथा 289.16 करोड़ रुपए ऋण के रूप में मिले हैं । 'सेल' ने इक्विटी की राशि में से 69.14 करोड़ रुपए अपनी अनुषंगी कम्पनियों में लगा दिए हैं और शेष राशि अपने विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात परियोजनाओं के प्रारम्भिक तथा पूंजीगत खर्चों में तथा इस्पात और सम्बद्ध उद्योगों में लगा दी है और ऋण की समस्त राशि अपनी अनुषंगी कम्पनियों में बांट दी है ।

सरकार के इस निर्णय के अनुसार कि सेल को 5 वर्ष की अवधि तक वार्षिक अनुदान 40 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिससे वह अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सके । सेल को इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1972-73 में 4 लाख रुपए और 1973-74 में 27 लाख रुपए दिए गए थे । वर्ष 1974-75 में कोई अनुदान नहीं दिया गया था । लाभांश ब्याज, कमीशन आदि से सेल को कुछ आमदनी हो जाती है ।

(ख) और (ग) अनुषंगी कम्पनियों के मण्डलों की बैठकों में सेल के अधिकारियों द्वारा भाग लेने के लिए जाने पर यात्रा-खर्च सम्बन्धित अनुषंगी कम्पनियां देती हैं । सामान्यता ऐसा सरकार द्वारा ऐसे मामलों के बारे में दिए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाता है । जहां तक विशिष्ट प्रायोजनाओं/अनुषंगी कम्पनियों के निर्दिष्ट कार्य के लिए सेल के अधिकारियों द्वारा की गई यात्रा का सम्बन्ध है, यात्रा खर्च उनसे वसूल किया जाता है ।

वियतनाम की क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में संसद सदस्यों का संयुक्त वक्तव्य

6658. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विदेश मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 42 संसद् सदस्यों ने एक संयुक्त वक्तव्य में मांग की है कि सरकार द्वारा वियतनाम की क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए;

(ख) क्या उक्त संयुक्त वक्तव्य में यह मांग की गई है कि कम्बोडिया की सिहानूक सरकार को भी मान्यता दी जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के दलों के नाम क्या-क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार ने 'पेट्रियाट' के 26 मार्च, 1975 के अंक में इस आशय की खबर देखी है ।

(ग) सरकार ने 1 अप्रैल, 1975 को कम्बोडिया के राष्ट्रीय संघ की शाही सरकार को कानूनी मान्यता दे दी है और समुचित विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों सहित नई दिल्ली में अस्थाई क्रांतिकारी सरकार का कार्यालय खोलने पर भी वह सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है ।

(घ) चूंकि सरकार ने संयुक्त वक्तव्य का पाठ नहीं देखा है इसलिए वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हस्ताक्षर करने वाले किस किस दल के थे ।

Implementation of Recommendations of Wage Boards in Textile Mills and Cotton Mills, Bihar

6659. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of Textile mills and Cotton mills being run in Bihar in public, cooperative and private sectors ;

(b) whether recommendations of Wage Boards have not been implemented in most of these mills ;

(c) if so, the names thereof and the reasons for not implementing the recommendations of the Wage Boards there; and

(d) the action taken by Government to get the recommendations of the three Wage Boards implemented there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) Two Central Wage Boards were set up for the Cotton textile industry. These were non-statutory bodies and the question of securing implementation of their recommendations through persuasion and advice was left to the State Governments. The details asked for are not available.

Repair of Road under the Danapur Cantonment Board

6660. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the road under the Danapur Cantonment Board leading to Lalkothi from Danapur Tamtam Padaw via Danapur hospital is in a dilapidated condition and the users of it aregreatly inconvenienced ;

(b) whether a few years ago Government had provided funds to the cantonment board for the repair of the said road but the money was not spent on the repair of the road and diverted to other works ;

(c) if so, the action taken by Government against the concerned officer; and

(d) the steps taken by Government for carrying out the repairs of the said road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) It is a fact that the road referred to requires major repairs.

(b) During 1971-72, the Cantt. Board utilised a sum of Rs. 10,000 out of special grants-in-aid for repairing a portion of this road.

(c) Does not arise.

(d) The road which is on the periphery of the Cantonment and is of limited utility to the residents vests with the Cantt. Board and its maintenance and repairs are the concern of the Cantt. Board. The question of Government carrying out repairs of the road does not arise. It is understood that the Cantt. Board is in correspondence with the local municipal authorities for finding out whether the municipality can contribute their share for maintenance/repair of the road as the road is stated to be mainly used by the residents of the municipal area.

Union Formed by the Employees of Danapur Cantonment Board

6661. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of the employees working under Danapur (Patna) Cantonment Council;

(b) whether any union has been formed by them and if so, the name thereof and the names of its office bearers ;

(c) the number of the employees for whom residential accommodation has been provided by the Parishad (Council) and the arrangements proposed to be made by Government for rest of the employees ;

(d) whether a charter of demands has been submitted to the officers of the Parishad (Council) by the employees through their Union ; and

(e) if so, the outlines thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) 203.

(b) The employees of the Dinapore Cantonment have formed an Union which is known as the Dinapore Cantonment Board Workers' Union with the following as office-bearers :

President	Shri Kedar Nath Singh
Vice President	Shri Chedhari Ram
General Secretary	Shri Mohd. Moin Ansari
Secretary	Shri Sant Lal
Treasurer	Shri Laxmi Ram

(c) The Board has so far provided residential accommodation for 52 employees. The question of Government providing residential accommodation for Cantonment Board employees does not arise as this is the responsibility of the Board.

(d) Yes, Sir.

(e) The demands of the Union and the present position in respect of each is briefly as under :—

(i) *Grant of festival advance to employees before Holi*
Accepted

(ii) *Issue of soap to conservancy staff*
Accepted

(iii) *Uniforms should be supplied to staff before 15-8-1975*
Cantonment Board has initiated action for procurement of uniforms for issue.

(iv) *Bonus to Cantonment Board employees should be paid in Cash :*
Under the Rules bonus has to be credited to the Provident Fund Account of the employees and cannot be paid in cash.

(v) *Cycle allowance be paid to conservancy Jamadars*
Under consideration of the Board.

(vi) *Reinstatement of Shri B. B. Pathak*
Shri Pathak, Ex-Sanitary Inspector was removed from service in April, 1974 after proper disciplinary proceedings. He has filed a case before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Patna.

(vii) *Appointment of Shri Karendra Sah, Pump Driver to the higher post of Market Moharrir :*
The demand is that Shri Karendra Sah, Pump Driver (sacle of pay 165—204) should be promoted and appointed to the higher post of Market Moharrir (scale of pay 205—284). The Cantonment Board did not find the candidate suitable for the higher appointment which has since been filled by direct recruitment.

All these demands are for the Cantonment Board to consider and decide.

खम्बात की खाड़ी में गोपनाथ स्थल पर प्रकाश स्तम्भ का निर्माण

6662. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में गोपनाथ स्थल पर प्रथम प्रकाश स्तम्भ स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है,

(ख) क्या नये प्रकाश स्तम्भ से समुद्रतटीय क्षेत्रों के विशेषतया गुजरात क्षेत्र के, समुद्री व्यापार में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । गोपीनाथ में नया दीपघर, जिसकी परिधि 18 मील की है, भावनगर पत्तन से चलने वाले जहाजों तथा वहां आने वाले जहाजों के लिए बड़ा ही सहायक है । यह दीपघर इन समुद्रों में कैम्बे की खाड़ी के पूर्वी तट पर सुरक्षित नौचालन को भी निश्चित करता है । नये दीपघरों के चालू होने से बड़े आकार वाले जहाजों सहित अधिक जहाजों के स्थानीय पत्तनों पर विश्वास के साथ आने की संभावना है । और इससे धरा-उठाई किये टन भार की मात्रा में वृद्धि तथा जहाजों के विराम काल कम होने की संभावना है ।

खनिजों का पता लगाने की कम खर्चीली पद्धति

6663. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने खनिजों का पता लगाने के लिए एक बहुत कम खर्चीली पद्धति निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सागर विश्वविद्यालय के डा० एस० एन० गांधी तथा प्रो० यू० अस्वथनारायण द्वारा भूरासायनिक अन्वेषण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 'वालथेरिया इंडिका स्तरकुलिआकोज' नाम का पौधा, जो तमिलनाडु के दक्षिण अरकाट जिले में मामन्दुर में आधार-धातु के खनिजीकृत-क्षेत्र की भूमि में पाया जाता है, की पादप-भस्म तांबा, जस्ता तथा अन्य तत्वों से भरपूर होती है और इसलिए उसे कुछ स्थितियों में आधार धातु के संकेतक के रूप में अपनाया जा सकता है । पर, चूंकि यह पौधा तमिलनाडु के अन्य बजर-स्थानों में होता है, इसलिए उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि खनिजीकृत क्षेत्रों में होने वाले इस पौधे की बनावट संबंधी विशेषताओं के ज्ञात होने तक, पौधे के स्थान, उसमें तांबा और जस्ते के अंश के नियत स्तरों, मिट्टी और जल के अनुसार पादप-भस्म में उक्त धातुओं की मात्रा को एक आधार-धातुओं के पूर्वेक्षण के लिए अपनाया जा सकता है । अतः किसी स्थान में पौधे की उपस्थिति को वहां खनिज होने का पूर्ण सूचक नहीं माना जा सकता इसके विपरीत यह 'समुचित प्राद्योगिकी' का अच्छा उदाहरण हो सकता है तथा अनेक अवसरों पर यह पूर्वेक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है ।

सड़कों के लिए अधिक धनराशि देने के सम्बन्ध में भारतीय सड़क कांग्रेस परिषद्

6664. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस परिषद् ने सड़कों के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और यह विचार व्यक्त किया है कि यह कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) इंडियन रोड्स कांग्रेस, जो कि समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम सं० 1860 का 21 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड एक निजी निकाय है, ने हाल ही में

भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है। परन्तु जुलाई 1972 में, कांग्रेस की परिषद् ने यह विचार प्रकट किया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए और इंडियन रोड्स कांग्रेस सचिवालय ने यह बात भारत सरकार के ध्यान में लाई।

(ख) सरकार देश के सड़क विकास की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और परिचालन संबंधी वार्षिक योजना कार्यक्रमों और आवंटनों द्वारा उपलब्ध धन से यथासंभव यह कार्य किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

6665. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा सरकारी उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य अथवा केन्द्रीय विभागों/बैंकों/सरकारी उपक्रमों में आरक्षण नीति के क्रियान्वित न किए जाने के बारे में कहीं से भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा कितनी हैं तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) (1) रोजगार के लिए रोजगार कार्यालयों/पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय में रजिस्ट्रेशन।

(2) नियोक्ताओं द्वारा आरक्षित रिक्त स्थानों की अधिसूचना।

(3) आरक्षित रिक्त स्थानों के प्रति रोजगार कार्यालयों/पुनर्व्यवस्थापन महानितेशालय द्वारा मनोनयन।

(4) अधिसूचित/आरक्षित/भुतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे गए रिक्त स्थानों की नियोक्ता द्वारा कार्मिक विभाग और पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय को आवधिक विवरणी प्रस्तुत करना।

(5) पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय द्वारा विवरणियों का विश्लेषण और जहां आरक्षण नहीं भरे जाते हैं उनका नियोक्ताओं, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और बैंकिंग विभाग इत्यादि को संदर्भ।

(ग) और (घ) जी हां श्रीमन्। आरक्षित कोटे में भूतपूर्व सैनिकों के अपर्याप्त रूप से लगाए जाने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त इन शिकायतों की ठीक संख्या बताना अथवा उनके रूप का सार देना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रयत्न में काफी समय लगेगा और उससे प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप नहीं होगा। इन शिकायतों को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है :-

(1) राज्य सरकारों से तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कुल रिक्त स्थानों के आरक्षण की प्रतिशतताएं लागू करने के लिए वर्तमान आरक्षण आदेश का संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

(2) श्रम मंत्रालय के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के साथ एक भूतपूर्व सैनिक सेल स्थापित किया गया है और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में होने वाले रिक्त स्थानों को अधिसूचित करने और उन्हें सेल के माध्यम से भरने के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है।

(3) कतिपय राज्य सरकारों ने उनके अधीन आरक्षित और अनारक्षित रिक्त स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों को शीघ्रता से नौकरी देने के लिए विशेष सेल/भूतपूर्व सैनिक सेल और विशेष चयन समितियां स्थापित कर दी हैं।

Exemption of Age Limit to those who register in Employment Exchanges before Crossing Maximum Age

6666. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) the number of persons in the country, State-wise who got their names registered in the Emploment Exchanges before crossing the maximum age limit for employment but crossed the above age limit before getting any employment and thus became ineligible for Government services ;

(b) the number of those who were on waiting list in the Employment Exchanges for a period of one year or more before crossing the age limit but they remained waiting and became ineligible ;

(c) whether Government propose to introduce a scheme for such persons exempting them, from ineligibility ; and

(d) if not, the reasons therefor and if so, the time by which this scheme will be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) Such information is not being collected. However, the number of job-seekers who had remained on the Live Register of Employment Exchanges for a period of one year or more as on 30th September 1974 was 48.32 lakhs.

(c) & (d) The Government have recently issued orders raising the upper age limit for direct recruitment to (i) Class III Ministerial Non-Gazetted posts from 21 to 25 years; (ii) Class I & II posts filled through the IAS etc. competitive Exam. from 24 to 26 years; and (iii) posts in Assistants Grade in the Central Secretariat Service from 24 to 25 years. Relaxation of the maximum age limit for employment in respect of only those who had got themselves registered with the Employment Exchanges but could not obtain employment before attaining that age, would not be feasible as it may amount to discrimination.

Compensation to D.M.C. for acquiring its buses

6667. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether any compensation was paid to Delhi Municipal Corporation at the time of acquiring its buses for operating them under Delhi Transport Corporation by the Central Government;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government are prepared to pay the compensation now; and

(d) the estimated value of these buses at the time of its take-over?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) No, Sir.

(b) According to the Delhi Road Transport laws (Amendment) Act, 1971, the Delhi Transport Corporation is liable to pay the difference to the Delhi Municipal Corporation, if the sum total of the value of the properties vested in the DTC exceeds the sum total of debts, obligations and liabilities of the DMC, in relation to the Delhi Transport Undertaking as on 2-11-71. If, however, the sum total of the liabilities exceeds the value of the assets, the difference shall be paid by the Municipal Corporation of Delhi to the Delhi Transport Corporation. According to the balance sheet of the Delhi Transport undertaking, as on 2-11-71, the net accumulated liability of the Undertaking exceeded the value of its assets by about Rs. 15.22 crores. The Delhi Transport Corporation has accordingly claimed this amount from the Delhi Municipal Corporation.

(c) Does not arise, in view of the position stated in (b) above.

(d) About Rs. 10.62 crores on the basis of the Balance Sheet of the DTU as on 2-11-71.

खेतिहर मजदूरों की औसतन वार्षिक आय

6668. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खेतिहर मजदूर की औसतन वार्षिक आय कितनी है ; और

(ख) खेतिहर मजदूर की औसतन दैनिक मजदूरी कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) भारत में कृषि श्रमिक परिवारों की 1950-51, 1956-57 और 1963-64 वर्षों के लिए औसत वार्षिक आय, जैसी कि इन वर्षों के दौरान भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) द्वारा आयोजित की गई खेतिहर ग्रामीण श्रमिक जांचों से पता चली है, निम्न प्रकार है :—

अखिल भारतीय स्तर पर खेतिहर श्रमिक परिवारों की औसत वार्षिक आय

1950–51	रु० 447.00
1956–57	रु० 437.47
1963–64	रु० 660.19

(ख) विभिन्न कृषि सम्बन्धी सांक्रियाओं में कृषि श्रमिक परिवारों के पुरुषों और महिलाओं की 1950-51, 1956-57 और 1964-65 के दौरान औसत दैनिक आयों (रुपयों में) से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :—

	पुरुष			महिला		
कृषि संबंधी संक्रियाएं	1950–51	1956–57	1964–65	1950–51	1956–57	1964–65
जुताई	1.05	1.00	1.39	—	—	1.02
बुवाई	—	—	1.51	0.60	0.82	0.97
प्रतिरोपण	1.16	1.11	1.86	0.72	0.69	1.15
निराई	0.89	0.88	1.42	0.54	0.52	0.87
फसल कटाई	1.26	0.93	1.43	0.79	0.58	0.95
सभी कृषि संक्रियाएं	1.09	0.96	1.43	0.68	0.59	0.95

Roads converted into National Highways in Madhya Pradesh

6669. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the names of the roads indicating their length in Kilometres which have been converted into National Highways in Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) how the condition in this respect compares with that of Uttar Pradesh and Maharashtra during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) Nil.

(b) In Uttar Pradesh also no road was converted into a National Highway during the last five years. As regards, Maharashtra, the West Coast Road declared as a National Highway in the 4th Plan passing through four States included a length of 482 Kms. in that (Maharashtra) State.

Recognition to Hindi in Various Countries

6670. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the names of such countries where Hindi is a recognised language ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Dass) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

हरियाणा में अनिवार्य परिवार नियोजन

6671. चौधरी रामप्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्र की अनुमति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था ;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने सम्बन्धी विधान बनाने के लिए ऐसे ही प्रस्ताव भेजे थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) हरियाणा के स्वास्थ्य-सेवा निदेशक ने परिवार नियोजन के बारे में कानून बनाने के लिए कुछ सुझाव भेजे थे और उन पर केन्द्र की टिप्पणी मांगी थी ।

(ख) संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली ने भी इसी प्रकार का एक सुझाव भेजा था ।

(ग) हरियाणा सरकार ने परिवार नियोजन के तरीकों को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए कुछ सुझाव भेजे थे । इन सुझावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है ।

महानगर परिषद् दिल्ली के उपाध्यक्ष ने भी परिवार के आकार को सीमित करने के विषय में एक विधेयक की प्रति भेजी है जिसको वह महानगर परिषद् में प्रस्तुत करना चाहते थे । विधेयक के मसौदे में निहित उपबन्ध परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं । भारत सरकार की यह नीति रही है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न तरीकों को लोग पूर्णतया अपनी स्वेच्छा से अपनाएं । सरकार का विचार है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जाए कि परिवार नियोजन पूर्णतया एक कल्याणकारी साधन है ।

विवरण–1

हरियाणा सरकार द्वारा दिये गए सुझाव

विधान

(क) किसी दम्पत्ति के भी दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिएं । किन्तु, यदि इनमें से कोई भी लड़का न हो तो, वे तीसरा बच्चा भी पैदा कर लें ।

(ख) यदि दो बच्चों के रहते पत्नी गर्भवती हो जाए तो उसे गर्भ का चिकित्सीय समापन करवाना होगा ।

(ग) जब पत्नी की आयु 30 वर्ष की हो जाए और सबसे छोटे बच्चे की आयु 5 वर्ष हो, तो पति-पत्नी दोनों में से एक को नसबन्दी आपरेशन करवाना होगा ।

(घ) यदि किसी दम्पत्ति का तीसरा बच्चा हो जाता है और वे नसबन्दी आपरेशन नहीं करवाते, तो इसे अपराध माना जाए ।

(ङ) पहले और दूसरे बच्चे के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और यदि इस अवधि में गर्भ ठहर जाए तो पत्नी को गर्भ का चिकित्सीय समापन करवाना होगा ।

(च) यदि नसबन्दी कराने वाले दम्पत्ति के दोनों ही बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो सरकारी खर्च पर नस को पुनः जोड़ने की व्यवस्था की जाए।

(छ) यदि किसी स्त्री की आयु 45 वर्ष से अधिक हो और दम्पत्ति का सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या इससे अधिक हो तो उन्हें इस कानून के उपबन्धों से छूट दे दी जानी चाहिए।

(ज) इस कानून का उल्लंघन करने वाले को दण्ड-स्वरूप 1000 रुपये का जुर्माना अथवा 6 मास की कैद की सजा दी जाए। यदि सजा की समाप्ति के बाद भी वह दम्पत्ति नसबन्दी न करवाए तो इसको एक क्रमागत अपराध माना जाएगा।

(झ) शारदा अधिनियम में निहित उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

विवरण–2

महानगर परिषद् दिल्ली के उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव

प्रजनन निषेध

प्रत्येक पुरुष को अपने परिवार को सीमित करना होगा अर्थात् यदि उसके तीन से कम बच्चे हैं तो उसे अपने परिवार के तीन से अधिक जीवित बच्चों के आकार को नहीं बढ़ाना चाहिए और यदि उसके तीन या इससे अधिक जीवित बच्चे हैं, तो इस अधिनियम के लागू होने के समय उसे अपने परिवार को उतने बच्चों तक ही सीमित करना होगा।

स्त्री या पुरुष का नसबन्दी आपरेशन

प्रत्येक पुरुष को जिसके परिवार में तीन से अधिक बच्चे हों, अपना अथवा अपनी पत्नी का विहित रूप से नसबंदी आपरेशन करवाना होगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर मानवीय प्रजनन विषयक जुर्माना

यदि कोई पुरुष इन उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इनका पालन करने से इन्कार करता है तो उसे कारावास जिसकी अवधि छः मास से अधिक नहीं होगी अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना, का दण्ड या दोनों दिए जा सकते हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम अथवा तदाधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, उसके द्वारा सद्भावनापूर्ण अथवा इसी विचार से की गई कार्यवाही करने पर, कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

देश के कैंसर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या

6672. चौधरी राम प्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कैंसर अस्पतालों की संख्या तथा उनमें बिस्तरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में देश में नये कैंसर अस्पताल खोलने के लिए कोई योजना बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) पूर्णतः कैंसर का इलाज और अनुसंधान का काम कर रहे कैंसर अस्पतालों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) कैंसर के नये अस्पताल खोलने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

विवरण

पूर्णतः कैंसर के इलाज तथा अनुसंधान का काम कर रहे कैंसर अस्पताल

क्र० सं०	नाम	पलंगों की संख्या
1.	टाटा मेमोरियल सेंटर और इसमें टाटा अस्पताल तथा इंस्टीट्यूट फार कैंसर रिसर्च बम्बई भी शामिल है।	196
2.	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल, अहमदाबाद।	160
3.	मेंहदी नवाज जंग कैंसर अस्पताल तथा रेडियम इंस्टीट्यूट हैदराबाद।	150
4.	जे० के० इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी तथा कैंसर रिसर्च, कानपुर।	106
5.	चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर तथा चितरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता।	161
6.	कैंसर इंस्टीट्यूट (अड्यार) तथा बर्नार्ड इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी और कैंसर, मद्रास।	289
7.	कैंसर इंस्टीट्यूट, कटक।	100

देश के लगभग 80 अन्य अस्पतालों में भी कैंसर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गुजरात में चेचक के मामले

6673. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में गुजरात राज्य में जिलावार दर्ज किए गए चेचक के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जिला कच्छ — 14
जिला बड़ौदा — 1

(ख) तीन।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य परियोजनाओं की क्रियान्विति

6674. **श्री राम हेड़ाऊ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि सहित) भारत में क्रियान्वित की जा रही किस प्रकार की स्वास्थ्य परियोजनाओं को सहायता दी गई है;

(ख) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कितने विशेषज्ञ और फैलोशिप हमारे देश में हैं तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई और सेवाओं की मात्रा और मूल्य क्या हैं ; और

(ग) देश के सभी राज्यों में इन स्वास्थ्य संवर्धन और विकास परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री० ए० के० एम० इसहाक) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि सहित) भारत में किस प्रकार की स्वास्थ्य परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका विवरण परिशिष्ट –1 में दिया गया है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठनों द्वारा (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि सहित) 1975 के बजट में सहायता के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका विवरण परिशिष्ट–2 में दिया गया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से संबंधित कार्यक्रमों को विभिन्न राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संस्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/संस्थानों में परातर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए देश भर में सामग्री और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

विवरण 1

1. **स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना**

   स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा पुनः स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्थान, क्लिनिकी विशिष्टताओं में उपचर्या, तकनीशियनों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।

2. **प्रयोगशाला स्वास्थ्य सेवाएं**

   जमाकर सुखाई गई चेचक वैक्सीन का उत्पादन, प्रयोगशाला सेवाओं का सुदृढीकरण, जमाकर सुखाई गई बी०सी०जी० वैक्सीन का उत्पादन।

3. **पारिवारिक स्वास्थ्य, मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य**

   बाल रोग शिक्षा, परिवार नियोजन सेवाओं समेत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करना, मेडीकल कालेजों में मनुष्य प्रजनन, परिवार नियोजन और जनसंख्या गतिकी के विषय पढ़ाना।

4. **पोषण**

   प्रायोगिक पोषण कार्यक्रम, आहारविदों और पोषण–प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण।

5. ***स्वास्थ्य शिक्षा***

   स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षण, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें पारिवारिक जीवन की शिक्षा भी शामिल है, परिवार नियोजन में स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्यांकन और सुदृढीकरण।

6. **स्वास्थ्य, जनशक्ति विकास**

   चिकित्सा शिक्षा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग शिक्षा, मेडिकल पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण, चिकित्सा अधिकारियों और बुनियादी स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानव प्रजनन के शिक्षण को सुदृढ़ करना, नर्सिंग और धात्री विद्या शिक्षा में जनसंख्या गतिकी और परिवार नियोजन के विषयों को शामिल करना।

7. **रोग निवारण और संचारी रोगों का नियंत्रण, महामारी का निवारण और नियंत्रण, संचारी रोगों की निगरानी**

   मलेरिया और अन्य परजीवी रोग, फाइलेरिया नियंत्रण, चेचक उन्मूलन।

8. **माइकोबैक्टीरियल रोग-वाइरस रोग**

   क्षय रोग एवं कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम, वाइरस विज्ञान संबंधी विधियां।

9. **पशुचिकित्सा, जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण**

10. **गैर–संचारी रोग–निवारण एवं नियन्त्रण**

    कैंसर नियंत्रण, हृदय वाहिकामय रोग, दंत चिकित्सा शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य का विकास।

11. **औषधि प्रयोगशाला विधियां और जैव मानकीकरण—औषधि व्यसन**

12. **पर्यावारिक स्वास्थ्य**

    पर्यावारिक स्वास्थ्य, ग्राम जल पूर्ति, भूमिगत जल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, ठोस मल के निपटान में सधार, जल दूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु दूषण का नियंत्रण।

13. **व्यावसायिक स्वास्थ्य**

14. रेडियोग्राफरों का प्रशिक्षण, आयोनाइजिंग रेडियेशन, अस्पताली भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम ।

15. स्वास्थ्य सांख्यिकीय सेवाओं को सुदृढ़ करना ।

16. आयुर्विज्ञान अनुसंधान ।

यूनिसेफ से सहायता पाने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप

1. **सेवाएं**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और दर्जा बढ़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, जिला अस्पतालों के बालरोग एकक, मेडिकल कालेजों के क्लोस्टेटिक्स विभाग, परिवार नियोजन सेवाएं और समेकित बचाव कार्यक्रम को सहायता (डी०पी०टी०, बी०सी०जी० और चेचक वैक्सीन की सप्लाई और रोग बचाव कार्यक्रमों का विस्तार) ।

2. **सहायक सेवाएं**

परिवहन मरम्मत और रख-रखाव ।

3. **प्रशिक्षण**

चिकित्सा और पेरा-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

4. **विकासात्मक कार्यकलाप**

ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के कार्य का मूल्यांकन, बहुधंधी कार्यकर्त्ताओं की उपयोगिता का मूल्यांकन और देश के कार्यक्रमों के दूसरे अंगों के साथ समन्वय ।

विवरण 2

1. **विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यू० एन० एफ० पी० ए० के अन्तर्गत सहायता**

विशेषज्ञ (परामर्शदाता)	88
शिक्षावृतियां	303
सामग्री और उपकरण	5,14,900 डालर

2. **यूनिसेफ के अन्तर्गत सहायता**

सामग्री और उपकरण तथा सहायक 38,30,000 डालर सेवाएं जिनमें भाड़ा, परिवहन और सामग्री–इतर सहायता (कार्यों की मास्टर प्लान के अनुसार) ।

Lock-out by Super Sonic Plastic Pvt. Ltd., Indore (M.P.)

6675. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the management of the Super Sonic Plastic Private Ltd., 15-16, Sheelnath Camp, Indore-3 (M.P.) has declared lock-out in the factory and if so, the number of employees and workers rendered jobless as a result thereof ;

(b) whether the company had not given the notice of lock-out to Government and the labour as required under the rules and if so, whether Government will declare this lock out as illegal and anti- labour and if not, the reasons therefor;

(c) what action is proposed to be taken against the shareholders and management for this laps ; and

(d) the steps Government are taking to end the lock-out in the near furture and whether the management will be directed to make payment for the lay-off period and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) The matter falls essentially in the State sphere.

Benefits of Labour Laws to Women Working in Super Sonic Plastic Pvt. Ltd, Indore (M.P.)

6676. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of women workers employed in Super Sonic Plastic Private Ltd., 15-16 Sheelnath Camp, Indore-3 (M.P) at present and the nature of work they are engaged in as also the wages paid to them on different jobs ;

(b) whether the women workers are not given benefits of labour welfare laws and if so, the action being taken by Government in this regard ; and

(c) whether women workers constitute the 40 per cent strength and they are mostly engaged on daily wages and temporary and contract basis and if so, the action proposed to be taken by Government to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए सूतर के ठेके

6677. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और अहमदाबाद की मैसर्स सी० जे० राम एण्ड कम्पनी के बीच रेलवे को सूतर सप्लाई करने के सम्बन्ध में हुए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा अन्य फर्मों के बीच हुए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिसम्बर, 1971 से पूर्व सूतर सप्लाई करने के टेंडर प्रत्येक चार महीने के अन्तर के बाद आमंत्रित किये जाते थे; यदि हां, तो इसके बाद प्रक्रिया में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापार का एकाधिकार मैसर्स सी० जे० राम एण्ड कम्पनी को प्राप्त हो गया है; और

(घ) फर्म के सांझीदारों के नाम और पते क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और अहमदाबाद की सर्वश्री सी०जे० राम एंड कम्पनी के बीच कोई ठेका नहीं हुआ था। फिर भी, सर्वश्री सी० जयराम प्रा० लि० बम्बई को ठेके दिये गये थे। 1972,73 और 1974 के दौरान सर्वश्री सी० जयराम प्रा० लि० बम्बई को दिये गये ठेकों का विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9464/75]**

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 9464/75]**

(ग) वर्ष 1971, 1972, 1973 और 1974 में जारी की गई निविदा-परिपृच्छाओं के विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिसम्बर, 1971 से पहले आवश्यकतानुसार निविदा-परिपृच्छाएं जारी की गई थी, न कि चार महीनों के अंतराल पर। इसके बाद भी यह क्रम जारी रही। सर्वश्री सी० जे० राम मम्बई को विज्ञापित निविदा-परिपृच्छा और अनुवर्ती बातचीत के आधार पर ठेके दिये गये थे।

(घ) (I) वर्तमान निदेशक और उनके पते

(1) श्रीमती मणी देवी एस० साहनी, निदेशक 5-10-1960 को नियुक्त।
151, सोमरसेट हाऊस,भूलाभाई देशाई रोड, बम्बई-26

(2) श्री पैशोरीलाल सोनशाह भसीन, 31-7-61 को नियुक्त।
फलैट नं० 35, पंजाबी हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, वैरसोवा रोड, अन्धेरी, बम्बई 58

(3) श्री श्रीराम लछमन दास सेठी, (14-7-70 को नियुक्त)।
302, सतनाम बिल्डिंग, सिआन वैस्ट, बम्बई-22।

(II) भूतपूर्व निदेशक और उनके पते

1. श्री संत प्रकाश भगवान दास साहनी (5-10-60 को नियुक्त और 7-4-73 को सेवानिवृत) । 29, नखूदा स्ट्रीट, बम्बई–3 ।
2. श्री मूलचंद द्वारका दास गजरिया (5-10-60 को नियुक्त और 15-1-68 को सेवानिवृत) । 29, नखूदा स्ट्रीट, बम्बई-3 ।
3. श्री सतीश कुमार एस० साहनी (6-11-65 को नियुक्त और 26-12-72 को सेवानिवृत) । 29, नखूदा स्ट्रीट, बम्बई–3 ।
4. श्री सुरेन्द्र एस० साहनी (17-6-72 को नियुक्त और 26-5-73 को सेवानिवृत) । 151, सोमरसेट हाऊस, भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई–26 ।

प्राद्यौगिकी के स्थानान्तरण के लिए प्रादेशिक केन्द्र

6679. श्री के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया तथा प्रशान्त महासागर के देशों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ई०एस०सी०ए०पी०) द्वारा भारत में प्रोद्यौगिकी के स्थानान्तरण के लिए प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या औद्योगिक उद्यमों में बहुपक्षीय सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । तथापि, अन्तिम निर्णय आयोग द्वारा इसके अगामी अधिवेशन में लिया जाएगा ।

(ख) यद्यपि प्रस्तावित केन्द्र का सही विस्तार तथा कार्य उस समय परिभाषित किए जाएंगे जबकि आयोग सम्भाव्यता अध्ययन तथा व्यापक परियोजना प्रतिवेदन पर, जो अभी तैयार किये जाने हैं, विचार करने के बाद अपने आगामी अधिवेशन में एक अन्तिम निर्णय ले लेगा, किन्तु सुझाव ये हैं कि केन्द्र अन्य बातों के साथ साथ उपलब्ध प्राद्यौगिकियों पर जानकारी के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करे, क्षेत्र के अलग अलग देशों की परिस्थितियों के अनुसार उनकी लागत तथा उपयुक्तता का मूल्यांकन करे, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यों की व्याख्या करें, विकसित देशों तथा विकासशील देशों से प्राप्त प्रोद्यौगिकी के अनुकूलन, संविलयन तथा सुधार सम्बन्धी कार्य तथा कार्यक्रम प्रायोजित करें ।

(ग) तथा (घ) यद्यपि आयोग के कार्य के समेकित कार्यक्रम तथा प्राथमिकताओं में औद्योगिक उद्यमों में बहुपक्षीय सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के विशिष्ट कार्य की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कई औद्योगिक क्षेत्रों में इस के ऐसे कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य साधन सम्पन्नता तथा तुलनात्मक लाभों को ध्यान में रखते हुए योजना सामंजस्य करके नीतियों का समन्वय करके औद्योगीकरण के क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहयोग की क्षमताओं का पता लगाना है ।

पंजाब के ऊनी कपड़ा उद्योग में संकट

6680. श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पंजाब में ऊनी कपड़ा उद्योग गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राकृतिक रेशे और विशेष रूप से ऊन के उत्पादन में काफी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 'वूल इन्टेलिजेन्स' पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में 1973-74 में ऊन के उत्पादन में मामूली सी गिरावट आई, परन्तु ऐसा अनुमान है कि 1974-75 में ऊन के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

Opening of Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

6681. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of branches opened by nationalised banks in Madhya Pradesh so far ;

(b) whether some more branches of these banks are proposed to be opened in the State during the Fifth Five Year period ; and

(c) if so, the salient points in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The number of bank offices of the public sector banks, including the 14 nationalised banks, in Madhya Pradesh increased from 330 on the eve of bank nationalisation to 852 as at the end of December, 1974.

(b) & (c) Branch expansion work is undertaken by the banks within the frame work of three year rolling plans. Currently the plans for the three years 1975-77 are being finalised. Reserve Bank have reported that as at the end of December 1974, public sector banks, including 14 nationalised banks, had 108 licences/allotments on hand for opening offices in Madhya Pradesh.

मूल्य-निर्धारण के लिये रुपये को मुक्त छोड़ना

6682. श्री वसन्त साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य निर्धारण के लिए रुपये को मुक्त छोड़ने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वर्तमान विनिमय दर सन्तोषजनक है और फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

व्यापार गृहों को विदेशी व्यापार करने की अनुमति देने के लिए मानदण्ड

6683. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार गृहों-कम्पनियों को विदेश व्यापार करने की अनुमति देने का क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या मध्य स्तर के व्यापारियों/कम्पनियों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान शर्तों में ढील दी गई है;

(ग) उक्त ढील किस तारीख को दी गई थी; और

(घ) इस प्रकार की ढील दिए जाने से कितने व्यापार गृहों/कम्पनियों को लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने, व्यापार सदनों/कम्पनियों का विदेश व्यापार में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Supply of Hindi Typewriters

6684. Shri Sudhakar Pandey: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the action proposed to be taken to supply Hindi Typewriters to those Offices under the Ministry as are having only English Typewriters at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Adequate arrangements already exist for carrying on work in Hindi at all levels including supply of sufficient number of Hindi Typewriters.

मत्स्य ग्रहण उद्योग के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

6685. श्री वयालार रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मत्स्य ग्रहण उद्योग के विकास के लिए सहायता नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिमीकरण (फ्रीजिंग) संयंत्रों, बर्फ (आइस) संयंत्रों और शीतागारों को आरम्भ करने हेतु सहायता देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1972 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का संशोधन होने तक केवल मछली के प्रोसेसिंग और परिरक्षण के काम में लगी हुई औद्योगिक कम्पनियां ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता पाने की पात्र थीं। उपयुक्त संशोधन हो जाने के पश्चात्, मछली उद्योग के विकास में लगी हुई सभी अन्य औद्योगिक कम्पनियां भी विकास बैंक से सहायता पाने की हकदार हो गई हैं।

लद्दाख में पर्यटन का विकास

6686. श्री कुशोक बाकुला : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिकों के लिए सभी मौसमों में नियमित विमान सेवा की व्यवस्था कर के लद्दाख में पर्यटन का विकास करने के लिए मंत्रालय का किस प्रकार का योगदान देने का विचार है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : लेह औसत समुद्रतल से 3292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में इस समय इस प्रकार का कोई भी विमान उपलब्ध नहीं है जो कि लद्दाख के लिए परिचालन के उपयुक्त हो। फिलहाल इंडियन एयरलाइंस का लद्दाख के लिए विमान सेवा के परिचालन का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। मंत्रालय द्वारा इस मामले में मदद करने के प्रश्न पर संभाव्यता अध्ययन तथा निधियों के उपलब्ध होने व अन्य प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखने के बाद विचार किया जा सकता है।

Licence for Import of Oxygen Manufacturing Machine and Gas Cylinders

6687. Shri Hemendra Singh Banera : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Superior Air Products Private Limited, Faridabad has been granted licence for import of oxygen manufacturing machine worth Rs. 45 lakhs and gas cylinders worth Rs. 15 lackhs ;

(b) whether the Indian Oxygen Limited and the Bharat Vessels Limited, manufacture such machines and if so, the reasons for granting permission for import of these machines ; and

(c) whether other parties have not been granted import licences in view of availability of such machines from indigenous production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir. A statement is attached.

(b) The import of the required equipment was allowed to M/s Superior Air Products, New Delhi, as the indigenous manufacturers were heavily booked for supply of plant and equipment to other parties, and the firm under question had orders for the supply of gases against Defence supply contracts. Other units with similar contracts for supply of gases to Defence & Railways were also being cleared for import of gas separation plants in order to relieve the shortage of industrial gases, because of the long delivery dates then quoted by the indigenous manufacturers. Gas cylinders are, however, still being allowed to be imported by all manufacturers of industrial gases.

(c) Grant of import licences for the import of oxygen plants is now no longer being recommended since the indigenous manufacturers of such plants are in a position to meet the country's requirement. However, imports are allowed under para 163 of the Import Trade Control Policy provided the parties are able to meet the cost of import of oxygen plant and 3000 cylinders from their own foreign exchange resources upto Rs. 25 lakhs.

Statement

Sl. No.	Import Licence No. & date	Valued	Description of goods
1.	P/C/2065699 dt. 22-5-73	Rs. 35,10,000/- From Italy under Italian Suppliers Credit.	(i) One No. Liquid Oxygen Plant with Argon attachment.
2.	P/C/2065700 dt. 22-5-73	Rs. 7,43,000/- From G. D. R./Hungary Under Rupee Payment	(ii) One No. Nitrous oxide plants. (ii) One No. Acetylene Plant and (iii) 500 Nos. of Nitrous gas cylinders.
3.	P/CG/2066050 dt. 31-7-73	Rs. 2,05,000/- From Hungary under RPA.	(i) 500 Nos. of Argon gas cylinders.
4.	P/CG/2068601 dt. 17-10-73	Rs. 4,50,000/- from USA under US-Aid Loan No. 386-H-200	(i) 1000 Nos. of empty DA Cylinders.
5.	P/CG/2066277 dt. 14-11-73	Rs. 5,20,000/- from USA under US-Aid Loan No. 386-H-200	(i) 1000 Nos. of empty oxygen cylinders.

नागार्जुन सागर के लिए मोटर लांचे

6688. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर के लिए बिना मूल्य दो मोटर लांच सप्लाई करने के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने वचन दिया था ;

(ख) क्या पर्यटन विभाग ने हाल में अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) नागार्जुन-सागर में परिचालन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को ये लांचे निःशुल्क सप्लाई करने का पहले कोई निर्णय नहीं किया गया था। जिन शर्तों पर ये लांचे परिचालन करेंगी वे आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने वाले पर्यटक

6689. श्री रोबिन ककोटी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) वर्ष 1975-76 में इस क्षेत्र की और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग विदेशों से आने वाले पर्यटकों और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का रिकार्ड अखिल भारतीय आधार पर रखता

है । पिछले तीन वर्षों के दौरान आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में)
1972	342,950	48.3
1973	409,895	67.5
1974	423,161	69.7

उत्तर-पूर्व के कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके रिकार्डों के अनुसार, गत तीन वर्षों में इन राज्यों की यात्रा करने वाले विदेशियों की संख्या निम्नलिखित थी :–

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1972	1973	1974
आसाम	875	1,076	1,004
मिजोरम	5	2	2
मणीपुर	75	40	32

मेघालय सरकार के अनुसार, 1972–74 में उस राज्य का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,171 थी ।

(ग) यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के यातायात की अभिवृद्धि के लिए किए गए कुछ एक प्रयत्नों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) काजीरंगा (आसाम) और शिलांग (मेघालय) की यात्रा करने वाले विदेशियों पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी गई है ।

(ii) 'दि हिमालयास्' और 'डिस्कवर कलकत्ता एण्ड दी ईस्ट' नामक फोल्डरों, और आसाम, मणीपुर और त्रिपुरा पर अलग अलग पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है ।

(iii) काजीरंगा में एक विश्राम गृह के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

(iv) गोहाटी में एक पर्यटक बंगला निर्माणाधीन है ।

आयकर के लिए राजनैतिक पार्टियों का कर-निर्धारण

6690. श्री मुरासोलीमारन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में प्रतिनिधित्व-प्राप्त राजनैतिक दलों का निम्नलिखित प्राप्तियों के लिए आयकर हेतु कर निर्धारण किया जाता है ;

(एक) सदस्यों से प्राप्त चन्दा ;

(दो) जनता से प्राप्त दान ;

(तीन) जनता और पार्टी के सदस्यों से चुनाव कोष के लिए प्राप्त चन्दा ;

(ख) उपर्युक्त का कर-निर्धारण करने के लिए अपनाए गए सिद्धांत या तरीके का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के लिए संसद् में प्रतिनिधित्व-प्राप्त राजनैतिक दलों के बारे में किए गए कर-निर्धारण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राजनैतिक दलों के कर-निर्धारण से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

पालामऊ जिले (बिहार) में कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ गढ़वा का कार्यक्रम

6692. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में जिला पालामऊ (बिहार) में कृषि और लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ गढ़वा (बिहार) ने कोई कार्यक्रम पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सम्भवत: यह प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक की गढ़वा शाखा के बारे में पूछा गया है । यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय होटल निगम का प्रबन्ध और उसके द्वारा किया गया व्यापार

6693. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए-वन्स होटल विंग शैल्टर्स बिग स्कैन्डल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारतीय होटल निगम के प्रबन्धकों और उनके द्वारा किए गये व्यापार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उक्त निगम की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या यह बात भी सच है कि चालू वर्ष के दौरान अधिक घाटा होने की आशंका है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विनिर्दिष्ट आरोपों की प्रबन्धकवर्ग द्वारा जांच की गई है तथा उन्हें सही नहीं पाया गया है । भारत होटल निगम के प्रबन्ध-निदेशक ने 29 मार्च, 1975 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे सम्पादक के नाम अपने पत्र में स्थिति का स्पष्टीकरण किया है ।

(घ) अनुमान है कि वर्ष 1974-75 के लिए हानि लगभग उतनी ही है जितनी कि पिछले वर्ष, अर्थात्, 17 लाख रुपये ।

अत्यावश्क वस्तुओं के मूल्य

6694. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और पटना में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य पर बजट-प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) उपर्युक्त का दोनों थोक और खुदरे मूल्यों के लिए अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अत्यावश्क वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता आ जाने से औद्योगिक मदों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि बजट करों का अलग-अलग वस्तुओं पर कितना प्रभाव पड़ता है । लेकिन सरकार की सदा यह कोशिश रहती है कि अत्यावश्यक उपयोग की वस्तुओं पर जहां तक हो सके, करों का प्रभाव न पड़ने पाये । यह बात ध्यान देने-योग्य है कि 29 मार्च, 1975 को समाप्त हुए सप्ताह का सबसे हाल का (अनन्तिम) थोक मूल्यों का सूचक अंक बजट से पहले के स्तर से 1.3 प्रतिशत कम था ।

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आ जाने से अधिक वेतन की मांगों को रोकने, औद्योगिक संबंधों में सुधार होने और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने में जितनी सहायता मिलेगी उसका उतना ही औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों पर अच्छा असर पड़ेगा ।

आर्थिक अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को सार्वजनिक वित्तीय निकायों से ऋण दिया जाना

6695. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी तथा विदेशी मुद्रा के घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को ऋण देने बन्द करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय निकायों को निर्देश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्देशों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) प्रबन्धकों/उद्यमकर्त्ताओं के पूर्ववृत्त और पृष्ठभूमि के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात् वित्तीय संस्थाएं और बैंक परियोजनाओं की सक्षमता के आधार पर उन्हें सहायता मंजूर करना जारी रखते हैं। सरकार ने सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस सम्बन्ध में विशेष निदेश जैसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

लद्दाख से चीन अधिकृत तिब्बत में पश्मीना का चोरी छिपे ले जाया जाना

6696. **श्री एम० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लद्दाख से चीन अधिकृत तिब्बत-क्षेत्र में पश्मीना ऊन की तस्करी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) लद्दाख क्षेत्र से चीन–अधिकृत तिब्बत क्षेत्र को पश्मीना ऊन के तस्कर-निर्यात का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े के सामान का निर्यात

6697. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के सामान के निर्यात को कुछ नई दिशा दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विश्व की मण्डियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की यात्रा की थी और यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि निर्यात व्यापार के स्वरूप को अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियों के निर्यात से तैयार चमड़े तथा चमड़े से बने सामान में बदल दिया जाए।

चमड़ा निर्यात व्यापार को सुव्यवस्थित करने की नीति के संदर्भ में सरकार ने, सीतारमैया समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 1973 से कोटा योजना के जरिये अर्धसाधित चमड़ों का निर्यात विनियमित किया है। इसके अलावा, सरकार ने इस सम्बन्ध में कतिपय संबर्धनात्मक कदम उठाए हैं, अर्थात, तैयार चमड़े के उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करना, स्वत: लाइसेंस देना, आयात प्रतिपूर्ति का दो तिहाई मशीनों के आयात के लिए अनिवार्यत: प्रयोग में लाना, मशीनों, रासायनिक पदार्थों तथा रंजक पदार्थों के आयात को उदार बनाना तथा तैयार चमड़े के उत्पादन को बदलने के लिए छोटे चर्मशोधकों को समर्थ बनाने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना। चमड़ा उद्योग के लिए अवस्थापना तैयार करना मुख्य समस्या है और देश में चमड़ा विकासात्मक कार्यक्रम की संपूर्ण समस्या से निपटने के लिए सरकार ने, उद्योग तथा सिविल सप्लाईज मन्त्रालय के अन्तर्गत चमड़ा विकास निगम स्थापित करने के लिए एक प्रस्थापना का अनुमोदन किया है।

(ग) जी हां। एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है जिसमें सं० रा० अमरीका तथा कनाडा जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं।

विवरण

सं० रा० अमरीका तथा कनाडा गए भारतीय प्रतिनिधिमन्डल की मुख्य सिफारिशें संक्षेप में निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) संयुक्त रा० अमरीका तथा कनाडा को चमड़े के परिधानों का निर्यात उत्पादन तथा निर्यात सुनियोजित किए जाने चाहिए क्योंकि वहां तैयार तथा अर्ध-तैयार भेड़ तथा बकरी की खालों के निर्यात की बजाय उनके लिए अच्छा बाजार है ।

(2) कोल्हापुरी चप्पलों के लिए सं० रा० अमरीका तथा कनाडा में बाजार पुख्ता है। सख्ती के साथ क्वालिटी निरीक्षण करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए और निर्यातकों को विद्यमान निर्यात लाभ जारी रखे जाने चाहिए ।

(3) जूतों के ऊपरी हिस्सों तथा औद्योगिक दस्तानों का निर्यात सं० रा० अमरीका तथा कनाडा को बढ़ाया जाना चाहिए ।

(4) हमें सं० रा० अमरीका तथा कनाडा को जूतों के निर्यात में पहल करनी चाहिए ।

(5) सं० रा० विधि के अधीन एक बिक्री कम्पनी निगमित की जानी चाहिए जो न्यूयार्क में भांडागार सम्बन्धी सुविधाएं रख सके तथा भारत में उत्पादक हितों के स्वामित्व में हो । इससे निर्यात बढ़ेंगे क्योंकि तुरन्त सुपुर्दगियां की जा सकेंगी ।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलें

6698. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष, 1973, वर्ष 1974 और जनवरी-मार्च 1975 की अवधी में अहमदाबाद में कई कपड़ा मिलों ने अपनी तीसरी पारी और यहां तक कि दूसरी पारी भी बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इनमें से कोई पारी इस बीच दुबारा शुरू कर दी गई है ;

(घ) क्या सामान्यतया कपड़ा उद्योग और विशेष रूप से अहमदाबाद की कपड़ा मिलों को इस समय संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रमुख और तात्कालिक उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जनवरी 1973 और जनवरी 1974 के बीच अहमदाबाद में एक मिल ने अपनी पालियों को घटाकर दो से एक कर दिया। सितम्बर 1974 से 5 मिलों ने तीसरी पाली को पूरी तरह और 38 ने आंशिक रूप में बन्द कर दिया। मार्च 1975 के अन्त में 3 मिलों ने अपनी तीसरी पाली को पूरी तरह और दस ने आंशिक रूप से नहीं चलाया ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

वस्तुओं के थोक-मूल्यों में गिरावट

6699. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1974 से वस्तुओं के थोक मूल्यों में कोई गिरावट आयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका खुदरा मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) आम उपभोग की वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों के अन्तर को कम करने के लिए क्या

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 21 सितम्बर 1974 तथा 29 मार्च 1975 के बीच की अवधि में थोक मूल्यों के सूचकांकों में 7.4 प्रतिशत की कमी हुई। खुदरा मूल्यों में भी गिरावट आई है। भले ही ऐसा कुछ समय के बाद ही हुआ। अतः अक्टूबर 1974 के मुकाबले फरवरी 1975 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 3 प्रतिशत की कमी का पता चलता है।

(ग) सरकार की ऋण नीति तथा अन्य नीतियां यह लक्ष्य सामने रखकर तैयार की गयी हैं कि अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकी जाए जिससे ये चीजें अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें। अतः ये नीतियां खुदरा तथा थोक मूल्यों के बीच पैदा होने वाले अन्तर को समाप्त करने का स्वतः एक सुरक्षात्मक उपाय है। फिर भी, सरकार अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की चेष्टा करती है कि लोगों को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिल सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाने तथा इसके क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उपाय किये जा रहें हैं और इस प्रयोजन के लिए नागरिक पूर्ति का अलग से एक विभाग स्थापित कर दिया गया है।

सहकारी ऋण संस्थानों को फिर से चालू करना

6700. श्री माऊ साहेब धामनकर

श्री वसंत साठे :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी ऋण संस्थानों को वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से फिर से चालू कराने की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के चुने हुए क्षेत्रों में लागू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं ;

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों का मूल्यांकन पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तृत आधार पर सहकारी संस्थानों के संचालन तथा कार्यकरण में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उदेश्य से किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो पांचवीं योजना के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया ; और

(ङ) छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखा जाना सुनिश्चित कराने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां। प्रारम्भिक कृषिक ऋण सहकारी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त प्रदान करने की योजना खरीफ 1970 में 5 राज्यों अर्थात् आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी। बाद में खरीफ 1971 में यह योजना उड़ीसा में और खरीफ 1973 में जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दी गई। यह योजना ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुने हुए क्षेत्रों को व्याप्त करती है, जो वित्तीय और प्रशासकीय रूप से कमजोर पाये गये।

(ख) इस योजना के अधीन 1973–74 में किए गए वित्त–पौषण की राज्यवार स्थिति नीचे प्रदर्शित है :

क्रम संख्या	राज्य	अंतरित समितियों की संख्या	इस योजना को कार्यान्वित करने वाली शाखाओं की संख्या	अल्पावधि	मध्यम अवधि
1.	आन्ध्रप्रदेश	663	108	338.07	3.02
2.	हरियाणा	274	29	237.29	23.57
3.	कर्नाटक	1016	101	466.03	59.09
4.	मध्य प्रदेश	309	49	67.20	11.44
5.	उत्तर प्रदेश	176	31	68.37	1.66
6.	उड़ीसा	38	9	12.70	—
7.	जम्मू और काश्मीर	94	9	18.25	1.11
8.	पश्चिमी बंगाल	87	21	12.29	0.68
	जोड़	2657	357	1230.20	100.57

(ग) इस योजना की प्रगति की सावधिक समीक्षा "राज्यस्तरीय समन्वय समितियों" द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की इस योजना पर निरंतर नजर रखता है और सहकारी समितियों के कार्यचालन में, जहां आवश्यक हो, सुधार लाने के बारे में सुझाव देता है।

(घ) इस योजना को उन क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय किया गया है जहां बड़े ऋण अन्तराल हैं। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी-अपनी राज्यस्तरीय समन्वय समितियों के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों का पता चलायें जहां कि इस योजना को लागू किया जा सके। पांचवी योजना की अवधि में भी इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चलता रहेगा।

(ङ) इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य ऋण-अन्तरालों, विशेष रूप से छोटे किसानों के वित्त-पोषण विषयक ऋण-अन्तरालों को भरना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समितियां छोटे खेतीहरों की आवश्यकताओं की ओर समुचित ध्यान दें, सदस्यों के ऋण-सीमा विवरण दो भागों में तैयार किये जाते हैं, जिनमें भाग (क) छोटे किसानों के बारे में और भाग (ख) दूसरों के बारे में होता है। 1974-75 के दौरान (अक्टूबर, 1974 तक) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारम्भिक कृषिक ऋण समितियों को संवितरित किए गए 1054 लाख रुपये के अल्पावधि ऋणों में से 190 लाख रुपये (जोकि कुल के 18 प्रतिशत के बराबर बैठते हैं) छोटे किसानों को दिये गये। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषक सेवा समितियों के संगठन और वित्त-पौषण से भी सम्बन्ध रखे जा रहें हैं,। जिनका छोटे किसानों पर विशेष रूप से जोर रहता है।

Development of Udaipur as a Tourist Centre

6701. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the schemes formulated to develop Udaipur (Rajasthan) as a tourist centre during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) the salient features of these schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) An expenditure of Rs. 30.89 lakhs was incurred in the Central Sector during the earlier Plan periods for providing tourist facilities at Udaipur. The development work estimated to cost Rs. 61.56 lakhs at Udaipur Aerodrome for facilitating Boeing-737 operations is in progress and the work is expected to be completed by September 1975.

Due to constraint on resources necessitating a selective approach, it has not been possible to include any fresh scheme for the development of facilities at Udaipur in the Central Sector during the current Plan. The State Government, however, has made the provision for the development of certain facilities at Udaipur in the Tourism Sector in the Fifth Five Year Plan.

पर्यटक तथा युवा होस्टल

6702. श्री गजाधर मांझी

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उन पर्यटक होस्टलों के तथा युवा होस्टलों के नाम क्या हैं जो अपने भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से गत तीन वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहें है ; और

(ख) क्या अनुदानों की पूरी राशियों का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने पर्यटक होस्टल/युवा होस्टल के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया है। शिक्षा मन्त्रालय ने भारत युवा होस्टल संगठन को नई दिल्ली में उनके युवा होस्टल

के निर्माण के लिए 1972-73 में दो लाख रुपये (एक-एक लाख रुपये की दो किस्तों में) का अनुदान दिया । इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया गया ।

पर्यटन विभाग का ऐसे स्थानों पर युवा होस्टलों तथा पर्यटक बंगलों का निर्माण करने का एक कार्यक्रम है जहां राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से विकसित भूमि की व्यवस्था की गई है । ऐसी प्रायोजनाओं की एक सूची, जिन पर पिछले तीन वर्षों में कार्य किया गया है, अनुबंध 1 में दी गयी है ।

भवनों का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं दिए जा रहे हैं ।

विवरण

क्रम सं० स्कीम

1. **आंध्र प्रदेश**
   1. युवा होस्टल, हैदराबाद ।
   2. वारंगल में पर्यटक बंगला ।
   3. मन्त्रालय में पर्यटक बंगला ।
2. **आसाम**
   गौहाटी में पर्यटक बंगला
3. **गोवा**
   पाणाजी में युवा होस्टल का निर्माण ।
4. **गुजरात**
   1. गांधीनगर में युवा होस्टल ।
   2. पोरबंदर में पर्यटक बंगला ।
5. **हरियाणा**
   1. पंचकुला में युवा होस्टल ।
   2. साहिबी नदी (धारूहेड़ा) पर पर्यटक बंगला ।
   3. सूरजकुंड पर पर्यटक बंगला ।
6. **हिमाचल प्रदेश**
   1. डलहोजी में पर्यटक बंगला ।
   2. धर्मशाला में पर्यटक बंगला ।
7. **जम्मू और काश्मीर**
   पटनी-टाप में युवा-होस्टल ।
8. **केरल**
   त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल ।
9. **मध्य प्रदेश**
   भोपाल में युवा होस्टल के भवन का निर्माण ।
10. **महाराष्ट्र**
    औरंगाबाद में युवा होस्टल ।
11. **उड़ीसा**
    पुरी में युवा होस्टल ।

12. पंजाब

1. अमृतसर में युवा होस्टल ।
2. लुधियाना में पर्यटक बंगला ।

13. राजस्थान

जयपुर में युवा होस्टल ।
जैसलमेर में पर्यटक बंगला ।

14. तमिल नाडु

1. मद्रास में युवा होस्टल ।
2. रामेश्वरम् में पर्यटक बंगला ।

15. उत्तर प्रदेश

नैनीताल में युवा होस्टल ।

16. पश्चिमी बंगाल

दार्जीलिंग में युवा होस्टल ।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा धनराशियों का लिया जाना

6703. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी गैर बैंकिंग कम्पनियां लोगों से धनराशियां ले रहीं हैं ;

(ख) इस प्रकार इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि एकत्र की है ;

(ग) क्या इससे बैंकों के जमा खाते बढ़ाने के प्रयासों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा धनराशि जुटाये जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जमाएं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग कम्पनियों की संख्या हजारों में है ; उनके नाम देने पर लगाया गया समय और परिश्रम उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । फिर भी, प्रत्येक राज्य में जमाएं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग कम्पनियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1973 और 1974 वर्षों के लिए गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की जांच की जा रही है और उनके द्वारा जुटाई गई जमाओं की मात्रा उक्त जांच पूरी हो जाने के बाद उपलब्ध होगी । तथापि, 31 मार्च, 1970, 1971, और 1972 को गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपने पास रखी गई जमाओं और छूट प्राप्त ऋणों की राशियों के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा जो सूचना दी गई है वह निम्नलिखित है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	जमाएं सूचित करने वाली गैर बैंकिंग कम्पनियों की संख्या	जमाएं	छूट प्राप्त ऋण	जोड़
1970	1995	217.9	287.3	505.2
1971	2002	231.7	337.0	568.7
1972	2879	419.4	272.4	691.8

(ग) इस प्रकार की भी शिकायतें रही हैं कि गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपने यहां स्वीकृत की गई जमाओं पर ऊंची दरों से ब्याज देने के कारण, बैंकों द्वारा जमाएं इकट्ठी करने के काम पर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) रिजर्व बैंक ने, 27 जनवरी, 1975 से उस जमा राशि की मात्रा घटा दी है जो गैर बैंकिंग कम्पनियां निदेशकों द्वारा दी गयी गारण्टी पर अप्रत्याभूत ऋणों और शेयर धारकों की जमाओं के रूप में स्वीकार कर सकती है और वह राशि उन कम्पनियों की चुकता पूंजी और उनके शुद्ध निर्बन्ध कोषों के कुल योग के 25 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही जनता से गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों को हतोत्साहित करने के लिये 1975 के वित्त विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि कम्पनियों की करा-धान-योग्य आय का निर्धारण करते समय, जनता से प्राप्त जमाओं पर, उनके द्वारा अदा किये गये ब्याज की राशि के केवल 85 प्रतिशत भाग को ही, कर प्रयोजनों के लिये, 'व्यय' मानने की अनुमति दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की लेखा परीक्षा

6704. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की लेखा परीक्षा कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रकिया अपनाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार इन देशों में आने वाले युवा चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स को प्राथमिकता दे रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा के वास्ते चुने गये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्ध बैंकों के बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, क्रमावर्तन (रोटेशन) प्रणाली के आधार पर करते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक इस प्रयोजनार्थ लेखापरीक्षकों का प्रारंभिक चयन सरकार द्वारा भारतीय रिजव बैंक के माध्यम से भेजी गई लेखापरीक्षकों की सूची में से करते हैं। रिजर्व बैंक लेखापरीक्षकों के नामों की सूची राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेज देता है, ताकि बैंक अपनी शाखाओं के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के वास्ते चयन कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को लेखापरीक्षकों की सूचियां भेजते समय जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखता है, वे यह हैं : सम्बद्ध बैंक का कार्यचालन-क्षेत्र, उसका शाखा-जाल, लेखा-परीक्षक फर्मों के कार्यालयों के स्थान, और सम्बद्ध बैंक द्वारा आडिट करायी जाने वाली शाखाओं की संख्या। बैंकों द्वारा नियुक्ति के लिये चुने गये लेखापरीक्षकों के नाम बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(1) की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्तिम अनुमोदन के लिए भेज दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखापरीक्षकों के नामों का अनुमोदन कर देने के बाद, इस प्रकार चुने हुए लेखा-परीक्षकों को शाखा के लेखापरीक्षा कार्य का वास्तविक आवंटन बैंक स्वयं करते हैं।

(ख) और (ग) चूंकि लेखापरीक्षा के वास्ते चुनी गयी शाखाओं की संख्या वर्ष-प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, अतएव, इस व्यवसाय में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या में प्रविष्ट होने वाले ऐसे नवागंतुकों को प्रर्याप्त अवसर सुलभ हैं, जिन्हें बैंक आडिट का अनुभव हो।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमाई गयी कुल आय

6705. श्री बालकृष्ण बेकन्ना नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान ऋण नियंत्रण लागू किये जाने से पूर्व चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋणों से ब्याज के रूप में कुल कितनी आय कमाई ; और

(ख) यदि अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण पूर्व जैसी स्थिति है तो क्या ऋण लेने वालों को ब्याज वापस लौटाने के रूप में कोई लाभ दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मई, 1973 से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के ऋण को सीमित करके अनिवार्य उत्पादन की तात्कालिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उपलब्ध करने के वास्ते अनेक मौद्रिक उपाय किये हैं। जमाओं और अग्रिमों दोनों पर ही ब्याज की दरों का पुनर्निधारण इन उपायों में से एक है और परिणामस्वरूप बैंकों की सकल आय और व्यय दोनों में ही वृद्धि हुई हैं। इन उपायों के लागू किये जाने से पहले और बाद की सकल आय के विषय में, अलग से आंकड़े नहीं रखे गये हैं, किन्तु इनके परिणाम बैंकों के प्रकाशित वार्षिक लेखों में प्रतिबिम्बित होते हैं।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1973 में ब्याज और बट्टे के रूप में कमाई हुई आय 430.16 लाख रुपये थी जबकि 1972 में यह आय 342.02 लाख थी। 1974 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी इनके 1974 के लेखों की लेखा-परीक्षा पूरी नहीं हुई है।

(ख) ब्याज की दरें किसी ऋणकर्त्ता को ऋण सीमाएं, यथास्थिति, स्वीकृत/पुर्नवीकृत/परिवृद्धित/न्यून करने के समय निर्धारित कर दी जाती है। किसी बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए इस प्रकार स्वीकृत सीमाओं पर वसूल किये गये ब्याज की दर उक्त अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रायः भूतलक्षी रूप से परिवर्तित नहीं की जाती है।

विमानन के लिये अग्नि-शामक उपकरण

6706. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पीछे हाल ही में विमानन के लिए अग्नि-शामक उपकरण खरीदने में कथित अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 20 क्रैश फायर टेंडरों के लिये एक विश्वव्यापी टेंडर के प्रत्युतर में एक डच फर्म, अर्थात् मैसर्स गेबर क्रोनेनबर्ग, हालैंड को, जिनका तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव न्यूनतम था, 24 जून, 1974 को एक अग्रिम क्रयादेश का एक केबल भेजा था। औपचारिक संविदा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। फर्म की विशिष्टताओं, क्षमता आदि के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन की जांच कर ली गई है और सभी दृष्टिकोणों से यथा-सम्भव पूरी एहतियात एवं सावधानी बरतते हुए एवं प्राधिकरण के हितों की पूर्ण रक्षा करते हुए संविदा को अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव है।

नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अपेक्षित 16 क्रैश फायर टैंडरों की सप्लाई के लिये संभरण तथा निपटान के महानिदेशक ने मैसर्स कानराड रोजेनबाअर, आस्ट्रिया को एक क्रयादेश दिया है। एक फर्म ने, जिस का टैंडर स्वीकार नहीं किया गया था, संभरण तथा निपटान के महानिदेशक को अभ्यावेदन दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

आयकर विभाग में पदोन्नति

6707. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग तथा प्रशासन सुधार विभाग के पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने वाले कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-ई० एस० टी० (एस० सी० टी०), दिनांक 27-11-72 को आयकर विभाग के सभी कार्यालयों में आदेशों की तिथि से लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन आदेशों को उनके लागू होने की तिथि से लागू करने के लिए अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को दिए गये ऋण

6708. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु उद्योगों को सीधे तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से (बैंकवार) कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए;

(ख) उक्त अवधि में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋणों के लिए लघु उद्योगों के कुल कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किए; और

(ग) ऋणों के लिए आवेदन-पत्रों के मंजूर अथवा नामंजूर करने के लिए यदि किन्हीं सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

मिन्त्री टी कम्पनी, कलिम्पोंग

6709. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग सिलीगुड़ी सबडिवीजन में गया गंगा दी टी एस्टेट में नए पौधे लगाने के कार्य का विस्तार करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 33 ए के अधीन मिन्त्री टी कम्पनी, कलिम्पोंग को कोई विकास छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो छूट दिए जाने के प्रत्येक वर्ष के दौरान जितने क्षेत्र में नई पौध लगाई गई, उसका ब्यौरा क्या है, दो वर्षों के लिए नए पौधों के रख-रखाव और भूमि की तैयारी सहित वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई, कितनी विकास छूट का दावा किया गया और कितनी विकास छूट की मंजूरी दी गई और उस नई पौध लगाने के कार्य को पूरा करने के समर्थन में किस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) क्या अगस्त-सितम्बर, 1972 में इस क्षेत्र से पौधों को उखाड़ दिया गया था और कर योग्य आय को कम करने की दृष्टि से वर्ष 1972-73 के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि सम्बन्धी लेखे में पौधे उखाड़े जाने के खर्च को शामिल किया गया था और चाय बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से पौधे उखाड़े जाने के लिए पुनरोपण राजसहायता की पहली किस्त के रूप में 2.76 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां । संगणना वर्ष 1968, 1969 और 1970 के लिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 33 ए के अन्तर्गत दावा की गई विकास छूट, विभाग द्वारा स्वीकृत विकास छूट, नए पौधे लगाया गया क्षेत्र और खर्च की गई वास्तविक रकम के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

संगणना वर्ष	1968	1969	1970
दावा की गई विकास छूट (रुपयों में)	101114	63970	45166
स्वीकृत विकास छूट (रुपयों में)	101114	63970	45166
नए पौधे लगाया गया क्षेत्र (हैक्टरों में)	37.63	16.34	17.30
खर्च की गई वास्तविक रकम (रुपयों में)	127940	90332	70442

जितने हैक्टर जमीन में नए पौधे लगाए गए, उसके परिणाम को चाय बोर्ड ने प्रत्येक वर्ष के लिए प्रमाणित किया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय रूई निगम के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं

6710. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1975 के ब्लिट्ज में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रूई निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के कारण गत चार वर्षों में भारतीय रूई निगम तथा रूई का उत्पादन करने वाले किसानों को अनुमानत: 15 करोड़ रुपयों की हानि हुई है;

(ख) इस बारे में सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस मामले को अग्रेतर जांच के लिए तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विचार है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट में दिया गया हवाला मुख्यत: कतिपय राज्यों में भारतीय रूई निगम द्वारा की गई रूई की खरीद, बंगला-देश को रूई की बिक्री तथा भारतीय रूई निगम में की गई कुछ नियुक्तियों और इसी तरह के अन्य प्रशासनिक मामलों के बारे में था। अनेक आरोपों को अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में उर्वरक के उत्पादन के लिए विश्व बैंक से ऋण

6711. श्री अनादि चरण दास

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक ने ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसका किन परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) और इससे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो आसान शर्तों पर ऋण दिया करता है, निम्नलिखित उर्वरक परियोजनाओं के लिए कुल 3380 लाख डालर के ऋण की मंजूरी दी है :-

परियोजना	स्रोत	ऋण की रकम लाख डालरों में	करार की तारीख
1. कोचीन दूसरा चरण	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	200	30-7-71
2. गोरखपुर	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	100	7-1-72
3. नांगल विस्तार	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	580	9-2-73
4. ट्रोम्बे-उर्वरक विस्तार और संयंत्र के संचालन कार्य में सुधार	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	500	19-6-74
5. सिंदरी	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	910	18-12-74
6. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति संगठन	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1090	24-1-75
	जोड़	3380 लाख डालर	

इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के औद्योगिक आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण का एक भाग शैल फास्फोट, गंधक, फास्फोरिक एसिड आदि जैसे उर्वरक तैयार करने के काम आने वाले बाहर से मंगाये जाने वाले कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

वोल्गा रेस्तरां, बम्बई

6712. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वोल्गा रेस्तरां, बम्बई और वोल्गा फ्रोजन फूड एण्ड आइस क्रीम, बम्बई के मामलों में कितनी जाली हुंडियों का पता लगा है;

(ख) इन मामलों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रत है;

(ग) हुन जाली हुंडियों पर सरकार को अभी तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(घ) कौन कौन से लेखा वर्ष अभी भी विवादग्रस्त हैं तथा पत्येक वर्ष के मामले में, अलग अलग कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जांच पड़ताल चल रही है और वह पूरी होने पर ही यह पता चल सकेगा कि इन मामलों में ग्रस्त हुंडियों की ठीक संख्या क्या है, और उनमें कितनी रकम ग्रस्त है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हुंडी ऋणों के बारे में कर-निर्धारण वर्ष 1955-56 से 1967-68 तक के लिए विवाद चल रहा है। जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं होने से प्रत्येक साल के लिए ठीक ठीक आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

कर्नाटक में बांदीपुर स्थित वन्य जीव अभयस्थली तथा पक्षी अभयस्थली

6713. श्री के० चिक्कलिंगैया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बांदीपुर वन्य जीव अभयस्थली के विकास के लिए कोई कार्यक्रम मंजूर किया है और यदि हां, तो उस पर कर्नाटक सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाना है;

(ख) क्या ऐतिहासिक स्थान श्री रंगापत्तन के निकट रंगनाथिट्टू में पक्षी अभयस्थली कावेरी नदी द्वारा बनाये गए द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक पक्षी अभयस्थली है; और

(ग) क्या अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार इस अभयस्थली का विकास करने हेतु कदम उठाने का है और यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बांदीपुर वन्य जीव शरण-स्थान पर 7.22 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक विश्राम गृह के निर्माण के लिए चौथी योजनावधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा मंजूरी जारी की गई थी। बाद में निर्माण-कार्यों पर लगे प्रतिबंध के कारण, बांदीपुर प्रायोजना के निर्माण-कार्य को स्थगित कर दिया गया। प्रायोजना पर निर्माण-कार्य को, नए निर्माण-कार्यों पर लगे प्रतिबंध को उठा लेने के पश्चात्, चालू योजनावधि के दौरान प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

एक मिनी-बस के अतिरिक्त, जिसकी कि चौथी योजनावधि के दौरान 0.42 लाख रुपए की लागत से वन्य जीव दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है, बांदीपुर वन्य जीव शरण-स्थान पर एक और मिनी-बस की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजनावधि के दौरान बांदीपुर वन्य जीव शरण-स्थान पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 5 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(ख) पक्षी शरण-स्थल में एक नदी का एक भाग तथा इसके अंदर के द्वीप समूह सम्मिलित हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

6714. श्री हरि सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में अशोधित तेल के आयात के लिए कम विदेशी मुद्रा नियत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश

6715. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सांविधिक न्यूनतम राशि से अधिक राशि का पूंजी निवेश करने के लिए जोर दे रहा है जबकि जीवन बीमा निगम द्वारा किये गए अन्य पूंजी निवेश के अनुपात में यह लाभ कम है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों तथा (ऋणों सहित) ऋण-पत्रों में जीवन बीमा निगम के निवेश के लिए कोई कानूनी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसलिए, जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसी कानूनी न्यूनतम सीमा से अधिक निवेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

Purchase of Indian Tea by Foreign Countries

6716. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether several more countries have shown interest in purchasing Indian tea in the international market;

(b) if so, names of those countries; and

(c) whether the demands of those countries can be met with existing tea production capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The more important buyers of Indian teas are U. K. followed by USSR, Sudan, A. R. E., Afghanisthan, U. S. A. and Iraq. The possibilities for exploring newer markets for tea is kept under constant review.

(c) Yes, Sir.

जीवन बीमा निगम द्वारा जन साधारण को लूटना

6717. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1975 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जनसाधारण को लूट रहा है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। उक्त समाचार में जीवन बीमा निगम के बढ़े हुए प्रबंध-व्यय और उसे कम करने के बारे में सामान्य मत व्यक्त किये गये हैं ताकि प्रीमियम की दरों में कमी की जा सके और पालिसी-धारियों को अपेक्षाकृत अधिक बोनस दिया जा सके।

(ख) इन मामलों की सरकार तथा जीवन बीमा निगम द्वारा सतत समीक्षा की जाती है। निगम में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) व्यय पर नियंत्रण के भाग के रूप में प्रशासनिक कर्मचारियों की संवर्ग-संख्या उसी स्तर पर अवरुद्ध रखी गई है जो 1-4-1974 को थी।

(ii) कार्यविधियों को सरल बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया गया है जिससे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किये बिना ही अधिकारी काम की बढ़ी हुई मात्रा को निपटा सकें।

(iii) निवेशों का सावधानीपूर्वक चुनाव करके और नकद प्राप्तियों को सुनियोजित करके ब्याज से प्राप्त होने वाली आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है।

इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता की शाखाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों का आरक्षण

6718. श्री पी० एस० सईद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973, वर्ष 1974 और वर्ष 1975 के पहले दो महीनों में कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं में टाइपिस्ट, क्लर्क और कैशियर के कितने पद भरे गये;

(ख) इस अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रत्येक वर्ग में कितने पदों का आरक्षण किया गया ;

(ग) क्या आरक्षित किए गये सभी पद भर दिये गये थे ;और

(घ) यदि नहीं, तो बाकी आरक्षित पदों को खाली रखने के क्या कारण हैं जब कि बहुत बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा वस्तुत: पास कर ली थी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इलाहाबाद बैंक की कलकत्ता में अवस्थित शाखाओं में 1973, 1974 और 1975 के पहले दो महीनों में क्लर्क, टाइपिस्ट और कैशियरों की भरती का ब्योरा नीचे दी गयी तालिका में प्रस्तुत है :–

	1973	1974	1975 के पहले दो महीने
क्लर्क	75	81	11
टाइपिस्ट	41	6	2
कैशियर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ख) इस अवधि के दौरान क्लर्क और टाइपिस्टों के वर्गों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के वास्ते क्रमश: 78 और 14 पद आरक्षित थे ।

(ग) और (घ) बैंक ने बताया है कि उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभाव में आरक्षित सभी पद नहीं भरे जा सके । जो रिक्तियां भरी नहीं गयी है, वे भावी भरतियों के लिए अग्रेनीत (कैरीड ओवर) रहेंगी ।

जब्त की गई वस्तुओं का निपटान

6719. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में तस्करों से पकड़ी गयी और जब्त की गई आयातित वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) इन वस्तुओं का निपटान किस तरीके से किया गया था ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी राशि एकत्र की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैक्सीको के साथ व्यापार

6720. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सीको ने भारत के साथ और अधिक व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मैक्सीको ने भारत के साथ और अधिक व्यापार प्रबन्धों के लिए औपचारिक इच्छा व्यक्त नहीं की है । फिर भी, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भाव्यता पर दोनों पक्षों द्वारा समय समय पर विचार-विमर्श किया गया है और इसका पुनर्विलोकन किया जाता रहता है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवा में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध

6722. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नई नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी निगमों/उपक्रमों में नियुक्तियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) खर्चे में किफायत करने की दृष्टि से और विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में 'प्रगामी' कार्यों तथा कर्मचारियों सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं की समीक्षा किये जाने तक, कतिपय अपवादों के साथ, गैर-तकनीकी तथा गैर-प्रचालनात्मक वर्गों में नयी भरती पर रोक लगा दी गयी है।

(ग) तथा (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी किफायत करने की दृष्टि से प्रशासनिक मन्त्रालयों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों को ऐसे ही मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए कह दिया गया है।

आयकर सेवा में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या

6724. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर सेवा में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी वित्त मंत्रालय में आयकर आयुक्त निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) आयकर सेवा में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं जिन्होंने 18 वर्षों से अधिक की अवधि की सेवा पूरी कर ली है लेकिन इन अधिकारियों को अभी तक उपरोक्त पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(ग) इन अधिकारियों को ऊंचे पदों पर उनका निर्धारित भाग देने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर सेवा, श्रेणी I का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, जो आयकर आयुक्त अथवा वित्त मन्त्रालय में निदेशक अथवा संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहा हो।

(ख) आयकर सेवा, श्रेणी–I में अनुसूचित जाति के 5 अधिकारी हैं जिन्होंने श्रेणी–I में सेवा के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं परन्तु जिनकी उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी ने आयकर सेवा श्रेणी–I में 18 वर्ष पूरे नहीं किये हैं।

(ग) आयकर आयुक्तों के पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर आय-कर के अतिरिक्त आयुक्तों/सहायक आयुक्तों को तरक्की देकर की जाती है। पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार उनके वरिष्ठता क्रम के तथा निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार किया जाता है।

आयकर आयुक्तों के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। इन पदों पर पदोन्नति के लिए अब तक किये गये चयन में, वर्तमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार-परिधि में शामिल होने योग्य वरिष्ठ नहीं रहे हैं। जैसे ही इन में से कोई अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार परिधि में आने योग्य वरिष्ठता रखेगा, पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उपलब्ध रिआयतों सम्बन्धी संगत आदेशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

2. केन्द्र में निदेशक और संयुक्त सचिव के नियतकालिक पदों पर नियुक्तियां उन सूचियों में शामिल अधिकारियों में से की जाती हैं जो विभिन्न संगठित श्रेणी–I सेवाओं के नियंत्रण अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की जाती है। उक्त विभाग को जिन अधिकारियों की सिफारिश की जाती हैं उस सूची में शामिल करने के लिए आयकर सेवा श्रेणी–I के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र अधिकारियों के नामों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात

6725. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, हरियाणा का कितना बासमती चावल निर्यात किया गया;

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(घ) चालू वर्ष, तथा आगामी वर्ष, वर्षवार हरियाणा का कितना बासमती चावल निर्यात करने का विचार है; और

(घ) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और इस लिये अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है।

करों की बकाया राशि

6726. श्री राम सहाय पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में आयकर और धनकर की बकाया राशि में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। 1974-75 में आयकर और धनकर की बकाया मांग से संबंधित आंकड़े 31 दिसम्बर, 1974 तक के ही उपलब्ध हैं। 31 दिसम्बर, 1974 को और 31 दिसम्बर, 1973 को आयकर और धन-कर की सकल मांग और शुद्ध बकाया निम्नानुसार थी :–

निम्नलिखित तारीख की स्थिति	आयकर		धनकर	
	सकल मांग	शुद्ध बकाया	सकल मांग	शुद्ध बकाया
	(करोड़ रुपयों में)			
31-12-74	802.06	576.42	34.52	25.04
31-12-73	714.10	527.43	28.18	19.90

किसी तारीख को सकल मांग में केवल पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया मांग ही नहीं, बल्कि उस तारीख तक उत्पन्न चालू मांग भी शामिल रहती है तथा वह मांग भी शामिल रहती है जो अदायगी के लिए देय नहीं हुई होती है। किसी भी तारीख को शुद्ध बकाया निकालने के लिए सकल मांग में से मांग की निम्नलिखित मदें घटा दी जाती हैं :–

(i) जो रकमें देय नहीं बनी।

(ii) वे रकमें जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे अग्रिम-कर, स्वनिर्धारण कर के रूप में अथवा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में अदा की गई हैं, परन्तु जो तस्दीक तथा समायोजन के लिए बाकी रहती हैं।

(iii) वे रकमें जिनके सम्बन्ध में, विभिन्न प्राधिकारियों ने अथवा न्यायालयों ने स्थगन-आदेश दिये हैं।

(iv) वे रकमें, जो किस्तों में वसूल के लिए मंजूर हैं।

यह ऊपर बताया ही गया है कि किसी भी तारीख को सकल मांग और शुद्ध बकाया में पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया मांग तथा चालू मांग शामिल रहती हैं। आयकर की अप्रैल से दिसम्बर 1974 के बीच जारी की गई चालू मांग 475.74 करोड़ रु० थी जो अप्रैल से दिसम्बर 1973 के बीच जारी की गई 325.79 करोड़ रु० की चालू मांग से काफी अधिक थी। धन-कर की बकाया में वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) बकाया मांग को वसूल करने के लिए आयकर अधिनियम 1961/धन-कर अधिनियम 1957 में निहित उपाय, प्रत्येक मामले की पारस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, किये गये हैं और किए जा रहे हैं।

उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों को उनके उत्पादन के साथ सम्बद्ध करना

6727. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों को उनके उत्पादन के साथ सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो, क्या इस बारे में बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के समय से बैंकों का दृष्टिकोण यह बन गया है कि उद्योगों को ऋण प्रदान करने के कार्य को ऋणकर्त्ता की हैसियत और उसके संबंधों, ऋणकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूति, तथा तीसरे पक्ष की गारंटी मिलने न मिलने आदि के विचार से जोड़ने के बजाय उसकी उत्पादन विषयक आवश्यकताओं तथा अन्य तत्संबंधित जरूरतों से जोड़ा जाए। उत्पादन विषयक आवश्यकताओं का मूल्यांकन वैज्ञानिक आधार पर सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अध्ययन-दल का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऋणकर्त्ताओं से (1) व्यवसाय एवम् उत्पादन आयोजनाओं, (2) इन आयोजनाओं से संबंधित ऋण आवश्यकताओं के बारे में नियतकालिक अनुमान प्राप्त करने के विषय में जांच करेगा और इसके बारे में सिफारिशें करेगा। इस अध्ययन दल के उद्देश्य हैं : ऋणकर्त्ताओं की उत्पादन विषयक यथार्थ आवश्यकताओं के वास्ते बैंक-ऋण से संबंधित बैंक के प्रयासों को एक स्तर तक युक्तिसंगत बनाना और मूल्यवृद्धि की प्रत्याशा में बड़ी मात्रा में स्टाक रखने पर रोक लगाना। अध्ययन दल का विचार-विमर्श अभी चल रहा है।

चाय बोर्ड के संवर्धन के लिये विदेशी मुद्रा की मंजूरी

6728. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बोर्ड के संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों, उत्तर अफ्रीका, जापान और पश्चिम यूरोपीय के कुछ देशों की नई मंडियों में चाय का निर्यात करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975-76 के बजट में भारत से बाहर चाय संवर्धन के लिए 165.71 लाख रु० की व्यवस्था की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य संवर्धन, एक राष्ट्रीय संवर्धन, स्थानीय ब्लेण्डरों/पैकटों के सहयोग से भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन, विपणन अध्ययन तथा नए बाजारों का पता लगाने के लिए प्रतिनिधिमंडल, व्यापार प्रतिनिधिमंडल आदि के काम भी शामिल हैं।

(ग) तथा (घ) भारतीय चाय के लिए नये बाजारों का सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर लगातार पुनर्विलोकन किया जा रहा है तथा जो सर्वेक्षण आवश्यक समझे जायेंगे वे इस पुनर्विलोकन के बाद ही किये जा सकते हैं।

Visit of Commerce Minister to Iraq

6729. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether he had visited Iraq on 19th March, 1975 in order to resolve difficulties in regard to oil; and

(b) if so, the main features of the talks held there in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विद्युतचालित करघा एककों का बन्द होना

6730. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से विद्युतचालित करघा एककों के फिर से बन्द होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को बन्द न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Exchange Earnings from Jute Products

6731. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government are apprehending considerable fall in the foreign exchang earnings from jute products during 1975-76;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the scheme being formulated to ensure adequate foreign exchange earnings from jute products ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Declining trends in the export contracts registration has caused the apprehension of a likely fall in export earnings from jute manufactures in the year 1975-76.

(b) Major reasons for the decline is increasing competition from synthetics and recession in the countries which are our principal export markets.

(c) A high level fact finding team was deputed to United States and Canada to make an in-depth study of the problems and suggest corrective measures. The report of the Team has been received and follow-up action is being taken.

पर्यटन विकास योजना

6732. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन विकास के लिए कोई व्यापक दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । दूसरी पंचवर्षीय योजना से पर्यटन सुविधाओं का विकास राष्ट्रीय योजना में शामिल किया जा रहा है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । चौथी योजना की विकास रूपरेखा में मुख्यत: पर्यटन के आधारभूत उपादानों (आवास एवं यातायात सुविधाओं) का निर्माण, भारत को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटकों को और अधिक

संख्या में आकृष्ट करने के लिये चुने हुये स्थानों का पर्वतीय तथा समुद्रतटीय विहार स्थलों के रूप में विकास, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, तथा वन्य जीव पर्यटन का विकास शामिल है । पांचवीं योजना में भी विकास की यही प्रक्रिया जारी रहेगी । केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन विकास योजनाओं पर 78 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

काफी तथा तम्बाकू के निर्यात स्तर को बनाए रखना

6733. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चालू वर्ष के दौरान काफी तथा तम्बाकू के वर्तमान निर्यात स्तर को बनाये रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख)

काफी : जहां तक मात्रा सम्बन्धी लक्ष्य का संबंध है, चालू निर्यात स्तर 1975-76 के दौरान भी बने रहने की संभावना है । अंतर्राष्ट्रीय काफी कीमतों की वर्तमान प्रवृति को देखते हुए, 1975-76 के दौरान भारत से काफी के निर्यातों का मूल्य 55 करोड़ रुपये के लगभग होने की आशा है ।

तम्बाकू : चालू निर्यात प्रवृति बने रहने की संभावना है और 1975-76 के दौरान निर्यातों के मूल्य 80 करोड़ रु० के लगभग अथवा उससे ऊपर के स्तर पर रहेंगे ।

Steps to promote Mica Trade

6734. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the Chairman of Minerals and Metals Trading Corporation had recently visited Giridih and Kodarma areas and held talks with officers, traders and labour representatives about the problems relating to mica;

(b) whether various trade and labour organisations had also submitted memoranda to him at that time; and

(c) if so, the concrete steps being taken to promote mica trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) Participation of Mica Trading Corporation in export trade in mica is being enhanced and steps are being taken to promote exports of fabricated mica and other mica products.

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों को मुनाफा

6735. श्री भान सिंह भोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1973-74 में और अधिक मुनाफा अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका कारण तथा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर 1974 में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली 355 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के संबंध में किये गये अध्ययन के अनुसार उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की दर के (ब्याज प्रभार को छोड़कर) कुल खर्च की वृद्धि की दर से अधिक रहने के कारण 1973-74 में सकल लाभ में कुछ वृद्धि हुई थी ।

ताश के पत्तों का आयात

6736. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताश के पत्तों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, ताश के पत्तों का आयात करने में कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत ताश का आयात करने की अनुमति नहीं है । तथापि, ताश का आयात कम मूल्य के विज्ञापन माल के रूप में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया गया होगा, जिसके अन्तर्गत किसी प्रकार के विज्ञापन माल की एक खेप में 400 रु० के मूल्य तक के आयात किए जाने की अनुमति है ।

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान क्रमश: 341 रु०, 11,412 रु० तथा 1046 रु० के मूल्य के ताशों का वास्तविक आयात हुआ ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सैनिक वर्दी, जूते आदि (साफ्ट वेयर) का निर्यात

6737. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सैनिक वर्दी, जूते आदि (सोफ्ट वेयर) के निर्यात के सम्बन्ध में तेल सम्पन्न देशों में भारी सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1974-75 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने पश्चिम एशिया के देशों को सैनिक साफ्ट वेयर के निर्यात के लिए 17.47 करोड़ रु० मूल्य की संविदायें की हैं । 1974-75 के दौरान इन संविदाओं के अंतर्गत 6.80 करोड़ रु० की राशि के निर्यात हुए जबकि 1973-74 में 0.82 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे ।

मैसर्स ग्रिंडले बैंक के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

6738. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज ग्रिंडले बैंक के कर्मचारियों से मार्च, 1975 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विदेशी मुद्रा विदेशों में भेजने में प्रबन्धकों द्वारा किए जाने वाले गम्भीर कदाचारों, छोटे जमाकर्त्ताओं को सुविधायें न देने तथा कार्यकुशलता के नाम पर कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सर्वश्री ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों से मार्च, 1975 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रबन्धकों पर श्रमिक विरोधी व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है ।

(ग) केन्द्रीय श्रम मंत्री के कहने पर सम्बद्ध पक्षों में आपस में बातचीत आरम्भ हो गयी है ।

एक प्रतिशत (1%) उत्पादन शुल्क

6739. **श्री शरद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 के केन्द्रीय बजट में 1 प्रतिशत उत्पादन शुल्क (मूल्यानुसार) का कम अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) पूरे भारत में फैले बहुत से एककों से एक प्रतिशत की दर से विभिन्न समाहर्ता कार्यालयों में शुल्क की जिस रकम के वसूल किये जाने की संभावना है, उसके सम्बन्ध में पूर्ण और विस्तृत सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि इस शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व, 24 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक होगा अथवा नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

वर्ष 1975-76 के दौरान विदेशी सहायता

6740. श्री आर०वी० स्वामीनाथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान भारत को उपलब्ध होने वाली विदेशी सहायता की मात्रा का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने यह सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ग) अमेरिका कितनी सहायता देगा ; और

(घ) इन ऋणों से कौन कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत को 1975-76 के दौरान अनुमानत: लगभग 1250 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होगी। यह सहायता उन वायदों के अंतर्गत प्राप्त होगी जो पहले किये जा चुके हैं और जो 1975-76 के दौरान नये वायदे मिलेंगे।

(ख) फ्रांस और नीदरलैण्ड के साथ, 1975-76 में सहायता के नये वायदों के लिए करार किये जा चुके हैं।

(ग) 1974-75 के अन्त तक सहायता का जो वायदा पहले किया गया है उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 100 करोड़ रुपया मिलने की सम्भावना है।

(घ) इन ऋणों में से, उर्वरकों, कोयला, बिजली दूर-संचार, रेलों, सिंचाई सहित कृषि विकास, जलपूर्ति व नगर विकास जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं का खर्च पूरा करने की सम्भावना है।

Indian Trade Missions in Foreign Countries

6741. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether there are 53 Indian Trade Missions in foreign countries at present and if so, the names of those countries;

(b) the amount of administrative expenditure Government have to bear in respect of each of them at present and whether Government also verifies that these Trade Missions functioning in various countries are doing some useful work and if so, in what manner;

(c) the function of these Indian Trade Missions and whether Government takes action against those Trade Missions which are not functioning properly and the nature of the action taken; and

(d) whether any action has been taken against any Trade Mission since 1972 todate?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (d) A statement is attached.

Statement

There are 53 Indian Missions abroad. The Stations where these are located and the expenditure likely to be incurred by the Govt. as estimated during 1975-76 are given below: –

		(In Rupees)
1.	London	7,50,400
2.	Paris	5,32,000
3.	Rome	4,11,000

4.	Stockholm	2,33,200
5.	Geneva	4,15,600
6.	Berne	2,38,900
7.	Brussels	8,01,400
8.	Frankfurt	6,46,100
9.	Hamburg	4,99,600
10.	Bonn	1,81,000
11.	Belgrade	2,13,100
12.	Bucharest	1,23,600
13.	Budapest	1,37,000
14.	Moscow	5,52,300
15.	Prague	1,90,500
16.	Warsaw	3,64,400
17.	New york	7,13,600
18.	Washington	3,93,600
19.	San Francisco	3,48,600
20.	Ottawa	4,32,300
21.	Vancouver	3,08,000
22.	Aden	69,600
23.	Amman	3,41,000
24.	Algiers	50,600
25.	Baghdad	2,22,900
26.	Beirut	1,59,600
27.	Cairo	2,51,900
28.	Damascus	1,42,900
29.	Jeddah	1,87,800
30.	Khartoum	3,13,600
31.	Rabat	87,300
32.	Tunis	3,38,400
33.	Tripoli	1,49,000
34.	Addis Ababa	1,99,700
35.	Accra	1,35,100
36.	Dakar	86,500
37.	Dar-es-Salaam	1,30,900
38.	Kampala	96,900
39.	Lagos	2,90,000
40.	Nairobi	1,90,700
41.	Lusaka	1,62,100
42.	Port Louis	26,000
43.	Bangkok	2,77,400
44.	Djakarta	1,08,000
45.	Hongkong	1,73,900
46.	Kathmandu	80,600
47.	Manila	1,07,000
48.	Rangoon	99,100
49.	Sydney	8,33,700
50.	Tokyo	6,82,400
51.	Colombo	1,93,100
52.	Dacca	1,06,300
53.	Tehran	2,64,300

The functions of the Trade Missions include the following:—

(1) To advise and assist the Head of Mission on matters of Trade, Industry and Finance.

(2) To report on developments that are likely to affect India's trade with the country in which he is posted.

(3) To answer trade enquiries from Indian exporters.

(4) To arrange for comprehensive market surveys to be conducted through specialised agencies or by his own staff on selected commodities.

(5) To settle trade disputes.

(6) To service Export Promotion Councils etc. in the field of tenders announced in the country concerned.

(7) Supervise publicity for India's export potential through Exhibitions, display, Bulle - tins etc.

Our Trade Missions have been rendering effective service to further India's trade objectives. Government is also alive to the need to constantly review and where necessary modify their functioning and administrative support to enable them to meaningfully respond to the changing requirements of export promotion.

Non-payment of Income Tax Deducted from the Salaries of employees of M/s. Globe Motors, Delhi.

6742. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether M/s. Globe Motors Delhi which deduct Income tax from the salaries of their employees every month do not deposit it with Government regularly because ef their connivance with Income Tax Officers;

(b) if so, whether they have not deposited the amount of Income-tax deducted from the salaries of the emplpyees during the period from August, 1974 to 31st March, 1975; and

(c) the action taken by Government against the Income Tax Officers with whose connivance M/s. Globe Motors, Delhi have not deposited Income tax?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Department is not aware of any instance of M/s. Globe Motors Limited Delhi not depositing the tax deducted by them from the salaries of employees every month in the Government account because of connivance with the Income-tax Officers.

(b) M/s. Globe Motors Limited Delhi has been depositing the tax deducted at source during Financial year 1974-75 from the salaries of the employees till June 1974 to Government Account. However, from August 1974 to March 1975 there is no evidence of any payment having been made in respect of tax deducted from the salaries of its employees. Department does not have any evidence to show that such non-deposit is with the connivance of the officers of the Department.

(c) Does not arise.

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के जहीराबाद शाखा (आन्ध्र प्रदेश) के अधीनस्थ स्टाफ के एक कर्मचारी द्वारा एक चेक के मामले में की गई धोखाधड़ी

6743. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के डिविजनल मैनेजर को जहीराबाद शाखा (आन्ध्र प्रदेश) के अधीनस्थ स्टाफ के एक कर्मचारी को एक चेक के मामले में धोखाधड़ी करने का अपराधी पाये जाने के कारण उसे मुअत्तिल करने को कहा गया है ;

(ख) क्या आल इण्डिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा दबाव डाले जाने के कारण मुअत्तिल आदेशों को लागू नहीं किया जा सका है"; और

(ग) इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बैंक के डिविजनल मैनेजर ने सम्बद्ध कर्मचारी को निलम्बित किये बिना ही कर्मचारी का स्पष्टीकरण बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भेजा था। इस कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में अपना दोष स्वीकार करते हुए सहानुभूति के लिये अनुरोध किया था और अपनी युवावस्था को दृष्टिगत रखते हुए सेवा समाप्ति से कम किसी भी दण्ड को स्वीकार करने के वास्ते अपनी रजामन्दी जाहिर की थी और भविष्य में अच्छे आचरण का आश्वासन दिया था। सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए डिवीजनल मैनेजर की सिफारिश पर, बैंक ने सम्बद्ध कर्मचारी को उसकी दो वेतन-वृद्धि रोकने का दण्ड दिया और साथ ही यह कड़ी चेतावनी भी दी कि भविष्य में वह अपना आचरण ठीक रखे ।

विविध कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला पूर्णत: बैंक के आन्तरिक प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार इस बीच में कहीं नहीं आती है ।

पश्चिम बंगाल के किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

6744. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कृषि कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुल किसानों को, विशेषकर जिनके पास दो एकड़ से पांच एकड़ तक भूमि है, वित्तीय सहायता दी; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में पश्चिम बंगाल में ऐसे छोटे किसानों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च, 1973 के अन्त तक कृषि के लिए दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के जोतवार वितरण सम्बन्धी उपलब्ध सूचना नीचे लिखे अनुसार है :–

जोत का आकार (एकड़ों में)	खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
2.5 तक	22370	142.83
2.5 से अधिक 5 तक	19846	364.90

वाणिज्यिक प्रचार विभाग से प्रदर्शनी विभाग को पृथक करने का प्रस्ताव

6745. श्री एस० एस० महापात्र : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदर्शनी विभाग को वाणिज्यिक प्रचार विभाग से पृथक करने का प्रस्ताव है क्योंकि दोनों विभागों के विशेष प्रकार के पृथक-पृथक कृत्य हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ऐसे किसी पृथककरण के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

आस्ट्रेलिया द्वारा भारत से आस्ट्रेलिया को निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्धों का प्रभाव

6746. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत जैसे विकासशील देशों सहित विभिन्न देशों से कपड़ा, फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं के आयात कोटे में भारी कटौती की है; यदि हां, तो इन कटौतियों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन कटौतियों के फलस्वरूप भारत से आस्ट्रेलिया को निर्यात पर किसी सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार-संतुलन क्या रहा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ । आस्ट्रेलिया की सरकार ने गत एक वर्ष में उत्पादों की संख्या के संबंध में विश्वव्यापी आयात कोटे लागू किये हैं । इनमें से जो भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, वे हैं :–बुने हुए तथा निटेड पहनने के सूती परिधान, तौलिए तथा टेरी-टावलिंग और जूते । इनके आयात सामान्यत: लगभग पिछले एक या दो वर्षों के वार्षिक आयातों के स्तर तक सीमित कर दिये गए हैं ।

(ख) आस्ट्रेलिया को भारत के निर्यातों पर लगाए गए इन प्रतिबंधों से कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार संतुलन निम्नोक्त प्रकार रहा है :–

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	को निर्यात	से आयात	व्यापार संतुलन
1972-73	25,90	33,55	(—) 765
1973-74	50,39	43,66	(+) 673

चार लाख रुपयों से कम के दावों का भुगतान करने का आन्तरिक वित्त विभाग का निर्णय

6747. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पैनल तक भारतीय शत्रु सम्पत्ति कस्टोडियन की सिफारिशों की उपेक्षा करके, आंतरिक वित्त विभाग ने कुल मूल्य के 80 प्रतिशत के आधार पर चार लाख से कम के दावों का भुगतान करने तथा चार लाख रुपयों से अधिक की सम्पत्ति के मामलों में उसके कुल मूल्य का 60 प्रतिशत भुगतान करने का मनमाने ढंग से निर्णय किया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह निर्णय फरवरी, 1971 में अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित नीति के प्रतिकूल है और अन्य दावेदार को 3.11 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है;

(ग) क्या अब तक जिस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है उसका पूर्वी पाकिस्तान के दावेदारों के मामले में भी पालन किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) दावेदारों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में विनिश्चय करते समय सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ पैनल की सिफारिशों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । 31 मार्च, 1975 तक दावेदारों को 4.59 करोड़ रुपये भुगतान किये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) जी हाँ । अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिए उनके आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान के प्रवासियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ।

नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्धों को युक्तिसंगत बनाना

6748. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्धों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्ध, अब भी व्यापार तथा परिवहन संधि, 1971 के उपबन्धों के अनुसार चल रहे हैं । हाल ही में हुई संयुक्त पुनर्विलोकन समिति की बैठक में एक पुनर्विलोकन किया गया तथा 1-4-1975 से 31-3-1976 की

अवधि में नेपाल को सप्लाई की जाने वाली कतिपय आवश्यक वस्तुओं की मात्राओं के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है। नेपाल के साथ व्यापार की अन्य समस्याओं पर, जिनमें परिवहन तथा माल का विचलन भी शामिल है, विचार-विमर्श हुआ तथा जहां तक संभव हो सका इन समस्याओं के लिए हल खोजे गए। उन आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में जो अब तक स्वदेशी कीमतों पर उपलब्ध की जाती थीं, नई कीमतें निर्धारित की जाएंगी जो पड़ौसी मित्र देशों को वर्तमान निर्यातों की कीमतों के अनुरूप होंगी।

केरल में होटल परियोजनाएं

6749. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो केरल में अपनी होटल परियोजनाएं पूरी कर चुके हैं; और

(ख) उसका वहां पर भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजना के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट सेक्टर के किसी उद्यम ने ऐसी किसी होटल प्रायोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है जिसकी विदेशी पर्यटकों के लिए उसकी उपयुक्तता की दृष्टि से प्रायोजना अवस्था में ही पर्यटन विभाग से अनुमोदन पहले से प्राप्त कर लिया हो।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम कोवालम में कोवालम पैलेस होटल और कोवालम ग्रोव का परिचालन कर रहा है तथा कोवालम में 100 कमरों की एक होटल प्रायोजना का निर्माण भी कर रहा है। इस क्षेत्र में कुछ अन्य होटलों की मौजूदगी मे इन होटलों के कार्य निष्पादन पर कोई अधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सुपर फाइन किस्म के धागे का अभाव

6750. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की एसोसिएशन आफ समाल पावरलूम यूनिट्स की ओर से राज्य में सुपर फाइन किस्म के धागे के अभाव के बारे में शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि इन विद्युतचालित करघों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के 20 हजार शरणार्थियों को रोजगार मिला हुआ है;

(ग) यदि हां, तो राज्य के विद्युतचालित करघों की समस्या के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आज तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण-सुविधाएं

6751. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय वाले नगरों में मकानों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऋण सुविधाएं दे रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निम्न आय वर्ग के लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से अपनी नीति को बदलने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अल्प आय और मध्यम आय सामूहिक आवास योजनाओं के अधीन भवन निर्माण के लिए ऋण दे रहा है। जीवन बीमा निगम, प्रमुख सहकारी आवास वित्त समितियों को भी ऋण देता है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत भवनों का निर्माण जिला प्रधान कार्यालयों में भी किया जा सकता है और अल्प आय वर्गों के व्यक्ति, अल्प आय सामूहिक आवास योजना के अन्तर्गत भुगतान किए जाने वाले ऋणों से विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं।

Proposal to lower the rate of interest on loans for Agricultural Purposes

6752. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to lower the rate of interest on loans for agricultural purposes; and

(b) if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The Reserve Bank of India issues directives from time to time to commercial banks in regard to the minimum interest rate to be charged on bank advances, the minimum interest rate currently being 12 1/2% per annum. However, advances for agricultural and allied activities upto a maximum of Rs. 50,000/- in an individual case and guaranteed by the Credit Guarantee Corporation of India Limited, are exempted from the minimum lending interest rate directive. Public Sector Banks also charge lower rate of interest on the agricultural advances as compared to rates charged on the non-agricultural advances. Further, these interest rates are also generally linked to the size of the land holdings and also the quantum of loan, lower rates being charged to small and marginal farmers, compared to the ones charged to the medium and big farmers.

तस्करी-विरोधी अभियान

6753. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री तस्करी विरोधी अभियानों के बारे में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 से अब तक पकड़े गये तस्करी के माल तथा तस्करों की गिरफ्तारी के बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई ऐसा व्यापक विधेयक, जिसमें तस्करीकृत सम्पत्ति को जब्त करने तथा तस्करी विरोधी अन्य उपाय करने की व्यवस्था हो, संसद के चालू बजट सत्र में पेश करने के लिए तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखार्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) इन प्रश्नों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पाकिस्तान से आयात होने वाली रूई पर शुल्क

6754. श्री श्रीकिशन मोदी

श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री पाकिस्तान से आयातित रूई पर शुल्क के बारे से 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान रूई पर आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप सौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने में सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने ए० सी० 134/एस० जी० और बी० एम० आई०/एस० जी० किस्मों की पाकिस्तानी कच्ची रूई की, जिसकी रेशा लम्बाई एक इंच और उससे कम है, दो लाख गांठों पर सीमा शुल्क से उतनी छूट दी है जितनी 15 प्रतिशत से अधिक है। पाकिस्तान से कच्ची रूई का आयात, कापून कारपोरेशन आफ इंडिया लि० और काटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ पाकिस्तान लि० के बीच हाल ही में हस्ताक्षर की गई निर्यात बिक्री संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाना है।

(ग) इस सौदे को अंतिम रूप देने में जिन कारणों से सहायता मिली है उनमें से एक कारण आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय है।

फिल्मी सितारों के यहां छापे

6755. श्री सरजू पांडे : क्या वित्त मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व बम्बई के फिल्मी सितारों के यहां मारे गये सामान्य छापे बिल्कुल ही निरर्थक सिद्ध हुए ;

(ख) क्या आयुक्त द्वारा दिए गए प्राधिकार आदेश गुप्त नहीं रखे गये थे; और

(ग) क्या सरकार को इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इन तलाशियों के बारे में गोपनीयता नहीं बरती गई। इसे सही नहीं पाया गया है।

बंगला देश को दी गई तथा उस से प्राप्त हुई व्यापार संबंधी रियायतें

6756. श्री शंकर राव सावंत : क्या वाणिज्य मंत्री बंगला देश को निर्यात तथा वहां से आयात के बारे में 7 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश की स्थापना से अब तक उस देश को व्यापार संबंधी क्या क्या रियायतें दी गई तथा क्या क्या रियायतें उस से प्राप्त हुई;

(ख) रियायतयुक्त प्रत्येक वस्तु का किस प्रकार का तथा कितनी मात्रा में व्यापार हुआ ;

(ग) इन में से प्रत्येक वस्तु के व्यापार में प्रत्येक वर्ष भारत को कितनी हानि या लाभ हुआ; और

(घ) 17 दिसम्बर, 1974 को हस्ताक्षरित हुए व्यापार-करार से भविष्य में भारत के हितों की किस प्रकार रक्षा हो सकेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) बंगला देश को कुछ वस्तुएं, जैसे कोयला, घरेलू कीमतों जितनी कीमत पर सप्लाई की गई थी। 1972–73 तथा 1973–74 में बंगलादेश को सप्लाई किये गये कोयले/कोक/ब्रिकेट का मूल्य क्रमश: 146.64 लाख रु० तथा 300.17 लाख रु० था।

(ग) कोयले की इन सप्लाईयों पर ऐसी कोई हानि नहीं उठानी पड़ी।

(घ) 17 दिसम्बर, 1974 को हस्ताक्षरित व्यापार संलेख के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार युक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाना है। कोई विशिष्ट वस्तुवार लक्ष्य नहीं रखे गये हैं। सप्लाइयों की कीमतें वाणिज्यक आधार पर तय की जानी हैं।

सीमाशुल्कों में समानता लाने के लिए कार्यवाही

6757. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक ही प्रकार की वस्तुओं के लिये वसूल किये जाने वाले सीमा-शुल्कों में समानता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश के सभी हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क में समानता लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आयात किये जाने वाले असबाब की मदों पर सीमाशुल्क एक समान दर से लगाया जाता है, जैसा कि भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है ।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य-सरकारों को गैर-योजना सहायता

6758. श्री बनमाली बाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 से सहायता अनुदानों तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को गैर-योजना सहायता देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोई अन्य पद्धति बनाई गई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे पूर्व की अवधि से सम्बन्धित गैर-योजना सहायता की बकाया राशि की अदायगी के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) राज्य सरकारों को सहायक अनुदानों और ऋणों के रूप में आयोजना-भिन्न सहायता बराबर दी जा रही है । एक विवरण संलग्न है जिसमें 1974-75 और 1975-76 में आयोजना भिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय बजट में राज्यों को सहायक अनुदानों और ऋणों की अदायगी करने के लिए की गयी व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

राज्यों को सहायक अनुदानों और ऋणों के रूप में अदायगी करने के लिए 1974-75 और 1975-76 के केन्द्रीय बजट में की गयी आयोजना भिन्न सहायता की व्यवस्था ।

(करोड़ रुपयों में)

प्रयोजन	संशोधित अनुमान 1974-75		बजट अनुमान 1975-76	
	सहायक अनुदान	अनुदान ऋण	सहायक अनुदान	ऋण
1	2		3	
1. वाणिज्यक फसलों का विकास	—	—	0.02	—
2. उर्वरकों की खरीद (अल्पावधिक ऋण)	—	80.00	—	60.00
3. चुने हुए क्षेत्रों में पशु संवर्धन और डेरी विकास	0.01	—	0.15	—
4. अनाज की अधिक वसूली करने के लिए प्रोत्साहन	10.80	—	8.50	—
5. केरल सरकार को चावल के व्यापार में हुई हानि	—	—	0.16	—
6. बिक्रमगंज, बिहार में चावल मिल	—	0.01	—	0.01
7. गंडक पश्चिमी कोसी नहर और जलपापुर बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य	1.87	—	1.87	—
8. नदी घाटी परियोजनाओं के लिए मूलभूत और बुनियादी अनुसंधान	0.05	—	0.05	—

1	2		3	
9 पश्चिमी कोसी नहर	—	2.0	—	2.0
10. दामोदर घाटी निगम के पूंजी परिव्यय पर ब्याज का खर्च	0.83	—	—	—
11. चिकित्सा सहायता	0.03	—	—	—
12. आयोजना भिन्न योजनाएं	—	—	—	0.01
13. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम	—	0.25	—	0.25
14. पुलिस दल के लिए अनुदान	2.00	—	1.83	—
15. जम्मू और कश्मीर सरकार को पुलिस दल के लिए अनुदान	—	—	0.05	—
16. पुलिस दल के लिए अनुदान (अन्य)	3.00	—	3.00	—
17. वैज्ञानिक सेवा और अनुसंधान	—	3.00	—	—
18. अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे परन्तुक की धारा (क) के अंतर्गत असम सरकार को ?	0.13	—	0.13	—
19. सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	1.68	—	0.90	—
20. जम्मू और कश्मीर में चावल और गेहूं की दुलाई और उठाने-धरने के खर्च के लिए सहायता	0.17	—	—	—
21. नागालैण्ड	0.96	—	1.17	—
22. बागान श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन-एवं-जीवन बीमा योजना के लिए	0 43	—	0.43	—
23. शिल्पियों का प्रशिक्षण	—	—	0.45	—
24. केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता	3.20	—	7.00	—
25. सामरिक महत्व की और सीमावर्ती सड़कों का अनुरक्षण	18.87	—	19.82	—
26. इमारतें, आयोजन और अनुसंधान	0.01	—	0.01	—
27. गांवों में मकानों के लिए स्थान	1.50	—	0.04	—
28. नानक पांचसौवीं शताब्दी कार्यक्रम	0.01	—	0.02	—
29. केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई	0.01	—	0.01	—
30. पुरातत्व विज्ञान	0.10	—	0.25	—
31. रबड़ बागानों में सघन वृक्ष लगाना	—	1.04	—	—
32. एलक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन	0.48	—	0.36	—
33. शहरी जल पूर्ति योजना	—	0.40	—	0.67
34. विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार	4.26	—	7.70	—
35. राष्ट्रीय अनुशासन योजना-प्रशिक्षकों का वेतन और भत्ते	2.55	—	3.09	—
36. राजनीतिक पीड़ितों (स्वतंत्रता सैनानियों) के बच्चों को छात्रवृत्तियां और शिक्षा संबंधी सुविधाएं	—	—	0.06	—
37. शिक्षा संबंधी अन्य कार्यक्रम	0.07	—	0.03	—
38. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	—	2.82	—	2.82
39. विकलांगों की शिक्षा और कल्याण	0.02	—	0.02	
40. नशाबन्दी	0.70	—	—	—

	2		3	
41. अन्य अनुदान	0.25	—	—	—
42. संविधान (राजस्व का वितरण) आदेश, 1974 के अन्तर्गत	481.67	—	503.12	—
43. मद 42 के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यवस्था	—	—	5.00	—
44. रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान	16.25	—	16.25	—
45. अल्प बचतों को प्रोत्साहन	0.13	—	—	—
46. रेल सुरक्षा कार्य	2.00	—	3.00	—
47. दैवी विपत्तियों के कारण सहायता (बकाया राशि)	3.00	2.00	3.00	2.00
48. विस्थापित स्वर्णकारों और उनके परिवारों को सहायता	0.15	—	0.30	—
49. कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए अनुदानों की बकाया रकमें	0.05	—	—	—
50. अल्प बचतों का हिस्सा	—	275.00	—	270.00
51. अन्य ऋण	—	0.12	—	0.09
52. अर्थोपाय अग्रिम	—	100.00	—	100.00
53. सांख्यिकी—आयोजना-भिन्न अनुदान	0.05	—	0.01	—
54. विस्थापित व्यक्तियों और स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	9.92	—	7.84	—
55. विमानन प्रशिक्षण और शिक्षा	0.03	—	0.03	—
जोड़	567.24	466.64	595.67	440 85

औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में भारत-ईरान सहयोग

6760. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत के उत्पादों के लिये अपनी मांगों को कम कर रहा है;

(ख) क्या औद्योगिक तथा तकनीकों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारत-ईरानी सहयोग की आशायें अब धूमिल होती जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) ईरान को भारतीय उत्पादों की सप्लाई की समय समय पर समीक्षा होती रहती है । मार्च 1975 में नई दिल्ली आने पर ईरानी उद्योग तथा खान मंत्री ने ईरान के औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध देशी क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग करके दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के मामले में ठोस परिणाम हासिल करने के बारे में ईरान की गहरी दिलचस्पी प्रकट की । इस प्रयोजन के लिए शीघ्र ही एक ईरानी दल के भारत आने की संभावना है । औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में भारत-ईरान सहयोग के अवसरों के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

वसन्त बिहार, दिल्ली स्थित माडर्न बाजार में आयातित वस्तुओं की बिक्री

6761. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या वित्त मंत्री बसन्त बिहार, दिल्ली स्थित माडर्न बाजार में आयातित वस्तुओं की बिक्री के बारे में 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अगस्त 1973 को नई दिल्ली में बसन्त बिहार स्थित माडर्न बाजार की तलाशी लेने पर इसके मालिक के कब्जे से आयातित शराब की एक बोतल तथा आयातित बीयर की 7 बोतलें बरामद हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की जांच की गई है कि उक्त शराब कैसे प्राप्त की गई थी और उस बिल्डिंग में रखी गई थी जिसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) छापे के दौरान पकड़े गये 12,000 रुपये के मूल्य की आयातित वस्तुयें किन स्त्रोत से प्राप्त की गई थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) मैसर्ज मार्डन बाजार, बसन्त बिहार, नई दिल्ली के परिसर में 27 अगस्त 1973 को मारे गये छापे में कोई आयातित शराब अथवा बीयर नहीं पकड़ी गई।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फर्म के मालिक के अनुसार सिगरेटें सुपर-बाजार से और देश छोड़कर जाने वाले विदेशियों से भी खरीदी गयी थी। शृंगार-सामग्री उसकी पत्नी को उसके विदेशी-मित्रों द्वारा भेंट की गयी थी और परिकलन मशीन ठीक करने के लिये एक विदेशी द्वारा उसकी दुकान पर छोड़ दी गयी थी।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक

6762. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के एक प्रोफैसर श्री जी० आर० कुलकर्णी को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया था;

(ख) महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विशेष रूप से विदेश व्यापार के सम्बन्ध में उनकी अर्हताएं क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने अपने पद की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है ;

(घ) क्या उन्होंने नियमों के विरुद्ध अपनी छुट्टियां तथा अंशदायी भविष्य निधि के नियोक्ता अंश को मंजूर करा लिया था;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध त कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) उच्च शैक्षिक अर्हताओं के अलावा उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विपतन, वित्त तथा व्यवसाय नीति आदि में विषज्ञता प्राप्त कर ली थी।

(ग) जी हां।

(घ) श्री जी०आर० कुलकर्णी को कितनी छुट्टी मिल सकती है इस पर विचार किया जा रहा है। श्री जी० आर० कुलकर्णी के महानिदेशक के पद से त्यागपत्र देने पर उनकी अंशदायी भविष्य निधि में संस्थान के अंश के पूरे भुगतान के लिए अनुमति देने का निर्णय भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अनुसार है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठते।

सोवियत संघ को पटसन की वस्तुओं का निर्यात

6763. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से सोवियत संघ ले होने वाला पटसन की वस्तुओं का निर्यात टप्प हो गया है;

(ख) क्या गत दो मास में लगभग 40,000 टन हैसियन बोरों तथा 18.6 करोड़ रुपये के कपड़े के थोक रूसी व्यापार का भविष्य में अनिश्चित हो गया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) चूंकि सोवियत संघ को पटसन के माल के निर्यात संबंधी संविदाओं में कुछ शर्तें रखी गई थीं जो विनियम नियंत्रण विनियमों के अनुरूप नहीं थी, अत: निर्यात संविदा पंजीयन समिति द्वारा 31-3-1975 तक प्राप्त की गई 17.30 करोड़ रुपये मूल्य के 29000 मे० टन

की संविदाएं रोक ली गई । बाद में भारतीय रिजर्व बैंक विशेष मामले के तौर पर इन संविदाओं के आधार पर पटसन के माल का पोतलदान करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया ।

कम्पनी अधिनियम का संशोधन

6764. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों का पूंजी में शेयर रखने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने "कर्मचारियों के लाभांश के प्रत्याभूत शेयर" नामक शेयरों का एक पृथक वर्ग चालू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । ऐसे शेयरों में धन लगाने वाले कर्मचारियों को एक सुनिश्चित प्रतिलाभ मिलेगा और ऐसे शेयरों पर मिलने वाला लाभांश, शेयर जारी करने वाली कम्पनियों की कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय, उसमें से घटाया जा सकेगा । इस प्रस्ताव के कारण केवल कम्पनी अधिनियम का ही नहीं बल्कि आयकर अधिनियम का भी संशोधन करना होगा । केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अभी निर्णय नहीं लिया है ।

Cotton Textile Mills in Mandsaur and Ratlam

6765. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of cotton textile mills in Mandsaur and Ratlam districts;

(b) the annual probuction capacity of each of these mills;

(c) the year-wise quantum of controlled cloth manufactured by them from 1971-72 to date; and

(d) the concessions given or proposed to be given by Government to the mills which manufactured the specified quantity or more of controlled cloth?

The Deputy Minister in The Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(d) No concession is given by Government to mills which are required to produce controlled cloth. Rebate in controlled cloth obligation is, however, allowed to the extent of 1 metre of controlled cloth against exports worth Rs. 5.00 f.o.b. of piece-goods and Rs.7.50 f.o.b. of ready made garments.

Charges against an officer attached to former Minister of Foreign Trader

6766. **Shri Jagannath Rao Joshi**
Shri Hemendra Singh Banera
Shri Ishwar Chaudhry
Shri Atal Bihari Vajpyee :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to those charges of corruption and malpractices published in the 'Motherland' dated the 24th December, 1974 that have been levelled against Shri Darbari, an Officer attached to former Miniister of Foreign Trade and his three brothers;

(b) the full facts in regard to each of them, separately and the action taken so far in this regard; and

(c) the action taken by Government against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) The report has come to the notice of Government.

(b) & (c): The complaints against Shri L. S. Darbari for importing T. V. sets from abroad, and for using his influence to obtain licence for his son to set up woollen powerlooms were looked into and nothing irregular was found. There were however no complaints against his two brothers working under this Ministry.

सुकर नारायण बखिया और उनके सहयोगियों की तस्करी की कथित गतिविधियां

6767. **श्री मधु लिमिये** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या प्रधान मंत्री को एक समाजवादी संसद सदस्य से दिनांक 7 अगस्त, 1974 का एक पत्र मिला था जिसके साथ कुछ कागजात लगाए गए थे जिनमें सुकर नारायण बखिया और उसके हारेभाई टंडेल और प्रेमाभाई टंडेल जैसे सहयोगियों की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनमें दी गई जानकारी का ब्यौरा क्या है, इस तस्कर की कार्यविधि क्या थी, उसके सहयोगियों के नाम क्या हैं और सुकर नारायण बखिया तथा उसके सहयोगियों ने कितना धन और जायदाद इक्ट्ठी कर ली है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषकर उनके द्वारा कर अपवंचन तथा गैर-कानूनी ढंग से जायदाद और धन इक्ठ्ठा करने के सम्बन्ध में, की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त सूचना में सुखर नारायण बखिया और उसके सहयोगियों द्वारा भू सम्पत्ति के रूप में धन संग्रह किए जाने, नौकाओं आदि के निर्माण के लिए भवन-सुविधाओं और तस्कर-आयात किए गए माल के तस्कर व्यापार तथा परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख था ।

(ग) सरकार को भी सुखर नारायण बखिया की गतिविधियों की पहले से ही जानकारी थी । उसे आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम अध्यादेश के अधीन और बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था । उसके विरुद्ध तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही की जा रही है और विभागीय कार्यवाही भी चल रही है । उसके परिसरों तथा उसके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली गई है । उसके तथा अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अधीन भी इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की गई है । उनकी घोषित आय में वृद्धि की गई है और राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी बहुत सी सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है । उसके कुछ सहयोगियों पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दंड भी लगाए गए हैं और उस पर दंड लगाने के संबंध में अन्य कार्यवाही अभी की जानी है । प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत, सुखर नारायण बखिया और उसके सहयोगियों के मामलों का केन्द्रीयकरण किया गया है ताकि उनकी विस्तृत जांच की जा सके ।

पश्चिम एशियाई देशों में फ्रांसीसी परियोजनाओं के अन्तर्गत भारत को उप-ठेके

6768. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस अध्ययन दलों की बैठकों के परिणामस्वरूप फ्रांस द्वारा पश्चिम एशियाई देशों में चलाई जाने वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत भारत के उप-ठेके मिलेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम क्या हैं और कितने मूल्य के उप-ठेके मिलेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-फ्रांस अध्ययन दल की 3 और 4 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में हुई दूसरी बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय फ्रांसीसी उद्योग कुशलता और योग्यता के मामले में एक दूसरे के पूरक हो सकते है जिसमें पश्चिम एशिया के देशों सहित अन्य देशों में परियोजनाएं स्थापित करने में परस्पर लाभ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

जिन विभिन्न रूपों में भारतीय उद्यम इन संयुक्त उद्योगों में हिस्सा ले सकते हैं उन पर विचार-विमर्श किया गया। फ्रांसीसी-उद्यमों के प्रतिनिधियों के भारत का दौरा करने का प्रबन्ध करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि वे स्वयं भारतीय औद्योगिक योग्यताओं और सिविल निर्माण कार्यों, परामर्श देने आदि की क्षमता का भी अध्ययन कर सकें। यह बातचीत हाल ही में हुई है और अभी संयुक्त भागीदारी की परियोजनाओं के खास नतीजों का अनुमान लगाना बहुत जल्दी होगा।

एशियाई सांझा बाजार के बारे में लिटोरल (तटवर्ती) देशों के साथ बातचीत

6769. श्री के० मालन्ना

श्री गजाधर माझी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई सांझा बाजार की समस्या के बारे में तटवर्ती देशों के साथ बातचीत करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस प्रश्न के बारे में ऐसे किसी देश ने भारत सरकार को अपने विचारों से अवगत करा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उनके विचारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एशियाई सांझा बाजार स्थापित करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। तथापि 2 अक्तूबर से 4 अक्तूबर, 1974 तक महामहिम ईरान के शहंशाह की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान यह सहमति व्यक्त की गई थी कि हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के सम्पूर्ण क्षेत्र के भीतर घनिष्टतर आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिए गुंजाइश है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा तेल निर्यातक देशों के संगठन के साथ तेल सुविधाओं के लिए बातचीत

6770. श्री शरद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल सुविधाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, तेल निर्यातक देशों के संगठन तथा अन्य संस्थानों एवं संगठनों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो जो समझौते किये गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन समझौतों से पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस देश द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां हल हो जाएंगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अक्तूबर-नवम्बर 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में से 1974 की तेल सुविधा के अन्तर्गत 2,000 लाख (193.86 करोड़ रुपयों) के एस० डी० आर० निकाले हैं। यह रकम 4 से 7 वर्षों के भीतर वापस की जानी हैं और पर इस औसत रूप में 7 प्रतिशत का ब्याज लगेगा। किसी और संस्था या संगठन ने कोई और तेल सुविधा का आयोजन नहीं किया है।

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी चीजों की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति पर जो दबाव पड़ रहा है वह इस निकासी से कुछ हद तक कम हो जाएगा।

Inconveniences of the Cotton Growers in Madhya Pradesh

6772. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether cotton growers in Madhya Pradesh are facing great diffiulties in selling their produce in the market; and

(b) if so, the immediate and remedial measures taken by Government to give them assistance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Arrears of Income-tax in Madhya Pradesh

6773. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax arrears in Madhya Pradesh at present; and

(b) the amount of Income-tax realised in Madhya Pradesh during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The amount of gross demand and net arrears of Income-tax, including Corporation-tax, outstanding as on 31-12-1974 in the charges of Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I & II, is as follows :—

Gross demand	Net arrears
(In crores of rupees)	
17.32	14.92

(b) The total amount of Income-tax (including Corporation-tax) realised in the charges of Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I & II, during the last three Financial years is as under :—

(In crores of rupees)

Financial year	Net collection of Income-tax
1972-73	21.47
1973-74	27.69
1974-75	35.51 (Provisional)

Decline in export of Powerloom Products

6774. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the export of powerloom products declined considerably during 1974;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken to increase the export thereof ?

The Deputy Minister in the ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir. As against Rs. 461.6 lakhs during 1973, the value of powerloom cotton textiles exported during 1974 has amounted to Rs. 492.6 lakhs.

(b) & (c) Do not arise.

Loans advanced by L.I.C. and Nationalised Banks for Development Programmes in Madhya Pradesh

6775. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of loans advanced by the Life Insurance Corporation of India and the nationalised banks to Madhya Pardesh for its development programmes during 1972-73 and 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : The following amounts of loans were advanced by Life Insurance Corporation to various agencies in Madhya Pradesh during the financial years 1972-73 and 1973-74.

(Rupees in lakhs)

		1972-73	1973-74
1.	State Govt. for Social Housing Schemes.	65.00	1,65.00
2.	Apex Coop. Housing Finance society	--	50.00
3.	Municipal Committees for water Supply & Sewerage Schemes.	41.98	--
4.	Electricity Board	3,50.00	3,00.00
5.	Sugar Coop. Society.	5.00	--
	Total	4,61.98	5,15.00

In addition,investments were made in State Government Securities and Bonds issued by the State Electricity Board and the State Financial Corporation as also the Debentures of the Land Development Bank.

Similar infoumation regarding loans advanced by the nationalised Banks is readily not available. However outstanding credits as at the end of December 1973 given by the State Bank of India and the Nationalised Banks in Madhya Pradesh in various sectors like Agriculture, Industry, trade and other amounted to nearly Rs. 1,42,87 lakhs.

शुल्क वापसी (ड्रा बैक) का भुगतान

6776. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में शुल्क वापसी (ड्रा बैक) की मांग और उसके भुगतान में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) प्रतिग्रदायगी के मामलों की संख्या और ग्रदायगियों की रकम में वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रतिग्रदायगी की रकमों के पेश किये गये दावों के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रलग से कोई ग्रांकड़े नहीं रखे जाते । तथापि, पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रति ग्रदायगी के दावों (शिपिंग बिलों) की संख्या में सम्बन्धित निम्नलिखित ग्रांकड़ों ग्रौर ग्रदायगी के लिये पास की गई कुल रकमों के उक्त दावों ग्रौर उनसे संबंधित रकमों में वृद्धि होने का पता चलता है :-

ग्रवधि	प्रति ग्रदायगी संबंधी दावों की संख्या
1972-73	2.01 लाख
1973-74	2.28 लाख
1 74-75	2.60 लाख (ग्रनुमानित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित रकमें ग्रदायगी के लिये पास की गई :-

1972-73	40.80 करोड़
1973-74	42.25 करोड़
1974-75	59.00 करोड़ (ग्रनुमानित)

पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तीर्थ यात्री केन्द्रों पर सुविधाएं प्रदान करने की योजना

6777. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम ने ऐसे तीर्थयात्रा केन्द्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए जिससे प्रतिवर्ष हजारों यात्रियों को आकर्षित किया जा सके और उनमें ठहरने और खाने और इन स्थानों की यात्रा की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों के राज्यवार सूची क्या है और उनमें क्या-क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) साधनों के सीमित होने के कारण पर्यटन विभाग के लिए देश में असंख्य तीर्थ स्थानों पर, जो कि प्रत्येक वर्ष **लाखों तीर्थ** यात्रियों को आकर्षित करते हैं, अकेले तौर पर सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तीर्थ स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, धार्मिक न्यासों, प्राइवेट उद्योगपतियों आदि, को सामूहिक एवं समन्वित प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों को समन्वित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी क्योंकि इस प्रकार की सुविधाएं मूल रूप से देशीय प्रर्यटकों के लिए अभिप्रेत हैं।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सम्बन्ध है पर्यटन विभाग दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया से भारी संख्या में बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बोधगया, राजगिर–नालंदा, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती तथा सांची के चुने हुए बौद्ध तीर्थ स्थानों के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

प्रस्तावित सुविधाओं में आवास तथा परिवहन सुविधाएं, जल सप्लाई, भूदृश्यांकन आदि हैं।

विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से छूट

6778. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सीमा से छूट देने के बारे में 13 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सेक्शन 29 (2) के उपबन्धों से छूट के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास घोषणा पत्र दायर किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जिन कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 (2) (क) के उप-बंधों से छूट के लिए रिजर्व बैंक के पास घोषणा-पत्र दाखिल किये हैं, उनके नाम ये हैं:-

1. त्रिवेणी टिशूज लि०,कलकत्ता
2. केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई
3. इनारको लि०, बम्बई
4. सिंगर टी० वी० एस० लि०, मदुरइ
5. आर० एच० विण्डसर (इण्डिया) लि०, थाना
6. के० एस० बी० पम्पस लि०, पूना
7. ई मर्क (इण्डिया) प्राइवेट लि०, बम्बई
8. व्हीलावरेटर एलाय कास्टिंग लि०, बम्बई
9. मेथर ग्रेन्ज लि०, बम्बई
10. ग्रीवज फोसेको लि०, बम्बई
11. वुटैक्टिक वेल्डिंग एलायस आफ इण्डिया लि०, बम्बई
12. गेडोर टूल्स (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक इन घोषणा पत्रों की छानबीन कर रहा है।

Use of Hindi in Departments under the Ministry of Tourism and Civil Aviation

6779. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the number of the Departments of the Ministry which still send letters, circulars, memoranda etc., in English to the Offices under them;

(b) the number of officers and employees in these Departments who write their notes on the files in English;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by Government for use of Hindi in all their works;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard; and

(e) the steps proposed to be taken further so that Hindi is used in writing notes and in all the correspondence in these Departments?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The Ministry of Tourism and Civil Aviation is dealing with highly technical subjects, such as Civil Aviation, Meteorology, Railway Safety and Foreign Tourism and its Departments, viz, the Civil Aviation Department, the India Meteorological Department, the Commission of Railway Safety and the Department of Tourism are still doing bulk of their correspondence, including letters, memoranda, etc., in English with their subordinate formations. Orders have been issued by the Ministry for issue of General Orders, including circulars, bilingually and at present General Orders are generally being issued both in Hindi and English. Efforts are being made to further improve the position and ensure full compliance of Government orders in this regard.

(b) to (d) Practically all officers and employees in the Ministry are writing notes in files in English. The statutory position is that during the present bilingual phase all employees in the Government of India are free to use either Hindi or English in their files and no employee using Hindi or English can be asked to furnish the translation of his notes or drafts in the other language. As such the question of issuing directions by the Ministry to its employees to use Hindi obligatorily in all their work does not arise. Instructions have, however, been issued by the Ministry asking the Senior Hindi knowing officers to encourage the Hindi knowing staff to do more and more work in Hindi by starting writing notes on files in Hindi. As a result, a few Hindi knowing officers and staff have occasionally started using Hindi in the files. Care is, however, taken that no officer or employee desiring to use Hindi in office work is discouraged from doing so.

(e) Constant efforts are being made to promote the progressive use of Hindi in the Ministry and all its Attached and Subordinate offices in accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time. At present all communications received in Hindi are being replied to in Hindi. Correspondence with Hindi speaking States is being done Hindi in cases where communications are received in Hindi. All notifications, resolutions, press commuiques, Air Agreements, etc., are being issued bilingually. Orders have also been issued to issue permits, licences, forms of tenders, etc. both in Hindi and English. Orders, memoranda etc. to class IV staff are issued in Hindi also, besides English. Replies to Parliament Questions and official reports to laid on the table of either House are presented to Parliament bilingually. Advertisements to Hindi newspapers are being released. Name plates, sign boards and hoardings are being displayed both in Hindi and English specially in Hindi speaking areas. Certain incentives, as proposed by the Ministry of Home Affairs, are being introduced to promote the increasing use of Hindi. Training in Hindi, Hindi typewriting, Hindi stenography under the Hindi Teaching Scheme and various other incentive schemes put forth by the Ministry of Home Affairs has been imparted to the majority of staff working under the Ministry and efforts

are being made to encourage them to start using Hindi in their day to day work. But, as the Ministry is dealing with technical subjects there are some obvious limitations to the accelerated progress in this regard. Some handicap has also been caused by the ban on the creation of new posts including those connected with Hindi work.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के अधिकारियों द्वारा मकान किराए के रूप में अदा की गई राशि

6780. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों ने मकान किराये के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की और बैंक द्वारा कितनी राशि अधिकारियों को मकान किराये के रुप में दी गई;

(ख) अन्य कर्मचारियों ने मकान किराये के रुप में कुल कितनी धनराशि अदा की और बैंक ने उनको मकान किराये के रूप में कितनी धनराशि दी; और

(ग) इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बम्बई में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है :-

(i) **पर्यवेक्षी कर्मचारी :**

मूल वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 125 रुपये प्रतिमास

(ii) **लिपिक और रोकड़ विभाग के कर्मचारी :**

वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 14 रुपये और अधिकतम 28 रुपये प्रतिमास

(iii) **अधीनस्थ कर्मचारी :**

(क) 12 रुपये जहां वेतन 100 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है; और

(ख) 15 रुपये जहां वेतन 100 रुपये प्रतिमास से अधिक है ।

भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों को दिये गये मकान किराया भत्तों की रकम का कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले वास्तविक मकान किराये से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मकान किराया भत्ता, पर्यवेक्षी कर्मचारियों के मामले में उनकी नियुक्ति के करार की शर्तों के अनुसार और कामगर (वर्कमैन) कर्मचारियों के मामले में मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार दिया जाता है। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, उनके द्वारा अदा किये गये वास्तविक मकान किराये की पुष्टि में रसीद न प्रस्तुत करने पर नहीं दिया जाता, इसलिए बैंक के पास, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों द्वारा अदा किये गए किराये की कुल रकम के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विजयवाड़ा में मोटल परियोजना का निर्माण

6782. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा में मोटल परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को कुछ परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार से विजयवाड़ा में एक मोटल के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) साधनों के बहुत अधिक सीमित होने के कारण इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका। भविष्य के योजना-कार्यक्रम में इस स्कीम पर प्राथमिकताओं, इसके संभाव्यता अध्ययन एवं साधनों की उपलब्धि के आधार पर विचार किया जाएगा।

विशाखापत्तनम जिले में भीमुनीपत्तनम में पर्यटन विकास

6783. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम जिले में भीमुनीपत्तनम में पर्यटन विकास के लिये योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम जिले में भीमुनीपत्तनम को समुद्र तटवर्तीय विहार स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु सीमित साधनों और नव निर्माण पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, इस योजना को केन्द्रीय पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं पाया गया।

कपड़ा मिलों को लाभ

6784. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कपड़ा मिल ने कितना कितना लाभ कमाया और उनके नाम क्या क्या हैं; और

(ख) सरकार ने उन कपड़ा मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने तीसरी पारी बन्द कर अपना उत्पादन कम कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वस्त्र मिल द्वारा कमाये गए लाभ की कुल राशि का सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) सितम्बर 1974 के आसपास, अहमदाबाद स्थित 5 मिलों ने तीसरी पारी का काम पूरी तरह तथा 38 ने अंशत: बन्द कर दिया था। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल स्थिति का अध्ययन करने के लिये और अन्य बातों के साथ-साथ, स्टाक जमा हो जाने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने तथा जमा भंडार आदि को निपटाने के उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त किया गया था। बाद में, विशेषत: अधिकांश मिलों द्वारा कीमतों में कमी का एलान करने के फलस्वरूप, स्थिति सुधर गई और मार्च 1975 के अन्त में केवल कुछ ही मिलें अपनी तीसरी पारी नहीं चला रही थीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों के लिये होटलों की संख्या

6785. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आसाम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों जैसे राज्यों में पर्यटकों के लिये कुल कितने होटल हैं और उनमें से कितने होटल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन हैं और कितने निजी कम्पनियों के अधीन हैं;

(ख) निजी स्वामित्व वाले होटलों को सरकार से कुल कितना अनुदान और ऋण प्राप्त हुआ; और

(ग) निजी पर्यटक होटलों को सरकार ने और क्या आवश्यक सहायता देने की पेशकश की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसे केवल तीन होटल हैं जिन्हें पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से मान्यता प्रदान की गई है। इन में, एक होटल मेघालय सरकार का है और शेष दो निजी क्षेत्र के हैं।

(ख) निजी क्षेत्र के उपर्युक्त दो होटलों को भारत औद्योगिक वित्त निगम द्वारा परिचालित होटल विकास ऋण योजना में से कोई ऋण नहीं मिला है।

(ग) निजी क्षेत्र को और अधिक होटल खोलने के लिये विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें वित्तीय राहतें, संस्थागत ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता, अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार करना शामिल है।

प्राइवेट विदेशी पूंजी

6786. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देशवार तथा उद्योगवार प्राइवेट विदेशी पूंजी का कितना, कुल तथा शुद्ध आगमन हुआ;

(ख) वर्ष 1948, 1960 तथा 1973 में अथवा उससे पहले जो भी नवीनतम हो, भारत में अधिशेष प्राईवेट विदेशी पूंजी निवेश कितना था ;

(ग) वर्ष 1948, 1960 तथा 1973 में अथवा उससे पहले, जो भी नवीनतम हो, प्रत्येक देश से भारत में उद्योगवार कितना अधिशेष विदेशी पूंजी निवेश रहा ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, लाभ, तकनीकी, फीस रायल्टी ब्याज, लाभांश, मुख्यालय व्यय तथा अन्य सहित प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत पृथक-पृथक सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों खातों पर कुल कितनी पूंजी बाहर भेजी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) तीन विवरण I, II और III संलग्न हैं, **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-9465/75]** जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित मांगी गयी जानकारी दी गयी है ।

(घ) एक विवरण (IV) संलग्न है, **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी-9465/75]** जिसमें विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा बाहर भेजी गयी राशियों का ब्यौरा दिया गया है । (अलग अलग आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं) । ब्याज के रूप में बाहर भेजी गयी रकमें विवरण (V) में दिखायी गयी हैं । **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-9465/75]**

अमरीका में भारतीय माल के निर्यात की कमी

6787. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये कपड़ों और संगीत उपकरणों जैसे भारतीय माल के विदेशों, विशेषकर अमरीका में निर्यात में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विदेश व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

विदेशी कंपनियां

6788. श्री के० एम० मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विदेशी कम्पनियां कौन सी हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अभी तक अपनी विदेशी शेयर पूंजी को कम नहीं किया है; और

(ख) सरकार द्वारा पारित नियमों तथा विनियमों का पालन कराने के लिये इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 से है । विदेशी नियन्त्रित कम्पनियों में विदेशी शेयर कम करने का सवाल तब पैदा होता है जब विदेशियों के पास मौजूदा शेयर धारा 29 के नियमन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बतायी गयी सीमा से अधिक हो और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्देशों के अनुसार लिए गए निर्णय की सूचना सम्बद्ध कम्पनी को दे दी हो । यदि कोई भी कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के अनुसार कार्य नहीं करती तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी । अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है ।

सोवियत संघ और पोलैंड से उर्वरकों के आयात में कठिनाईयां

6789. **श्री प्रबोध चन्द्र**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत संघ और पोलैंड से उर्वरकों के आयात करने में कुछ कठिनाई हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

शराब की अन्तर्राज्यीय तस्करी के सम्बन्ध में दर्ज मामले

6790. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राज्यवार शराब की अन्तर्राज्यीय तस्करी के सम्बन्ध में कितने मामले सरकार के पास दर्ज किये गए; और

(ख) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिला कर्मचारी

6791. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती संबंधी नीतियां बनाते समय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने महिलाओं के हितों तथा दावों की सर्वथा उपेक्षा की है;

(ख) भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम कर रहे कुल कर्मचारियों में महिला श्रमिकों/कर्मचारियों का अनुपात कितना है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं को लाभप्रद रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेद-भाव निषिद्ध है ।

(ख) अभी हाल ही में किएगए एक अध्ययन के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कुल कामगरों में लगभग 8% महिला कामगर हैं ।

(ग) भारत में व्यवासायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं महिला कामगरों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध हैं । इसी प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधायें भी पुरुष और महिला कामगरों के लिए एक समान उपलब्ध हैं । जहां तक महिला कामगरों को नौकरी दिलाने का सम्बन्ध है, उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन रिकार्ड रखने जैसे कुछ विशेष उपाय किए गए हैं, ताकि उनके लिए काम दिलाने की और अधिक अच्छी व्यवस्था की जा सके । महिला उम्मीदवारों के विषय में केवल उन्हीं के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किए गए रिक्त पदों के लिए विचार नहीं किया जाता बल्कि उन सभी रिक्त पदों के लिए विचार किया जाता है, जिनकी वे पात्र होती हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चतम अधिकारियों को पुनः रोजगार देना

6792. श्री बसन्त साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चतम स्तर के सेवा निवृत व्यक्तियों को पुनः रोजगार देने अथवा सेवा निवृति के पश्चात् सेवा अवधि बढ़ाने सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय किया है, कि सरकारी उद्यमों के उच्च पदों पर अधिवर्षता प्राप्त व्यक्तियों को नई नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। यह बात अधिवर्षता की आयु के बाद सेवा की अवधि बढ़ाने पर भी लागू होती है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल की सप्लाई न किया जाना

6793. श्री डी० डी० देसाई
श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़ा तथा धागा उद्योग को राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रतियोगी मूल्यों पर कच्चा माल सप्लाई नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के विचार से वह उद्योग बहुत कम दरों पर विदेशी बाजार से स्वयं कच्चा माल प्राप्त कर सकता है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम भारतीय खरीदारों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर विदेशी सप्लायरों से आफर प्राप्त करता है। राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी सप्लायरों को क्रयादेश दिये जाने से पूर्व भारतीय खरीदारों से आफर की गई कीमतों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। फिर भी, उन की कीमतों में तेजी से गिरावट के कारण पिछली कुछ संविदाओं के संबंध में, जो प्रयोक्ताओं की पहले वाली सहमति से किया गया था, कठिनाइयां आ गई थीं, जिनको राज्य व्यापार निगम ने भारतीय खरीदारों को उपयुक्त रियायत देकर अधिकांशतः हल कर लिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) 1975-76 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में यह व्यवस्था है कि कच्ची ऊन के संबंध में निर्यातकों को उनकी आयात प्रतिपूर्ति की पूरी मात्रा तक प्राधिकार पत्र दिये जायेंगे और यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन मदों के संबंध में निकासी आदेश जारी किये जा चुके हैं और मार्गीकृत अभिकरण छः महीने के भीतर सामग्री का सप्लाई करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में निर्यातक सीधे आयात करने के लिए प्राधिकार पत्र मांग सकेगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को देय कीमत

6794. श्री प्रबोध चन्द्र
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को देय मूल्य के पुनरीक्षण का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक का निर्यात

6795. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक की सभी महत्वपूर्ण किस्मों का निर्यात हाल में अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से होने वाला है;

(ख) क्या ऐसा छोटे अभ्रक उत्पादकों को सहायता देने हेतु किया जा रहा है और यदि हां, तो कैसे;

(ग) क्या इससे अभ्रक व्यापार निगम को लगभग 600 विदेशी खरीदारों के साथ सैंकड़ों समझौते करने पड़ेंगे और जैसा कि कुछ लोगों का विचार इससे उत्पादन और किस्म में गिरावट आ सकती है; और

(घ) अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के फलस्वरूप अभ्रक मजदूरों के कार्यक्रम तथा जीवन निर्वाह दशाओं में कितना सुधार होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सभी किस्मों के साधित अभ्रक के निर्यात 24 जनवरी, 1972 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिए गए थे। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अनुषंगी के रूप में 1 जून, 1974 को गठित अभ्रक व्यापार निगम ने उसी दिन से यह काम संभाल लिया है।

(ख) जी हां।

(ग) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक के खरीदारों के साथ सीधे संविधाएं करने से अभ्रक के उत्पादन या क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा।

(घ) लघु विक्रेताओं, उत्पादकों, साधितकर्त्ताओं अपने काम में लगे मजदूरों और होम स्पलिटर्स से अभ्रक व्यापार निगम द्वारा खरीदारी करने से अभ्रक उद्योग के मजूरी ढांचे पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है और अभ्रक व्यापार में अभ्रक व्यापार निगम की मौजूदगी से यह रुख बना रहेगा।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विदेशों में अनुरक्षित संस्थान

6796. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा एजेंसियों द्वारा भारतीय मिशनों के आधार पर विदेशों में कितने संस्थानों का अनुरक्षण दिया जाता है; और

(ख) इन उपक्रमों द्वारा उन संस्थानों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों ने अपना कारोबार चलाने के लिए विदेशों में संस्थान बनाए हुए हैं। अतः ये संस्थान विदेशों में भारतीय दूतावासों की तरह के नहीं हैं।

1973-74 के दौरान, केन्द्रीय सरकार के 22 औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के विदेशों में 160 संस्थान थे। 1973-74 में इन संस्थानों पर कुल मिला कर 37.31 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई।

इस राशि में से 34.87 करोड़ रुपये एयर इण्डिया द्वारा विदेशों में बनाए हुए 95 संस्थानों पर खर्च हुए। एयर इण्डिया ने वेतन, मजदूरी, स्थापना सम्बन्धी लागत और प्रचार पर 24.6 करोड़ रुपए तथा की गई उड़ानों से सम्बन्धित उतराई और साज-संभाल पर 10.30 करोड़ रुपये खर्च किए। 1973–74 के दौरान विदेशों में इन 95 संस्थानों पर किए गए 34.37 करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में उनके द्वारा राजस्व में 81.7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का योगदान किया गया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उपबन्ध से समितियों को छूट

6797. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सहकारी ऋण समितियों ने सरकार से प्रस्ताव किया है कि 1 करोड़ रुपये तक की कार्यकर पूंजी वाली समितियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उपबन्धों से छूट दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

छोटी बचत जमा राशियों को स्थानीय विकास परियोजना से जोड़ने का प्रस्ताव

6798. श्री एम० कल्यामुत्तु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छोटी बचत जमाराशियों को स्थानीय विकास परियोजना से जोड़ने के प्रस्ताव को राज्य सरकारों को परिचालित किया था जिससे इनकी व्यावहार्यता के बारे में उनकी राय जानी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जून 1974 में, महाराष्ट्र कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के परामर्श से छोटी बचत योजनाओं की जमाराशियों को स्थानीय विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें ये थीं :—

(i) छोटी बचतों में जमा की रकम को जिले की विशिष्ट परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों पर इस योजना का अधिक प्रभाव पड़ सके।

(ii) जिला विशेष में जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों पर परियोजनाओं के नाम छपे होने चाहिएं।

चूंकि राज्य सरकारें इस प्रस्ताव के खिलाफ थीं, इसलिए इस मामले में और आगे विचार नहीं किया गया।

चाय बागान को पुनर्रोपण सहायता देने के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली उपसमिति

6799. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों को पुनर्रोपन सहायता देने के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली उप-समिति को किसी चाय बागान को पहली किश्त के रूप में 2.57 लाख रुपये की राज सहायता देने के मामले में प्रथम दृष्टि में अनियमितता के मामले का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) गयागंगा एस्टेट को पुनर्रोपण उपदान की मंजूरी पर विचार करने से लिए चाय बोर्ड द्वारा नियुक्त तथ्य जांच उप-समिति ने, अभी तक अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

सूडान के साथ व्यापार

6800. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूडान को हमारे निर्यात तथा वहां से आयात सम्बन्धी प्रवृति कैसी रही है;

(ख) क्या सूडान के राष्ट्रपति ने अपनी गत भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के बारे में कोई सुझाव दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1971–72 से 1973–74 तक के वर्षों में सूडान के साथ हमारे व्यापार विनिमय नीचे दिए जाते हैं। (1974–75 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।)

(मूल्य लाख रु० में)

	1971–72	1972–73	1973–74
आयात	2532	4581	2193
निर्यात	5180	2071	1857

(ख) तथा (ग) सूडान के राष्ट्रपति की पिछली यात्रा के दौरान (26 नवम्बर 1974 से 1 दिसम्बर 1974 तक) दोनों देशों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार संबंधों की समीक्षा की गई थी। यह विनिश्चय किया गया था कि भारत-सूडानी व्यापार के सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन करने तथा उनके आगे विस्तार करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के बीच विस्तार में बातचीत की जाएगी। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में इस प्रकार की बातचीत की जाएगी।

सूडान का भारत के अनुकूल संचित व्यापार सन्तुलन

6801. श्री एस० आर० दामाणी: क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के पास भारत के अनुकूल संचित व्यापार सन्तुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर धन राशि को स्वदेश भिजवाने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) भारत–सूडान व्यापार प्रबंध के अंतर्गत 10 अप्रैल, 1975 को भारत के पक्ष में 84 लाख पौंड (15.93 करोड़ रुपये) की राशि बकाया थी। इस प्रश्न पर और साथ ही अन्य संबंधित प्रश्नों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और ऐसी संभावना है कि इस संबंध में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही सूडान का दौरा करेगा।

दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसियेशन के निदेशक द्वारा दिया गया सुझाव

6802. श्री एस० आर० दामाणी: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन (साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन) के निदेशक ने योजना आयोग के कहने पर एक पत्र में मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े की किस्मों में कमी करने के सुझाव का खंडन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) योजना आयोग में चर्चा के बाद, साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने 'ए नोट आन मास प्रोडक्शन आफ स्टेंडर्ड क्लाथ' शीर्षक एक लेख प्रस्तुत किया। इस लेख की एक प्रति संलग्न है।

(ग) यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रति 100 करघों पर एक से अधिक किस्मों का उत्पादन करने वाली मिलों से शुरू में किस्मों की संख्या में 10 प्रतिशत तक कमी करने की अपेक्षा की जाए। उसके बाद, दो वर्ष की अवधि में किस्मों को और भी कम करके हद से हद 25 प्रतिशत कर देने के उपाय किए जा सकते हैं।

विवरण

स्टैंडर्ड कपड़े के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर टिप्पणी

हाल ही की चर्चाओं में रखा गया एक सुझाव यह है कि स्टैंडर्ड कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये, और यह दावा किया जाता है कि इससे, बहुत सी किस्मों का उत्पादन करने की वर्तमान प्रणाली की तुलना में कपड़े की कीमतें गिर जायेंगी। यह तर्क ठीक नहीं है। वस्तुतः इस प्रकार के बड़े पैमाने के मानकीकरण से जैसाकि नीचे बताया गया है, अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी:–

1. विद्यमान स्थिति यह है कि अधिकांश मिलों में कताई तथा बुनाई के सम्बन्ध में ऊंचे दर्जे की विशेषज्ञता पाई जाती है। प्राय: एक खास किस्म का यार्न हजारों तकुओं पर उत्पादित किया जाता है और एक खास किस्म का वस्त्र सैंकड़ों करघों पर बनाया जाता है। आमतौर पर किस्मों का अन्तर रंगाई, छपाई, मरसाइज करने आदि जैसी अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा फिनिशिंग की अवस्था में ही आ जाता है जो अनावश्यक रूप में बहुत सी किस्में बनाती हैं, पर अधिकांश मामलों में किस्मों में कमी करने की किसी कोशिश से कपड़े की कीमतें कम नहीं होंगी।

2. इसके अतिरिक्त टैक्सटाइल्स का उत्पादन पैटर्न ऐसा होता है कि किस्में कम करने से हमेशा लागत में उल्लेखनीय कमी नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ अधिकांश वस्त्रों के मामले में कच्चे माल का अंश कुल लागत का 40 से 50 प्रतिशत तक होता है जिससे यह स्पष्ट है कि लागत में कमी, किस्में कम करने की बजाय, कच्चे माल की कीमतें कम करने से ही हो सकती है। अन्य प्रमुख मद मंजूरी है जो लागत का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक बैठती है। किस्में कम करने से ज्यादा लगभग 1 से 2 प्रतिशत का प्रति आपरेटिव उत्पादन बढ़ सकता है। और उतनी ही मंजूरी की लागत घट सकती है। प्रौसैसिंग की लागत 5 से 15 प्रतिशत तक, भंडार, घिसाई और ऊपरी खर्चे लगभग 15 प्रतिशत हैं और मानकीकरण से इन लागत संघटकों में नगण्य कमी ही हो सकती है। अत: कुल मिलाकर मानकीकरण लागत में 1 प्रतिशत से अनाधिक कमी करने में ही सहायक हो सकता है जो बहुत नगण्य है।

फिर भी अगर मानकीकरण द्वारा यह सुझाया जाता है कि वाश एंड वीयर सन्फाइज्ड तथा मरसाइज्ड किस्मों के सुरूचिपूर्ण वस्त्रों का उत्पादन न किया जाये तो इससे अपरिहार्य रूप से ये मशीनें बेकार हो जाएंगी और भारी संख्या में उन मजदूरों को बेरोजगार कर देगा जो इस समय इन मशीनों पर काम कर रहे हैं।

3. माल के उपयोग के सम्बन्ध में भी ऐसी प्रत्याशा है कि कई हानियां होंगी। इस समय हम भिन्न भिन्न प्रकार के सूती तथा संश्लिष्ट रेशों का उत्पादन कर रहें हैं और इन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उपयुक्त वस्त्रों का निर्माण करना आवश्यक है। स्टैंडर्ड कपड़ा बनाने की किसी भी कोशिश का परिणाम यह होगा कि रूई की उस सुपीरियर वैरायटियों का कम उपयोग हो पायेगा जिन्हें विकसित करने में गत कुछ वर्षों में भारी कोशिशें की गई हैं और बहुत सा धन खर्च किया गया है। चूंकि रुई की ये किस्में महंगी हैं अत: उनका उपयोग कम फाइन कपड़े में करने से यदि कोई कपड़ा तैयार होगा तो वह अधिक महंगा ही पड़ेगा। इसी प्रकार संश्लिष्ट रेशों के मामले में यदि उनका उपयोग मोटे तथा मध्यम किस्मों के लिए किया जाता है तो उनकी लागत एकदम अलाभकर होगी।

4. मोटे तथा मध्यम किस्मों के कपड़े के बड़े पैमाने पर उत्पादन से मशीनों के उपयोग के संबंध में भी समस्याएं पैदा होती है क्योंकि बढ़िया काउंटों के धागे तथा बढ़िया किस्म के कपड़ों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रारम्भिक मशीनों की जरूरत होती है। अत: इन काउंटों के बंद करने पर तकुओं तथा करघों का प्रयोग घट जाने से परिवर्तन लागत ऊंची हो जाएगी और उत्पादन कम हो जाएगा। प्रत्येक मिल एक विशेष प्रकार का औसत काउंट तैयार करती है और इसमें किसी परिवर्तन का यह मतलब होगा कि कताई तथा बुनाई के बीच उत्पादन का सन्तुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा।

5. वस्त्र उद्योग फैशन के विषय में अत्यधिक जागरूक उद्योग है। इसका सबूत यह है कि लोगों की रूचि विविध प्रकार के तथा बढ़िया कपड़ों की ओर जा रही है। उदाहरण के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान ब्लैंडिड कपड़ों का अनुपात तीन गुणा बढ़ गया है और विगत 11 वर्षों की तुलना में मोटे तथा मध्यम किस्मों के कपड़े का अनुपात 49.4 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गया है इससे यह पता चलता है कि, हालांकि कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में मात्रा की दृष्टि से कमी आ गई है फिर भी उनमें क्वालिटी की दृष्टि महत्वपूर्ण सुधार आशा है जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से पता चलता है। इसकी वजह से बहुत संभव है कि वस्त्रों की क्वालिटी तथा उसके परिणाम स्वरूप इसके टिकाऊपन में भी सुधार आया है। यह उल्लेखनीय है कि टिकाऊपन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अर्थ है प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 10 प्रतिशत की वृद्धि। किसी खास किस्म के वस्त्रों की ऊन उपलब्धता से स्वयं ही प्रति व्यक्ति खपत में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए अवरोध का काम करेगी।

6. इस प्रकार, संपूर्ण आबादी के लिए स्टैंडर्ड कपड़े के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से अधिक बेरोजगारी हो जाएगी, मशीन का प्रयोग और उत्पादन कम हो जाएगा, कच्चे माल का कम प्रयोग होगा संभवत: प्रति व्यक्ति खपत भी कम हो जाए और इन सबके अलावा वस्त्र और महंगे हो जाएंगे तथा सस्ते नहीं होंगे। दूसरी ओर जब एक मिल व्यर्थ में अधिक संख्या में काउंट तथा किस्में तैयार कर रही है जिससे कार्यकुशलता आती है, तब किस्मों की संख्या में कमी करने से कुशलता बढ़ेगी।

औद्योगिक आयात के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

6803. श्री डी० डी० देसाई
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री डी० पी० जडेजा
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान औद्योगिक आयात के लिए उदार शर्तों पर ऋण देने के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत पूरी कर ली गयी है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत गैर सरकारी तथा सरकारी, दोनों क्षेत्रों के चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए विदेशों से कच्चा माल, संघटक तथा स्पेयर पुर्जे मंगवाने के प्रयोजन से, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 20 करोड़ डालर के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। कच्चे माल और संघटकों का आयात या तो इन उपक्रमों द्वारा उन्हें जारी किये गये आयात लाइसेंसों के आधार पर सीधे खरीद द्वारा किया जायेगा या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम जैसे अभिकरणों के जरिये ऐसे आयातों के सम्बन्ध में उनके नाम जारी किये गये आर्डरों के आधार पर किया जायेगा।

इस ऋण पर कोई व्याज नहीं लगेगा और केवल एक प्रतिशत वार्षिक के 3/4 की दर से सेवा प्रभार देना होगा और यह ऋण 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाना होगा।

किसानों को ऋण देने के लिए विश्व बैंक से सहायता

6804. श्री डी० डी० देसाई

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय किसानों के लिए संस्थागत ऋण कार्यक्रम में विस्तार करने के लिए भारत को 32 करोड़ डालर (320 मिलियन) की सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस सहायता से किन-किन राज्यों को लाभ मिला है;

(ग) क्या भारतीय किसानों को दी जाने वाली बैंक सहायता में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) नीचे एक विवरण दिया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि यह सहायता किन किन राज्यों को मिली और यह सहायता उन्हें कितनी मिली :–

	(लाख डालरों में)
गुजरात	350
पंजाब	275

	(लाख डालरों में)
आन्ध्र प्रदेश	244
हरियाणा	250
तमिलनाडु	350
कर्नाटक (मैसूर)	400
महाराष्ट्र	300
मध्य प्रदेश	330
उत्तर प्रदेश	330
बिहार	320

हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास परियोजना और कृषि पुनर्वित्त निगम परियोजना के लिए क्रमश: 340 लाख डालर और 750 लाख डालर की रकम के ऋणों के लिए बातचीत पूरी की है ।

(ग) और (घ) जिन दस परियोजनाओं के लिए ऋणों के बारे में हस्ताक्षर किये जा चुके हैं उनमें सहायता का स्वरूप थोड़ा बहुत एक जैसा है लेकिन दो ऋणों में जिनके बारे में हाल में ही बातचीत हुई है, सहायता के स्वरूप में कुछ भिन्नता है । पश्चिमी बंगाल परियोजना में राज्य के लघु सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों के काम में पूंजी लगाई जायेगी और अनुमान है कि कृषि पुनर्वित्त निगम से मिले ऋण में से आधी रकम का छोटे छोटे किसानों के लिए उपयोग किया जायेगा ।

भारतीय कपड़े के निर्यात के बारे में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वार्ता

6805. श्री डी० डी० देसाई

श्री पुरूषोत्तम काकोडकर

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने भारतीय कपड़े के यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात करने के बारे में हाल ही में कोई वार्ता की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते के लिए कोई प्रगति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या उक्त वार्ता से नौ राष्ट्रों वाले समुदाय और भारत के आपसी मतभेद कम हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

कपड़ा मिलों द्वारा मूल्यों में कमी

6806. श्री के० एम० मधुकर

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के मूल्यों में कमी के बावजूद भी कपड़ा मिलें देश में अथवा विश्व बाजारों में अपने माल के मूल्यों में कमी करने को तैयार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अगस्त 1974 में प्रचलित कीमतों के स्तर की तुलना में चालू कीमतें लगभग 30 प्रतिशत कम हैं । रूई की कीमतों में गिरावट हाल की घटना है और स्थानीय तथा निर्यात बाजारों पर इसके प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

6807. श्री के० एम० मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का 85 प्रतिशत उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा बताये गये अनुमानित व्यय के आधार पर उनकी 1974-75 की वार्षिक आयोजना के लिए निर्धारित और उन्हें अनन्तिम रूप में दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा सूचित अनुमानित व्यय के आधार पर 1974-75 की वार्षिक आयोजना के लिये निर्धारित और अनन्तिम रूप से दी गयी केन्द्रीय सहायता

	राज्य	(करोड़ रुपयों में)	
		राज्य की 1974-75 की आयोजना के लिये निर्धारित राशि	अनन्तिम रूप से दी गयी राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.75	48.75
2.	असम	40.04	38.93
3.	बिहार	68.68	66.62
4.	गुजरात	32.17	32.17
5.	हरियाणा	15.99	15.95
6.	हिमाचल प्रदेश	22.35	22.35
7.	जम्मू और कश्मीर	30.21	30.21
8.	कर्नाटक	35.46	35.46
9.	केरल	35 72	35.72
10.	मध्य प्रदेश	53.32	53.32
11.	महाराष्ट्र	49.98	49.98
12.	मणिपुर	7.52	7.50
13.	मेघालय	8.85	8.21
14.	नागालैंड	7.12	7.12
15.	उड़ीसा	32.70	32.70
16.	पंजाब	20.64	20.52
17.	राजस्थान	45.06	45.06
18.	तमिलनाडू	41.15	41.15
19.	त्रिपुरा	7.61	7.23
20.	उत्तर प्रदेश	106.89	106.89
21.	पश्चिम बंगाल	44.94	44.94

आयकर की बकाया राशि की वसूली

6808. श्री के० एम० मधुकर : क्या **वित्त** मंत्री आयकर की बकाया राशि की वसूली के बारे में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कृष्ण मोहन की ओर कर की अनिर्णीत और निर्णीत कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) श्री कृष्ण मोहन की कुर्क की गई और बिना कुर्क की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उनकी मिल्कियत वाली कुछ इमारतों में कुछ फ्लैट किराये पर दिये गए हैं परन्तु किराया-रसीदें नहीं दी जाती हैं और न ही प्राप्त किराया का कोई हिसाब रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और क्या कोई जांच की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) श्री के० एम० बिजली की तरफ आयकर की कुल बकाया मांग 1 अप्रैल 1975 की स्थिति के अनुसार 78.62 लाख रु० की है। निर्धारिती ने सम्पूर्ण मांग के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारियों के सम्मुख अपीले दायर कर रखी हैं। परन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत की गई एक समझौता दरखास्त के अनुसार केवल 1.85 लाख रु० की रकम देय होगी।

(ख) श्री के० एम० बिजली की जिन अचल सम्पत्तियों की जानकारी आयकर विभाग को थी, उन सभी सम्पत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इन अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ग) सरकार की जानकारी में अभी तक ऐसे मामले नहीं आए हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। विभाग को इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने को कहा जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा
1.	बिल्डिंग 12–जरनैल बाग तथा खाली पड़ी कृषि भूमि।
2.	झन्डेवालान ऐक्सटेंशन में पट्टे पर ली गयी 1–ई०/14 नम्बर की सम्पत्ति।
3.	नई दिल्ली में रामजस रोड पर पट्टे पर ली गई 53/83 नम्बर की सम्पत्ति।
4.	नई दिल्ली में न्यू रोहतक रोड पर पट्टे पर ली गयी बी० 21/1 नम्बर की सम्पत्ति।
5.	नई दिल्ली में जी० बी० रोड पर 2865-66 नम्बर की सम्पत्ति।
6.	दिल्ली में सदर बाजार में 65/85 नम्बर की सम्पत्ति।
7.	नरेला में सम्पत्ति।
8	नई दिल्ली में रोहतक रोड पर कोठी नं० 31/32।
9.	अमृतसर में दयानन्द नगर में कृषि भूमि।
10.	गरगरी (कांगड़ा) में खाली प्लाट।
11.	यथोपरि।
12.	हरिद्वार में खाली प्लाट।
13.	अमृतसर में लारेन्स रोड पर भूमि।
14.	अमृतसर में कृष्ण नगर में बिल्डिंग नं० 1399।

महाराष्ट्र के प्रति केन्द्र का रुख

6809. श्री प्रबोध चंद्र : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पृष्ठ 1 पर महाराष्ट्र के प्रति केन्द्र के शिथिलता और पक्षपात पूर्ण रुख अपनाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में जिस समाचार का जिक्र किया गया है, वह सरकार के ध्यान में आया है। इस समाचार में जिस संदर्भ का उल्लेख किया गया है वह भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए इसके विषयवस्तु पर कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

ग्रेट निकोबार द्वीप पर निर्बोध पत्तन की स्थापना करना

6810. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट निकोबार द्वीप में निर्बोध पत्तन की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन के बारे में रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

विमान सेवाएं चलाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

6811. श्री एन० आर० वेकारिया

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियां कितनी हैं जो अभी भी देश में विमान सेवाएं चला रही हैं;

(ख) वे किन-किन मार्गों पर विमान सेवाएं चला रही हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय केवल तीन निजी कम्पनियां अर्थात् जामेयर कं० कलकत्ता; जे०के० कैमिकल्ज (सफारी एयरवेज) बम्बई; तथा कस्तूरी एण्ड संज (हिन्दू) मद्रास, भारत के अन्दर अनुसूचित यात्री/माल विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है।

(ख) (i) **जामेयर कम्पनी** : इस समय परिचालित किए जा रहे मार्ग :

(यात्री सेवाएं)

1. कलकत्ता, अगरतला, कैलाशहर, सिल्चर, ऐजल, कैलाशहर, अगरतला, कलकत्ता।
2. कलकत्ता, अगरतला, कैलाशहर, अगरतला, कलकत्ता।
3. कलकत्ता, अगरतला, गोहाटी, बारापानी, अगरतला, कलकत्ता।

(ii) **जे०के० कैमिकल्ज (सफारी एयरवेज)** : इस समय परिचालित किए जा रहे मार्ग :

(यात्री सेवाएं)

1. बम्बई, सूरत, भावनगर, सूरत, बम्बई।
2. बम्बई, केशोद, पोरबन्दर, केशोद, बम्बई (जब तक कि इंडियन एयरलाइन्स बम्बई, पोरबन्दर, बम्बई मार्ग पर परिचालन प्रारम्भ नहीं करती)

(iii) **कस्तूरी एंड सन्ज (हिन्दू)** : (यात्री तथा माल सेवा)

1. हैदराबाद, विजयवाड़ा } (यात्री तथा माल)
2. विजयवाड़ा, मद्रास }
3. मद्रास, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विजाग, मद्रास (माल उड़ान)
4. मद्रास, त्रिची, मुदराई, त्रिवेन्द्रम, मद्रास (माल उड़ान)

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1974-75 में स्कूटरों का निर्यात

6812. श्री एन०आर० वेकारिया
श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्कूटरों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस देशों को कौन-कौन से स्कूटर निर्यात किए गए और वर्ष 1974-75 में कितने स्कूटर निर्यात किए गए; और

(ग) उनसे विदेशी मुद्रा कितनी अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक स्कूटरों के प्रमुख खरीदार ये हैं :

(1) सिंगापुर (2) श्री लंका (3) थाईलैंड (4) इंडोनेशिया (5) नाइजीरिया (6) पश्चिम जर्मनी (7) हांगकांग तथा (8) अफगानिस्तान आदि ।

(ग) 1974-75 के दौरान 90 लाख रु० (प्राक्कलित) ।

Amount of Loan taken by Certain Companies from Financial Institutions

6813. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans taken by each of the (1) Super Sonic Plastic Private Limited (2) Shri Plastic Industries, Sheelnath Camp (3) Shri Plastic Industries, Highway Petrol Pump near Rau, Indore (4) T.J. Industries, Poona (5) T.J. Industries, Bombay from Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Life Insurance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India and from other banking and financial institutions, separately for setting up various industries indicating the dates of loans and the terms and conditions thereof;

(b) whether these companies have given any guarantee against the loans taken;

(c) whether the companies are not honouring the terms and conditions in this regard and the loans obtained have not been repaid in time; and

(d) if so, action being taken by Government to expedite recovery of these loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (d) Of the all-India long term public financial institutions the Industrial Finance Corporation of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited have not given any loans to these companies. Information in respect of loans, if any, given by the Industrial Development Bank of India and the Life Insurance Corporation of India is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available. The Unit Trust of India does not grant loans.

As regards loans, if any, given by the public sector banks, in accordance with the practice and usage customary among bankers and also in conformity with the provisions of the statutes under which these banks have been established, information relating to or to the affairs of thier individual constituents is not to be divulged.

Payment of Excise Duty and Income Tax by Industrial Concerns

6814. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) the amount of Income tax and excise duty paid by the directors and shareholders of Super Sonic Plastic (Pvt.) Ltd; Shri Plastic Industries, 15-16 Sheelnath Camp, Shri Plastic Industries (near highway petrol pump) Rau, Indore (MP), T. J. Industries Poona, T. J. Industries, Bombay during 1972-73, 1973-74 and 1974-75 (upto March) and the amount outstanding now;

(b) the names of the directors and shareholders holding shares of these industries and the number of shares held by each of them; and

(c) whether large amounts are shown in the registers by the management of these industries as payments to the workers, if so, whether Government will enquire into all these facts ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b) Enquiries made show that Super Sonic Plastic (Private) Limited is a company which was registered in the state of Maharashtra on 6-4-1971. From preliminary enquiries, it appears that the other concerns are not registered under the Companies Act. The desired information regarding all the Directors and Shareholders of all these concerns for three financial years will have to be collected from the field formations in different parts of the country. Collection of the desired information, therefore, will involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results that may be achieved. However, if the Honourable Member desires to have information about any particular Shareholder/Director of particular concerns, the same can be collected and laid on the Table of the House.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण

6816. चौधरी राम प्रकाश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार से उस समय कितना ऋण लिया गया था जबकि उसका निर्माण हुआ था; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) हरियाणा सरकार ने राज्य के बनने के समय कोई ऋण नहीं लिया था ।

(ख) 1973-74 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान राज्य को दिए गए ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1971-72	48.73
1972-73	64.35
1973-74	35.24

इण्डियन लीफ टुबैको डेवैलपमैण्ट कम्पनी

6821. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन लीफ टुबैको डेवैलपमैण्ट कम्पनी लिमिटेड शत प्रतिशत विदेशी कम्पनी की एक शाखा है;

(ख) क्या इण्डियन लीफ टुबैको डेवैलपमैण्ट कम्पनी लिमिटेड ने तम्बाकू खरीदने और बेचने के अपने व्यवसाय में कोई विदेशी मुद्रा खर्च की और यदि हां, तो कितनी;

(ग) परिसम्पत्ति के कुल मौलिक मूल्य के बारे में इण्डियन लीफ टुबैको डेवैलपमैण्ट कम्पनी लिमिटेड की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) वर्ष 1974 अथवा 1973 में कम्पनी की कुल परिसम्पत्ति कितनी थी; और

(ङ) इण्डियन लीफ टुबैको डेवैलपमैण्ट कम्पनी को 1972 से 1974 तक के दौरान प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में इस अवधि में प्रति वर्ष कितनी राशि भेजी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस कम्पनी ने भारत में 55 वर्ष पहले अपना काम शुरू किया था जब विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण नहीं लागू था। इसलिए कम्पनी द्वारा शुरू में विदेशी मुद्रा में लगायी गयी रकम और इसकी प्रारम्भिक परि-सम्पत्ति की कीमत के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) कम्पनी की, 31 मार्च 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार भारतीय शाखा की कुल सकल परिसम्पत्ति 18.25 करोड़ रुपये की थी।

(ङ) कम्पनी को हुए लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1971-72	33.21 लाख रुपये
1972-73	30.01 „ „

1972-73 और 1973-74 में क्रमशः उपर्युक्त रकम बाहर भेजी गयी थीं।

पोलिस्टर फाइबर का आयात

6822. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मन्त्री पोलिस्टर फाइबर के आयात के बारे में 21 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित लाइसेंसधारियों में कुछ पर आयातित पोलिस्टर फाइबर के दुरुपयोग के ऐसे आरोप हैं जैसे कि उसे अत्यधिक लाभ पर काले बाजार में बेचना;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक लाइसेंसधारी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में आर०ओ० लाइसेंसों में लिखित शर्तों का कठोरता से पालन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) अभी तक इन मामलों में से एक मामले में, अर्थात् मै० भगवानदास सन्त प्रकाश, बम्बई के मामले में आयातित पोलिस्टर फाइबर की बिक्री, उन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है जिनके आधार पर आयात की अनुमति दी गई थी। अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यह पार्टी, वस्त्र आयुक्त द्वारा नामित वास्तविक उपयोक्ताओं की सामग्री बेचने की शर्त को पूरा करने में असफल रही है। मामले पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली के चार्टर्ड एकाउन्टैंटों द्वारा आयकर की चोरी

6823. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रमुख चार्टर्ड एकाउन्टैंटों और बड़े बड़े व्यापारियों ने आयकर की चोरी करने की दृष्टि से दिल्ली के आसपास फार्म की बहुत बड़ी जमीनें खरीद ली हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन फार्मों के क्रय मूल्यों की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए उनके विक्रय-विलेखों की जांच की है; और

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली में चार्टर्ड लेखाकारों और बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा खेती की जमीनों की खरीद के बारे में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX ए में ऐसी अचल सम्पत्तियों के अभिग्रहण की व्यवस्था है, जिनका हस्तांतरण के समय मूल्य कम दिखाया गया था। इस सम्बन्ध में, जहां भी उपयुक्त है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

रेल उपकरण का निर्यात

6824. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों के अतिरिक्त रेल उपकरण के निर्यात के लिए कोई क्रयादेश मिले हैं;

(ख) वे क्रयादेश कितने मूल्य के हैं और उनका निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) फिलहाल, रेल वैगनों को छोड़कर रेल उपकरण के लिए बंगलादेश, बर्मा, फिलिपाईन्स, ताइवान, कनाडा, न्यूजीलैंड तथा रूमानिया से निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, जिसका मूल्य लगभग 4.86 करोड़ रु० है ।

दिल्ली में काले धन का पता लगाने वाले अभियान में शिथिलता

6825. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दबाव के कारण दिल्ली/नई दिल्ली में काले धन का पता लगाने और करों की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए आयकर अधिकारियों के छापों को रोक दिया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि आयकर अधिकारी बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों का निर्यात और आयात

6826. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों के आयात अनुपात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष इन कम्पनियों के आयात तथा निर्यात सम्बन्धी सत्पेक्ष स्थिति क्या थी; और

(ग) निर्यात और आयात व्यापार को सन्तुलित करने अथवा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पूछी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और मांगी गई सामग्री को एकत्र करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो उससे सिद्ध होने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगी ।

(ग) नीति के मामले में विदेशी सहयोग की अनुमति मुख्यत: उस प्रौद्योगिकीय जानकारी के लिए है जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं है । निर्यात बढ़ाने के लिए तथा आयात प्रतिस्थापन के लिए और सम्भव सीमा हर व्यापार के सन्तुलन के लिए आवश्यक उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

उड़ीसा में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय

6827. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में चालू यंत्रीकृत जहाजों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र से उड़ीसा में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कलकत्ता में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल रहा है जो उड़ीसा राज्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा ।

उद्यमियों की ओर से शिकायतें

6828. श्री वरके जार्ज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए उद्यमियों से कोई शिकायतें मिली हैं कि नए एककों की स्थापना में लगने वाली अत्यधिक लागत के कारण नए एककों के लिए सुस्थापित एककों से प्रतियोगिता करना कठिन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम थोड़े समय के लिए विकास छूट पुनः चालू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत में एक विश्व इलायची सम्मेलन करने का प्रस्ताव

6829. श्री वरके जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का भारत में एक 'विश्व इलायची सम्मेलन' करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलनों के प्रयोजनों का प्रमुख ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) विश्व इलायची समुदाय के गठन के लिए भारत प्रयत्नशील है । इलायची उत्पादक/निर्यातक देशों का सम्मेलन आयोजित करने का प्रश्न उन अन्य सम्बन्धित देशों की प्रतिक्रियाएं जानने के बाद ही उठेगा जिन से इस मामले पर परामर्श किया गया है ।

सांस्कृतिक और राष्ट्रीय देन के संरक्षण हेतु समिति की स्थापना

6830. श्री वरके जार्ज : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास सांस्कृतिक और राष्ट्रीय देन के संरक्षण हेतु वृहद् नीति बनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या समिति का इस बीच गठन कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) ऐसी समिति का गठन सरकार के विचाराधीन है ।

पुरातत्त्वीय महत्त्व के केन्द्रों के लिए वृहत् योजनाएं

6831. श्री वरके जार्ज : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुरातत्त्वीय महत्त्व के 16 केन्द्रों के लिए वृहत् योजनाएं तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान विकास करने के लिए चुने गए पर्यटन महत्त्व के पुरातत्त्वीय काम्प्लैक्स निम्नलिखित हैं :–

(i) एलीफेंटा, अजंता तथा एल्लोरा की शैल-कृत्त गुफाएं ।

(ii) चुने हुए बौद्ध स्मारक जैसे बोधगया, नालंदा, राजगिर, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती तथा सांची।

(iii) ऐहोल, बादामी, पट्टाडकल, हाम्पी तथा बीजापुर स्थित स्मारक ।

(iv) खजुराहो, भुवनेश्वर तथा कोणार्क के मंदिर ।

(v) दिल्ली के स्मारक ।

(vi) आगरा-फतेहपुर सीकरी, डीग तथा भरतपुर ।

(vii) महाबलिपुरम् ।

(viii) काश्मीर में मार्तंड, अवंतिपुर तथा पांद्रेठन ।

(ix) गोवा ।

(x) जैसलमेर ।

(ग) विकास-कार्य के स्वरूप में मास्टर प्लानों का तैयार करना सम्मिलित होगा जिसमें विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों की भौतिक आयोजना, इन क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली पर्यटन सुविधाओं का स्थान-निर्धारण, स्थल-दृश्य-निर्माण, स्मारकों के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार, आदि सम्मिलित है ।

टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, भावनगर द्वारा जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, बम्बई के अध्यक्ष को ज्ञापन

6832. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिम्बर मर्चेन्ट्स, एसोसियेशन, लारी बाजार, भावनगर, गुजरात राज्य ने, अध्यक्ष जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल इंश्योरेन्स बिल्डिंग, बम्बई को 27 फरवरी, 1975 को एक ज्ञापन दिया है जिसमें इस बात के दृष्टांत तथा ब्यौरे बताए गए हैं कि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा किसी न किसी बहाने से टिम्बर व्यापारियों के दावे रद्द करके उन्हें अनावश्यक वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भी इन शिकायतों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोशिएशन, भावनगर ने दिनांक 27 फरवरी, 1975 को साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष को भेजे गए अभ्यावेदन में, किसी विशिष्ट मामले का हवाला दिए बिना, न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा वास्तविक दावों के अस्वीकृत किए जाने का आरोप लगाया और इस प्रकार के सभी अस्वीकृत दावों पर पुनर्विचार करने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया ।

(ख) तथा (ग) दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने, जिसको अभ्यावेदन की एक प्रति भेजी गई थी, टिप्पणी की है कि उसकी पालिसी सम्बन्धी शर्तों के अधीन देय वैध दावों के अस्वीकृत किए जाने का कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है और यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों का हवाला दिया गया तो उनकी जांच की जाएगी ।

सामान्य बीमा कम्पनी के फील्ड कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

6833. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनी में नियुक्त अधिकारियों सहित सभी फील्ड कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के मानवीकरण और उन्हें युक्तिसंगत बनाये जाने के बारे में बातचीत समाप्त करने में असाधारण विलम्ब पर बहुत उत्तेजित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और उनका निपटारा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारण बीमा कम्पनी तथा उसकी अनुषंगी कम्पनियों के विकास अधिकारियों की सेवा-शर्तों को युक्तियुक्त नहीं बनाया गया है और उनके संघों द्वारा उनकी सेवा-शर्तों को शीघ्र ही युक्तियुक्त बनाए जाने के लिये बार-बार मांग की जा रही है ।

(ख) और (ग) उनकी मांगों में वेतन-मानों तथा अन्य भत्तों में सम्भवत : वृद्धि की मांग भी शामिल है। संबंधित संघों के साथ कुछ विचार-विमर्श हुआ है किन्तु, इस समय, यह बताना संभव नहीं है कि उनके वेतन-मानों तथा भत्तों को कब तक युक्तियुक्त बनाया जाएगा ।

कम्पनियों द्वारा करों का अपवंचन

6834. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनकर, पूंजी लाभकर और उपहार कर से बचने के लिये आपस में सम्बन्धित 9 कम्पनियों के शेयरों के मूल्य घटाये-बढ़ाये जा रहे थे;

(ख) क्या इस बात का पता वित्त मंत्रालय में विशेष सेल द्वारा की गई जांचों से लगा था;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(घ) उनके विरुद्ध अन्य क्या क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ङ) उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । इस प्रकार की हेराफेरी का प्रथमदृष्ट्या सबूत है ।

(ख) जी, हां । विशेष कक्ष, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अधीन निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) का एक अंग है ।

(ग) 9 कम्पनियों के नाम नीचे दिये हैं :

(1) सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लि०

(2) इंदौर एक्सपोर्टिंग एण्ड इम्पोर्टिंग कं० लि०

(3) पंजाब प्रोड्यूस एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०

(4) सेंट्रल इंडिया जनरल एजेंट्स लि०

(5) कुसुम प्रोडक्टस लि०

(6) गोविंद शूगर मिल्स लि०

(7) नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि०

(8) हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास मैन्युफेकचरिंग कं० लि०

(9) महाराजा श्री उमेद मिल्स लि०

(घ) हेराफेरी से कम्पनियों के शेयरधारियों के कर-निर्धारणों पर असर पडा है, स्वयं कम्पनियों पर नहीं पड़ता ।

ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों का बैंकों में नियोजन

6835. श्री नारायण चंद्र पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अपनी शाखाओं और मुख्य कार्यालयों में रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा इस बारे में जिस आरक्षण नीति का पालन किया जाता है उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) प्रत्येक बैंक ने 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीकृत बैंकों में लिपिक तथा अधीनस्थ संवर्गों (कार्डर्स) में भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों के लिये क्रमश: $17\frac{1}{2}$ और $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद सुरक्षित किये हैं । भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट की भी रियायत दी जाती है । इनमें से अधिकांश बैंकों द्वारा उन्हें शिक्षा संबंधी योग्यताओं में रियायत और साक्षात्कार के वास्ते उपस्थित होने के लिये रेल-भाड़े की प्रतिपूर्ति भी दी जा रही है ।

(ग) बैंकों के अनुसार 1972, 1973 और 1974 के वर्षों में उनके द्वारा नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्नलिखित है :–

बैंक का नाम	1972	1973	1974
सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	89	67	7 (जून 1974 तक)
बैंक आफ इण्डिया	54	18	79
पंजाब नेशनल बैंक	43	24	30
बैंक आफ बड़ोदा	12	10	4
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	9	62	78
कनारा बैंक	30	25	20
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	15	26	31
देना बैंक	3	3	12
सिंडीकेट बैंक	5	20	49
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	21	29	34
इलाहाबाद बैंक	17	30	29
इण्डियन बैंक	13	90	71
बैंक आफ महाराष्ट्र	70	2	13
इण्डियन ओवरसीज बैंक	18	39	33

हथकरघा बुनकरों के सम्मुख संकट

6836. श्री बसंत साठे
श्री राम हेडाऊ
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा
श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री आर० वी० स्वामीनायन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धागे के मूल्यों में घट-बढ़ की और हथकरघा कपड़े का भारी स्टाक जमा हो जाने की जानकारी है जिसके कारण भारी संख्या में बुनकर बेरोजगार हो गए हैं अथवा अपूर्ण रोजगार प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों को राहत देने के लिए क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिल नाडु के दक्षिणी राज्यों में हथकरघा स्टाक के भारी मात्रा में जमा हो जाने के कारण हथकरघा बुनकरों के सामने जो कठिनाइयां हैं, जिनमें बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार शामिल हैं, उनके बारे में सरकार को समाचार मिले हैं। ब्याज सहित ऋण तथा ऐसे एक एकत्रित स्टाक की बिक्री पर छूट दे कर राहत देने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं जो विचाराधीन है ।

चमड़ा निर्यात नीति

6837. श्री बसंत साठे
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1975 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'लैदर एक्सपोर्ट पोलिसी फेल्स इन टारगेट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) तैयार चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन, तैयार चमड़े के माल का निर्यात और निर्यात से हुई आय की दृष्टि से उपलब्धि क्या रही ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार की यह नीति रही है कि अर्धपरिष्कृत चमड़े की बजाय तैयार चमड़े तथा चमड़े के सामान का निर्यात करते हुए चमड़े के निर्यात व्यापार की संरचना में परिवर्तन किया जाए। चूंकि इस परिवर्तन के लिए अवस्थापन के सृजन की जरूरत होने के कारण इस दिशा में उठाए गए इस विनियामक कदम का असर कुछ समय बाद अनुभव किया जाएगा, अतः सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 1975-76 के दौरान निर्यात के लिए अर्द्ध-परिष्कृत चमड़े के लिए रखे गए कोटे की अधिकतम सीमा में आगे और कटौती न की जाए।

(ग) तथा (घ) तैयार चमड़े के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय ये हैं :- (i) एककों द्वारा अपनी अर्ध-परिष्कृत क्षमता को बदल कर तैयार चमड़ा उत्पादित करने की क्षमता की स्थापना (ii) दो तिहाई आयात प्रतिपूर्ति का उपयोग मशीनों के आयात के लिए किया जाना (iii) मशीनों, रसायनों तथा रंजकों के उदार आयात और (iv) चुकाए गए विमान भाड़े का 40 प्रतिशत उपदान लेकिन तैयार चमड़े के एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित।

सरकार ने उद्योग तथा सिविल सप्लाई मन्त्रालय के अधीन चमड़ा विकास निगम की स्थापना का भी अनुमोदन कर दिया है जिसका काम तैयार चमड़े और चमड़े के माल के उत्पादन के लिए आवश्यक अवस्थापना का सृजन करना होगा।

तैयार चमड़े के निर्यात के लिए आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस दिए जाते हैं। ऐसे विद्यमान एकक, जिन्हें अर्ध तैयार चमड़े के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं, अपनी क्षमता तैयार चमड़े के उत्पादन की क्षमता में बदल सकते हैं। चूंकि अधिकांश एकक लघु क्षेत्र में हैं, अतः इसी वक्त यह नहीं बताया जा सकता कि गत तीन वर्षों में ठीक ठीक कितनी क्षमता स्थापित की गई थी। फिर भी, गत तीन वर्ष में हुए तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल के निर्यात से पता चलता है कि इन मदों में प्रगति हो रही है।

(आंकड़े करोड़ रु० में)

	1972-73	1973-74	1973-74 (अप्रैल-जनवरी)	1974-75 (अप्रैल-जनवरी) (अनुमानित)
तैयार चमड़ा	7.24	13.55	8.07	22.42
चमड़े का माल/चमड़े का निर्मित माल	3.60	6.17	3.84	3.99
चमड़े के जूते/संघटक	10.27	11.30	6.87	11.39

Export of Sugar

6838. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the increase registered in foreign exchange earnings from sugar export during 1974-75; and

(b) the steps being taken by Government to increase further the foreign exchange earnings therefrom during 1975-76?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Foreign exchange earnings from export of Sugar during 1974-75 amounted to Rs. 341.16 crores as against Rs. 42.21 crores in 1973-74.

(b) The quantity, price and destination of sugar exports during 1975-76 would depend on international demand and supply situation. The country will, however, endeavour to export the maximum possible quantities at best prices, to maximise foreign exchange earnings, keeping in mind the domestic requirements.

Payment of Arrears of Income Tax by Top Film Stars

6839. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income tax paid by the top cine-artistes S/Shri Dilip Kumar, Rajesh Khanna and Manoj Kumar, Miss Hema Malini and Mrs. Saira Banu during 1972-73 and 1973-74, separately and the amount outstanding against each of them; and

(b) the legal action being taken by Government to recover the arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The requisite information is given in the Annexure.

Statement

S. No.	Name of the Cine Artiste	Income-tax paid during 1972-1973 (Rupees in lakhs)	Income-tax paid during 1973-1974 (Rupees in lakhs)	Income-tax demand outstanding on 31-3-1975 (Rupees in lakhs)	Reasons for the demands remaining outstanding on 31-3-1975 and the legal action being taken by the Government to recover them.
1.	Shri Dilip Kumar	2.62	2.05	7.39	The demands outstanding are by way of penalty and interest and have been kept in abeyance till the decision of appeals pending before the income-tax Appellate Tribunal.
2.	Shri Rajesh Khanna	3.92	2.41	13.96	A demand of Rs. 12.57 lakhs was created only on 31-3-1975 and as such, has not fallen due for payment. The balance demand of Rs. 1.39 lakhs is being disputed in appeal and steps will be taken to recover it after the decision of appeal.
3.	Shri Manoj Kumar	0.80	2.65	—	—
4.	Miss Hema Malini	1.90	1.78	20.13	A demand of Rs. 16.37 lakhs fell due for payment only towards the end of March, 1975. Demands aggregating to Rs. 18.55 lakhs (inclusive of the said Rs. 16.37 lakhs) are disputed in appeals and the assessee's requset for the stay of recovery thereof is under consideration. The balance demand is being collected in monthly instalment of Rs. 20,000 each.
5.	Mrs. Saira Banu	2.49	1.21	1.34	A demand of Rs 1.09 lakhs had not fallen due for payment up to 31-3-75. Steps are being taken to recover the balance demand.

Collusion Between Officials and Smugglers

6840. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is alleged that Central Excise Officers and Income Tax Officers in Udaipur (Rajasthan) are working in collusion with local smugglers; and

(b) the number of persons arrested in Udaipur under the Maintenance of Internal Security Act and the number of persons from whose premises black money was seized during the last one year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir,

(b) No detention order in respect of any person belonging to Udaipur was issued under MISA (Amendment Ordinance) or under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 which replaced the MISA (Amendment Ordinance). There was no seizure of black-money at Udaipur during the last one year by the Income Tax Authorities.

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतें जुटाने के लिए अभियान

6841. श्री गजाधर माझी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में फसलों की कटाई के समय ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतों के अन्तर्गत वसूली के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) फसलों की कटाई के समय राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, विपणन समितियों, भारतीय खाद्य निगम, स्थानीय पंचायतों और पंचायत समितियों के सहयोग से छोटी बचतों के प्रभार और उनके अन्तर्गत धन इकट्ठा करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अधिक रकमें इकट्ठी करने पर गांवों के डाक घरों के अतिरिक्त-विभागीय शाखा पोस्टमाटरों को भी प्रोत्साहन के रूप में उचित रकम दी जाती है।

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक की भर्ती नीति

6842. श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटिड कमर्शियल बैंक की असिस्टेंट कैशियर, क्लर्क और आफिसर भर्ती करने के लिए विशेषकर न्यूनतम अर्हताओं, इन्टरव्यू के तरीके और लिखित प्रश्नपत्रों के बारे में क्या नीति है;

(ख) इन्टरव्यू बोर्ड गठित करने और लिखित पत्रों को जांचने के लिए कहां से और किन अर्हताओं वाले व्यक्ति लिए जाते हैं;

(ग) क्या भर्ती के मामलों में अनियमितताओं और स्वीकृत प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने के बारे में बैंक के प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यूनाइटिड कमर्शियल बैंक में सहायक खजांचियों, क्लर्कों और 'डी' पदक्रम के अफसरों की सीधी भर्ती के विषय में इस बैंक ने जो सूचना दी है, उसके मुताबिक इस विषयक प्रक्रिया नीचे लिखे अनुसार है :-

क्लर्क और सहायक खजांची

बैंक द्वारा अखबारों में विज्ञापनों और रोजगार दफ्तरों को भेजी गयी अधिसूचनाओं के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सहायक खजांचियों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष

परीक्षा है (जिसमें हर परीक्षा के लिये प्राप्तांकों की प्रतिशतता विहित है), जबकि क्लर्कों के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है जिसमें महानगरीय और ग्रामीण केन्द्रों के लिये, डिग्री परीक्षा में प्राप्तांकों के विषय में कुछ शर्तें विहित हैं। ग्रामीण केन्द्रों से क्लर्क-वर्गीय पदों के लिये परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम प्राप्तांकों की शर्तें बैंक द्वारा हटा दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, पदों की संख्या में सामान्य आरक्षण और योग्यताओं के विषय में ढील की भी अनुमति दी जाती है। बैंक ऐसे मौजूदा कर्मचारियों के बारे में, जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की बैंक सेवा पूरी कर ली है और जिनका कोई और रिश्तेदार बैंक नियोजन में नहीं हैं, उनके एक पुत्र या पुत्री या भाई को, स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्तांकों विषयक शर्तें हटाकर लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति भी प्रदान करता है।

जहां तक खजांची और क्लर्कों के चयन का सवाल है दोनों का ही चयन एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू द्वारा किया जाता है। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होते हैं—एक अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का तथा दूसरा गणित का। लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को तैयार करने और उनकी उत्तर पुस्तकों को जांचने का कार्य उच्च योग्यता और अनुभव प्राप्त बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार बोर्डों में प्रायः बैंक के विशिष्ट अधिकारी रहते हैं।

'डी' पदक्रम के अधिकारी (अर्थात् वह स्तर जहाँ सीधी भरती की जाती है)

बैंक में अफसरों के पदक्रम 'डी' में सीधी भरती के लिए आरक्षित पदों के वास्ते, खुले विज्ञापनों/अधिसूचनाओं के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता यह है : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट सर्वयोग में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंकों सहित अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री सर्वयोग में 50 प्रतिशत अंकों सहित अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की व्यवसाय प्रबन्ध (बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिपलोमा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों के वर्ग के उम्मीदवारों के विषय में बैंक सामान्य आरक्षणों और योग्यता विषयक ढील की भी अनुमति देता है।

अफसरों के पदों के चयन के लिए बैंक, सामान्यतः डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में ऊंची प्रतिशतता के अंक पाने वाले उम्मीदवारों को, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) जैसी प्रख्यात एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली लिखित साइकोमैट्रिक परीक्षाओं के लिए आमंत्रित करता है। इन परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल रहते हैं उनके इंटरव्यू एक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। जिसमें कोई विख्यात बाहरी व्यक्ति अध्यक्ष होता है तथा बैंक के उच्चाधिकारी जिसमें सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं, चुने गए उम्मीदवारों की सूची योग्यता क्रम से तैयार की जाती है जोकि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उनके निष्पादन पर आधारित होती है।

(ग) और (घ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचना दी है कि उसे कामगरों की यूनियनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें (i) लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित करने में अनियमितताओं और (ii) भरती की अनुमोदित प्रक्रिया की उपेक्षा के आरोप लगाए गए थे।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जांच के बाद यह पाया गया है कि भरती परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतें प्रायः कर्मचारी वर्ग के उन व्यक्तियों ने की थीं जो लिखित परीक्षा में और/अथवा इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे थे। जहां तक अनुमोदित प्रक्रियाओं की उपेक्षा की शिकायतों का प्रश्न है, बैंक ने सूचित किया है कि जिन यूनियनों से, अपने आरोप सिद्ध करने के लिए, इस प्रकार की उपेक्षा/गड़बड़ के विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और वह इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा सकीं, जिनसे कि इस मामले की और अधिक जांच करने की आवश्यकता सिद्ध होती है।

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन पर कांग्रेस विरोधी गतिविधियों का आरोप

6843. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मन्त्री यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन पर कांग्रेस-विरोधी गतिविधियों के आरोप के बारे में 14 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 3393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त चेयरमैन द्वारा कांग्रेस विरोधी गतिविधियां किये जाने की शिकायत की भी जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कांग्रेस इकानामिक कौंसिल ने अपने ज्ञापन में शिव सेना के प्रकार के आन्दोलन की धमकी दी है; और

(घ) क्या इस बीच इन आरोपों की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जैसी की सामान्य पद्धति रही है उसके अनुसार सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकों के विरुद्ध आरोपों की जांच करती रही है । सरकार की प्रतिक्रिया बताना जनहित में नहीं है ।

ब्रिटेन से सहायता के लिए समझौते

6844. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1975 में नई दिल्ली में भारत को और ब्रिटिश सहायता के लिए दो समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उक्त सहायता का उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है; और

(घ) ब्रिटेन से 1972, 1973 और 1974 में कुल कितनी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां । दोनों करारों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **200 लाख पौण्ड (38 करोड़ रुपए का ब्रिटेन भारत अनुरक्षण ऋण 1975)—**

भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल, फालतू पुर्जों और संघटकों का आयात करने के लिए इस ऋण का प्रयोग किया जाता है ।

(2) अन्न सहायता—30,000 मीट्रिक टन अनाज (अधिकांशत: गेहूं) । यह सहायता 1973-74 के फसल वर्ष के लिए यूरोपीय सांझा बाजार खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम के लिए ब्रिटेन के अंशदान के रूप में है ।

(घ) ब्रिटेन ने 1972, 1973 और 1974 के कैलेण्डर वर्षों में जो आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता देने का वायदा किया है वह इस प्रकार हैं :

(i) आर्थिक सहायता	(दस लाख पौण्डों में)
1972	61.00
1973	22.50
1974	112.40

(ii) तकनीकी सहायता

यह सहायता इस रूप में है, ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं, ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाएं और कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत भारत में इस्तेमाल करने के लिए सहायक साज-सामान । 1972, 1973 और 1974 के वर्षों के दौरान ब्रिटेन ने जो विशेषज्ञ दिए हैं उनकी और प्रशिक्षण स्थानों की संख्या निम्नलिखित है ।

	1972	1973	1974
विशेषज्ञ	14	7	13
प्रशिक्षण स्थान	165	174	217

इंडियन एयरलाइंस की कांडला आने-जाने वाली विमान सेवाएं

6845. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमान कांडला (कच्छ) आते जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सफरी एयरवेज ने ऐसी विमान सेवायें चलाने की अनुमति मांगी है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप डकोटा एवं वाइकाउन्ट विमानों को अपने विमान बेड़े से क्रमशः निकाल देने के निर्णय के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने मार्च, 1974 में जिन 16 नगरों के लिये विमान सेवायें समाप्त कर दी थीं, कांण्डला (कच्छ) भी उन्हीं में से एक है। अभी तक इन में से किसी भी नगर के लिये पुनः विमान सेवा प्रारम्भ नहीं की गई है।

(ग) सफरी एयरलाइन्स ने सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों के लिये विमान सेवा परिचालन की अनुमति के लिए प्रार्थना की थी। इन्हें इस क्षेत्र में कुछ स्थानों के लिये जहां कि इस समय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालन नहीं किया जा रहा है, अनुसूचित सेवाओं के परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

पर्यटक साहित्य के प्रचार, उत्पादन अभियान और वितरण में समन्वय

6846. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिये आकर्षित करने हेतु पर्यटन साहित्य के प्रचार, उत्पादन अभियान और वितरण में कोई समन्वय है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रचार विषयक आयोजना, प्रकाशन एवं वितरण का समन्वय करने के लिये नियमित बैठकें की जाती हैं जिन में पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम तथा एयर-इंडिया के प्रतिनिधि प्रचार आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करते हैं तथा प्रकाशन प्रयोजनों के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं।

पर्यटन साहित्य के प्रकाशन के लिये पर्यटन विभाग के परामर्श से भारत पर्यटन विकास निगम ने एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की आयोजना तथा बिक्री अभिवृद्धि प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है। प्रकाशन के पश्चात् पर्यटन साहित्य को एयर-इंडिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के माध्यम से विदेश स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों/मिशनों/एयर इंडिया के कार्यालयों में वितरित किया जाता है।

मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अंशधारियों/निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाना

6847. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के किन्हीं अंशधारियों/निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है अथवा उनके यहां छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) छापों में उनसे कौन सी वस्तुएं बरामद की गई और वे अब कहां पर हैं तथा इस प्रकार बरामद की गई वस्तुओं की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसकी अभिदत्त, जारी की गयी तथा चुकता पूंजी 2.17 करोड़ रु० की है। कम्पनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 26-9-1974 तक बनाए गए कम्पनी के शेयरधारियों की संख्या लगभग 1800 है, जो देश भर में फैले हुए हैं। तस्करी के आरोप में पकड़े गये कम्पनी के शेयरधारियों/निदेशकों के सम्बन्ध में तथा उनके परिसरों आदि पर मारे गए किसी प्रकार के छापों के बारे में सूचना विभिन्न विभागों/प्रवर्तन ऐजेन्सियों के देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार की गिरफ्तारियों और छापों के बारे में केन्द्र में कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः, अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप रहा होगा। परन्तु, अगर माननीय सदस्य किसी खास शेयरधारी/निदेशक के बारे में जानकारी पाना चाहें, तो उसे एकत्र करके सदन पटल पर रखा जा सकता है।

मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड के अंशधारियों द्वारा करों का भुगतान

6848. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड या उससे सम्बद्ध कम्पनियों में जिनके पास 1000 रुपये तथा इससे अधिक के शेयर हैं, उनके विरुद्ध विभिन्न करों की कितनी राशि बकाया है और उनमें से किनके पास आयात-निर्यात अथवा किसी अन्य प्रकार के लाइसेंस हैं तथा उनमें से प्रत्येक के पास किस प्रकार के लाइसेंस हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर करों की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) तीन वर्ष से अधिक समय से कौन से कर बकाया हैं, करों की बकाया राशि के वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मैसर्स टाटा मिल्स लि० एक बहुत बड़ी कम्पनी है, जिसकी जारी की गई पूंजी लगभग 1.27 करोड़ रु० तथा अभिदत्त पूंजी लगभग 1.26 करोड़ रु० की है। इस कम्पनी में शेयरधारियों की कुल संख्या 18 अप्रैल, 1972 की स्थिति के अनुसार 13,700 से अधिक थी। जिन शेयरधारियों के पास इस कम्पनी के 1,000/– रु० तथा इससे अधिक मूल्य के शेयर हैं, उनकी संख्या अधिक है और वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। उस कम्पनी के अथवा उनकी सहयोगी कम्पनियों के ऐसे प्रत्येक शेयरधारी की तरफ विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की बकाया की रकमों के बारे में और जिनके पास आयात अथवा निर्यात अथवा अन्य किसी किस्म के लाइसेंस आदि है, उनके नामों के बारे में सूचना देश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी। अतएव, अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा जो संभवतः प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शेयरधारी/शेयरधारियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह एकत्र करके सभा-पटल पर रखी जा सकती है।

मैसर्स सेन्चुरी रेयन्स लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध कर की बकाया राशि

6849. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कम्पनियों/व्यक्तियों ने मैसर्स सेन्चुरी लिमिटेड में 1000 रुपये या इससे अधिक पूंजी लगाई है और जिनके विरुद्ध आयकर, धनकर, उत्पाद शुल्क और निगम कर की राशि बकाया है;

(ख) उनकी ओर कर की कितनी राशि बकाया है और कब से;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी; और

(घ) कर वसूल करने में विलम्ब किये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) मैसर्स सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जिसकी मैसर्स सैन्चुरी रेयन्स एक डिविजन/इकाई है, एक बहुत बड़ी कम्पनी है। इस कम्पनी के शेयरधारियों की कुल संख्या लगभग 21,000 है। जिन कम्पनियों/व्यक्तियों ने इस कम्पनी में 1,000 रु० अथवा उससे अधिक की पूंजी निवेश की है, उनकी संख्या बहुत अधिक है और वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। ऐसी जिन कम्पनियों/व्यक्तियों की तरफ आय-कर, धन-कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और निगमकर

की रकमें बकाया हैं, उनके नामों के बारे में सूचना, देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी। अतः, अपेक्षित सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा, जो सम्भवतः प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शेयरधारी/शेयरधारियों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना चाहें, तो वह इकट्ठी करके सदन-पटल पर रखी जा सकती है।

Development of Tourism in Bihar

6850. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have submitted to him any draft Five Year Plan for the development of tourism in the State;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Draft Five Year Plans are submitted by the State Governments to the Planning Commission. The Tourism Plan of Bihar was discussed in the Planning Commission in October, 1973 when it was agreed to allocate Rs. 50 lakhs for tourism schemes in the State Sector during the Fifth Plan. The emphasis in the Draft Fifth Plan of the State Government in respect of tourism schemes is on the strengthening of the Tourist organisation, printing of publicity literature and provision of accommodation.

Licence granted to Bihar Cotton Mill Private Limited

6851. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a cotton textile factory known as Bihar Cotton Mill Private Limited is located at Phulwari Sharief in Patna District, Bihar;

(b) if so, the number of spindles for which licence has been granted by Government to it and the number of spindles functioning there and its daily production capacity.

(c) whether the managements of the said mill has asked Government to increase further the number of spindles: and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The authorised capacity of the Mill is 15.000 spindles out of which 9,976 spindles have been actually installed. The present daily production capacity is 2877 kgs. of yarn.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना कार्यालय में आकस्मिक कार्यों पर खर्च की गई धनराशि

6852. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक, के कार्यालय में वर्ष 1974-75 में आकस्मिक कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में टेलीफोनों, न्यायालय के मामलों और विभागीय जांच कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) गत तीन वर्षों में विशेषकर टेलीफोन संख्या 22476 और 25911 पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) यदि कोई अतिरिक्त खर्च किया गया और अनियमितताएं की गई तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 2.68 लाख रुपये।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा लेखा विभाग में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में किया गया व्यय

6853. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा विभाग में गत तीन वर्षों में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या उक्त व्यय को रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों एवं सरकार, दोनों के लाभ के लिए वैज्ञानिक स्थानान्तरण नीति तैयार करके कम किया जा सकता है ;

(ग) क्या विभाग की एम्पलाईज फेडरेशन-हेडक्वार्टर्स एसोसिएशन और विभिन्न ब्रांच एसोसिएशनों की ओर से सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त नीतियाँ तैयार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क)

1972-73	1973-74	1974-75
29.02 लाख रु०	30.55 लाख रु०	28.00 लाख रु० (केवल फरवरी 1975 तक)

उपर्युक्त आंकड़ों में, दौरों पर किया गया खर्चा भी शामिल है। स्थानान्तरणों पर हुए खर्चे से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) अरुचिकर स्थानों पर कर्मचारियों को अदल बदल कर तैनात करने तथा नाजुक नियुक्तियों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं आदि जैसी कतिपय अपरिहार्य जरूरतों के अनुरूप, स्थानान्तरणों पर खर्चा पहले से ही न्यूनतम तक ही सीमित है।

(ग) तथा (घ) मान्यता प्राप्त कर्मचारी-संघों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कुछ वार्ता हुई है। मामला सक्रिय रूप से विभाग के विचाराधीन है।

लोह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का आयात करने वाले देशों के साथ करार

6854. श्री बालकृष्ण वेकन्ना नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यात ऐजेन्सी या ऐजेन्सियों द्वारा विश्व के लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का आयात करने वाले देशों के साथ किए गए करारों की शर्तें क्या हैं; और

(ख) लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने वाले अन्य देशों द्वारा किए गए करारों की तुलना में करारों की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास 1975–76 के दौरान विभिन्न गन्तव्य स्थानों को लगभग 170 लाख टन लौह अयस्क तथा 7.7 लाख टन मैंगनीज अयस्क की सप्लाई के लिए बिक्री संविदाएं हैं। इन संविदायों की शर्तें दूसरे निर्यातक देशों की शर्तों की तुलना में अनुकूल हैं।

विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या

6855. श्री बालकृष्ण वेकन्ना नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उन भारतीय पर्यटकों का कोई रिकार्ड रखता है जिन्होंने केवल पर्यटन के उद्देश्य से विदेशों की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में उनकी संख्या कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा भारत आने वाले पर्यटकों का ही रिकार्ड रखा जाता है। पर्यटन के अभिप्राय से विदेश जाने वाले भारतीयों के बारे में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

पर्यटकों को कर्नाटक में आकर्षित करने के उपाय

6856. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को कर्नाटक में पर्यटक महत्व के स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से समग्र भारत का प्रचार करता है किसी एक राज्य का नहीं। एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र होने के कारण कर्णाटक पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटक साहित्य में यथोचित प्रचार पाता है। पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए चौथी योजना के दौरान प्रारम्भ की गई स्कीमें थीं हस्सन में मोटल का विस्तार, डांडेली वन्यजीव शरण्य में एक वनलाज का निर्माण, अशोक होटल बंगलौर का विस्तार, तथा मैसूर के ललित महल पैलेस को अधिकार में लेना तथा उसे एक होटल के रूप में परिवर्तित करना। इसके अतिरिक्त कर्णाटक में होटल के विस्तार/निर्माण तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये होटल मालिकों तथा कार परिचालकों को 50.18 लाख रुपये के ऋण भी दिये गये थे।

पांचवी योजना में बादामी-पट्टाड्कल-एहोल तथा हाम्पी के पुरातत्वीय काम्पलेक्सों में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का पर्यटन पर प्रतिवेदन

6857. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने पर्यटन के विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को 28-6-1973 को पर्यटन में लागत लाभ का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का मुख्य कारण अध्ययन के लिये अपेक्षित भारत में पर्यटन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ब्यौरों की असुलभता है।

उड़ीसा में पटसन मिल को चालू करना

6858. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित पटसन मिल को चालू करने में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 15 फरवरी, 1974 को उड़ीसा में एक पटसन मिल की स्थापना के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त क्षेत्र के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि समिति परिसंघ के साथ एक करार किया है तथा एक नयी कम्पनी स्थापित की जा रही है। मशीनों के लिए टेंडर 28 दिसम्बर, 1974 को खुलने थे।

जमीन ले ली गई है, स्थल का सर्वेक्षण कर लिया गया है और सतह बराबर करने का काम आरंभ हो गया है। फैक्टरी के लिए पानी तथा विद्युत प्राप्त करने के प्रबन्ध भी कर लिए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

6859. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने भारत में औद्योगिक विकास के लिए कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) जिस माल के लिए सहमति हुई है वे किस रूप में और किस देश से आयात किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कुछ चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के औद्योगिक यूनिटों द्वारा आवश्यक कच्चे माल, संघटकों और अतिरिक्त पुर्जों का आयात किए जाने के लिए 20 करोड़ डालर का एक ऋण दिया है। इससे यह उद्योग अपनी अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकेंगे। अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय संघ से कुल 1.13 करोड़ डालर की राशि प्राप्त हो चुकी है। यह आयात विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विट्जरलैण्ड से किया जा सकता है। इसके अलावा, हमें उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह से 33.8 करोड़ डालर के ऋण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिए 25 लाख डालर का ऋण दिया है। इस ऋण के द्वारा इन यूनिटों के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों का आयात किया जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अलावा, विश्व बैंक समूह भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों की पूंजीगत उपकरणों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से ऋण देता रहा है और ऐसे ऋणों की कुल रकम 42.50 करोड़ डालर बैठती है।

आयात एवं निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक द्वारा आयात नियमों का उल्लंघन

6860. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात एवं निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक ने अपनी उस 'कोनटाइन' कार की बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा को स्वदेश नहीं भेजा है, जो उन्होंने पैरिस में खरीदी थी;

(ख) क्या इस अधिकारी ने आयात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके टेलीविजन सैटों का आयात किया है;

(ग) क्या उन्होंने अपने पुत्र के नाम में प्लास्टिक मशीनरी के आयात का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध दिल्ली के एक न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120 के अन्तर्गत एक आपराधिक मामला न्यायाधीन है और क्या इस मामले के सम्बन्ध में उन्हें हथकड़ी लगा कर गिरफ्तार किया गया था और सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, दिल्ली में बंदीगृह में रखा गया था; और

(ङ) मन्त्रालय द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। बिक्री की राशि अंशत: अपने बैंक के माध्यम से नकद रूप में और अंशत: घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं खरीद कर माल-असबाब के रूप में स्वदेश लाई गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) स्थानीय पुलिस ने एक व्यक्तिगत शिकायत पर एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामला मुकदमे के लिए कोर्ट में लंबित है और निर्णयाधीन है।

राज्यों को बैंक ऋण

6861. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1974 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "इन्डस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स गैट मोस्ट आफ बैंक क्रेडिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1972-73 में और उसके बाद तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(ग) राज्यों के बीच इस प्रकार के असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट देखी है। बैंक ऋण के उपयोग में अन्तः क्षेत्रीय असन्तुलन मुख्यतः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधि के स्तर में घटबढ़ और विशेष रूप से व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों में, और परिवहन, संचार और विद्युत आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर होती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के राज्यवार वितरण के संबंध में दिसम्बर, 1972 और 1973 के अन्त तक के उपलब्ध आँकड़े, अनुबन्ध में दिए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय विषमताओं को निरंतर विकास प्रयासों द्वारा ही कम किया जा सकता है। बैंक अपनी ओर से अधिकाधिक नई शाखाएं खोलने और छोटे उत्पादन-कर्ताओं के वास्ते अपने ऋणों के प्रसार में तीव्रता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ-साथ बैंक राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों और राज्य सम्बद्ध निकायों के बांडों/डिबेंचरों में बड़ी मात्रा में निवेश भी करते हैं।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार अग्रिम

(राशि करोड़ रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अग्रिम (दिसम्बर के अन्त तक)	
	1972	1973
(1)	(2)	(3)
1. आन्ध्र प्रदेश	26060	33691
2. असम	3029	3465
3. बिहार	10991	13624
4. गुजरात	37254	45148
5. हरियाणा	6084	8813
6. हिमाचल प्रदेश	595	936
7. जम्मू व कश्मीर	1297	1803
8. केरल	17487	22481
9. मध्य प्रदेश	11543	14431
10. मणिपुर	114	71
11. मेघालय	500	285
12. कर्नाटक	35630	43346
13. महाराष्ट्र	161176	191884
14. नागालैंड	47	111
15. उड़ीसा	2906	4050
16. पंजाब	12932	19850
17. राजस्थान	8040	10705
18. तमिलनाडु	59759	75612
19. त्रिपुरा	84	120
20. पश्चिम बंगाल	88386	106143
21. उत्तर प्रदेश	27490	36297
संघ शासित क्षेत्र	49977	76291
जोड़	561381	709157

दार्जिलिंग चाय का उत्पादन

6862. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में दार्जिलिंग चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में सोवियत संघ को इस चाय का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) सोवियत संघ को निर्यात की गई चाय में से कितनी चाय सोवियत संघ ने सीधे और भारत में अपने एजेंटों के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी में खरीदी?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान दार्जिलिंग चाय का उत्पादन क्रमश: 115.0 लाख कि.ग्रा., 114.1 लाख कि.ग्रा. और 114.5 लाख कि.ग्रा. था।

(ख) भारत से विभिन्न देशों को चाय के निर्यातों के उद्भव-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत से सोवियत संघ को निर्यातित चाय सोवियत संघ के क्रेता संगठनों के एजेंटों द्वारा स्थानीय नीलामी केन्द्रों से सीधे ही खरीदी जाती है।

1974-75 के दौरान (नवम्बर 74 तक) सोवियत संघ को चाय का निर्यात 263.3 लाख कि.ग्रा. था जबकि 1973-74 की उसी अवधि के दौरान 239.3 लाख कि.ग्रा. था।

Increase in Deposits of Non-Nationalised Banks

6863. Dr. Lakshminarayan Pandeya
Shri R.N. Barman
Dr. H. P. Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been considerable increase in the deposits of the non-nationalised banks after the nationalisation of certain major banks ;

(b) whether the working efficiency of such banks have also proved to be considerably effective;

(c) The number of the banks among the said non-nationalised banks deposits in which have exceeded Rs. 50 crores; and

(d) whether Reserve Bank has been given special or more powers by Government for having greater control over such banks?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Banking industry as a whole has expanded rapidly during the last few years and the banks in the private sector have also contributed to this expansion in all important spheres such as branch expansion, deposit mobilisation and extension of credit.

(b) There is no reliable method by which working efficiency of different banks could be assessed and compared.

(c) The Reserve Bank of India has reported that, as on the last Friday of December, 1974, six Indian scheduled commercial banks in the private sector had deposits exceeding Rs. 50 crores.

(d) The Reserve Bank has extensive powers of control over the functioning of private commercial banks under the existing provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Loan advanced by Nationalised Banks to Small Farmers in Madhya Pradesh

6864. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the nationalised banks to small farmers (having 2 to 7 acres of land) in Madhya Pradesh and Rajasthan for agricultural purposes during the last three years ; and

(b) the amount of loans advanced by these banks to big farmers in the said States during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The present system of statistical reporting does not provide for separate information relating to advances of public sector banks to farmers with holdings of 2 to 7 acres.

Holding-wise distribution of direct agricultural advances by public sector banks is available for the farmers with land holdings upto and above 10 acres. The available information in respect of Madhya Pradesh and Rajasthan in this regard as at the end of September, 1973 is indicated below:—

State	No. of Accounts		Amount outstanding (Rs lakhs)	
	upto 10 acres	above 10 acres	upto 10 acres	above 10 acres
Madhya Pradesh	26248	20510	315.67	871.11
Rajasthan	17852	17583	371.07	904.70

चिट फंड और वित्त पोषक कम्पनियां

6865. श्री एन० ई० होरो

श्री के० मालन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिट फंड और वित्तपोषक संस्थाओं की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियां जमा राशि के रूप में धन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हैं और यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इन कम्पनियों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गई परम्परागत चिट फण्ड का कार्य करने वाली कम्पनियों, इनामी योजनाओं/लक्की ड्राज का कार्य करने वाली कम्पनियों और अन्य वित्तीय कम्पनियों (जैसे किराया-खरीद, ऋण, निवेश, मकान बनाने के लिए ऋण, आपसी लाभ ऋण और विविध) की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या अनुबन्ध 'क' में दी जा रही है ।

(ख) क्योंकि परम्परागत ढंग का चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली चिट फण्ड कम्पनियों की योजनायें स्वयं-समापी-स्वभाव की हैं और आपसी लाभ योजनाओं में सहयोग करती हैं इसलिए ऐसी कम्पनियों द्वारा अपने अंशदाताओं से प्राप्त चिट-अंशदानों को, विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 के अनुसार 'जमायें' नहीं माना जाता है । कम्पनियों द्वारा अपनी चिट फण्ड योजनाओं में अंशदाताओं से अंशदान स्वीकार करने सहित, परम्परागत ढंग का चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण किया जाता है । इनमें से बहुत सी राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट कानून बना दिये हैं ।

गैर बैंकिंग कम्पनियों को आम जनता से जमायें स्वीकार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई दो निदेशावलियों के अनुसार गैर बैंकिंग संस्थाओं एवं विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमा स्वीकार करने विषयक कार्यवाही का नियंत्रण किया जाता है । इन निदेशों की मुख्य मुख्य बातें अनुबन्ध 'ख' में दी गई हैं ।

(ग) रिजर्व बैंक सभी राज्यों द्वारा अपने जोन के लिए एक आदर्श (माडल) चिट फण्ड कानून तैयार कर रहा है । इसने एक अध्ययन दल भी नियुक्त किया है जो गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमा-स्वीकार विषयक गतिविधियों सम्बन्धी संविधियों और उनके अधीन जारी किये गये निदेशों को कठोर बनाने, तथा इन कम्पनियों द्वारा जिन कमियों का गलत फायदा उठाया जा रहा हो उन्हें दूर करने, की दृष्टि से सिफारिशें देगा ।

विवरण

परम्परागत चिट फण्ड का कार्य करने वाली कम्पनियों, इनामी योजनाओं/लक्की ड्राज का कार्य करने वाली कम्पनियों और अन्य वित्तीय कम्पनियों (जैसे किराया–खरीद, ऋण निवेश, मकान बनाने के लिये ऋण, आपसी लाभ ऋण और विविध) की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कम्पनियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	43
असम	8
बिहार	14
दिल्ली	177
गुजरात	86
हरियाणा	1
जम्मू व कश्मीर	3
केरल	120
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	232
मेघालय	1
कर्नाटक	44
उड़ीसा	1
पांडिचेरी	3
पंजाब	113
राजस्थान	45
तमिलनाडु	234
उत्तर प्रदेश	70
पश्चिम बंगाल	354
	1578

विवरण

रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तिय और विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों को जारी किये गये निदेशों में मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित है :

अल्पकालीन जमाएं स्वीकार करने पर रोक

(1) इन निदेशों में अल्पकालिक जमाएं छः महीने से कम की अवधि के लिए स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध है ।

जमा की मात्राएं

(2) किराया-खरीद और आवासन वित्त कम्पनियों के अलावा अन्य सभी कम्पनियों के मामले में चुकता पूंजी और वास्तविक मुक्त प्रारक्षित निधि के जोड़ के 25 प्रतिशत की सीमा से ऊपर जमाएं स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध है ।

(3) कम्पनियों के निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं अथवा सचिवों और कोषाध्यक्षों की गारण्टी वाले अप्रतिभूत ऋणों को (उनके निदेशकों से लिए गये ऐसे ऋणों को छोड़कर) की सीमा चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधि के जोड़ के 15 प्रतिशत तक सीमित है ।

जमाओं, वार्षिक रिपोर्ट और तुलनपत्र के लिए विवरणों की घोषणा

(4) गैर बैंकिंग कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जमाएं मांगने के प्रत्येक विज्ञापन में अपने प्रबन्ध, कारोबार, लाभ, लाभांश प्रारक्षित पूंजी, जमाओं और अन्य देनदारियों के विवरणों की घोषणा करें।

(5) चालू रखी गई कालातीत जमाओं सम्बन्धी विवरण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने की व्यवस्था की गयी है।

(6) वापिस न की गई कालातीत जमाएं कुल मिलाकर यदि 5 लाख से अधिक हैं तो उनके विवरण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने की व्यवस्था है।

(7) कम्पनियों द्वारा अपने तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे और अन्य निर्धारित सूचना काफी विस्तार से प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

जमाओं के लिए आवेदन पत्र

(8) 1-4-1973 से, कम्पनियों द्वारा दिये गये फार्मों पर प्रत्याशित जमाकर्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने पर ही जमाएं स्वीकार करने की व्यवस्था है। इन फार्मों में वैसे ही सारे विवरण होने चाहिएं, जैसे जमाएं मांगने के विज्ञापन के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये हैं।

(9) जमाओं के लिए जमाकर्त्ताओं को उचित रसीदें देने और जमा-रजिस्टरों में निर्धारित न्यूनतम विवरण रखने की व्यवस्था है।

किराया खरीद कम्पनियों का समापन

(10) किराया खरीद और आवासन वित्त कम्पनियों के मामले में बकाया जमाओं के 10 प्रतिशत के बराबर चल सम्पत्ति रखने की व्यवस्था है।

(11) किराया खरीद कारोबार करने वाली कम्पनियों के मामले में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि किराया-खरीद के ऋण तर्क संगत अवधि के भीतर वसूल किये जायें।

छोटी बचत योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि

6866. श्री एन०ई० होरो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष समस्त देश में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि जमा हुई;

(ख) इस समय छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमाकर्ताओं को किस दर से ब्याज दिया जाता है और क्या यह दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) गत वर्ष छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमाकर्ताओं से आयकर के भुगतान के बारे में कितने मामलों में पूछताछ की गई है।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1974-75 (जनवरी, 1975 तक) में देश भर में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत 169.83 करोड़ रुपये (निवल) की रकम जमा हुई।

(ख) छोटी बचत की विभिन योजनाओं के अन्तर्गत इस ममय जो ब्याज दिया जाता है, उसकी दरें नीचे दी गई हैं :-

	प्रति वर्ष
डाक घर बचत बैंक	5 प्रतिशत कर भुक्त
राष्ट्रीय बचत पत्र दूसरा और तीसरा निर्गम	6 प्रतिशत कर भुक्त
राष्ट्रीय बचत पत्र चौथा और पांचवा निर्गम	10.25 प्रतिशत
1 वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाते	8 प्रतिशत
2 ,, ,,	8.5 प्रतिशत
3 ,, ,,	9 प्रतिशत

5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाते	10 प्रतिशत
5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते	9.25 प्रतिशत
10 वर्षीय डाक घर बढ़ने वाले सावधि जमा खाते	6.25 प्रतिशत कर मुक्त
15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाते	7 प्रतिशत कर मुक्त

ये दरें वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों पर ब्याज की दरों के अनुरूप अन्तिमवार जुलाई 1974 में बढ़ायी गयी थीं। इन दरों को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संभवत: प्रश्न का आशय राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों के उन दौरों से है जो उन्होंने आय कर दाताओं द्वारा छोटी बचत योजनाओं में धन लगाये जाने के लिए प्रचार करने हेतु किये थे। ये दौरे देश भर में फैले क्षेत्रीय अधिकारियों के सामान्य कार्यों का एक भाग होते हैं और इन दौरों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

फ्लाइंग क्लबों को दी जाने वाली राज-सहायता में वृद्धि करना

6867. श्री एन० ई० होरो

श्री हरी सिंह

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी 23 फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों को दी जाने वाली राज-सहायता में वृद्धि कर दी है जिनको विमानन ईंधन और फालतू पूर्जों की लागत बढ़ाने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज सहायता के लिये पात्र क्लबों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राज-सहायता दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। देश में 25 फ्लाइंग क्लब और 2 सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूलों सहित 13 ग्लाइडिंग क्लब/फ्लाइंग क्लबों के ग्लाइडिंग विंग हैं। इन के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं। उपदान योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मापदण्डों/शर्तों को पूरा करने पर ये सभी क्लब शासकीय उपदान के हकदार हैं। क्लब को देय उपदान की राशि अनुमत उपदान-प्राप्त उड़ान घण्टों में से उनके द्वारा किये गये वास्तविक परिचालन समय पर आधारित होती है।

विवरण

फ्लाइंग क्लबों के नाम

1. आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद।
2. आसाम फ्लाइंग क्लब, लि०, गोहाटी।
3. बिहार फ्लाइंग क्लब लि०, पटना।
4. बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई।
5. दिल्ली फ्लाइंग क्लब, लि०, नई दिल्ली।
6. गवर्नमैंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर।
7. गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा।
8. दि केरला फ्लाइंग क्लब, लि०, त्रिवेन्द्रम।
9. को-ऑप, हिन्द फ्लाइंग क्लब, लि०, लखनऊ।
10. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर।

11. नागपुर फ्लाइंग क्लब, लि०, नागपुर ।
12. मद्रास फ्लाइंग क्लब, लि०, मद्रास ।
13. नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर छावनी ।
14. गवर्नमैंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर ।
15. राजस्थान फ्लाइंग क्लब, लि०, जयपुर ।
16. कोयंबतूर फ्लाइंग क्लब लि०, कोयंबतूर ।
17. पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला ।
18. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर ।
19. वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग क्लब, वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) ।
20. गवर्नमैंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेहाला, कलकत्ता ।
21. हिसार एविएशन क्लब, हिसार ।
22. करनाल एविएशन क्लब, करनाल ।
23. जमशेदपुर को-आप० फ्लाइंग क्लब लि०, जमशेदपुर (बिहार) ।
24. ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब, रायपुर ।
25. लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना ।

ग्लाइडिंग क्लब/विंग का नाम

ग्लाइडिंग क्लब	ग्लाइडिंग विंग
1. अहमदाबाद ग्लाइडिंग और फ्लाइंग क्लब, अहमदाबाद ।	1. अमृतसर एविएशन क्लब (ग्लाइडिंग विंग)
2. दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, नई दिल्ली ।	2. दि राजस्थान फ्लाइंग क्लब, (ग्लाइडिंग विंग) जयपुर ।
3. बिरला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी (राजस्थान) ।	3. बिहार फ्लाइंग क्लब (ग्लाइडिंग विंग) ।
4. ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब, रायपुर ।	4. नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, (ग्लाइडिंग विंग) जालंधर कैंट ।
5. देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक ।	5. हिसार एविएशन क्लब, (ग्लाइडिंग विंग), हिसार ।
6. ग्लाडिइंग और सोरिंग सैंटर, आई०आई०टी०, कानपुर ।	6. पटियाला एविएशन क्लब, ग्लाबडिंग विंग), पटियाला ।
7. आगरा ग्लाइडिंग क्लब, आगरा कैंट ।	

स्कूटरों का निर्यात

6868. श्री एच०के०एल० भगत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों का अन्य देशों को निर्यात करने सम्बन्धी सम्भावनाएं क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) तेल संकट के बाद अंन्तराष्ट्रीय बाजार में स्कूटरों की मांग बढ़ गई है ।

यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड के अंशधारियों/निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाना

6869. श्री एच०के०एल०भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारी/निदेशक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या है ; और

(ग) आरोपों का तथा उनसे बरामद अपराध सिद्ध करने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड के अंशधारियों/निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाना

6870. श्री एच० के० एल० भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड के किन्ही अंशधारियों/निदेशकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध आरोपों और उनसे बरामद दोष सिदध करने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी के अंशधारियों के विरुद्ध कर की बकाया राशि

6871. श्री एच० के० एल० भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन कम्पनियों/व्यक्तियों ने मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड में 1000 रुपये या इससे अधिक पूंजी लगाई है और जिनके विरुद्ध आयकर, धनकर, उत्पाद शुल्क और अन्य करों की राशि बकाया है और कब से;

(ख) करों की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन मामलों को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसकी अभिदत्त तथा चुकता पूंजी तलपट के अनुसार 31 मार्च 1974 को 2.25 करोड़ रुपये की है, जिसमें दस-दस रुपये के 22,50,000 सामान्य शेयर हैं। कम्पनी के लगभग 5200 शेयरधारी हैं। जिन शेयरधारियों ने 1000 रुपये अथवा उससे अधिक की पूंजी निवेश कर रखी है, उनकी संख्या लगभग 2000 है। ये शेयरधारी देश भर में फैले हुये हैं और उनकी तरफ विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की बकाया की रकमों से संबंधित सूचना, देश के विभिन्न भागों के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी। अपेक्षित सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरुप नहीं होगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट शेयरधारियों शेयरधारीयों के बारे में सूचना जानना चाहें, तो, वह एकत्रित करके सदन-पटल पर रखी जा सकती है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार कम्पनियों में पूंजी निवेश

6872. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने उन कम्पनियों में कम्पनीवार, कितना धन लगाया है जिन पर एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएंयम लागू होता है;

(ख) यह पूंजी निवेश किन सिद्धांतों के आधार पर किया गया था ; और

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में वही कसौटी अपनाई जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति, 1969 की रिपोर्ट के परिशिष्ट II में सूची बद्ध 73 औद्योगिक गृहों की कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए सकल निवेशों के बारे में सूचना निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	(लाख रु० में)
1972-73	980.06
1973-74	812.92
1974-75 (31-12-74 तक)	824.61

कम्पनी-वार सूचना अनुबंध में दी गई है ।

(ख) निवेश करते समय मुख्य रूप से इन बातों पर बल दिया जाता है : निवेश की गई रकमों की सुरक्षा, उनसे अपेक्षाकृत अच्छी आय प्राप्त कर सकना और वास्तविक पूंजी का यथोचित मूल्यांकन, जिससे कि पालिसी धारियों के हितों की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा की जा सके ।

(ग) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 क, जिस रूप में वह जीवन बीमा निगम पर लागू की गई है, की परिसीमा के भीतर, औद्योगिक गृहों की कम्पनियों में निवेश करने के सभी प्रस्तावों पर, प्रत्येक मामले के गुण दोषों जैसे प्रबन्ध-क्षमता, परियोजना की आर्थिक क्षमता लाभकारिता के अवसर तथा पूंजी की सुरक्षा के आधार पर जीवन बीमा निगम द्वारा विचार किया जाता रहेगा ।

विवरण

व्यापारिक समूह का नाम	(लाख रुपये में) जोड़
1	2
ए० सी० सी०	12.78
बांगड़	6.27
वर्ड हैल्जर्स	0.20
बिड़ला	71.14
गायंका	1.46
आई० सी० आई०	13.63
जे० के० सिंधानियां	85.98
किलाचन्द (तुलसी दास)	0.25
किल्लिक्स	38 89
मफ्त लाल	1.75
मार्टिन बर्न	0.46
साराभाई	1.73
श्री राम	0.31
सूरज मल नागर मल	0.48
टाटा	498.51
थापर	0.93
वाल चन्द	0.06
अमीन	1.28
बी० एन० एलियास	0.21
बजाज	0.98
वालमेर लारी	0.21

1	2
चिनाय	0.82
फिनले	0.21
जयपुरिया	117.92
कमानी	10.17
कनोड़िया आर० के०	4.22
काशिर भाई लाल भाई	3.34
किर्लोस्कर	31 29
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	2.63
मंगल दास जयसिंह भाई	0 29
मोदी	38.83
मुरुगप्पा चेट्टियार ट्यूक इन्वेस्टमेन्ट	0.57
मुत्तिया	0 01
नायडु जी० वी०	8.66
नायडु वी० आर०	4 78
नारोस जी० वाडिया	0.12
पैरी	5.58
पीयर्स लेसली	0.16
पोददार	0.01
कोठारी	0.03
शेषामयी	11.70
एस० पी० जैन	0.02
ठाकरसे	0.49
त्यागराजा	0.07
वी० राम कृष्णण	0.61
जोड़	980.06

विवरण

व्यापारिक समूह का नाम	(लाख रुपये में) जोड़
1	2
ए० सी० सी०	2.92
बांगड़	23.77
बिड़ला	155.18
गोयंका	3.54
आई० सी० आई०	17.51
जे० के० सिंधनियां	28.02
किला चन्द (तुलसी दास)	1.48
किल्लिक्स	1.23
मफ्त लाल	0.19
मार्टिन बर्न	0.09
साराभाई	5.21

1		2
श्री राम		27.37
टाटा		293.82
थापर		3.17
वालचन्द		25.13
ए० एण्ड एफ० हार्वे		12.96
अमीन		0.05
बजाज		3.92
चिनाय		1.01
कनोड़िया आर० के०		0.09
कस्तूर भाई लाल भाई		0.60
किर्लोस्कर		3.60
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा		80.60
मंगल दास जय सिंह भाई		0.33
मंगल दास पारिख		0.93
मोदी		13.97
मुरुगप्पा चेट्टयार ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट		1.19
मुतिया		0.05
नायडु वी० आर०		100.00
नायडु जी० वी०		0.55
नारोसणी बाडिया		0.39
पैरी		0 51
पीयर्स लेंसली		0 03
पोद्दार		0.05
शेषासश्री		3 31
एस पी० जैन		0.06
वी० राम कृष्ण		0.03
	जोड़	8,12.92

विवरण

व्यापारिक समूह का नाम	(लाख रुपये में) जोड़
1	2
ए० सी० सी०	8.10
बिड़ला	63.23
बांगड़	60.00
गोयंका	0 32
आई० सी० आई०	3.70
जे० के० सिंघानियां	40 22
किलाचन्द (तुलसी दास)	0.53
किल्लिक्स	36.80

1	2
मफत लाल	1.04
माराभाई	2 33
सिंधिया स्टीम नेवीगेशन	10.40
श्रीराम	115.02
टाटा	149.45
बालचन्द	0.20
अमीन	0.03
वालमेर लारी	1.38
चिनाय	0.11
कनोड़िया आर० के०	0.01
खटाऊ	0.19
किर्लोस्कर	16.07
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	96.64
मोदी	215.70
मुरुगप्पा चेट्टियार ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट	1.03
नारोसर्जी वाडिया	0.47
पोद्दार	0.38
रुइया	0.27
ठाकरसे	0.99
जोड़	8,24.61

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में उद्योगों की स्थापना में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान

6873. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में उद्योगों की स्थापना में राष्ट्रीयकृत बैंकों का यदि कोई विशिष्ट योगदान है, तो वह क्या है ; और

(ख) क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दर पर वित्त देने की राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई योजना है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योगों के संवर्द्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को सावधिक ऋण देने के साथ साथ कार्यचालन पूंजी के वास्ते वित्तीय सहायता भी देते हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का पता लगाने और उसका उपयोग करने के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारत के विभिन्न भागों में परामर्श संगठन बनाये हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंक भी इन संगठनों से संबंधित हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों के वास्ते संगठित सहायता संघों में भी भाग लेते हैं। पिछड़े हुए निर्धारित जिलों में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के विकास में मदद देने के वास्ते ये बैंक रियायती आधार पर वित्तीय सहायता देते हैं, जिसमें ये शामिल है : निम्नतर दर पर ब्याज, निम्नतर मार्जिन, दीर्घावधिक ऋण-स्थगन, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ब्याज की निम्नतर दरों पर रियायती पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये जीवन बीमा निगम का योगदान

6874. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम ने यदि कोई विशेष योगदान दिया है तो वह क्या हैं ; और

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन उद्योगों में कुल कितना धन लगाया ? (एक) जिन उद्योगों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है और ऐसे प्रत्येक उद्योग का नाम क्या है और उसमें कितनी पूंजी लगाई गई (दो) जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये से कम पूंजी लगी है और (तीन) जिनमें कुल पूंजी एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं लगी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(क) जीवन बीमा निगम अपने धन का एक बड़ा भाग सरकारी प्रतिभूत्तियों, नगर पालिका तथा पत्तन-न्याय प्रतिभूतियों, शेयरों और राज्य वित्त निगम के बंध–पत्रों, राज्य बिजली बोर्डों के बंध-पत्रों तथा ऋणों, राज्य सरकारों को और भवन निर्माण के लिए प्रमुख सहकारी आवास वित्त समितियों को सीधे दिये जाने वाले ऋणों, जल-प्रदाय योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों को दिये जाने वाले ऋणों, औद्योगिक बस्तियां, स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले ऋणों के रूप में लगाकर समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है । ये निवेश उद्योग तथा उसके संतुलित विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वर्तमान संदर्भ में अत्यावश्यक आधार-भूत साधन तैयार करने में बड़े सहायक होते हैं । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कम्पनियों और चीनी सहकारी समितियों को सावधिक ऋणों की मंजूरी के माध्यम से और इस तरह के क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों की जिम्मेदारी लेकर और उनमें सीधे अंशदान करके जीवन बीमा निगम द्वारा सीधी सहायता की जाती है ।

(ख) निम्नलिखित विवरण–पत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में (1–4–1969 से 31–3–1974 तक) जीवन बीमा निगम के निवेशों में हुई उद्योग-वार शुद्ध वृद्धि दिखाई गई है :

क्र० सं०	उद्योग	निवेश के बाजार मूल्यों में हुई शुद्ध वृद्धि जिसमें दिये गये ऋण भी शामिल है ।
1	2	3
		(करोड़ रु० में)
(i)	**5 करोड़ रु० से अधिक**	
	1. रंग, रसायन और भेषज	9.78
	2. इंजीनियरी	15.00
	3. लोहा और इस्पात	8.26
	4. चीनी सहकारी समितियां	7.98
	जोड़	41.02
(ii)	**एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं**	
	1. एल्यूमीनियम	4.03
	2. सीमेंट	1.39
	3. बिजली	2.93
	4. बिजली का सामान	2.33

1	2		3
	5. निवेश न्याम		2.84
	6. कागज और गत्ते		3.12
	7. रबड़ उत्पाद		1.38
	8. सूती वस्त्रों से भिन्न वस्त्र		2.77
	9. विविध		4.29
		जोड़	25.08
(iii)	एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं		
	1. सूती वस्त्र		0.75
	2. खाद्य, पेय और तम्बाकू		0.62
	3. रियासलाइयां		0.01
	4. जहाजरानी और परिवहन		0.50
	5. चीनी और मद्य निर्माणशालाएं		0.06
	6. वनस्पति तेल		0.85
		जोड़	2.79
		कुल जोड़	68.89

कलकत्ता में चाय के एक बड़े व्यापारी का गिरफ्तार किया जाना

6875. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही के काले धन विरोधी अभियान के दौरान कलकत्ता में चाय के एक बड़े व्यापारी को गिरफ्तार किये जाने की ओर दिलाया गया है जैसा कि 1 मार्च, 1975 के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां तो क्या उसी व्यक्ति ने कुछ वर्ष पूर्व शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से वक्सा दुआर्स टी कम्पनी लिमिटेड के चार उत्तम चाय बागान खरीदे थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सौदे की ओर उसके नियात व्यापार की जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बैंकों, डाकघर बचत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त धनराशि खातों में जमा करना और जुटाना

6876. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, डाकघर बचत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खातों में जमा हुई और अन्य विभिन्न तरीकों से कुल कितनी धनराशि जुटाई गई ;

(ख) जिला कूच बिहार से जुटाई गई धनराशि में से कुल कितनी धनराशि गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार अलग-अलग उक्त जिले में निवेश की गई ;

(ग) क्या प्रत्येक क्षेत्र में जिला-वार जमा धनराशि और निवेश में कोई सम्बन्ध अथवा अनुपात है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में, दिसम्बर, 1971, 1972 और 1973 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल निक्षेपों और अग्रिमों के विषय में आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं :

(लाख रुपयों में)

अन्तिम शुक्रवार को	निक्षेप	अग्रिम
दिसम्बर, 1971	306	57
दिसम्बर, 1972	351	70
दिसम्बर, 1973	414	108

कूच बिहार जिले में डाकघरों द्वारा जुटाई गई लघु बचत-जमाओं और जीवन बीमा निगम द्वारा एकत्र किये गये बीमा-प्रीमियमों के बारे में यथासुलभ सूचना एकत्र कर ली जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (घ) बैंक अलग-अलग ऋणकर्त्ताओं की ऋण-आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अपनी निधियों का काफी बड़ा भाग राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों और राज्य-सम्बद्ध निकायों के बाण्डों और डिबेंचरों में लगाते हैं जिसका लाभ सम्पूर्ण राज्य को मिलता है और इसलिए उसका जिलेवार अनुमान लगाना संभव नहीं है । इसी प्रकार जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों से पूर्णत: अथवा अंशत: वित्तपोषित कार्यक्रमों से जनता को उपलब्ध लाभों का जिलेवार अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है ।

कलकत्ता में पकड़े गए एक व्यक्ति से बरामद किये गये स्वर्ण बाण्ड

6877. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर 1974 के "स्टेट्समैन" कलकत्ता में "स्पेशल सर्किल टू डील विद समगलर्स केम सून" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिस व्यक्ति को पहले बागडोगरा हवाई अड्डे पर रोका गया था उसके कालिम्पांग हाऊस से 10 लाख रुपयों के मूल्य के स्वर्ण बाण्डों की बरामदी का ब्यौरा क्या है तथा उसकी ब्रोकरेज फर्म का नाम क्या है जिसमें उसका हित था, जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है ; और

(ग) यदि उसके कोई चाय बागान हैं तो उनका ब्यौरा क्या है तथा चाय बोर्ड से विकास सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) बागडोगरा हवाई अड्डे पर रोके गये व्यक्ति का नाम श्री ओंकारमल मिन्त्री था । श्री मिन्त्री के निवास-स्थान की तलाशी में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ 23,421 ग्राम सोने के राष्ट्रीय स्वर्ण पत्र, 1980 भी पकड़े गये ।

चाय की दलाली करने वाली जिस फर्म का नाम रिपोर्ट में उल्लिखित है वह मैसर्स टी ब्रोकस (प्रा०) लि० है ।

(ग) रिपोर्ट मिली है कि श्री ओंकारमल मिन्त्री का सम्बन्ध चाय की निम्नलिखित कम्पनियों से है :—

(i) मिन्त्री टी कं० (प्रा०) लि० ।

(ii) मूंडा कोट्टे कं० (प्रा०) लि० ।

(iii) रिकटींग टी कं० (प्रा०) लि० ।

इन तीन कम्पनियों को अथवा इन कम्पनियों की मालिकी के बागानों के लिए चाय बोर्ड से विकास सहायता के रूप में मिली रकम के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

अल्प सूचना प्रश्न सं० 3

एक विदेशी औषध कम्पनी को लाईसेंस जारी करना

3. श्री वसन्त साठे : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1975 के "इकनौमिक टाईम्स' में "एलियन ड्रग कम्पनी गैट्स इम्पोर्ट लाईसेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ग) मैसर्स एम० एम० डी० (इण्डिया) मेथाईल डोपा सूत्रयोग पर आधारित एल्डोमेट का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। 1973-74 से प्रपुंज मेथाईल डोपा का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता था। मैसर्स मर्कशार्प एण्ड डोमे ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरकार द्वारा हंगरी से आयात किए गए मेथाईल डोपा को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि वे केवल यू० एस० ए० में उनके मुख्य कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों का प्रयोग करेंगे। अनेक डाक्टरों ने उत्पन्न होने वाली कमियों तथा इस औषध की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में लिखा है। एल्डोमेड टेबलेट्स, जोकि उच्च रक्त चाप के इलाज में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक जीवन रक्षक औषध है, की कमी को दूर करने के लिए, यू० एस० ए० में मर्क शार्प एण्ड डोह्म में की मुख्य कम्पनियों से राज्य सरकार निगम के माध्यम से मेथाइल डोपा की कुछ मात्रा का औसत मूल्य पर, जिस पर की यह औषध रुपया स्त्रोतों से उपलब्ध है, आयात करने के लिए काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में अन्तरिम अवधि के लिए, सरकार सहमत हो गई है। चूंकि यह एक सरणीबद्ध औषध है इसलिए इसका आयात राज्य व्यापार निगम सरकार द्वारा भी किया जाएगा। इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० को मेथाइल डोपा के इसी प्रकार के सूत्रयोगों का उत्पादन आरम्भ करने के लिए कहा गया है, जो कि जून, 1975 तक उपलब्ध हो जाएंगे। मेथाइल डोपा के सूत्रयोग के उत्पादन को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आई० डी० पी० एल० तथा औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें की गई थीं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रस्ताव नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के घोटाले के बारे में है जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है.....

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। आप इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठा सकते हैं। मैं मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण सम्बन्धी विवरण

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं बैंककारी आयोग के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर 14 अगस्त, 1974 को हुए वाद-विवाद के उत्तर में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9451/75]**।

North-Eastern Areas (Removal of Difficulties) Order

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Shri Sidheshwar Prasad) : I beg to lay on the table:—a copy of the North-Eastern Areas (Removal of Difficulties) Order No. 3 (Hindi and English versions) published in Notification No. S. O. 148(E) in Gazette of India dated the 20th March, 1975, under sub-section (2) of section 87 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971. **[Placed in the Library.** *See* **No. L.T. 9452/75]**

मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगे

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1975–76 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(दो) गृह मंत्रालय

(तीन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(चार) निर्माण और आवास मंत्रालय

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 9453/75]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 9454/75]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:–

(एक) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/जी/74/196/एम०बी०ए०–2364–826–ई० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 17 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/जी/75/24/एमवीआर-1075/39-ई० में प्रकाशित हुए थे ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9455/75]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी का संस्करण) एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9456/75]**

(2) टैक्सटाइल समिति अधिनियम 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति (उपकर) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172 (इ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9457/75]**

लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (पहला संशोधन) नियम आदि

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : मैं लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (पहला संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 407 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9458/75]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 448 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसमें दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1400 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा० सां० नि० 449 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1401 का शुद्धि-पत्र दिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9459/75]

(तीन) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9460/75]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

145 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) पर लोक लेखा समिति का 145वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश
REPORT AND MINUTES OF ESTIMATE COMMITTEE

श्री भाऊसाहेब थामनकर (भिवंडी) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(एक) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) वन विज्ञान के सम्बन्ध में समिति के 65वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 72वां प्रतिवेदन ।

(दो) योजना आयोग—पिछड़े क्षेत्रों का विकास सम्बन्धी 69वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

61वां प्रतिवेदन

श्री आर० पी० यादव (मधेपुरा) : मैं भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 51वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

दिल्ली विक्रय कर विधेयक
DELHI SALES TAX BILL

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रवर समिति के सामने दिए गए साक्ष्य
EVIDENCE BEFORE SELECT COMMITTEE

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सोमवार 21 अप्रैल, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा:—

(1) रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

मैं सभा को यह भी सूचित करता हूं कि 23 अप्रैल, 1975 को दो संविधान संशोधन विधेयकों – एक सिक्किम से और दूसरा अरूणाचल प्रदेश से सम्बन्धित–पर विचार किए जाने और उन्हें पास किए जाने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कह चुका हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें । अत: बहुत से सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए मुझे बोलने के समय में कमी करनी पड़ेगी ।

Shri Ram Chandra Vikal (Bagpat) : Government should review its policy of bonus to the farmers and increase in the foodgrain prices.

श्री बसंत साठे (अकोला) : सरकार को सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में सरकार को एक स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए ।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं जौरी एग्रो–केमिकल्ज, गोआ के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । इस कारखाने से नजदीकी क्षेत्रों को जल दूषण से हानि पहुंच रही है । इसे बन्द किया जाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Various parts of Bihar are facing scarcity of drinking water. People have to fetch water from long distances. This question should be discussed here and Government should announce the ways and means to solve this problem. I request the Government to help solve this problem.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morina) : Atrocities on Harijans are being committed in various parts of the country. No steps are being taken to check this type of zulum on Harijans and tribals. I want that reports of the Commissioners of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be discussed in the House.

श्री समर गुह (कंटाई) : विदेश मंत्री ने अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान खान अब्दुल गफार खान की सुरक्षा के बारे में चिंता प्रकट की है । लगभग छ: अथवा सात वर्षों तक वह अफगानिस्तान में रहे और पाकिस्तान आए । वहां आने के बाद अब उन्हें अफगानिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा है । उन्हें नजरबंद रखा गया है । सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I want that the Foreign Minister should give a statement regarding South Vietnam. Genocide caused by the American bombardment has done incalculable harm to the citizens of that country and they need every help. This matter should be included in the list of business for the next week.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात विधान सभा के लिए जून के पहले सप्ताह में चुनाव होने जा रहे हैं । निष्पक्ष चुनावों के लिए वहां के प्रशासन को निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहिए ।

वहां के पांच जिलों में 494 अवरोधक बांध बनाने के लिये 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे । इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । अगले सप्ताह प्रधान मन्त्री भी उधर जा रही हैं । आने वाले सप्ताहों में प्रधान मन्त्री तथा उन मंत्रियों को उस राज्य के दौरे नहीं करने चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल में 50 औद्योगिक एककों ने अपना कर्म बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप वहां बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गयी है । मैं उद्योग मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

बीर भूम जिले में एक हरिजन महिला के साथ किये गये अत्याचार के बारे में भी गृह मन्त्री को एक बक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want the Minister to give a statement about the problems of displaced persons of Pong Dam in Himachal Pradesh.

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहते थे ।

Shri Madhu Limaye : I am saying about displaced persons.... (*Interruptions*) : They are not being rehabilitated properly.

In addition, many people in built up areas like Posangipur are being rendered homeless. The hon. Minister should come out with a statement about these displaced persons.

श्री नुरुल हुडा (कछार) : आसाम के कछार जिले में लगभग 50,000 मणिपुरी विष्णुपिया भाषायी अल्पसंख्यक हैं । वहां प्राईमरी स्कूलों में विष्णुपिया मणिपुरी भाषा में शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को राजी करना चाहिए ।

श्री एस०एन० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । मैं नहीं चाहता कि केन्द्रीय कर्मचारियों का सरकार से कोई टकराव हो । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किश्तें देय हो गई हैं । श्री जगजीवन राम ने आश्वासन दिया था कि 15 मार्च से इस सम्बन्ध में बातचीत की जायेगी । जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि वित्त सचिव तथा अन्य अधिकारियों से मिले तो वित्त सचिव ने सरकार की आर्थिक कठिनाइयों की बात की । और सरकारी कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए कहा । इन परिस्थितियों के लिए केवल 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ? कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने वित्त मन्त्री तथा वित्त सचिव को कह दिया है कि वे इन पांच किस्तों को नहीं छोड़ेंगे । अगली बैठक 21 अप्रैल, 1975 को हो रही है । वित्त मन्त्री बाहर जा रहे हैं अत: वह जाने से पूर्व वित्त सचिव को अनुदेश दे दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों पर दबाव न डाला जाये । इन कर्मचारियों के संगठनों की ओर से मैं वित्त मन्त्री को स्पष्ट कर दूं कि यदि उन्हें महंगाई भत्ते की ये पांच किस्तें दे दी जायें तो वे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समुचित वेतन सम्बन्धी बातों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं । यदि समुचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर दी जायें तो हम अन्य पहलुओं पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं । किन्तु महंगाई भत्ते की ये पांच किस्तें पहले दे दी जानी चाहिएं । मेरा अनुरोध है कि वित्त मन्त्री इस बारे में एक वक्तव्य दें । कर्मचारी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं । मुद्रा स्फीति की स्थिति स्वयं सरकार ने पैदा की है, कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए ।

Shri R.R. Sharma (Banda) : I want to raise a serious matter and request the Minister of Parliamentary Affairs that this matter should be included in the list of business for the next week.

The Government have not been able to suppress the rebels in Nagaland, Mizoram and Manipur. Recently they killed Mr. Ghamandi Singh, who was deputed as Inspector General there. Several others also have been done away with.

I request the Minister of Home Affairs to make a statement in this regard.

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : I want to raise a serious matter regarding import licences. Licences have been issued to the bogus Ayurvedic Firms of Indore. Out of 374 firms, 300 firms have been found bogus. These firms sold the raw material in black market and thus they caused a heavy loss of foreign exchange. The raw material costing about rupees 8 crores was sold in black market. The whole matter was enquired into. On the basis of the enquiry report the officers of lower categories were punished but no action was taken against higher officers. One Minister, Vimla Verma, Shri Gargi Shanker Mishra and Shri Narendra Salve are involved in it. No action has been taken against these persons. These cases have been going on for the lost three-four years. Is it not a Central subject. This matter comes under the Ministry of Commerce. They are getting money for their party purposes. I want to know whether the Minister proposes to conduct enquiry in this regard ?

Mr. Speaker : The speaker should be informed in advance before making allegations against any member. The rule is clear in this regard. I think he is not aware of the rules.

श्री के० रघुरामैया : नियम न जानना कोई बहाना नहीं है। उचित यही है कि यह मामला यहीं दबा दिया जाये और इसे अधिक प्रचार न दिया जाये अन्यथा इससे स्थिति बिगड़ जायेगी।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Hon. Member has mentioned the name of Vimla Verma, who is not present in this House. I want that this remark should be expunged.

अध्यक्ष महोदय : वह नए हैं, उन्हें नियम का पता नहीं है।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Mr Speaker, about 8 years back, a strong demand was made to protect the cows and the Central Government had set up a Committee to prohibit cow slaughter. That Committee has not submitted its report so far. The Ministers in Lok Sabha gave assurances from time to time to place the report before the House, but nothing has been done. There is possibility of an agitation being launched.

I want to inform the hon. Minister, that if the asrurances are not implemented, there will be nation-wide agitation.

Cows are useful for us in different ways. Research work about the gobar is being carried out in many countries. Scientists have invented gobar gas, which is very useful for various purposes. It is most useful fertilizer also. Therefore, I request the Minister of Agriculture and Irrigation to look into this matter and steps be taken to prevent cow slaughter.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने मंत्रालयों तथा विभागों के नाम हिन्दी में रोमन लिपि में लिखे जाने के बारे में पत्र लिखा था। यह नया तरीका 1971 में प्रारम्भ किया गया था। और उस समय कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति की थी। बाद में यह निर्णय किया गया कि इस सभा को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में नाम आदि अंग्रेजी तथा हिन्दी में होंगे। हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। किन्तु अब इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने 9 जनवरी, 1975 को भी यह मामला उठाया था। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को एक पत्र भेजा था। इस पर मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्रालयों, विभागों के प्रतिवेदनों आदि का नाम अंग्रेजी तथा हिन्दी मे होगा। यह हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। किन्तु इसके बावजूद भी कई मंत्रालय तथा विभाग पुराने ही तरीके से लिखते चले आ रहे हैं।

निर्णय ले लिया गया है, सभा में इसकी घोषणा हो चुकी है फिर भी इसका उल्लघंन हो रहा है। यदि वह पुराना ही तरीका चाहते हैं तो फिर पहले इसकी घोषणा सभा में हो जानी जाहिए और फिर वे ऐसा कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री क्या करें। उन्होंने परिपत्र जारी किया है किन्तु कई मंत्रालय तथा विभाग उसका पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयाल गूडा) : कपास के मूल्य में लगातार कमी आने से लाखों कपास उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव कपास के उत्पादन पर भी पड़ेगा। सरकार इसके लिए समुचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे और कपास निगम को बड़े पैमाने पर कपास खरीदने के लिए कहे। आंध्र प्रदेश में कपास का समुचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए महीनों से अन्दोलन चल रहा है। हाल ही में गुन्टूर में इस सम्बन्ध में एक व्यापक हड़ताल भी हुई है। कपास उत्पादकों की ओर से श्री रघुरामैया को एक अभ्यावेदन भी दिया गया है। समझ नहीं आती कि सरकार क्यों चुप बैठी है। इस तरह तो व्यापारी तथा एकाधिकारियों को लाभ पहुंच रहा है। वे सस्ते में कपास खरीद रहे हैं। कपास के उत्पादन को तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन को ध्यान में रखते हुए सरकार को कपास का समुचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। मंत्री महोदय इस महीने की 16 तारीख को गुन्टूर जिले के विनुकोंडा ताल्लुक में हुई घटना के बारे में वक्तव्य दें। इस घटना में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस में विजय रनाडे नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कुछ व्यक्ति कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त हैं। यह मामला महाराष्ट्र विधान सभा में उठ चुका है। यह दल इस प्रैस से राष्ट्रपति के नाम पर कुछ महत्व पूर्ण कागजात तथा लेटरहैड्स चुरा रहा है और उन कागजातों का उपयोग लाखों रुपये के आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कर रहा है। वहां विधान सभा में सभी बातें विस्तृत रूप में रखी गई किन्तु वहां कहा गया कि चूंकि यह केन्द्र का मामला है, अतः वहां से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह गंभीर मामला है। अतः मंत्री जी को इस संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगु सराय) : इस महीने की 22 तारीख को चुनाव सुधारों के विषय पर बातचीत करने के लिए प्रधान मंत्री ने हमें आमंत्रित किया। किन्तु सरकार अब वहां की विकास परियोजनाओं के बारे में अधिक आतुरता दिखा रही है।

मेरी दूसरी बात सिविल सर्वेन्ट के बारे में है। हाल ही में हमने एक मामला उठाया था कि सिविल सर्वेन्ट, श्री सरिन, जो गुजरात सरकार के सलाहकार हैं, किस तरह टेलीविजन इन्टरव्यू में आ सकते हैं। हमें कहीं से पता चला कि उन्होंने चुनावों के बारे में सत्तारूढ़ दल की एक बैठक में भी भाग लिया। वह सक्रियता से राजनीति में भाग ले रहे हैं। यह आपत्तिजनक बात है।

एक और मामला है, जिस पर मैं मंत्री जी से वक्तव्य चाहता हूं आकाशवाणी गुजरात में सूखा तथा अकाल के बारे में प्रसारण करता रहा है। किन्तु देसाई जी के अनशन के पश्चात तथा चुनाव कराने की घोषणा के पश्चात यह प्रसारण बन्द हो गया है। क्या सरकार इसी तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती रहेगी। अन्त में सरकार का ध्यान बिहार के कई भागों में पीने के पानी की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिएं।

श्री० बी० वी० नायक (कनारा) : कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में एक बहुत बड़ी पन बिजली परियोजना धनाभाव के कारण रुक गई है। केन्द्र से धन के लिए बार बार अनुरोध किया जा रहा है किन्तु कुछ नहीं किया गया। यदि यह परियोजना पूरी हो जाए तो इससे समूचे एशिया में सबसे कम दर पर बिजली प्राप्त होगी और लगभग 1250 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अतः इस परियोजना को पूरा करने के लिए शीघ्र ही धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री के० रघुरामैया : मैं इन सभी मामलों की सूचना संबंधित मंत्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दूंगा।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35 ई०, समय समय पर संशोधित रूप में, के पैराग्राफ 5 (5) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :-

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35 ई०. समय-समय पर संशोधित रूप में, के पैराग्राफ 5 (5) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुदानों की मांगें, 1975-76—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—(*Contd.*)
रक्षा मंत्रालय

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : On the Northern Frontier China is building up its defence net work. A number of roads are being built by them from Tibet to Nepal which posed a

serious threat to the defence of our borders. In view of the experience we had with that Country in the past Government should be alert in this regard.

A military aerodrome was proposed to be constructed at Dearia for which a large tract of fertile land was acquired from the farmers. About 7-8 years have passed but no construction work has been started as yet. The hon. Minister should pay attention to it.

There is great need for constructing more roads on the northern border so that defence forces and material can be sent there when required. Of course it involves a huge expenditure. But this work has got to be undertaken in a phased manner

Much is said about the need for increasing the pay and allowances of Government employees. But there is no mention about the dependents of the Jawans and officers of our defence forces. There is great need to provide for medical facilities for them in each district. Government should pay special attention to this matter.

A public leader of Bihar has tried to drag the army and the jawnas into politics This is very unfortunate. The defence forces must be kept away from politics.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अर्लीपुर) : युद्ध में विजय प्राप्त करने में हथियार नहीं विचार सहायक होते हैं। हमें आज अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं और बाह्य तथा आन्तरिक खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी सशस्त्र सेनाओं में लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, उपनिवेश विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, तथा प्रगतिशील शक्तियों के साथ अन्तराष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करनी होगी। इन आदर्शों से हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा होगा। उनमें राष्ट्रीयभक्ति की भावना आएगी और वे मातृभूमि के सच्चे रक्षक सिद्ध होंगे। इस समय उनमें ऐसी भावना पैदा करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में रोष तथा असंतोष फैलाने तथा उन्हें देश द्रोह के लिए उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समय आ गया है कि हम सजगता से इस ओर ध्यान दें। हमारे देश की सेना की यह परम्परा रही है कि उसने राजनीति से अपने को दूर रखा है। अब पहली बार उन्हें राजनीति में फंसाने का प्रयास किया गया है। अतः हमें अपने जवानों और अधिकारियों में प्रजातंत्र के मूल्य और उसकी संकल्पनाएं इस प्रकार प्रवाहित करनी चाहिए ताकि वे ऐसे प्रयासों से दूर रहें और उनमें देशभक्ति की भावना बढ़े।

हम अपने सैनिक का मूल्य रुपये से आंकते आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने संसाधनों की सीमा में रहते हुए यह सुनिश्चित करें कि हमारे सैनिकों को अच्छा वेतन, अच्छा भोजन और अच्छा कपड़ा आदि मिले और घायल होने पर उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए एवं वीरगति प्राप्त होने पर उनके आश्रितों की सहायता की जाए। फिर भी कुछ क्षेत्रों में शस्त्रों के विशिष्टीकरण के कारण अत्यधिक कठिन कार्य करने वाले सैनिकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए और अच्छे वेतन सुनिश्चित किए जाएं। हमारी सेना ने 303 राइफल जैसे शस्त्र को त्याग दिया है। इसी प्रकार उन्हें उन पुराने आदेशों को त्याग देना चाहिए जो उन्हें पुराने ब्रिटिश भारतीय सेना की उपनिवेशवादी परम्पराओं से प्राप्त हुए थे। ब्रिटिश राज्य काल में हमारी सेना का प्रयोग विदेश में साम्राज्यवादी हितों के प्रसार के लिए किया जाता था। बड़े दुःख की बात है कि अब भी इस परम्परा का त्याग नहीं किया गया है। अब भी सैनिक अभियानों के समारोहों को मनाने की निन्दनीय प्रथा जारी है। हमें ऐसी परम्पराओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी परम्पराओं को निभाने से हमारी सेना की विचारधारा पर भी बुरा असर पड़ता है। मंत्री महोदय इस विषय पर भी ध्यान दें।

सेना को प्रशिक्षण देने के साथ साथ शिक्षा भी देनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिएं जिससे वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, तटस्थता, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि आदर्शों का अर्थ समझ सकें। क्या सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं है अथवा वह आलोचना से डरती है। यह सर्वथा वांछनीय नहीं है।

श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने एक भाषण में सशस्त्र सेनाओं में असंतोष की बात की है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है कि सेना में असंतोष एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। हो सकता है वह ऐसा भाषण देकर अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हों लेकिन तथ्य तथ्य है और हमें यथार्थताओं का सामना करना होगा। यदि हम इनका सामना नहीं करते तो हमें इसका अधिक मूल्य चुकाना होगा। सैनिक भी देश का अंग है। उनके परिवारों को जब महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा तो इससे सेना पर भी प्रभाव पड़ेगा।

जवानों और अधिकारियों के आपसी सम्बन्ध वैसे नहीं है जैसे एक प्रजातांत्रिक सेना में होने चाहिएं। यदि हमारे समूचे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का कैंसर इस संस्था में भी फैल गया तो हमारी सशस्त्र सेना के मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हाल ही में बड़े आश्चर्यजनक मामले प्रकाश में आए हैं। लोक लेखा समिति ने अपने 137वें प्रतिवेदन में बताया है कि सेना को घटिया किस्म के कम्बल सप्लाई किए गए हैं। यह भ्रष्टाचार और सांठगांठ का स्पष्ट मामला है और इसमें आयुद्ध सेवाओं के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं। इससे न केवल राजकोष के साथ कपट किया गया बल्कि सेनाओं की कार्य-कुशलता में भी कमी आई है क्योंकि उन्हें कठिन सर्दी का मुकाबला करना पड़ा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। जो अधिकारी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं उन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा तो यह एक गम्भीर मामला कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण मेजर आर० सी० धवन का है जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया है। कई अन्य अधिकारी भी निकाले गए हैं जिनमें एक मेजर जनरल और एक लेफ्टिनेन्ट भी है। जांच अदालत के निष्कर्षों में आरोप सिद्ध हो गए हैं। झूठे सप्लाई आर्डर, नकली वाउचरों का प्रयोग किया गया। यह भी स्पष्ट है कि ठेकेदारों के साथ सांठगांठ की गई है।

रक्षा सेवा विनियमों के अन्तर्गत सशस्त्र सेना के सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के मामले अपने वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान में लाए। मेजर धवन को तकनीकी आधार पर सेवा से निकाला गया है और यह तकनीकी आधार है— "वस्तु क्रयादेश एवं सेना अनुशासन का उल्लंघन"। उन्होंने कौनसा उल्लंघन किया था ? उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की बजाय सीधा जी० ओ० सी० को आरोप लिख भेजे। लेकिन दुर्भाग्यवंश उनका वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में अन्तर्ग्रस्त था; उसका दोष केवल इतना था कि उसने जी० ओ० सी० को सीधे लिख दिया। लेकिन इस तथाकथित अपराध के लिए उसे यह दंड दिया गया। जांच न्यायालय की अध्यक्षता एक ब्रिगेडियर ने की थी जो विनियमों के विरुद्ध है क्योंकि विनियमों के अनुसार जांच करने वाले का पद उस अधिकारी के बराबर या ऊंचा होना चाहिए जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच आयोग ने उन अधिकारियों को तो सजा दे दी जिन्होंने यह मामला प्रकाश में लाया था और उन अधिकारियों को छोड़ दिया जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो इससे सेना के मनोबल में कमी होगी। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इसको सही परिपेक्ष्य में देखें।

मैं इस विचार को भी पसन्द नहीं करता कि भारत शस्त्र बाजार में शस्त्र विक्रेता बने। मैं जानता हूं कि हमारे आयुद्ध कारखानों के पास अतिरिक्त क्षमता है। लेकिन हर एक चीज को विदेशी मुद्रा आय के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। लन्दन से प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय शस्त्रों की काफी मांग है क्योंकि इनकी किस्म अच्छी है। गत एक साल में भारत ने 10 करोड़ रुपये के शस्त्र बेचे हैं। ब्रिटेन ने भी 40 लाख रुपये के क्रयादेश दिए हैं। दक्षिण अमरीकी देश से भी ऐसी ही मांग आई थी परन्तु सरकार ने राजनीतिक और नैतिक आधारों पर इसे अस्वीकार कर दिया। इसका स्वागत है। सरकार को आयुद्ध कारखानों की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए अन्य तरीके निकालने चाहिएं।

यदि भारत जैसा शांतिप्रिय देश अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार में शस्त्र विक्रता के रूप में उभर कर सामने आएगा तो गुट-निरपेक्ष देशों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : रक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने रक्षा मन्त्रालय का भार फिर से अपने ऊपर ले लिया है और हमें आशा है कि उनके नेतृत्व में देश रक्षा के मामले में और अधिक सुदृढ़ होगा। रक्षा व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को देखकर बड़ी निराशा हुई है। वर्ष 1973-74 में कुल रक्षा व्यय का 55.9 प्रतिशत भाग प्रतिष्ठापनों पर व्यय किया गया है और वर्ष 1974-75 में यह संख्या 66.9 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल रक्षा का दो-तिहाई भाग वेतनों और प्रतिष्ठापनों आदि पर व्यय हो जाता है, इस प्रकार रक्षा के क्षेत्र में अन्य कार्यों के लिए बहुत कम राशि रह जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 3 से 4 प्रतिशत भाग रक्षा पर व्यय करते हैं। जबकि अन्य देश इससे कहीं अधिक व्यय करते हैं। पाकिस्तान भारत की तुलना में बहुत अधिक व्यय करता है। हम कुल बजट का 14-15 प्रतिशत व्यय करते हैं जबकि पाकिस्तान 50 प्रतिशत व्यय करता है। रक्षा व्यय के मामले में 64 देशों में भारत का स्थान 31वां हैं। यह भी कहा गया है कि रक्षा कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। लोक लेखा समिति ने अपने 137वें प्रतिवेदन में भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताए हैं। उनके विरुद्ध आरोप भी सिद्ध हो चुके

हैं । यदि सरकार ने इस पर कार्यवाही की होती तो मुझे प्रसन्नता होती । यदि कहीं भी कदाचार आदि का मामला मंत्री महोदय के ध्यान में आए तो उन्हें दोषी व्यक्ति को शीघ्र दंड देना चाहिए । देश को सेना पर विश्वास है और यदि सेना में कदाचार व्याप्त है तो उसको दूर न करने पर देश का सेना से विश्वास हट जाएगा ।

14 मार्च, 1974 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3100 के उत्तर में रक्षा मंत्री महोदय ने बताया था कि सशस्त्र सेना के लिए भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है । यह परिवर्तन किसी विशिष्ट क्षेत्र को ध्यान में रखकर नहीं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । यदि सेना को केन्द्रीय सेवा माना जाए तो सेना में भर्ती संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुरूप होनी चाहिए ।

सेवा निवृत सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था । शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल पी० एस० गिल ने किया था और इस ज्ञापन में यह अनुरोध किया था कि उनके गत अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके मामले पर विचार किया जाये । एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्री ने बताया था कि निर्णय करते समय राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली गई और मंत्रिमंडल की एक समिति ने वर्ष 1963 में यह निर्णय किया था कि भविष्य में सेना में भर्ती करते समय क्षेत्र या राज्य की पुरुषों की जनसंख्या को आधार माना जाए । मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय वर्ष 1971 तक क्रियान्वित क्यों नही किया गया । वर्ष 1971 में नीति में परिवर्तन किया गया और इसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया । यह भी आश्चर्य की बात है कि राज्यों की सलाह के बिना ही निर्णय किया गया । सदन में इन दो पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए ।

मैंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया था कि जिन गांवों के सैनिकों ने अधिकतम सैनिक पुरस्कार एवं परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं, उन गांवों का विकास 'आदर्श गांवों' के रूप में किया जाए । हालांकि यह सुझाव तीन वर्ष पूर्व दिया गया था फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम यह दावा किस प्रकार कर सकते हैं कि हम सेवा निवृत सैनिकों का हित चाहते हैं ।

बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 17.5 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं । लेकिन मुझे संदेह है कि व्यवहारिक रूप में ऐसा किया भी जाता है अथवा नहीं । क्या कोई ऐसा तंत्र बनाया गया है जो यह सुनिश्चित करे कि सेवा निवृत सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं, लाभ और रियायतें क्या वास्तव में दी भी जा रही है अथवा नहीं ?

सैनिक विद्यालयों के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है और यह दो वर्षों से कार्य कर रही हैं । अपना प्रतिवेदन पेश करने में इसने दो वर्ष का समय लिया है । इस प्रतिवेदन को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए । सेवा निवृत एवं सेवारत सैनिकों को दी जाने वाली रियायतों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए । हमारी सशस्त्र सेनाओं ने किन्नोर तथा लाहोल स्पीति में भूकम्प के दिनों में प्रशंसनीय कार्य किया है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढुका) : रक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन हर दृष्टि से अच्छा है । अन्य वर्षों की तुलना में यह प्रतिवेदन अधिक सूचना देने वाला है । फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवेदन में प्रबन्ध एवं अन्य प्रौद्योगिक सुधारों तथा संगणन को बहुत अधिक स्थान दिया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिक प्रगति की सूचना बहुमूल्य है लेकिन साथ ही प्रतिवेदन में कार्य-कुशलता एवं मितव्ययता का उल्लेख भी किया जाना चाहिए था । इस समय कम से कम जनशक्ति लगाने की गुंजाईश है और रक्षा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार कम से कम जनशक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । ताकि सैनिक साज-समान तथा अत्याधुनिक उपकरणों पर राशि व्यय की जा सके ।

रक्षा मंत्रालय ने प्रतिवेदन में बताया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 से 4 प्रतिशत भाग रक्षा कार्यों पर व्यय किया जाता है । राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए यह राशि बहुत कम है । क्या रक्षा मंत्रालय को इतने व्यय से ही संतोष है या वह समझता है कि इतना व्यय भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त है ?

प्रतिवेदन में उन उपकरणों का भी उल्लेख किया गया है जो हमारे सम्भावित शत्रुओं के पास हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम ऐसे उपकरण प्राप्त करने की स्थिति में हैं और क्या हमारे पास इसके लिए संसाधन है और क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3-4 प्रतिशत भाग नए उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त हैं ?

यह सच है कि हमारा देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह संतोष की बात है। लेकिन हम उतना उत्पादन नहीं कर पाते जितना अपेक्षित है और इसलिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अनुसंधान और विकास पर भी बहुत कम व्यय किया जा रहा है।

हम अपने अनुसंधान तथा विकास प्रयासों पर चाहे जितना धन लगायें, परन्तु जन शक्ति की उपलब्धता की भी एक सीमा है। क्या हम अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकते ? अधिक संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार करने का प्रयास करने के लिए हमारे मार्ग में क्या रुकावट है ? अनुसंधान और विकास कार्यों के लिये उपयुक्त उपबन्ध किये जाने चाहियें ताकि हम द्रुत गति से हो रहे प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक विकासों के साथ चल सकें। पूंजीगत सामान, संयंत्रों और मशीनों की खरीद के लिये रक्षा परिव्यय का केवल 12 प्रतिशत धन ही मिल पाता है। हम ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं पर जिनमें रक्षा उपकरणों और पुर्जों के अतिरिक्त कपड़ा और दवाइयां भी शामिल हैं, 27 प्रतिशत धन खर्च करते हैं। हम वास्तव में सैनिक शस्त्रों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत भी खर्च नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम उन हथियारों से लैस हो सकते हैं, जिन से हमें होना चाहिये। चाहे जो भी अश्वासन दिये गये हों कि हम पूरी तरह से लैस हैं, वस्तुस्थिति यही है कि हम पूरी तरह से हथियारों से लैस नहीं हैं। हमारे पास जो शस्त्रास्त्र हैं, वे बहुत पुराने हैं। यदि अमरीका ने दूसरे देशों को शस्त्र सप्लाई करने पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया है, तो इस से हमें उतना लाभ क्यों नहीं हो सकता, जितना हमारे पड़ौसियों को होगा ? (**व्यवधान**) यदि हम बाजार से उन उपकरणों को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो हम अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं या नहीं ?

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक कहा है कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं में देश भक्ति की भावना और विचारधारा कूट कूट कर भरनी चाहिये। उन्होंने यह सुझाव श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों के संदर्भ में दिया था। श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी टिप्पणियों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में देश भक्ति और संविधान के प्रति निष्ठा की भावना भरी हुई है। परन्तु वह बहुत संवेदनशील बात कह रहे हैं। निस्संदेह हर अन्य व्यक्ति की भांति सशस्त्र सेनाओं को संविधान तथा देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिये। परन्तु सशस्त्र सेनाओं में हम हर व्यक्ति को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं दे सकते कि कौन सा विशेष आदेश वफादारी और संविधान के प्रति निष्ठा से सम्बन्धित है। अतः यह एक अति महत्वपूर्ण अन्तर है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसलिये हम सशस्त्र सेनाओं में यह निर्णय करना हर व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते कि कौन सा आदेश संविधान और देश के प्रति निष्ठा का है और कौन सा नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री पराशर ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि समाज से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिये तथा सशस्त्र सेनाओं में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिये। परन्तु यह खेद की बात है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। सशस्त्र सेनाओं से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में यदि रक्षा मंत्रालय के ध्यान में कोई मामला लाया जाये, तो उसे कठोर से कठोर कार्यवाही करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाना चाहिये।

Shri Narendra Singh Bisht (Almora) : While speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Defence, I strongly feel that the Demands for Grants of this Ministry should be considerably raised in view of the growing importance of defence services and in view of the fact that the strength of our armed forces has gone up from 2.60 lakhs in 1947 to 8.30 lakhs at present and that our needs for arms and ammunition, armaments and transport have considerably increased since then. The importance of our defence forces has further increased in view of the fact that India is now being considered as a nuclear power. So we should increase the amount of the Demands for Grants to the maximum in order to see that our defence forces are strengthened to the extent we need.

There is no doubt that we must do every thing for every development, but our development is meaningless unless we are able to defend our country from external aggression. So, we must give the highest prioriy to our defence. The record of our defence forces has been commendable. They have not only faced external aggressions but have also contributed a great deal in meeting domestic challenges, such as famine, floods, railway-strike etc.

It is a matter of satisfaction that we have reached the stage of near self sufficiency in small arms, light artillery etc. We are producing in our country even sophisticated weapons like L. 70, anti air craft guns etc. Vijyanta Tanks are also being manufactured in our country. We have even been able to export certain types of arms and ammunition and thereby we have earned huge amount of foreign exchange. It is a very happy anyway.

I would like to point out that we have not paid adequate attention to the development of our Navy as we have paid to the development of our Army and Air force. We must keep this fact in mind that in the coming years Navy will have to play a very important role in modern warfare and so it requires our special attention. Necessary funds to meet their requirements must be made available to them.

Now coming to hilly areas, I would like to point out that lesser recruitment of soldiers is being made in hilly areas. Various malpractices are being followed in the matter of recruitment. At Pithoragarh a recruiting centre should be opened because a large number of persons were recruited from this place during the last war.

Adequate attention is not being paid towards war widows and ex-servicemen. Adequate facilities should be given to ex-servicemen from Kumaon and Garhwal at Tarai-Bharar. One Ghodakhal sainik school has been opened at Nainital but the boys belonging to this region do not get admission there. Government should reserve some seats in this school for boys from hill areas. Similarly, local labourers should be given preference in the matter of recruitment for the construction of border roads. They should be given the same facilities are one given to the out side labourers. The roads from Almora to Ghat and from Jauljiri to Madhya Kot should be included among border roads.

There was a scheme for constructing a major contonment at Pithoragarh. Land were also acquired for that purpose. As the scheme has now been suspended for want of funds, the owners of those pieces of land should be allowed to caltivate them. Due attention must be paid to this.

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : माननीय प्रधान मन्त्री प्राय: थल और जल से खतरे तथा देश की सुरक्षा के लिए तैयारी रखने की आवश्यकता की बात कहती रहती हैं। वह कहती हैं कि इसीलिए आपात की स्थिति अभी जारी है। परन्तु रक्षा मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इन बातों की ओर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई गई है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1974-75 में रक्षा सम्बन्धी तैयारी पर कुल रक्षा बजट का केवल 33.1 प्रतिशत व्यय किया गया था। क्या यह देश पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए पर्याप्त है ?

रक्षा मन्त्रालय की मांग संख्या 18 में से एक भारी राशि वापस की गई है। बजट प्राक्कलन 2662.49 लाख रुपये का था तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन 2293.51 लाख रुपये का है। वर्ष 1974-75 में रक्षा व्यय 55.9 से बढ़ कर 66.9 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण हुई है। रक्षा उपक्रमों को दिये जाने वाले धन में 349 लाख रुपये की बचत की जा सकती थी। मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

समाचारपत्रों में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पश्चिमी देशों में छोटे हथियारों के निर्यात की बहुत अधिक सम्भावनाएं है। फिर सरकार खरीदारों का पता लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? यदि हमारे पास फालतू हथियार हैं तो शांति के समय में हम मित्र देशों को उन का निर्यात कर सकते हैं तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित करके आर्थिक संकट पर काबू पा सकते हैं।

यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने प्रतिवर्ष सेवा निवृत होने वाले 60,000 सैनिकों के पुनर्वास की योजना बनाई है। इनमें से 45,000 को सहायता की आवश्यकता होती है। यह खुशी की बात है कि

सरकार विभिन्न वर्गों को रोजगार देने पर विचार कर रही है जो भी योजना बनाई जाए उसे उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार विमान वाहक जहाज विक्रांत के लिये कुछ नये विमान खरीद रही है । साथ साथ यह भी लिखा है कि विमान वाहक को वर्ष में छः से आठ महीने तक मरम्मत होती रहती है । यदि ऐसा है कि विमानवाहक वर्ष में छः से आठ महीने तक मरम्मत के लिए पड़ा रहता है तो उस के लिए नये विमान क्यों खरीदे जा रहे हैं ?

जैसा कि मैंने गत बजट भाषण में कहा था विमान चालकों तथा पनडुब्बी चालकों की सेवा की शर्तों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । एक विमान चालक को 350 रुपये उड़ान भत्ता मिलता है, जबकि पनडुब्बी चालक को नहीं । पनडुब्बी चालक के जीवन को भी उतना ही खतरा होता है जितना कि विमान चालक को । अतः उसे भी वही राशि मिलनी चाहिए जो विमान चालक को मिलती है । दूसरे, विमान चालक को उस का भत्ता भूमि पर कार्य करने पर भी मिलता रहता है, जब कि पनडुब्बी चालक को नहीं । यह विषमता दूर की जानी चाहिये ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सेना में भी भ्रष्टाचार की घटनायें हो रही है । इस सन्दर्भ में मैं कुछ मामलों का उल्लेख करूंगा ।

मिलटरी कालेज, ई०एम०ई० सिकन्द्राबाद के भूतपूर्व कमांडर ब्रिगेडियर एच०एस० बंगा के विरुद्ध सी०बी० आई० की रिपोर्ट है । उनकी पुत्री के विवाह के आमंत्रण पत्र सरकारी खर्च पर उसने सरकारी मुद्रणालय में छपवाये थे । सरकारी वाहनों का प्रयोग उन की पुत्री के विवाह के लिए किया गया था । वस्तुतः यह एक बड़ा घोटाला है ।

भ्रष्टाचार का एक अन्य मामला है····

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ये मामले मन्त्री महोदय को भेज दें तो बेहतर होगा ।

श्री मोहनराज कंलिगारायर : मेरा इन मामलों का उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि सेना में भ्रष्टाचार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, विशेषतया ऐसी स्थिति में जबकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इस प्रकार के सभी घोटालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने चाहिए ।

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मैं माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान उठाई गई बातों का उल्लेख करूंगा तथा कुछ अपनी बातें भी कहूंगा ।

उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से परिवर्तन आता है और उतनी ही तेजी से उसमें पुरानापन भी आ जाता है । लेकिन इसमें समय लगता है । इस पुरानेपन के प्रति हमें अनवरत रूप में सतर्क रहना पड़ता है ।

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कभी मांग अधिक होती है और उस स्थिति में युद्ध के दौरान हम अपनी मांग पूरी करने के पूर्ण सक्षम हैं । लेकिन हमें शान्ति काल के दौरान उत्पादन स्तर को भी बनाये रखना है ।

रक्षा उत्पादन के दो पहलू हैं—एक, आयुद्ध कारखाने, जिन्हें विभाग चलाता है, दूसरा सरकारी उपक्रम, जो निगमों के रूप में चलते हैं । आयुद्ध कारखानों का इतिहास बहुत प्राचीन है । कुछ तो एक शताब्दी पुराने हैं । यहां 31 आयुद्ध कारखाने हैं जिनमें तीनों सेवाओं के उपयोग का विभिन्न सामान बनता है । इन में रक्षा के आधुनिक शस्त्रास्त्र तथा उपकरण बनाये जाते हैं तथा खाद्य सामग्री, कपड़ा आदि भी बनाया जाता है ।

इन में से कुछ कारखाने बहुत पुराने हो गये हैं और हमें उनका आधुनिकीकरण करने का काम निरन्तर करते रहना पड़ता है । हाल ही में हमने प्रोपेलेंट्स तथा बैलिस्टिक्स का एक नया कारखाना बान्द्रा में खोला है । इटारसी में इस के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल फैक्ट्री की स्थापना पर विचार हो रहा है । हम आधुनिकतम तकनीक प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमारी सेनाओं को अत्युत्तम शस्त्रास्त्र मिल सकें ताकि वे अधिक विश्वास और कुशलता से हमारे देश की एकता की रक्षा करें । 16 आयुद्ध कारखानों में सामग्री योजना प्रणाली के लिये कम्प्यूटरों का प्रयोग किया है । इस प्रणाली को अन्य कारखानों में भी लागू किया जायेगा ।

आयुद्ध कारखानों में लागत व्यय का हिसाब लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। धन का उचित प्रयोग करने के लिए हमें अपनी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना है।

श्री एच०एम० पटेल ने पूछा है कि प्रबन्ध व्यवस्था के नये तरीके अपनाने से कितने धन की बचत हुई है। इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है फिर भी इतना कहा जा सकता है कि इससे हमारी योजनाओं को सहायता मिली है और हम कम से कम लागत में हजारों प्रकार का सामान बना सके हैं

इस सम्बन्ध में मैं एक या दो कारखानों का ही उल्लेख करूंगा। जबलपुर वाहन कारखाने में शक्तिमान, निशान एक टन भार तथा निशान पैट्रोल वाहन बनाये जाते हैं। सेना की आवश्यकता के अनुसार इस कारखाने की अनुसंधान शाखा ने 5 टन भार की गाड़ी बनाई है जिसे काम में लाया जा रहा है। बाद में इसका उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। इसके अलावा यहां शक्तिमान बस के चैसिस भी असैनिक उपयोग के लिए बनाये जायेंगे।

जबलपुर वाहन कारखाने के निकट 10 करोड़ रुपये की लागत से वाहन कारखाने के लिए कैपटिव यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए ग्रेआयरन फाऊंण्ड्री का निर्माण किया जायेगा। यह 1976-77 में चालू हो जायेगी। यह जबलपुर वाहन कारखाने के अतिरिक्त अबाडी के भारी वाहन कारखाने की भी कच्चे लोहे की कुछ मांग पूरी कर सकेगी।

विजयन्त गन टैंक और आरमर्ड रिकवरी वाहन जैसी भारी गाड़ियां बनाने वाले अबाडी कारखाने का विकास किया जा रहा है। इसमें 1976-77 तक उत्पादन बढ़ जायेगा, इसके अलावा टैंकों को जोड़ने का काम बढ़ाया जा रहा है। टैंकों के इंजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखाने की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

इस समय विजयंत टैंक में 75 प्रतिशत पुर्जे देशी हैं। इनको बढ़ा कर 95 प्रतिशत किया जायेगा। यह कारखाना अब फालतू पुर्जे भी अधिक मात्रा में सप्लाई कर सकेगा।

हमारे सभी उत्पादन प्रयासों का देशीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। हम उन वस्तुओं को जिन्हें आयात करते थे, देश में ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आयुद्ध कारखानों में 1973-74 के दौरान 182 करोड़ रुपए की लागत का सामान बनाया गया है जबकि उत्पादन लक्ष्य 148 करोड़ रुपए का था।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर के विशेष मिश्रित धातु संयंत्र का क्या हुआ ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस कारखाने को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। इस पर योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों में विचार हो रहा है और हम उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मिश्रित इस्पात के मिलने की समस्या है और आयुद्ध कारखानों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण किया जा रहा है। हम सुपर मिश्रित धातु संयंत्र के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग इलैक्ट्रानिक्स तथा उड्डयन प्रक्रियाओं में होता है। इसके उत्पादन के लिए हमने एक निगम बनाया है। एक अन्य क्षेत्र भी है जिसे रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। ऐसे उपक्रमों की कुल संख्या नौ है।

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur) : It has been mentioned in the report that our ordnance factories are producing .315 rifles. Their demand is increasing in the public. Therefore are you making some efforts to increase production of .315 rifles ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is correct that their demand is increasing and production is less. But we are considering measures to meet this increasing demand because we are giving priority to items essential for our defence purposes. ये रक्षा-सरकारी उपक्रम गैर सैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बनाते हैं और सुरक्षा के लिए आवश्यक सामान भी बनाते हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के 6 राज्यों में 11 कारखाने हैं। इनमें निरन्तर प्रगति हो रही है।

इसके अलावा दो और उपक्रम—मजगांव गोदी और भारत इलैक्ट्रानिक्स—हैं। मजगांव गोदी में गेट तथा अन्य नौसैनिक सामग्री के अतिरिक्त बहुत से जहाज बनाए जाते हैं जिनका उपयोग भारतीय नौवहन निगम करता है। इस कारखाने को अनेक बिदेशी क्रयादेश भी मिले हैं। यहां निर्मित फ्रिगेट की सारे विश्व में प्रशंसा

की जाती है। हमें ये क्रयादेश विश्व प्रतियोगिता में प्राप्त हुए हैं। मजगांव गोदी में मरम्मत का कार्य भी बहुत अच्छा होता है। मरम्मत कार्य में भी हमारे इंजीनियरों की विदेशों में बड़ी प्रशंसा की जाती है। मजगांव गोदी तथा गार्डन रीच वर्कशापों की कार्यकुशलता बड़े ऊंचे दर्जे की है। हमें इस पर गर्व है।

इसके बाद भारत इलैक्ट्रानिक्स सेना तीनों अंगों के लिए आधुनिक संचार यंत्र तथा राडार बनाता है। इसकी एक दूसरी फैक्टरी, जो गाजियाबाद में है, माइक्रोवेव और राडार उपकरण बनाती है। यह फैक्टरी 1973-74 में आरम्भ हुई थी। इसने 1974-75 में 53 करोड़ रुपए का माल बनाया है जबकि 1973-74 में 45 करोड़ का बनाया था। ये तीनों उपक्रम बड़ी कुशलता से चल रहे हैं तथा इनमें लाभ भी हो रहा है।

प्राग टूल्स और गार्डन रीच वर्कशाप में हुए घाटे को पूरा करने के बाद इन तीनों उपक्रमों में 1974-75 में लगभग 20.50 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। इन सभी उपक्रमों ने 1973-74 में कुल 266.58 लाख रुपए के लाभांश की घोषणा की थी।

प्राग टूल्स कारखाने को हमने गैर सरकारी क्षेत्र से अपने अधिकार में किया था, और इसीलिए इसमें घाटा हुआ था। लेकिन यह लाभ में चलने लगेगी। गार्डन रीच वर्कशाप में जो थोड़ा घाटा हुआ है वह बहुत कम है और यह लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ है। इन सभी फैक्ट्रियों के सामने देशीकरण की समस्या आई है तथा इसमें हमने पर्याप्त प्रगति की हैं। हम उत्पादन के बारे में काफी सजग रहे हैं तथा हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्पादन स्तर काफी ऊंचा रखा है।

माननीय सदस्यों को यह जानने में रुचि होगी कि सभी स्तरों पर कठोर निरीक्षण के फलस्वरूप फ्रिगेट योजना की उत्पादन श्रृंखला पर काफी दबाव पड़ा है लेकिन इससे पहले फ्रिगेट के निर्माण में 84 मास लगे, दूसरे को बनाने में 77 महीने लगे। तीसरा और चौथा क्रमशः 72 और 51 महीने में ही पूरे हो जाएंगे। इस निर्माण समय में निरन्तर कमी की जा रही है। हमारे विदेशी सहयोगियों की राय में भी यह सन्तोषजनक प्रगति है।

इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात कार्य सम्पादन भी अच्छा रहा है तथा कठोर विदेशी प्रतियोगिता के होने पर भी इन्हें निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं। 1972-73 में इनकी निर्यात आय 3.5 करोड़ थी जो 1973-74 में बढ़ कर 5.34 करोड़ रुपए हो गई थी तथा 1974-75 में 15.7 करोड़ रुपए होने की आशा है। सबसे अधिक आय मझगांव गोदी ने की है। इस कम्पनी ने सिंगापुर, ईरान, सऊदी अरब और ब्रिटेन के लिए लाईट कोस्टर और बर्जिस बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए के निर्यात आदेश प्राप्त किए हैं। यह राशि मरम्मत से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा के अलावा है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स को उपकरण सप्लाई करने के लिए विदेशों से 23 करोड़ रुपए के निर्यात आदेश मिले हैं। गार्डन रीच वर्कशाप को ईरान से 2.75 करोड़ रुपए के निर्यात आदेश मिले हैं। भारत अर्थ मूवर्स ने बंगला देश को 4.60 करोड़ रुपए का माल सप्लाई किया है।

रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन सुरक्षा सेवाओं को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी देता है ताकि इससे रक्षा सेवाओं को पूर्ण सहायता मिलती रहे। यह संगठन वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी आधुनिकतम बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इस संगठन का बड़ा प्रशंसनीय कार्य रहा है।

रक्षा सप्लाई विभाग का मुख्य काम विभिन्न वस्तुओं का देशीकरण करना है। इसी उद्देश्य से 1965 के अन्त में इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसने बहुत से उपकरणों का देशीकरण किया है। क्रयादेशों का मूल्य 1973-74 में 23 करोड़ से बढ़कर 1974-75 में 46 करोड़ रुपए हो गया है। यह विभाग निर्माताओं को परामर्श देता है कि ये सामान कैसे बनेगा।

श्री बनर्जी ने रक्षा कर्मचारियों के बारे में प्रश्न किया है। रक्षा कर्मचारियों से हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। हम अपने कर्मचारियों को राहत देने तथा उनकी मांगें पूरी करने के लिए सदैव प्रयत्न करते हैं और समग्रतः उनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और इसके लिए हम उनके तथा उनके प्रतिनिधियों के आभारी हैं।

तीसरे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकृत हो गई हैं। हमने उत्पादन के हिसाब से मजदूरी की दरों के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय से बातचीत की है और यह मामला शीघ्र ही हल हो जाएगा।

सुपरवाइजर 'ए' (तकनीकी) के वेतनमानों, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सुपरवाइजरों के वेतनमानों में समानता, ड्राफ्टसमैनों इत्यादि के वेतनमान का प्रश्न भी उठा है। सब मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है और अन्तिम आदेश जारी किए जा चुके हैं। हम उनकी समीक्षा करना चाहते हैं और वित्त मन्त्रालय के साथ इस विषय पर फिर भी बातचीत की गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सुपरवाईजर को केवल 330 रुपए का वेतनमान दिया गया है। कम से कम यह आदेश तो रद्द किया जाना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : हम स्थिति पर फिर से विचार करेंगे।

वर्गीकरण न्यायाधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। इस मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। हमने सदस्यों की अन्तिम सूची बनाई है। उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश समिति की अध्यक्षता करेंगे। हमने विधि मन्त्रालय को नामों की सूची भेजने के लिए कहा है जिनमें से चेयरमैन की नियुक्ति की जा सके। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप इस पर कार्यवाही की जा रही है। वेतन आयोग ने कहा है कि कार्य मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ निकाय बनाया जाना चाहिए।

कैन्टीन कर्मचारियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह बड़ा जटिल मामला है क्योंकि उनके वेतनमान 10 वर्ष पूर्व निर्धारित किए गए थे और इन वेतनमानों के पुनरीक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि हमने दिसम्बर, 1973 में उन्हें 50 रुपए की तदर्थ वृद्धि की है लेकिन उनके वेतनमानों का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। क्योंकि 'श्रमिक' की परिभाषा के संशोधन का प्रश्न अभी तक बना हुआ है क्योंकि कैन्टीन कर्मचारियों को फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया जा सका है। हमने वित्त मन्त्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि उनके वेतन में 50 रुपए मासिक की वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : स्थायी वार्त्ता मशीनरी के पुनः बनाने का प्रश्न है।

श्री राम निवास मिर्धा : स्थायी वार्ता मशीनरी जे० सी० एम० की स्थापना से पूर्व बनाई गई थी।

संयुक्त सलाहकार तंत्र कई बातों में वार्तालाप सम्बन्धी स्थायी तन्त्र से बेहतर है। उदाहरण के लिये यदि किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर संयुक्त सलाहाकार तंत्र में मतभेद हो जाता है तो अनिवार्य विवाचन के लिये जाया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। वार्तालाप सम्बन्धी स्थायी तंत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। संयुक्त सलाहकार तंत्र से कर्मचारियों को बहुत सुविधा है। आप कोई नई बात न कीजिये जिससे दुविधा पैदा हो। यदि कोई ऐसी बात हैं जिसे श्री बनर्जी समझते है कि वार्तालाप सम्बन्धी स्थायी तंत्र (Permanent Negotiating Machinery) में ही किया जा सकता है तो हम उस पर विचार कर के संयुक्त सलाहकार तंत्र में सुधार कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : पश्चिम बंगाल, अम्बाला, चंडीगढ़, आवड़ी और जबलपुर में सेवा से निलम्बित किये जाने के मामले हैं। मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा उन पर विचार किया जायेगा और स्थानीय अधिकारी इस बारे में अन्तिम फैसला नहीं करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : इन मामलों पर कई बार पुनर्विचार किया जा चुका है।

श्री एस०एम०बनर्जी : सभी मामलों पर नहीं।

श्री राम निवास मिर्धा : हम इन पर पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं यद्यपि ऐसा अनुरोध कई बार प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसे मामलों में संख्या बहुत कम है और भली भांति जांच करने के बाद ही कोई कार्यवाही की गई है। कुछ मामलों में मजदूर संघों ने कहा है कि उन्हें श्रम आयुक्त को सौंप दिया जाये। हमने ऐसा किया है। हम ने श्रम आयुक्त के अनिवार्य विवाचन को स्वीकार किया है। कई लोगों को बहाल किया गया है लेकिन अब ऐसी हद आ चुकी है जिस से आगे कुछ नहीं किया जा सकता। आवड़ी के मामलों पर बहुत पहले विचार किया गया था। माननीय सदस्य ने 71 मामलों का उल्लेख किया है। उनका निर्णय हो चुका है और ये मामले निपटा दिये गये हैं। आवड़ी के मामलों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : बोनस के बारे में क्या किया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : बोनस का मामला बहुत पेचीदा और मेरे विभाग से बाहर का है। इस मामले पर मैं सुनिश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हमारे रक्षा कर्मचारियों को पूरी सुविधाएं प्राप्त हों।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): आप अपने पद के अधिकारों का सदुपयोग क्यों न करें।

श्री रामनिवास मिर्धा : बोनस के मामले में कई उलझने हैं। कुछ ऐसे नियम और शर्तें है जिनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी के लिये लाभदायक है लेकिन कुछ नहीं भी हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की शर्तें अलग हैं। प्रबन्ध व्यवस्था को ढांचों तथा सम्बद्ध अधिकारों और दायित्वों में परिवर्तन किये बगैर उन्हीं शर्तों को इन उपक्रमों में लागू करना संभव नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि रक्षा कर्मचारियों के कल्याण को हम हार्दिक प्राथमिकता देते हैं और उनके कार्य की शर्तों में सुधार के लिये हम सतत प्रयासशील हैं।

मैं रक्षा कर्मचारियों में देशभक्ति और सहयोग की भावना का सम्मान करता हूं। उनमें विभिन्न कार्यों के अनुभवी लोग विद्यमान हैं। उन में क्षमता है और राष्ट्रीय उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण योगदान का बड़ा महत्व है। वे न केवल रक्षा उत्पादन में लगे है वरन देश के सामान्य औद्योगिक विकास में भी उनका योगदान कम नहीं।

प्रो०मधु दण्डवते : रक्षा नीति के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला अन्तर्राष्ट्रीय नीति विशेषकर पड़ौसी देशों में स्थिति जिनसे हमारे देश के लिये रक्षा सम्बन्धी समस्याएं पैदा होती हों।

(2) दीर्घकालीन रक्षा योजना की वृहत जटिलताएं;

(3) देश की रक्षात्मक तैयारी में जनसहयोग; और

(4) रक्षात्मक बातों और रक्षा नीति पर संसदीय नियंत्रण।

मैं संक्षेप में चारों के बारें में बताता हूं। तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया जो 1973 में आरम्भ हुई थी, 1974 में पूरे जोर पर आ गई। लेकिन यह मानना ठीक नहीं होगा कि शांति की इच्छा से ऐसा किया गया है। जब दोनों महाशक्तियों ने यह अनुभव किया कि परमाणु शक्ति संतुलन दोनों में बराबर है तो उन्हें तनाव शैल्थिय की जरूरत महसूस हुई। दुर्भाग्य से इस भावना का विस्तार एशिया तक नहीं किया जायेगा। इसी कारण कम्बोदिया की लड़ाई जारी है। अरब जगत ने तेल को हथियार के रूप में प्रयोग किया है जिससे नई समस्याएं पैदा हुई हैं।

चीन और सोवियत संघ के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह घोषणा हुई है कि अमरीका और ब्रिटेन हिन्द महासागर में दिए गोगार्सिया द्वीप पर संचार सुविधाओं का विस्तार करने में सहयोग करेंगे और इसे पूरे नौसिक अड्डे के रूप में बदल देंगे। इस से हिन्द महासागर दोनों महाशक्तियों के शक्ति परीक्षण का अखाड़ा बन जायेगा।

हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना है कि परमाणु अस्त्रों के मामले में चीन ने बहुत प्रगति की है और पाकिस्तान भारत से शस्त्रों के मामले में आगे बढ़ना चाहता है। हम भी शस्त्रों के लिये सोवियत संघ पर निर्भर करते हैं।

इसी पृष्ठ भूमि में रक्षा के विषय पर विचार होना चाहिये। अभी मंत्री जी ने रक्षा और विकास का उल्लेख किया है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में रक्षा सम्बन्धी हमारा व्यय बहुत कम है। अमरीका ने 1968, 1960, 1970 और 1971 में अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्रमश: 9.3, 8.7, 7.8 7.3 प्रतिशत भाग रक्षा पर व्यय किया, सोवियत संघ ने क्रमश: 11.1, 11.0, 11.0 और—व्यय किया, इगलैंड ने 5.4, 5.0, 4.9 और 4.7 प्रतिशत व्यय किया। इनकी तुलना में भारत द्वारा क्रमश: 3.6, 3.5, 3.4 और 3.4% व्यय किया गया। रक्षा व्यय की औसत लगभग 3.4% ही रही है। यह अपर्याप्त है। इसका कितना भाग अनुसंधान और विकास पर व्यय होता है यह भी देखने की बात है। 1972-73 में अनुसंधान और विकास पर 29.55 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कुल रक्षा उत्पादन का केवल 2% बैठता है। यह राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। 1962 में आक्रमण होने पर हमें पता चला कि देश के लिये दीर्घकालीन रक्षा योजनाओं की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक
STATE FINANCIAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

(धारा 15 और 25 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लक्ष्मी नारायण पांडे यहां नहीं है, श्री अर्जुन सेठी।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : में विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय न्यासिता विधेयक
INDIAN TRUSTEESHIP BILL

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the creation of trust corporations and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नायक क्या आप इस का विरोध करना चाहते हैं ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्री वाजपेयी ने बहुत विचारणीय विधेयक पुर:स्थापित करना चाहा है। इस के पीछे सिद्धांत का मैं आदर करता हूं। मेरा विचार है कि इस विधेयक की स्वीकृति में जो संवैधानिक रूकावटें हैं उन्हें दूर कर दिया जायेगा।

विधेयक में 34 खण्ड है। खण्ड 4 में न्यास निगमों के सृजन का उपबंध है। खण्ड 10 का सम्बन्ध पंचायत के कृत्यों से है। खण्ड 11 में सरकार को होने वाले कुल लाभ के बारे में उपबंध है।

संक्षेप में खण्ड 4 में यह उपबंध है कि यदि 50% हिस्सेदार (शेयरहोल्डर) चाहें तो एक संकल्प द्वारा लिमिटेड कम्पनी को एक न्यास के रूप में बदल सकते हैं। इस से तो संविधान प्रदत्त मूल अधिकार का हनन होता है। सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। यदि न्यास बन जाता है तो अल्प संख्यक शेयरहोल्डरों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात स्पष्ट है। अब अगली बात कहिये या क्या आप इसी कारण विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक: अब मैं संविधान के एक और अनुच्छेद 31 (ग) का उल्लेख करता हूं।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बर्दवान) : माननीय सदस्य अनुच्छेद 31 (ग) को पढ़ रहे जिसे न्यायालय द्वारा संविधानेतर घोषित किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : महोदय, वास्तव में श्री वाजपेयी ने राष्ट्रीयकरण का विकल्प सुझाया है। मुझे दो बातों का स्पष्ट उत्तर चाहिये। क्या यह खण्ड 4 संविधानेतर है। यदि ऐसा है तो यह हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध है। दूसरे क्या विधि मंत्रालय ने इस मामले पर पूरी तरह विचार करते हुये मूल अधिकारों के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, you must be remembering that much delay was caused in according President's recommendation to this Bill and I had raised the matter in the House. Now the President has given recommendation for consideration of the Bill after considering all the aspects.

It has been said that clause 4 will take away fundamental rights because the minority shareholders will loose their property. This is not the position. The spirit behind the Bill should be understood. The purpose is that the shareholders should not consider themselves owners but they should have the feeling of trusteeship.

Shri Naik has posed the question whether clause 4 is *ultra vires* the constitution. Now the Chair has always taken the stand that courts will decide the matter.

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन मामलों में प्रक्रिया को जरा ठीक से समझें। यह संविधान में संशोधन का विधेयक नहीं है। संविधान में संशोधान का विधेयक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति को सौंप दिया जाता है। साधारण विधेयक की सूचना सदस्य द्वारा दिये जाने पर उसे ले लिया जाता है और तब वह पुर:स्थापित करने को स्वतंत्र है। दूसरे संवैधानिकता और असंवैधानिकता के प्रश्न का फैसला पीठासीन व्यक्ति न करके सभा करती है। यदि सभा इस सम्बन्ध में गलती करती है तो न्यायालय उस बारे में निर्णय लेता है। तीसरे सरकार किसी गैर सरकारी सदस्य को विधेयक पुर:स्थापित करने से रोक नहीं सकती। यदि विधेयक के उपबंधों का सम्बन्ध अनुच्छेद 110 और 117 से है तो राष्ट्रपति की सिफारिश की जाती है। लेकिन उस कारण विधेयक को रोका नहीं जा सकता। अत: मंत्री जी को उतर देने की जरूरत नहीं। सभा ही अपना निर्णय देगी।

श्री विनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : श्री नायक ने जो टिप्पणी की है उसकी गहराई में हम नहीं जा पाये हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि श्री नायक अपनी आपत्ति वापस ले लें। जब विधेयक को विचार के लिये लिया जायेगा तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बी० बी० नायक : मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। यह विधेयक संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन है। यह पिछले दरवाजे से राष्ट्रीयकरण करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यास निगमों के सृजन और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 284 का संशोधन)

Sh. Madhu Limaye (Banka) : I more that the leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India:

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Sh. Madhu Limaye : I introduce the Bill.

शिक्षा संस्थाओं के नाम विधेयक
NOMENCLATURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में शिक्षा संस्थाओं का नाम किसी जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर रखना प्रतिषिद्ध करके राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना निविष्ट करने के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि देश में शिक्षा संस्थाओं का नाम किसी जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर रखना प्रतिषिद्ध करके राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना निविष्ट करने के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री राजदेव सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 120 का प्रतिस्थापन)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री सेझियान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी
COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मधु लिमये द्वारा 21 मार्च, 1976 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मधु लिमये अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए
Shri Dinesh Chandra Goswami *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye (Banka) : The purpose of this Bill is to omit section 90 of the Company (Amendment) Bill, because Government have given control of the National Rayon Corporation to the Kapadia Group by misusing section 90 in order to further their political and party interests. So for as the pre 1956 companies were concerned section 90 had saved the rights of preference shareholders and put them at par with the rights of the equity shareholders. The Company Law Board has pointed out that the basic democratic principal underlying the Companies Act was that the right to manage a company vested in the equity shareholders and

not in the preference shareholders. Preference shareholders undertake no risk unlike equity shareholders and that is why preference shareholders have no voice in the election of directors. The Company Law Board has also pointed out that the Kapadias were not the majority whose voice deserved prominence in the Conduct of the management of the company.

When I raised this point the Law Ministry had given an assurance in the House time & again that right to vote enjoyed by preference shareholders in the National Rayon Corporation and certain other companies would be taken away. But the decision taken by the Government in regard to the National Rayon Corporation last year was a violation of this assurance.

The Company Law Board has said, that "the Kapadia Group did indulge in unhealthy practices with the object of acquiring controlling voting power to dislodge the present management. The means employed by them were of a speculative character. Their interest in the large block of shares acquired in the name of benamidars, brokers and financiers is to secure proxies while their nominees also have no genuine interest in those shares. The background and antecedents of the Kapadia group and the way they set about securing voting power in the National Rayon Corporation are not such as to inspire the fullest confidence in their own competence to manage the affairs of the National Rayon Corporation in the best interest of the Company and its shareholders and there is room for doubt whether the interests of the Company would be their primary consideration if they secure full management control. The matter also went before the Bombay High Court. Justice Rege had in his decision said that antecedents of Kapadia group were doubtful and therefore the control of the National Rayon Corporation should not be entrusted to them. In view of all this why did the Government give control of the corporation to Kapadias.

So for as my information goes the Kapadia group gave a sum of Rs. 30 lakhs to the ruling party for fighting elections. Then they have also purchased shares of Maruti Ltd. It was on account of these two reasons that the Government are giving protection to this group.

The Kapadia group has certain textile mills like Kohinoor under their control. You are aware that the textile mills have the obligation to produce a specified percentage of controlled cloth and if a mill does not produce the same it will have to pay fine and "it is interesting to know that the Kapadia group of mills are the worst defaulters in this regard. Not only they do not produce the requisite percentage of controlled cloth but they also default in the payment of fines imposed on them for this default."

This Company works against the interests of the Society as well as the nation. The Unit Trust of India and the I. C. I. C. I. had desired that the control of the National Rayon Corporation should not be given to the Kapadia group. I have got the copies of letters written by these concerns.

The Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill which is now before a joint Committee and they are discussing that Industrial Development Bank of India should be reorganised. Some guidelines have been decided for that. According to these guidelines, it will be the duty of Nominee Directors to check mal-practices in the management of Companies and their affairs. A list containing check points has been issued to Nominee-Directors, according to which it is their duty to ensure that public interest is borne in mind. If a Nominee Director fails to do his duty, action can be taken against him.

The Unit Trust of India and the I. C. I. C. I. desired that the Control of the National Rayon Corporation should not be given to Kapadia Group. But Government paid no heed to this suggestion. When the control of the Corporation was transferred to them, we raised an objection but we were told that the management has been placed in legitimate hands, and there should not be any objection to it. But the fact is that since Kapadias had no share in the equity, hence their management cannot be a legitimate one.

An assurance was given by Law Ministry in the House that right to vote enjoyed by preference shareholders will be taken away. But Government's decision in regard to the National Rayon Corporation taken last year is a violation of it. It has been well established by

facts that the Kapadia Group has entered into a number of unhealthy and unlawful activities but it is a pity the Government is a silent spectator to this open show of mal-practices. Some concrete steps should be taken to save the Corporation and an assurance should be given in this regard on the floor of the House.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यद्यपि यह विधेयक काफी छोटा है परन्तु इसका उद्देश्य काफी सराहनीय है। विधेयक सम्बन्धी उद्देश्य तथा कारण विवरण में श्री मधु लिमये ने स्पष्ट किया है कि कम्पनी अधिनियम में वर्ष 1956 के पूर्व संशोधनों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों के हितों को धारा 90 के अन्तर्गत सुरक्षित कर लिया गया था। कम्पनी अधिनियम में हाल में हुये संशोधन से पूर्व वर्ष 1956 से पूर्व प्राथमिकता प्राप्त अंशधारी कम्पनियां धारा 87 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्धों से मुक्त थी। प्राथमिकता प्राप्त अंशधारी और सामय पूंजी अंशधारियों के विभिन्न प्रकार के मताधिकारों की व्यवस्था थी परन्तु वर्ष 1973-74 में एक विधेयक द्वारा उनमें आवश्यक परिवर्तन किये गये। तथ्य तो यह है कि धारा 70 की उपधारा (3) से पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो 1956 से पूर्व थी, इससे लगता है कि विधेयक का एक उद्देश्य तो पूरा हो जाता है।

धारा 80 में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को इस संशोधन विधेयक की सीमा में लाने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री लिमये द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के आम कृत्यों के बारे में जो कुछ कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। विरोध के बावजूद भी महत्वपूर्ण मामलों में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर, कम्पनी विधि बोर्ड को दे दिया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नये संशोधन में कम्पनी बोर्ड की सदस्यता में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। यदि हमें वास्तव में लोक हित की रक्षा करनी है तो हमें कम्पनी विधि बोर्ड और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जहां तक नेशनल रेयन कारपोरेशन का सम्बन्ध है इसके बारे में मैं तब तक सशक्त रूप से कुछ नहीं कह सकता जब तक कि सरकार द्वारा इस सम्पूर्ण मामले की जांच न करवा ली जाये। वैसे इस कम्पनी के कार्यकरण की आलोचना सदन में अनेक बार हो चुकी है।

मेरा निवेदन है कि सरकार को अधिनियम में दिये गये उद्देश्य को स्वीकार कर इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का यदि कोई दुरुपयोग हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दें कि वे कदाचार को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

Shri R. R. Sharma (Banda) : The Bill introduced by Shri Limaye is a short one but its objects are laudable. It has been rightly pointed out by Shri Limaye that the provisions of Section 90 of the Companies Act are being exploited by unscrupulous businessmen. The House of Kapadias captured National Rayon Corporation by exploiting Section 90 although total financial interest of the Kapadias is 8 per cent only. Shri Limaye's Bill which is soughting for putting an end to this misuse of section 90 should be accepted unanimously.

In today's starred question No. 700, 30 groups of such companies were referred which assumed wealth very much like Kapadias Group of Companies. "In view of all this, I appeal that Amendment suggested by Shri Limaye must be accepted."

***श्री जे० माता० गौडर** (नीलगिरि) : वर्तमान विधेयक का उद्देश्य कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 90 को समाप्त करने का है। धारा 90 का दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इससे प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों एवं साम्य पूंजी अंशधारियों को समान अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी अभाव का लाभ उठाते हुये कपाडिया बन्धुओं ने नेशनल रेयन कारपोरेशन को अपने हाथ में ले लिया यद्यपि कपाडिया बन्धुओं का अपना शेयर के 8 प्रतिशत वित्तीय अंश ही था।

यह बात सभी को मालूम है कि गैर सरकारी एकाधिकारी उद्योगपतियों ने अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत उत्पादन करके अत्याधिक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर दी है। इस कृत्रिम कमी का लाभ उठा उन्होंने मूल्यों में वृद्धि करके भरपूर धन कमाया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 90 को उन्होंने अपना हथियार बनाया तथा यह एकाधिकादियों के विकास के लिए वरदान सिद्ध हुई।

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

31 मार्च, 1974 को प्राइवेट क्षेत्र में 3347 कम्पनियां थी जिनका अधिकृत पूंजी निवेश 610 करोड़ रुपये था। प्राइवेट क्षेत्र द्वारा इस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाते हैं जिनसे अत्याधिक लाभ होता है। आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार कांग्रेसी शासक दल असंवैधानिक ढंग से शक्ति केन्द्रित करने में लगा हुआ है उसी प्रकार प्राइवेट क्षेत्र के उद्योगपति कदाचार अपना कर धन एकत्रित करने में लगे हुये हैं। तथ्य तो यह है कि आज हमारे एकाधिकारी उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने में भी नहीं हिचकिचाते। अतः इन परिस्थितियों में अच्छा यही है कि हम सभी श्री मधु लिमये के विधेयक का स्वागत करते हुए उसे पारित करें तथा इस बात का ध्यान न करें कि वह विरोधी दल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री लिमये का विधेयक देखने में तो छोटा सा है परन्तु उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक तथा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि कम्पनी संशोधन विधेयक में धारा 90 का लोप करने सम्बन्धी विधेयक सरकार को स्वयं प्रस्तुत करना चाहिये था क्योंकि इस धारा के माध्यम से एकाधिकार प्राप्त तत्व देश में शोषण कर रहे हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यह कार्य विरोधी दल के सदस्य को करना पड़ रहा है।

सदन में आज ही श्री वाजपेयी तथा श्री जोशी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एकाधिकार गृहों के सम्बन्ध में जानकारी दी है। देश में लगभग 30 एकाधिकार गृह हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका इरादा इन गृहों को और अधिक प्रोत्साहन देने का है या सरकार इनके अधिकारों को कम करने के पक्ष में है।

कपाडिया बन्धुओं द्वारा 8 प्रतिशत प्रेफरेंस शेयरों किस प्रकार प्रेफरेंस इक्विटी शेयरों के समान अधिकार प्राप्त कर दिये गये तथा अनेक कम्पनियों का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। क्या मंत्री महोदय हमें यह बताएंगे कि जो कुछ भी श्री लिमये जी द्वारा बताया गया, क्या वह सब ठीक है? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को मतदान तथा कम्पनी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना कहां तक उचित है? क्या सम्पूर्ण कम्पनी कार्य पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा?

अब तो बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भी इसके विरुद्ध टिप्पणी कर दी गई है परन्तु कम्पनी विधि बोर्ड के प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 31 मार्च 1974 के 510 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी वाली गैर-सरकारी क्षेत्र में 3347 कम्पनियां थी जिनमें से 2153 कम्पनियों की अधिकृत राशि 381 करोड़ रुपये थी क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि विभिन्न गैर-सरकारी वाणिज्यिक कम्पनियों में विभिन्न एकाधिकार ग्रहों के कितने प्रतिशत प्रेफरेंस शेयर दिये गये थे। तथ्य तो यह है कि इस प्रकार की जानकारी से ही लोगों को यह पता लग पायेगा कि ये एकाधिकार गृह इन कम्पनियों पर किस प्रकार अपना नियंत्रण जमाये हुए हैं।

इन्हीं कारणों से मैं श्री मधुलिमये के विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार स्वयं इस प्रकार का विधेयक या संशोधन प्रस्तुत करेगी। श्री मधुलिमये ने कहा कि एकाधिकार गृहों को छूट देने का कारण सम्भवतः यही है कि वह कांग्रेस दल को पैसा देते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिकृत रूप से तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु मैं इतना तो समझता ही हूं कि आज किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह कहना कठिन है कि वह किसी भी कम्पनी से पैसा नहीं ले रहा है। वास्तविकता यह है कि चुनावों तथा हमारे जनजीवन पर धन का प्रभाव इतना अधिक है कि उससे सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन तथा वातावरण ही दूषित हो गया है। हमारे समक्ष प्रश्न फिर यही आता है कि क्या हम एकाधिकार प्राप्त गृहों तथा कम्पनियों को अपने राजनीतिक तथा सामान्य जनजीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकते हैं?

श्री मधुलिमये द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के निष्प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता कि कम्पनी विधि बोर्ड तथा एकाधिकार गृहों के बीच सांठ गांठ है। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि यदि सरकार ने स्थिति में सुधार करने में तत्परता न दिखाई तो यह संदेह पुष्ट होता जायेगा। संदेह का होना कोई अच्छी बात नहीं है। इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुये मैं श्री मधुलिमये के विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, उनका तथा वर्तमान विधेयक के प्रस्तावक का मैं धन्यवाद करता हू क्योंकि इस चर्चा में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई है। वास्तविकता यह है कि यह मामला 1956 में कम्पनी अधिनियम पुरःस्थापित करते समय भी विचाराधीन था तथा उस समय सरकार ने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के अधिकारों को नियमित करने के लिए अनेक उपाय किये थे। सरकार ने प्रवर समिति में एक संशोधन प्रस्ताव भी दिया जिसमे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को समाप्त किया जा सकता। यह प्रस्ताव कोई नया नहीं है। प्रस्ताव के मुख्य प्रश्न के बारे में भी कोई विवाद नहीं है तथा विधेयक का उद्देश्य भी सभी को मान्य है।

श्री चटर्जी जानना चाहते हैं कि कम्पनी विधि बोर्ड का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इस समय बोर्ड में केवल तीन ही सदस्य हैं जो साझे-विधि योग्यता से सम्पन्न है। यदि आवश्यकता हुई तो हम इसका विस्तार भी कर देंगे। अभी तो हमारी मुख्य समस्या यही है कि सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष बढ़े हुये काम को किस प्रकार निपटाया जाये।

एकाधिकार-गृहों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जा चुका है और उनमें हमने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण रखा जाता है। एकाधिकार गृहों को जब कभी भी विस्तार करने की अनुमति दी जाती है, उस समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित किया जाये।

बिडला, टाटा तथा अन्य कम्पनियों में अब सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की काफी पूंजी लगी हुई है। गत कुछ वर्षों से सरकार की समाजवादी नीतियों के फलस्वरूप आज कोई व्यक्ति भी यह नहीं कह सकता कि वह कम्पनी का स्वामी है। आज हिस्सेदारी की वह स्थिति नहीं है जो पांच वर्ष पूर्व थी।

जन वित्तिय संस्थाओं के विस्तार तथा सरकार की प्रगतिशील कार्यवाहियों के फलस्वरूप एकाधिकार नियमों में बहुत परिवर्तन हो चुका है।

कांग्रेस पार्टी पर इन परिवर्तनों से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है, जो बिलकुल गलत है। श्री मधु लिमये ने स्वयं कहा है कि उनके सुझाव पर ही यह संशोधन लाया जा रहा है। सरकार ने अधिनियम में यह संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया था कि यदि धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबन्ध उचित रूप से न चलाया जा रहा हो तो सरकार दो नहीं बल्कि अधिक डायरेक्टरों की नियुक्ति कर सकती है।

जन न्यासधारी ईमानदारी से काम कर रहे है। आज उसका महत्वपूर्ण भाग है। उसके मताधिकार को और सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के सार्वजनिक क्षेत्र के मताधिकार को एक कर देना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा की जा सकती है। हमने यह मार्ग अपनाया है कि निदेशक बोर्ड में यह अधिकार या तो स्वयं न्यासधारी प्रयुक्त करें अथवा उसका कोई मनोनीत व्यक्ति।

जब 1956 में कम्पनी अधिनियम पारित किया गया तब यह समझा जाता था कि कम्पनियों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। आज उक्त विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है और सरकार का कम्पनियों पर अधिकाधिक नियन्त्रण होता जा रहा है। परन्तु जन न्यासधारी कम्पनियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

नैशनल रेयन का मामला सन् 1971 में सामने आया। कम्पनी ला बोर्ड ने दो निदेशकों की नियुक्ति का निर्णय किया। बहुत से आरोप लगाये गये थे और कम्पनी ला बोर्ड ने अनुभव किया कि इन आरोपों में सच्चाई है। फलस्वरूप, 1973 तक निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। 1973 में कम्पनी ला बोर्ड ने कार्य-विधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। जब कि यह आवेदन दिया गया कि कम्पनी ला बोर्ड द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कम्पनी ला बोर्ड ने पाया कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि उन्हीं आरोपों पर धारा 408 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसी आधार पर इन आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। आज सरकार के पास धारा 408 के अधीन अधिक शक्तियां हैं।

माननीय सदस्यों ने इस मामले पर उपयोगी सुझाव दिये हैं। इन्हीं सुझावों पर ये कार्यवाहियां की गई हैं। कम्पनियों के मामलों के सम्बन्ध में यह एक प्रगतिशील कदम है।

महज आरोप लगाये जाने पर सरकार हर कम्पनी में निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती। उसको न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। कम्पनी लां में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही सरकार कई वर्षों से ऐसे कदम उठाती रही हैं जिससे कम्पनी को समाज के प्रति उतरदायी ठहराया जाये क्योंकि आज की मान्यता यह है कि कम्पनी अथवा निगम समाज के मजदूरों, हिस्सेदारों और उपभोक्ताओं की एक साझेदारी है।

हमने इस बात को अस्वीकार कर दिया है कि हिस्सेदार अथवा प्रबन्धक ही कम्पनी के पूरी तरह नियन्त्रक है। क्योंकि उनके उत्तरदायित्व सीमित हैं, अतएव उनके अधिकार भी सीमित होने चाहिएं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस विषय में हम सभी आवश्यक कदम उठा चुके हैं। इसलिए इस विधेयक के प्रस्तावक से मैं इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that investigations have been made in the allegations. He cannot escape under the plea that these matters do not fall in the jurisdiction of the Company Law Department. The Government is being run on the principle of joint responsibility.

The Hon Minister has himself admitted that the Company Law Board has refused to hand over the management of National Rayon Corporation to Kapadia Group. There are allegations of 8 mal-practices against them, including the one that they gave contract to a black-listed firm. How is it that their hands became clean in one year? The Hon. Minister has admitted that democratic principle required that the company should not go into the hands of the Kapadias as they did not have even one percent shares. I would like to know what political or partisan reasons impelled the Minister to make this exception. He has not given a satisfactory reply to my query.

The house of Kapadias got steel quota with the help of Ministers and officials in respect of drums and barrels, sold that into black market and took over the control of Nixon group companies. The Kapadias are also shareholders in Maruti Ltd. and the 10% limit of share-holding was violated by them which was however, regularised later on. The Kapadias were also fined for not producing the requisite quantity of controlled cloth.

It is, therefore, my firm conviction that favouritism has been shown to the Kapadias. However, since you have already accepted the principle behind my Bill, I do not want to press it for being voted and would like to withdraw it.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I withdraw the Bill.

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 13 और 15 का संशोधन)

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 13 AND 15)

Shri Madhu Limaye (Banka) I beg to move :

"that the Bill further to amend the Hindu Marriage Bill, 1955 be taken for consideration."

It is an important Bill as it affects the future of about 1½ lakh people. Under the Bill it is proposed to reduce the time limit that has been fixed for various actions under the Hindu marriage Act.

The main question is that, at present, very long time is consumed in getting disolution of a marriage which has failed.

It may take as many as 12 years. The problem has, therefore, to be viewed from a humanitarian angle. Redical and extensive amendments, almost of all sections of the Hindu Marriage Act, are necessary in order to bring about the desired social transformation. The Government should bring forward a comprehensive legislation in this regard. There are nearly 1½ lakh cases pending in the country are over the courts. If the law is not changed, the life of a very large number of people will be spoiled.

Shri Shashi Bhushan: There is no need for a 'Hindu Marriage Act.' There should be a general Marriage Act.

Shri Madhu Limaye : The committee on the status of Women in India did not highlight the problems of rural women. There is no suggestion in their report, for instance, for construction of Wardha type of latrines for them. The village women have to carry drinking water for miles in certain parts of the country even today. If gobar gas plants which could provide a great relief to the rural women have not been set up in rural areas.

Mr. Chairman : Even your Bill is for urban people.

Shri Madhu Limaye : That is wrong. A large percentage of separated men and women live in rural areas.

There are several deficiencies in our existing laws relating to marriages in respect of incompatibility, maintenance, dissolution of marriage of mutual consent etc. Our laws also take cognisanee of customs and practies prevalent in the society even though they are out of date in the modern times and are not in consonance with the fundamental rights of equality between men and women. The recommendation of the committee that a record should be prepared as to which of these customs can be invalidated as well as elimination of unilateral right of divorce are salutory. Though Hindu marriage Act did not allow polygamy and the muslim personal law allowed it, yet the percentage of unlawful polygamy among Hindus was 5 to 6 percent and the percentage among Muslims it was 4.31 per cent during 1951-1960. Statistics for the decade 1961-1970 are not yet available. If the Minister gives those statstics, we could know whether the percentage has gone down or gone up.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इसे नोट कर लें ।

Shri Madhu Limeye : The polygamy in Adivasis has increased from 9.53 per cent in 1931-40 to 17.53 per cent in 1941-50 and 17.98 per cent in 1951-60.

These should be as comprehensive legislation as to the reasons this should form the basis of the dissolution of a marriage.

On going through the draft Bill sent by Shri Gokhale I found that it was incomplete. It should be recast keeping in view the recommendations made by the new committee on status of Women. U.N.O. has issued certain conventions regarding various problems facing women but we being a Member of U.N.O. have not implemented them.

There was a suggestion of the United Nations that all marriages, irrespective of caste or creed, should be registered and the registration certificate should only be considered as the conclusive proof of marriage. With a view to prevent the increasing polygamy among Hindus, this suggestion of the United Nations must be implemented Government should make some provisions of this kind in the new legislation which they propose to bring forth.

There cannot be two opinions about the fact that the existing laws relating to marriages need extensive changes. The Minister should urge upon the Government to bring forth at the earliest a comprehensive Bill in this regard and to accord top-most priority to it in their scheme of legislation.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): There is a provision for divorce in the Hindu Marriage Act. That being so, the process of getting a divorce and than to become eligible for remarriage should not be too long. With the delay in this process the age of woman advances and then it becomes difficult for her to remarry. First of all, conditions in our society should be such

that the need for divorce does not arise. But if a divorce becomes necessary, there should not be delay in getting a divorce decree so that the affected persons can go in for marriage if they so desire. Courts should decide divorce cases quickly.

The minimum age for marriage prescribed in the Hindu Marriage Act should be increased. This will help in checking on our increasing population.

The spirit behind the Bill is laudable. I support the Bill.

Shri R.R. Sharma (Banda) : The customs of polyandry and polygamy are prevalent in certain parts of our country. These customs should be abolished.

The original Act provides for a certain time-limit after judicial separation so that the two parties can give fresh thought to the matter during that period. There are a number of reasons which compel husband and wife to seek divorce. There is no justification for allowing time after judicial separation and thus delaying the whole process of getting divorce.

Mr. Chairman : The hon. Member may continue his speech next time.

नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATIONS UNDER RULE 357

Mr. Chairman : Before adjourning the House, Shri Salve and Shri Gargi Shanker Mishra want to make personal explanations. The speaker has given permission to them to do so.

श्री एन०के०पी० साल्वे (बेतूल) : आज प्रात: जब में सदन में उपस्थित नहीं था, श्री शरद यादव ने आरोप लगाया कि इन्दौर की लगभग 300 बोगस फर्मों को जो आयुर्वेदिक दवाइयों का व्यापार करती हैं, 1.90 करोड़ रुपयों के आयात लाइसेंस दिये गये । कहा गया है कि ये लाइसेंस कई करोड़ रुपये ब्लैक में बेचे गये हैं। श्री यादव ने कहा कि इस कथित कांड में मध्यप्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कुमारी विमला वर्मा, मेरा और श्री गार्गी शंकर मिश्र का हाथ है ।

मेरे विरुद्ध श्री यादव द्वारा लगाये गये आरोप सर्वथा मिथ्या हैं । मैं ऐसी किसी फर्म को नहीं जानता जिसे आयात लाइसेंस दिया गया है । श्री शरद यादव को कहा जाये कि वह अपने आरोप वापस लें और तुरन्त क्षमा याचना करें अथवा सभा में जानबूझ कर झूठे आरोप लगाने के परिणामों का सामना करें । अन्यथा आप जैसा उचित समझें मामले की जांच करायें और सच का पता लगाएं और सदस्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें ताकि सदन के सदस्यों की इज्जत की रक्षा की जा सके ।

श्री जी० एस० मिश्र (छिंदवाड़ा) : मुझे पता चला है कि आज श्री शरद यादव ने मेरी अनुपस्थिति में आरोप लगाया है कि मध्य-प्रदेश राज्य के इन्दौर की एक औषध निर्माता फर्म के बारे में लाइसेंस कांड में मेरा हाथ है । उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी आरोप लगाये है जो लोक सभा के सदस्य नहीं है अर्थात् स्वास्थ्य मंत्री । ये आरोप बेतुके, निराधार तथा झूठे हैं और ये चरित्रहनन के उद्देश्य से लगाये गये हैं ।

अत: मेरी प्रार्थना है कि इन को कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री राम सहाय पांडे (बांदा) : नियमानुसार यदि कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाता है, तो उसे अध्यक्ष को सूचित करना चाहिये कि ये आरोप हैं और वह उन्हें सिद्ध करने का उत्तरदायित्व लेते हैं । चूंकि श्री यादव ने तथाकथित आरोप के बारे में कोई सूचना नहीं दी अत: मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें क्षमा याचना के लिए कहने के बजाय, यदि वह क्षमायाचना करते हैं तो यह सदन की गरिमा तथा परम्परा बनाये रखने के लिए सर्वोत्तम है, अन्यथा जो उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री यादव आपकी बातों पर ध्यान देंगे । यदि वह क्षमायाचना करते है तो उनका स्वागत है ।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 अप्रैल, 1975/1 बैशाख, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 21, 1975/Vaisakha 1,1897 (Saka).

MGIPNLK—8/Lok Sabha/75—13-9-75—200 Copies.